भारत

के

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक

का

प्रतिवेदन

1985-86

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत

के

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक

का

प्रतिवेदन

1985-86

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	सन्दर्भ प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
अध्याय I--सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर सामान्य दृष्टि		
परिचयात्मक	1·1	1
सरकारी कम्पनियां	1·2	1--7
सांविधिक निगम--		
सामान्य पहलू	1·3	7
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	1·4	7--8
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1·5	9
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1·6	9--10
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	1·7	10
अध्याय II--सरकारी कम्पनियां--समीक्षायें		11
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड	2क	11--21
आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	2ख	22--32
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2ग	33--44
अध्याय III--सांविधिक निगम--समीक्षायें		45
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में वितरण अधिष्ठान में ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत	3क	45--52
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में सामग्री/नकद के अन्तर्प्रखण्डीय हस्तान्तरण	3ख	52--55
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में प्रीस्टेस्ड सीमेंट कांक्रीट पोलों का विभागीय निर्माण तथा क्रय	3ग	55--62
अध्याय IV--सांविधिक निगमों तथा कम्पनियों से संबंधित विविध रोचक विषय		63--71
सरकारी कम्पनियां	4क	63--65
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	4ख	65--70
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	4ग	70--71

परिशिष्ट

		पृष्ठ
1.	उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपयों से अधिक धनराशि निवेशित की है किन्तु जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं	75
2.	अद्यतन प्रदत्त पूंजी, अनिस्तारित ऋण, सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों की धनराशि, और उसके समक्ष अनिस्तारित धनराशि, सभी सरकारी कम्पनियों के अद्यतन कार्यचालन परिणामों इत्यादि के विवरणों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	76—85
3.	उस अन्ततम वर्ष के लिये जिसके लेखे को अंतिम रूप दे दिया गया था, सभी सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	86—103
4.	उन कम्पनियों के विवरण जिन्होंने 1985-86 के दौरान लाभ अर्जित किया	104
5.	उन कम्पनियों के विवरण जिन्होंने 1985-86 के दौरान हानियां उठायीं	105
6.	उस अन्ततम वर्ष के लिये जिसके लेखे तैयार कर लिये गये हैं सांविधिक निगमों के संक्षिप्त कार्य-चालन परिणामों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	106
7.	1985-86 तक तीन वर्षों के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की वित्तीय स्थिति	107
8.	1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का भौतिक कार्य-सम्पादन	108—109
9.	1984-85 तक 3वर्षों के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति	110
10.	1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का भौतिक कार्य-सम्पादन	111
11.	1985-86 तक 3 वर्षों के अन्त में मोटे शीर्षकों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वित्त निगम की वित्तीय स्थिति का सारांश	112
12.	1985-86 तक 3 वर्षों हेतु उत्तर प्रदेश वित्त निगम का भौतिक कार्य-सम्पादन	113
13.	1985-86 तक 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम के भौतिक कार्य-सम्पादन के आंकड़े	114
14.	1985-86 तक पांच वर्षों के अन्त में उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) की वित्तीय स्थिति का सारांश प्रदर्शित करने वाली विवरणी	115

15.	31 मार्च 1986 को अन्त होने वाले पांच वर्षों हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) के कार्य-चालन परिणामों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	116
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड में 31 मार्च 1986 को अन्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान पुरानी (क) और नयी (ख) इकाइयों में संस्थापित स्पिण्डलों, उपलब्ध तथा चलायी गयी पालियों की संख्या तथा क्षमता उपयोग के मिलवार विवरण दर्शित करने वाली विवरणी	117—118
17.	1985-86 तक पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड में रूई की खपत, धागा प्राप्ति तथा छीजनों की मिलवार स्थिति	119
18.	31 मार्च 1986 को अन्त होने वाले पांच वर्षों हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) में बेचे गये धागे बेचे गये धागे के उत्पादन की लागत, बिक्रियों से प्राप्ति और बिक्रियों की लागत पर सीमान्त के विवरण दर्शित करने वाली विवरणी	120
19.	1985-86 तक 5 वर्षों हेतु आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में वित्तीय स्थिति दर्शित करने वाली विवरणी	121
20.	1985-86 तक 5 वर्षों हेतु आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में कार्य-चालन परिणाम दर्शित करने वाली विवरणी	122
21.	1985-86 तक 5 वर्षों हेतु आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में क्षमता उपयोग दर्शित करने वाली विवरणी	123
22.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड—ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में बिक्रियों की लागत के ब्योरे (ब्रेक-अप) दर्शित करने वाली विवरणी	124
23.	1984-85 तक चार वर्षों के अन्त में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति	125
24.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 1984-85 तक चार वर्षों हेतु कार्य-चालन परिणाम दर्शित करने वाली विवरणी	126

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें, जिनके लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नांकित श्रेणियों में आती हैं :

(i) सरकारी कम्पनियां;

(ii) सांविधिक निगम; तथा

(iii) विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

2--इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सहित सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा है और यह मार्च 1984 में यथा संशोधित, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) का अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए (3) के अन्तर्गत विधान मण्डल को प्रस्तुतिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार की गयी है। विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित हैं।

3--कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जिनमें सरकार ने निधियां निवेशित की हैं किन्तु जिनके लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं क्योंकि सरकारी अथवा सरकार के स्वामित्व वाली/द्वारा नियंत्रित कम्पनियां/निगम 51 प्रतिशत से कम शेयर धारण करते हैं। ऐसे उपक्रमों की सूची, जिनमें, 31 मार्च 1986 को सरकार का निवेश 10 लाख रुपयों से अधिक था, परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

4--उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-लेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के संबंध में उन्हें संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स) द्वारा की गयी लेखापरीक्षा से स्वतन्त्र रूप से उनके लेखे की लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को पृथक रूप से भेजे जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1985-86 के दौरान लेखे की लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आये, इनके अतिरिक्त वे मामले भी हैं जो इससे पूर्व वर्षों में देखने में आये थे किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में चर्चित नहीं किये जा सके 1985-86 से परवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, सम्मिलित कर लिये गये हैं।

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1. प्रस्तावना

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों में निवेश तथा लेखा आदि की स्थिति के विषय में विवरण दिये गये हैं।

प्रस्तर 1.2 में सरकारी कम्पनियों के विषय में विचार किया गया है, प्रस्तर 1.3 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित सामान्य पहलुओं से सम्बन्ध रखता है और प्रस्तर 1.4 से 1.7 वित्तीय तथा कार्यचालन संबंधी सम्पादन को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक सांविधिक निगमों के विषय में और अधिक विवरण प्रदान करते हैं।

1.2. सरकारी कम्पनियां

1.2.1. 31 मार्च 1985 को 91 सरकारी कम्पनियों (37 सहायक कम्पनियों को शामिल करते हुए) के समक्ष 31 मार्च 1986 को राज्य में 94 सरकारी कम्पनियां (40 सहायक कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) थीं।

1985-86 में उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड, अपने अंश धारण ढांचे में परिवर्तन के कारण 619-बी कम्पनी बन गयी और चार नयी सरकारी कम्पनियां (तीन सहायक कम्पनियों को सम्मिलित करके) निर्गमित हुईं जिनका विवरण निम्नवत् है :

कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रुपयों में)
1. उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत् निगम	15 अप्रैल 1985	10.00
2. उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	26 जून 1985	3.00
3. अपट्रान कलरपिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	8 नवम्बर 1985	25.00
4. विंध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	5 दिसम्बर 1985	0.10

निम्नलिखित कम्पनियां परिसमापन की प्रक्रिया में थीं :

	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	परिसमापन में जाने की तिथि
1.	दी इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	10 सितम्बर 1973
2.	दी गंडक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	7 जून 1977
3.	दी टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	11 जुलाई 1939	1 अप्रैल 1978
4.	उत्तर प्रदेश पाटरीज (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	28 जून 1972	27 अप्रैल 1985

1.2.2. परिशिष्ट 2 में दी गयी विवरणी सभी सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋणों, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी की धनराशि और उसके समक्ष गारण्टियों की बकाया धनराशि, अद्यतन कार्य सम्पादन परिणामों इत्यादि के विवरण प्रदान करती है। स्थिति का सारांश निम्नवत् है:

(क) 31 मार्च 1985 को 88 कम्पनियों में (36 सहायक कम्पनियों को शामिल करते हुए किन्तु 3 परिसमापनाधीन कम्पनियों को छोड़कर) कुल मिलाकर 451.91 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के समक्ष 31 मार्च 1986 को 90 कम्पनियों में (38 सहायक कम्पनियों को शामिल करते हुए तथा 4 परिसमापनाधीन कम्पनियों को छोड़कर) कुल मिलाकर प्रदत्त पूंजी, निम्नांकित विभाजन के अनुसार, 496.34 करोड़ रुपये थी:

विवरण	कम्पनियों की संख्या	निवेश			
		राज्य सरकार द्वारा	केन्द्रीय सरकार द्वारा	अन्य	कुल निवेश
		(करोड़ रुपयों में)			
1. राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां	34	358.11	—	—	358.11
2. केन्द्रीय सरकार/अन्य के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	18	36.48	8.32	1.22	46.02
3. सहायक कम्पनियां	38	1.79	—	*90.42	*92.21
योग ..	90	396.38***	8.32	*91.64	*496.34

(ख) 31 मार्च 1985 को 57 कम्पनियों के संबंध में 467.95 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 243.39 करोड़ रुपये, अन्य: 222.23 करोड़ रुपये और आस्थगित भुगतान जमा: 2.33 करोड़ रुपये) के समक्ष 31 मार्च 1986 को 68 कम्पनियों के संबंध में अनिस्तारित दीर्घकालिक ऋणों का बकाया 778.76 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 423.31 करोड़ रुपये, अन्य: 355.39 करोड़ रुपये और आस्थगित भुगतान जमा: 0.06 करोड़ रुपये) था।

(ग) 21 कम्पनियों द्वारा सृजित ऋण के पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार ने गारन्टी दी थी। 31 मार्च 1986 को गारन्टी दी गयी धनराशियां तथा उनके समक्ष बकाया धनराशियां क्रमशः 131.88† करोड़ रुपये और 99.46† करोड़ रुपये थीं।

गारन्टी प्राप्त करने के लिये कम्पनियों को राज्य सरकार को गारन्टी कमीशन देना अपेक्षित नहीं है।

1.2.3. अन्ततम उपलब्ध लेखे पर आधारित सभी 90 कम्पनियों के वित्तीय परिणामों की एक संक्षिप्त विवरणी परिशिष्ट 3 में दी गयी है।

87 कम्पनियों में से, जिनके 1985-86 तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित था, केवल 16 कम्पनियों ने (5 सहायक कम्पनियों को शामिल करते हुये) अपने 1985-86 के लेखे को अंतिम रूप दिया। इसके अतिरिक्त, 32 कम्पनियों ने, जिनके लेखे बकाये में थे, कुछ विगत वर्षों के लेखे को प्रतिवेदन की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया। परिशिष्ट 2 तथा 3 से यह विदित होगा कि 71 कम्पनियों (30 सहायक कम्पनियों को शामिल करते हुये) के लेखे बकाये में थे। बकायों की अवधि सीमा का सारांश निम्नवत् है:—

*विंध्याचल अब्रेसिब्स लिमिटेड से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

**वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े 367.79 करोड़ रुपये हैं, अन्तर समाधान के अधीन है।

†वित्तीय लेखे के अनुसार आंकड़े क्रमशः 267.54 करोड़ रुपये और 205.54 करोड़ रुपये हैं; अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

बकाये की अवधि सीमा	अन्तर्निहित वर्षों की संख्या	अन्तर्निहित कम्पनियों की संख्या		सरकार द्वारा		निवेश				परिशिष्ट 2 के क्रमांक का संदर्भ
						सहायक कम्पनियों में नियंत्रक कम्पनियों द्वारा		सहायक कम्पनियों में सरकार द्वारा		
		कम्पनियां	सहायक कम्पनियां	अंश पूंजी	ऋण	अंशपूंजी	ऋण	अंशपूंजी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(लाख रुपयों में)					
1973-74 से 1985-86	13	..	1	..	..	6.69	4.23	..	..	22
1974-75 से 1985-86	12	..	1	..	..	0.10	0.33	..	..	14
1975-76 से 1985-86	11	..	2	..	..	8.53	1.37	..	..	16,25
1976-77 से 1985-86	10	..	2	..	..	6.69	9.05	..	..	29,67
1977-78 से 1985-86	9	1	1	3.06	..	2.89	3.31	..	..	4,17
1978-79 से 1985-86	8	2	1	442.93	65.33	5.30	..	..	..	9, 33, 79
1979-80 से 1985-86	7	2	1	1068.49	568.81	2.00	..	..	..	20, 68, 69
1980-81 से 1985-86	6	6	5	570.17	119.09	91.95	113.60	10.00	10.50	10, 30, 39, 47, 53, 58, 62, 64, 71, 72, 74
1981-82 से 1985-86	5	6	2	1326.00	1541.07	54.00	9.50	41.00	6.80	6, 18, 36, 45, 46, 51, 55, 59
1982-83 से 1985-86	4	1	1	60.00	5.00	0.07	1.07	..	..	26, 56
1983-84 से 1985-86	3	7	1	1584.73	147.50	63.24	65.13	..	..	21, 24, 28, 40, 44, 61, 77, 78,
1984-85 से 1985-86	2	9	..	3878.18	26166.61	..	..	..	..	2, 5, 11, 31, 57, 60, 63, 70, 85
1985-86	1	7	12	11304.14	6916.52	3760.14	7915.34	32.59	264.20	3, 8, 12, 32, 38, 41, 42, 43, 49, 52, 54, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84 और 88 ।

इन 71 सरकारी कम्पनियों, जिनके 1985-86 के लेखे संकलित नहीं हैं, में अंश पूंजी और ऋण के रूप में निवेशित 682·39 करोड़ रुपयों (अंश पूंजी : राज्य सरकार 194·12 करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार 8·26 करोड़ रुपये, सहायक कम्पनी में नियंत्रक कम्पनी की 39·92 करोड़ रुपये, सहायक कम्पनी में राज्य सरकार की 0·84 करोड़ रुपये, ऋण—राज्य सरकार 355·30 करोड़ रुपये, सहायक कम्पनी में नियंत्रक कम्पनी का 81·13 करोड़ रुपये, सहायक कम्पनी में राज्य सरकार का 2·82 करोड़ रुपये) की उत्पादकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

लेखे को अन्तिम रूप देने में बकाये की स्थिति को राज्य सरकार की जानकारी में अन्ततः मई 1987 में लाया गया ।

1·2·4· कम्पनियों के कार्यचालन परिणामों के संबंध में निम्नांकित और बिन्दु दिये जाते हैं :

1·2·4·1· 16 कम्पनियों के संबंध में जिन्होंने 1985-86 के लेखे को अंतिम रूप दे दिया था निम्नांकित स्थिति प्रकट होती है :

(क) 6 कम्पनियों ने (एक सहायक कम्पनी सहित) 1985-86 के दौरान कुल मिलाकर 2·23 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया । उनसे सम्बन्धित विवरण, गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुये, परिशिष्ट 4 में दिये गये हैं ।

(ख) 9 कम्पनियों ने 1985-86 के दौरान कुल मिलाकर 30·22 करोड़ रुपयों की हानियां उठायीं उनसे सम्बन्धित विवरण, गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति देते हुये, परिशिष्ट 5 में दिये गये हैं ।

1·2·4·2· 1985-86 के दौरान विद्यमान 94 कम्पनियों में से, केवल एक कम्पनी अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने 2 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया, 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभांश की धनराशि 31·05 लाख रुपये थी ।

1·2·4·3· जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिखाया गया है, 10 कम्पनियों के सम्बन्ध में संचित हानि, जैसा कि प्रत्येक के समक्ष अंकित अवधि तक प्राप्त लेखे में प्रतिबिम्बित है, उस वर्ष की समाप्ति पर उनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक हो गई थीं ।

1·2·5· आडिट को प्रदत्त जानकारी के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 के परिच्छेद 619-बी के अन्तर्गत 6 कम्पनियां—अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड, स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इंडिया) लिमिटेड, सिन्थेटिक्स फोम्स लिमिटेड, कमाण्ड एरिया पाल्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड थीं जिनमें से चार कम्पनियों ने अपने लेखे को अंतिम रूप दिया जिनका विवरण निम्नवत् है :—

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	को समाप्त होने वाला लेखा-वर्ष	के द्वारा अंशदानित पूंजी: राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियाँ	निगम	अन्य	योग	वर्ष के दौरान लाभ (+) हानि (—)
	(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3(घ)	3 (ङ)	(4)
					(लाख रुपयों में)			
1.	अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड	31 अक्टूबर 1986	—	40·00	82·00	78·00	200·00	(+) 10·35
2.	सिन्थेटिक फोम्स लिमिटेड	30 जून 1985	—	29·35	12·68	17·86	59·89	(—) 31·32
3.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	31 दिसम्बर 1985	—	—	19·45	2·93	22·38	(—) 10·49
4.	यू0 पी0 सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	30 जून 1984	50·00	—	*60·00	35·52	145·52	(+) 3·33

*इनमें जी0 बी0 पन्त यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलाजी द्वारा धारित 21·25 लाख रुपयों के शेयर सम्मिलित हैं ।

सिन्थेटिक फाम्स लिमिटेड और कमाण्ड एरिया पाल्ट्री डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में संचित हानियां क्रमशः 181·03 लाख रुपये और 45·22 लाख रुपये थीं और ये उनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक थीं ।

स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में लेखे 1980 से 1986 तक और इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड के लेखे 1975 से 1986 तक बकाये में थे ।

1·2·6· कुछ सरकारी कम्पनियों के लेखे के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा उनके लेखे की लेखा परीक्षा के फलस्वरूप उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख नीचे किया जाता है ।

कुछ कम्पनियों के लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बताई गयीं कुछ महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्नवत् हैं :

(क) 1983-84 के लेखे के सम्बन्ध में (59·45 लाख रुपये हानि प्रदर्शित करते हुये) उत्तर प्रदेश नलकूप निगम :

(i) अचल सम्पत्तियों में नलकूपों के निर्माण पर 5·40 लाख रुपये का व्यय सम्मिलित है जो राज्य सरकार द्वारा नामंजूर कर दिया गया परन्तु कम्पनी ने न तो उसे बट्टे खाते में डालने का प्रयास किया और न ही उपर्युक्त हानियों के लिये कोई प्रावधान किया ।

(ii) अग्रिमों में स्टील अथार्टी आफ इंडिया से वसूली योग्य 7·60 लाख रुपये सम्मिलित हैं जिनकी वसूली संदिग्ध थी किन्तु लेखे में उसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया ।

(ख) 1981-82 के लेखे के सम्बन्ध में (1·96 लाख रुपये का लाभ प्रदर्शित करते हुए) कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड :

(i) विविध देनदारों तथा अग्रिमों में 26·48 लाख रुपये सम्मिलित हैं जो संदिग्ध थे परन्तु उनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया ।

(ग) 1982-83 के लेखे के सम्बन्ध में (16·03 लाख रुपये का लाभ प्रदर्शित करते हुए) उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड :

कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति नियोक्ता के 4·57 लाख रुपये के अंशदान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया ।

(घ) 1983-84 के लेखे के सम्बन्ध में (20·46 लाख रुपये की हानि प्रदर्शित करते हुए) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड :

प्रदर्शनियों और मेलों पर अनुदानों से अधिक किया गया व्यय (8·44 लाख रुपये) जिसे वसूली योग्य प्रदर्शित किया गया था, वसूली योग्य नहीं था परन्तु इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया ।

(ङ) 1985-86 के लेखे के सम्बन्ध में (637·17 लाख रुपये की हानि प्रदर्शित करते हुये) आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड :

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग दक्षता से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि वित्तीय लेखे पर कोई भी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(च) 1980-81 के लेखे के सम्बन्ध में (96·89 लाख रुपये की हानि प्रदर्शित करते हुए) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड :

चालू दायित्वों और प्रावधानों में सम्मिलित 24·25 लाख रुपयों के लेनदारों तथा ऋणों और अग्रिमों में सम्मिलित आपूर्तिकर्ताओं को खरीदों के प्रति अग्रिम गलत दिखाये गये थे । ये आंकड़े न तो सत्यापनीय थे और न ही किन्हीं विवरणों द्वारा समर्थित थे । विवरणों के अभाव में सम्पत्तियों एवं दायित्वों के अतिकथन को मात्रित नहीं किया जा सका ।

1·2·6· (1) कम्पनी अधिनियम 1956, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षकों को, उनके कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने का अधिकार प्रदान करता है । इस प्रकार निर्गत निदेश के अनुसरण में वर्ष के दौरान 13 कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी लेखा-परीक्षकों से विशिष्ट प्रतिवेदन प्राप्त हुये । इन प्रतिवेदनों में दर्शायी गई कुछ महत्वपूर्ण कमियां संक्षेप में निम्नवत् हैं :

कमी की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें कमी देखी गयी	परीशिष्ट-2 के क्रमांक का संदर्भ
लेखा मैनुअल का अभाव	7	6, 7, 18, 19, 35, 42, और 85
भंडार विभाग की आंतरिक जांच करने के लिए लेखा विभाग द्वारा क्रय तथा निर्गत रजिस्टरों का रख-रखाव न किया जाना	1	85
आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल का अभाव	6	7, 15, 18, 19, 42, और 85

1	2	3
जनरल लेजर/सहायक लेजर के साथ कन्ट्रोल लेखा का समाधान न किया जाना/विलम्ब से समाधान किया जाना	3	15, 19 और 85
मानक लागत प्रणाली का अभाव	6	7, 8, 15, 35, 41 और 42
श्रम और मशीनों के बेकार समय को सुनिश्चित करने की प्रणाली का अभाव	2	15 और 42
सेवा इकाइयों के संचालन के सम्बन्ध में प्रोफार्मा लेखे का रख-रखाव न करना	5	7, 15, 19, 35 और 41
बट्टे खाते डालने, छूट तथा वापसी आदि के लिये प्रक्रिया/प्रणाली का अभाव	2	8 और 85
क्रेडिट की अनुमति के लिए प्रणाली का अभाव	1	8
पर्याप्त बजट प्रणाली का अभाव	1	42
स्टाक/अतिरिक्त पुर्जों को अधिकतम/न्यूनतम सीमाएं निर्धारित न करना	5	7, 8, 41, 42 और 85
वित्तीय पुस्तिकाओं से सम्पत्ति/संयंत्र रजिस्टर का समाधान न करना	1	7
अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का अभाव	1	85
आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का व्यापार की प्रकृति और आकार के अनुरूप न होना	3	19, 32 और 85
समुचित आंतरिक नियंत्रण का अभाव	2	15 और 57
लेखा मैनुअल/अनुदेशों का परिपालन न किया जाना	2	15 और 57
प्रबंधकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समुचित कार्यवाही का अभाव	1	57
अप्रयुक्त भण्डारों का अनिस्तारण/संचय	1	15

(ii) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कम्पनी के लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने अथवा उसको सम्पूरित करने का अधिकार है। इस प्रावधान के अन्तर्गत, सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखे की समीक्षा चुने हुये मामलों में की जाती है। 1985-86 के दौरान प्राप्त वार्षिक लेखे की ऐसी समीक्षा के दौरान देखे गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख, जिन्हें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इंगित नहीं किया था, नीचे किया जाता है :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड : वर्ष 1981-82 के लिए

(क) गणना में त्रुटि के कारण 1.11 लाख रुपये के प्रशासनिक व्यय का अवकथन (अण्डर स्टेटमेंट) हुआ।

(ख) डिजाइन प्रभारों के लिए लेखे के आधार में परिवर्तन के कारण इराकी कराधान (230.76 लाख रुपये) के लिये प्रावधान का अवकथन किया गया और कर के उपरान्त लाभ का 9.98 लाख रुपये से अतिकथन किया गया जो प्रकट नहीं किया गया।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड : वर्ष 1983-84 के लिये

वर्ष हेतु मूल्य ह्रास (1629.20 लाख रुपये) और हानि (1347.33 लाख रुपये) का 13.83 लाख रुपये से अतिकथन किया गया।

(3) उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड : वर्ष 1977-78 के लिए

चालू दायित्वों और प्रावधानों (8,31,336 रुपये) को दायित्व पक्ष में प्रदर्शित नहीं किया गया वरन उन्हें चालू सम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों से घटा दिया गया।

(4) उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड : वर्ष 1982-83 के लिए

अनुसूचित बैंकों के चालू खाते के बकाये (37,69,073 रुपये) में जिला सहकारी बैंक—एक अनुसूचित बैंक—में जमा किये गये 5,00,000 रुपये सम्मिलित हैं। दूसरे बैंकों का बकाया (15,22,735 रुपये) हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक—एक अनुसूचित बैंक—में जमा की गयी धनराशि निरूपित करता है। ये तथ्य प्रकट किये जाने चाहिए थे।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड : वर्ष 1984-85 के लिये

विद्युत् प्रभारों (9,61,94,070 रुपये) में फरवरी तथा मार्च 1985 माह हेतु विद्युत् ईंधन अधिभार (इलेक्ट्रीसिटी फ्यूएल सरचार्ज) के कारण देय 2,62,188 रुपये सम्मिलित नहीं हैं। इसके फलस्वरूप 2,62,188 रुपये की हानि का अवकथन हुआ।

(6) अपट्रान इण्डिया लिमिटेड : वर्ष 1983-84 के लिये

सहायक अनुदान (8,16,000 रुपये) का 4,08,000 रुपये से अतिकथन किया गया। इसके फलस्वरूप लाभ का 4,08,000 रुपये से अतिकथन हुआ।

1.3. सांविधिक निगम

1.3.1. 31 मार्च 1986 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे :

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्,

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम।

1.3.2. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का गठन विद्युत् (वापूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5(1) के अन्तर्गत पहली अप्रैल, 1959 को और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत पहली जून, 1972 को किया गया।

सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत इन संगठनों को लेखापरीक्षा पूर्णरूपेण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक में निहित है। प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखे पर विशेष रूप से टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संगठनों तथा सरकार को निर्गत किये जाते हैं।

विद्युत् परिषद् के वर्ष 1983-84 तक के लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन परिषद् तथा सरकार को 18 फरवरी, 1987 को निर्गत किया गया था। 1981-82 के लेखे विधान मण्डल को पहली सितम्बर, 1986 को प्रस्तुत किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 1980-81 से 1984-85 तक के लेखे तैयार कर लिये गये हैं, और वे सभी लेखे लेखापरीक्षा को जून, 1987 में एक साथ प्रस्तुत किये गये थे। तथापि, 1979-80 के संशोधित लेखे जून, 1987 में प्राप्त हुए थे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिये जाने के अधीन है (जुलाई 1987)।

1.3.3. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का गठन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत पहली नवम्बर, 1954 को किया गया और उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम का गठन राज्य माल गोदाम अधिनियम 1962 की धारा 28(1) के अन्तर्गत 19 मार्च, 1958 को किया गया।

सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत इन संगठनों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा की जाती है और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक इन निगमों की लेखापरीक्षा अलग से भी कर सकता है। निगमों के वार्षिक लेखे के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी निर्गत किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 1986-87 तक के लेखे तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के केवल 1983-84 तक के लेखे शासपत्रित लेखाकारों द्वारा प्रमाणित कर दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में वार्षिक लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1983-84 तक निर्गत किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में 1984-85 तथा 1985-86 वर्षों हेतु पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिये जाने के अधीन हैं।

1.3.4. इन चार सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम अन्ततम वर्ष हेतु जिसके लेखे तैयार किये जा चुके हैं, संक्षेप में परिशिष्ट 6 में दिये गये हैं।

1.4. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

1.4.1. परिषद् की प्रमुख आवश्यकतायें सरकार, जनता, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा पूरी की जाती हैं।

1984-85 तथा 1985-86 के अनन्तिम लेखे के आधार पर, 1985-86 के अन्त में सरकार से प्राप्त ऋणों को सम्मिलित करते हुए, परिषद् द्वारा प्राप्त कुल दीर्घकालिक ऋण 4567.59 करोड़ रुपये थे और पिछले वर्ष के अन्त में 4060.96 करोड़ रुपयों के दीर्घकालिक ऋणों पर 506.63 करोड़ रुपयों की वृद्धि (12.5 प्रतिशत) निरूपित करते थे। राज्य सरकार और अन्य स्रोतों से प्राप्त तथा मार्च, 1985 और 1986 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋणों के विवरण निम्नवत् हैं :

	स्रोत	31 मार्च को बकाया धनराशि 1985	1986	वृद्धि की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपयों में)		(आंकड़े अनन्तिम)
1.	राज्य सरकार	3265.83*	3698.38	13.2
2.	अन्य स्रोत	795.13	869.21	9.3
	योग	4060.96	4567.59	12.5

सरकार ने परिषद् द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के लिये 984.72 करोड़ रुपये तक की गारण्टी दी थी। 31 मार्च, 1986 को गारण्टी दिये गये मूलधन और बकाया की धनराशि 606.16 करोड़ रुपये थी।

*वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े 3111.21 करोड़ रुपये हैं, अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

1.4.2. 31 मार्च 1986 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर परिषद् की वित्तीय स्थिति और इन वर्षों हेतु उसके भौतिक कार्य-सम्पादन के विवरण, जैसा कि परिषद् द्वारा दिये गये हैं, परिशिष्ट 7 और 8 में दिये गये हैं।

1.4.3. 1984-85 तक, सकल अधिशेष (सरप्लस) के विभाजन का क्रम विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की उस समय विद्यमान धारा 67 के अनुसार निर्धारित किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों को वाणिज्यिक लेखा प्रणाली पर कार्यचालन परिणामों को प्रदर्शित करने के लिये पुनरीक्षित कर दिया गया है. यह पुनरीक्षण 1985-86 तथा उसके बाद के लेखे के लिये लागू है।

तुलनात्मक वाणिज्यिक आधार पर 1985-86 तक तीन वर्षों हेतु परिषद् के कार्यचालन परिणाम संक्षेप में निम्नवत् थे :

	1983-84	1984-85	1985-86 (अनन्तिम)
	(करोड़ रुपयों में)		
1. (क) राजस्व प्राप्तियां	558.58	613.87	651.49
(ख) सरकार से उपदान (सब्सिडी)	204.80	222.50	198.17
योग ..	763.38	836.37	849.66
2. राजस्व व्यय	497.43	547.23	607.35
3. सकल अधिशेष (1—2)	265.95	289.14	242.31
4. विनियोग			
(क) मूल्यह्रास	249.53	66.36	71.00
(ख) निम्न पर ब्याज—			
(i) सरकारी ऋण	498.04	197.03	227.14
(ii) अन्य ऋण तथा बांड	59.27	65.78	74.85
(ग) अमूर्त परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना	1.79	1.97	0.23
योग ..	808.63	331.14	373.22
5. शुद्ध अधिशेष (+)/कमी (—) (3—4)	(—)542.68	(—)42.00	(—)130.91
6. नियोजित/निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	264.16	287.17	242.08
7. प्रतिलाभ की प्रतिशतता—			
(क) नियोजित पूंजी पर	13.8	13.2	7.4
(ख) निवेशित पूंजी पर	7.0	6.6	3.5

1.4.4. प्रस्तर 1.3.2. में संदर्भित 1983-84 वर्ष हेतु परिषद् के वार्षिक लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्नांकित मुख्य संवीक्षायें की गई थीं। कुछ कमियां बहुत समय से निरन्तर चल रही हैं :

(1) परिषद् ने 1975-76 से 1983-84 के दौरान उपयोजित परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण नहीं किया है, ये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत उपयोजित कुल परिसम्पत्तियों का 69.7 प्रतिशत निरूपण करती थीं। इसके अतिरिक्त, मूल्यह्रास की गणना वर्गीकृत परिसम्पत्तियों के मूल्य पर निर्धारित विभिन्न दरों के बजाय 3.3 प्रतिशत की समान दर से की गयी है।

(2) सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अवशेषों पर ब्याज के दायित्व का प्रावधान तदर्थ आधार पर किया गया है क्योंकि इन निधियों के अभिलेख अभी भी अधूरे थे।

(3) पूंजीगत व्यय के आंकड़े इकाइयों द्वारा अपने मासिक लेखे में दर्शित आंकड़ों पर आधारित हैं जो इकाइयों द्वारा रखे गये निर्माण रजिस्टर में दर्शित आंकड़ों से समाधानित नहीं किये गये हैं। वर्ष के दौरान नियत परिसम्पत्तियों में 148.70 करोड़ रुपयों की वृद्धि समापन प्रतिवेदन (कम्प्लीशन रिपोर्ट) से समर्थित नहीं थी।

(4) कार्यों के निष्पादन के लिये 1970-71 से 1983-84 की अवधि में सिंचाई विभाग को भुगतान की गयी 365.43 करोड़ रुपयों की धनराशि गत 14 वर्षों के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों को अन्तरित नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों और मूल्यह्रास का मूल्य कम प्रदर्शित हुआ। पूर्ण किये गये और उपयोग में लाये गये कार्यों के विवरण परिषद् के पास उपलब्ध नहीं थे।

(5) पनकी बिजलीघर द्वारा उपयोग किये गये जल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा दावा किये गये 1.39 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण परिषद द्वारा दावा किये गये 3.00 करोड़ रुपये हेतु लेखे में प्रावधान नहीं किया गया। वर्तमान दायित्व में राज्य सरकार को अधिक देय विद्युत शुल्क के प्रति 1.69 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है।

1·5· उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

1·5·1· उक्त अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत, निगम की पूंजी, 31 मार्च 1985 को 84·84 करोड़ रुपये (राज्य सरकार द्वारा अंशदानित 64·11 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार द्वारा अंशदानित 20·73 करोड़ रुपये) के समक्ष 31 मार्च 1986 को 103·17 करोड़ रुपये (राज्य सरकार द्वारा अंशदानित 74·11 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार द्वारा अंशदानित 29·06 करोड़ रुपये) थी । पूंजी पर 6·25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 27·04 करोड़ रुपयों का ब्याज देय है । इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 1986 को निगम के ऊपर राज्य सरकार का 21·60 करोड़ रुपयों का ऋण था । राज्य सरकार ने निगम द्वारा अन्य स्रोतों से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान की भी गारण्टी दी थी और 31 मार्च 1986 को ऐसी गारण्टियों और उनके समक्ष बकाया ऋणों की धनराशियां क्रमशः 62 करोड़ रुपये तथा 35·02 करोड़ रुपये थीं ।

1·5·2· 1984-85 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति तथा 1985-86 तक 3 वर्षों हेतु भौतिक कार्य-सम्पादन के आंकड़ों के विवरण परिशिष्ट 9 और 10 में दिये गये हैं ।

1·5·3· 1984-85 तक 3 वर्षों हेतु निगम के कार्य-चालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :

विवरण	1982-83	1983-84	1984-85
		(करोड़ रुपयों में)	
1—कुल राजस्व	110·51	128·73	140·93
2—कुल व्यय			
(क) ब्याज के अतिरिक्त	124·18	136·67	149·37
(ख) ब्याज	7·85	8·70	13·95
योग	132·03	145·37	163·32
3—शुद्ध लाभ (+)/ हानि (—)	(—)21·52	(—)16·64	(—)22·39
4—(क) नियोजित पूंजी	67·19	51·39	47·56
(ख) निवेशित पूंजी	96·44	114·02	139·85
5—कुल प्रतिलाभ		(प्रतिशत)	
(क) नियोजित पूंजी पर	—	—	—
(ख) निवेशित पूंजी पर	—	—	—

1·6· उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

1·6·1 31 मार्च 1985 तथा 31 मार्च 1986 को निगम की प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपये (राज्य सरकार 4·85 करोड़ रुपये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 4·85 करोड़ रुपये और अन्य 0·30 करोड़ रुपये) थी ।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सरकार ने 9·65 करोड़ रुपये की अंश पूंजी के पुनर्भुगतान (0·35 करोड़ रुपये की विशेष अंश पूंजी को छोड़कर) और उस पर 3·5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम लाभांश के भुगतान की गारण्टी दी है । वर्ष 1985-86 के दौरान निगम की कुल आय 24·95 करोड़ रुपये थी और राजस्व व्यय 24·40 करोड़ रुपये था । 0·85 करोड़ रुपयों के अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान करने के उपरान्त कर के पूर्व 1·40 करोड़ रुपये का तथा कर के प्रावधान के बाद 1·20 करोड़ रुपये का लाभ था । विभिन्न आरक्षणों (रिज़र्व्स) हेतु 1·06 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के उपरान्त उपलब्ध अधिशेष 13·65 लाख रुपये दिखाया गया है । 13·65 लाख रुपयों में से सरकार को वापस दिये गये अनुदान (सबवेन्शन) के प्रति केवल 8·10 लाख रुपये उपयोजित किये जा सके ।

सरकार ने निगम द्वारा लिये गये 87·95 करोड़ रुपयों के बाजार ऋणों (बाण्डों तथा डिबेंचरों द्वारा) के पुनर्भुगतान की गारण्टी भी दी है । 31 मार्च 1986 को उनके समक्ष बकाया मूलधन की धनराशि 87·95 करोड़ रुपये थी ।

1·6·2· 1985-86 तक तीन वर्षों की समाप्ति पर निगम की वित्तीय स्थिति और 1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान इसके भौतिक कार्य-सम्पादन के विवरण परिशिष्ट 11 तथा 12 में दिये गये हैं ।

1·6·3· निगम ने वर्ष 1981-82 से व्यापारिक प्रणाली के स्थान पर नगद लेखा प्रणाली को अपना लिया । निम्नांकित तालिका 1985-86 तक तीन वर्षों हेतु निगम के कार्यचालन परिणामों के विवरण प्रस्तुत करती है :

विवरण	1983-84	1984-85	1985-86
		(लाख रुपयों में)	
1—आय			
(क) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1307·87	1681·34	2430·64
(ख) अन्य आय	34·42	45·42	64·73
योग—1	1342·29	1726·76	2495·37
2—व्यय			
(क) दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	958·74	1255·91	1838·75
(ख) अन्य व्यय	228·57	293·27	517·11
योग—2	1187·31	1549·18	2355·86

विवरण	1983-84	1984-85	1985-86
		(लाख रुपयों में)	
3—कर के पूर्व लाभ (+)/हानि (–)	(+) 154·98	(+) 177·58	(+) 139·51
4—कर के लिए प्राविधान	58·58	61·53	19·06
5—कर के उपरान्त लाभ	96·40	116·05	120·45
6—अन्य विनियोजन	62·00	82·00	—
7—लाभांश के लिए उपलब्ध धनराशि	33·78	33·78	—
8—देय लाभांश	33·78	33·78	33·78
9—कुल प्रतिलाभ			
(क) नियोजित पूंजी पर	1113·72	1433·49	1978·26
(ख) निवेशित पूंजी पर	1113·72	1433·49	1978·26
10—(क) नियोजित पूंजी	16863	20810	26143
(ख) निवेशित पूंजी	18586	23035	29252
11—प्रतिलाभ की प्रतिशतता			
		(प्रतिशत)	
(क) नियोजित पूंजी पर	6·6	6·2	7·6
(ख) निवेशित पूंजी पर	6·0	6·2	6·8

1·6·4. जैसा कि परिशिष्ट 12 में आंकड़ों द्वारा दिखाया गया है, 31 मार्च, 1986 को 20801 कर्जदारों से 277·42 करोड़ रुपये के अनिस्तारित ऋणों में से, 57·08 करोड़ रुपयों की धनराशि (30·60 करोड़ रुपये ब्याज सम्मिलित करते हुए) वसूली के लिये अतिदेय थी । कुल अनिस्तारित से अतिदेय धनराशि की प्रतिशतता 1983-84 में 27·30 से 1984-85 में 30·80 और फिर 1985-86 में 30·94 हो गयी ।

अतिदेय ऋणों का अवधिवार विश्लेषण निम्नवत् है :

क्रम संख्या	अवधि	इकाइयों की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपयों में)
1.	1 वर्ष से कम	8422	17·51
2.	1 से 2 वर्ष तक	4282	13·43
3.	2 वर्षों से अधिक	3192	26·13
	योग . .	15896	57·07

1·6·5. रुग्ण तथा बन्द इकाइयों में निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

1·6·6. निगम ने 31 मार्च 1986 तक अप्राप्य ऋणों के प्रति 1·63 करोड़ रुपये का संचयी प्रावधान किया है ।

1·7. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

31 मार्च 1985 और साथ ही साथ 31 मार्च 1986 को निगम की प्रदत्त पूंजी 4·96 करोड़ रुपये थी (राज्य सरकार : 2·48 करोड़ रुपये और केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 2·48 करोड़ रुपये) ।

1985-86 तक 3 वर्षों हेतु निगम के भौतिक कार्य सम्पादन के आंकड़े परिशिष्ट 13 में दिये गये हैं ।

अध्याय II

2—सरकारी कम्पनियों से संबंधित समीक्षायें

प्रस्तुत अध्याय में अधोलिखित तीन समीक्षायें दी गई हैं :

खण्ड 2 क—उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी (संख्या 1) लिमिटेड

2 ख—आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड

2 ग—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

2 क उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी (संख्या, I) लिमिटेड

(उद्योग विभाग)

2क. 1—प्रस्तावना—

2क. 1.1—विकेन्द्रित हथ-करघा एवं विद्युत-करघा क्षेत्र में सूत के अभाव को दूर करने तथा अर्थ-व्यवस्था की भावी अपेक्षाओं का सामना करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन ने बड़े एवं मध्यम उद्योगों के लिये एक कार्य संचालन वर्ग का गठन किया (जुलाई 1972), जिसने गठित होकर वस्त्र-उद्योग के लिए एक उप-कार्य-संचालन वर्ग का गठन किया (सितम्बर 1972) । उप कार्य-संचालन वर्ग ने पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 8 लाख अतिरिक्त तकलों (स्पिण्डलों) के अधिष्ठापन की संस्तुति की (अक्टूबर 1972) । आरम्भ में, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (यू0 पी0 एस0 टी0 सी0) को प्रत्येक 25,000 तकलों की 8 कताई मिलों के लिये लाइसेंस प्रदान किये (नवम्बर 1974), जिसने प्रत्येक चार कताई मिलों के स्वामित्व एवं प्रबंधन हेतु दो सहायक कम्पनियां चालू कीं । तदनुसार, 20 अगस्त 1974 को 300 लाख रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी (संख्या 1) लिमिटेड (यू0 पी0 एस0 एस0 एम0 आई0) निगमित की गई । मार्च 1974 एवं अप्रैल 1977 के मध्य रायबरेली, बाराबंकी, अकबरपुर (फैजाबाद) एवं मऊनाथ-भंजन (आजमगढ़) में प्रत्येक 25,000 तकलों की अधिष्ठापित क्षमता की चार मिलों की स्थापना की गई ।

2क. 1.2—उद्देश्य—

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं—(1) सूती कताईकरों एवं द्विगुणकों (डबलर्स), तन्तु-निर्माताओं, सूत व्यापारियों, विरंजकों (ब्लीचर्स) एवं रंजकों (डायर्स) के व्यापार को जारी रखना; (ii) धनकी (कास्ब) खरीदना, कातना, रंगना एवं सूत तथा अन्य रेशेदार वस्तुओं से सम्बन्धित कार्य करना; (iii) राज्य में किसी ऐसी कपड़ा मिल की व्यवस्था, नियंत्रण एवं संचालन करना जो भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली जा सकती हो; (iv) सूती मिलों की स्थापना करना, एवं (v) सभी प्रकार के धागों का निर्माण एवं/अथवा उनसे संबंधित कार्य करना ।

तथापि, कम्पनी ने अपने क्रिया-कलापों को सूती धागे एवं बुनियादी धागे के उत्पादन एवं विक्रय तक ही सीमित रखा ।

2क. 1.3—संगठनात्मक ढांचा—

कम्पनी की व्यवस्था एक प्रबन्ध निदेशक, एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, एवं पांच अन्य निदेशकों से गठित एक निदेशक मण्डल में निहित है । नियंत्रक कम्पनी का अध्यक्ष कम्पनी का भी अध्यक्ष है ।

मुख्यालय पर प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, एक नियंत्रक (वित्त) एवं चार मिलों में से प्रत्येक की देखभाल करने वाले चार कार्यपालक (इक्जीक्यूटिव) नियुक्त हैं ।

2क. 1.4—पूंजी संरचना—

3 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के समक्ष, जो समय-समय पर बढ़कर 31 मार्च 1986 तक 27 करोड़ रुपये हो गयी थी, उक्त तिथि को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 26.28 करोड़ रुपये (नियंत्रक कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली) थी ।

2क. 1.5—ऋण—

कम्पनी ने प्रत्येक 25,000 तकलों की क्षमता युक्त चार मिलों की स्थापना के लिए वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 की अवधि में 9.39 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण के समक्ष भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई0 एफ0 सी0 आई0), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई0 डी0 बी0 आई0) एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एल0 आई0 सी0) से 8.79 करोड़ रुपयों का ऋण प्राप्त किया । प्रत्येक मिल में क्षमता को 25,000 तकलों तक और बढ़ाने के लिये कम्पनी ने वर्ष 1982-83 से 1984-85 की अवधि में उल्लिखित वित्तीय निगमों से 18.04 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त ऋण प्राप्त किये । ऋण पर 9.5 से 16 प्रतिशत की दर से ब्याज, सामयिक पुनर्भुगतान हेतु 0.5 से 2 प्रतिशत तक छूट के प्राविधान सहित एवं जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में विलम्बित भुगतानों के लिए 1 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज के प्राविधान सहित, देय था ।

31 मार्च 1986 को मूलधन के कारण 21.15 करोड़ रुपये तथा ब्याज के कारण 2.83 करोड़ रुपये (दण्डात्मक ब्याज/जब्त छूट के कारण 0.07 करोड़ रुपये सहित) बकाया थे, जिसमें मूलधन के 4.15 करोड़ रुपये एवं सम्पूर्ण ब्याज के 2.83 करोड़ रुपये

उस तिथि को अतिदेय हो चुके थे । 31 मार्च 1986 को मिलवार स्थिति निम्नवत् थी :

	31 मार्च 1986 को बकाया		31 मार्च 1986 को अतिदेय मूलधन
	मूलधन	ब्याज	
	(करोड़ रुपयों में)		
1—बाराबंकी			
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1.85	0.24	0.33
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3.11	0.36	0.54
जीवन बीमा निगम	0.54	—	—
2—रायबरेली			
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1.99	0.28	0.46
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2.96	0.37	0.68
जीवन बीमा निगम	0.44	—	—
3—अकबरपुर			
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2.20	0.36	0.47
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3.13	0.52	0.76
जीवन बीमा निगम	0.19	—	—
4—मऊनाथभंजन			
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2.10	0.34	0.41
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2.36	0.36	0.50
जीवन बीमा निगम	0.28	—	—
योग	21.15	2.83	4.15

2 क.1.6. **वित्तीय स्थिति एवं कार्य-निष्पादन परिणाम**—1985-86 तक पांच वर्षों के अन्त में कम्पनी की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट 14 में दी गई है । 1985-86 तक पांच वर्षों के कार्य-निष्पादन परिणाम परिशिष्ट 2 में दिये गये हैं । उसका सारांश मोटे शीर्षकों के अन्तर्गत नीचे दिया गया है :

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			(करोड़ रुपयों में)		
क—कार्य-निष्पादन व्यय	24.60	34.00	48.42	62.80	69.07
ख—आय	23.15	32.52	42.02	51.41	60.49
ग—कार्य निष्पादन हानि (मूल्य ह्रास एवं निवेश छूट, आरक्षण एवं अन्य को छोड़कर)	1.45	1.48	6.40	11.39	8.58
घ—शुद्ध मूल्य	14.86	18.20	13.45	4.39	(—) 4.30

कम्पनी का शुद्ध मूल्य अनिश्चित रहा, यह प्रारम्भ 1974-75 से 1976-77 एवं पुनः 1979-80 से 1982-83 तक वर्धमान प्रवृत्ति तथा 1977-78 एवं 1978-79 के दौरान तथा पुनः 1983-84 से ह्रासमान प्रवृत्ति के साथ अन्ततः 1985-86 में सम्पूर्ण समय से नीचा होकर (—) 4.30 करोड़ रुपये हो गया ।

शुद्ध मूल्य में ह्रासमान प्रवृत्ति मुख्यतया संचित हानियों में वर्धमान प्रवृत्ति के कारण थी ।

कम्पनी परिचालन के प्रथम वर्ष से ही हानियां उठाती रही और जैसा कि परिशिष्ट 14 में दृष्टव्य है, 31 मार्च 1986 को संचित हानि उक्त तिथि को 26.38 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के समक्ष 39.65 करोड़ रुपये थी । इसके अतिरिक्त, जैसा कि परिशिष्ट 15 में दृष्टव्य है उत्पादन-मूल्य निर्माण, व्यापार एवं अन्य व्ययों को पूरा करने के लिये किसी भी वर्ष में पर्याप्त नहीं था ।

इतनी भारी हानियों के कारणों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि प्रति इकाई उत्पादन लागत प्रति इकाई धागा-मूल्य की अपेक्षा अधिक थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			(रुपये प्रति किलोग्राम)		
(क) आय :					
धागा मूल्य	21·42	20·16	20·52	25·03	22·74
अन्य आय	0·09	0·12	0·24	0·39	0·34
योग (क)	21·51	20·28	20·76	25·42	23·08
(ख) लागत :					
शुद्ध कपास लागत	15·35	13·37	14·06	18·59	14·88
अन्य लागत : मजदूरी एवं वेतन	3·04	3·03	3·40	4·04	4·00
विद्युत्	1·16	1·28	1·41	1·70	1·76
ब्याज	0·90	0·78	1·16	1·91	1·94
मूल्य ह्रास	1·10	1·49	2·62	3·24	2·08
अन्य व्यय	1·33	1·27	1·32	1·65	1·73
योग (ख)	22·88	21·22	23·97	31·13	26·39
(ग) लागत पर सीमान्त	(—) 1·37	(—) 0·94	(—) 3·21	(—) 5·71	(—) 3·31

हानियों की वर्धमान प्रवृत्ति के लिये निम्नांकित अतिरिक्त घटक भी उत्तरदायी थे :

—जैसा कि बाद में प्रस्तर 2क.5.1 में चर्चित है कम्पनी की मूल्य-निर्धारण नीति ;

—जैसा कि बाद में प्रस्तर 2क.3 और 2क.4 में चर्चित है क्षमता के अल्प उपयोग के कारण सामान्य व्ययों (ओवरहेड्स) का अल्प समावेशन ;

—जैसा कि बाद में प्रस्तर 2क.2 में चर्चित है एक समयावधि के दौरान धागों के विशाल भण्डारों में निधि का अवरोधन;

—बुनकरों को बाजार में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर धागों की प्राप्ति के कारण फुटकर दुकानों से बिक्रियों में गिरावट की प्रवृत्ति ।

2-क.2. मिलों का विस्तार

कुल तकलों की संख्या 1,00,000 तकलों तक बढ़ाने से संबंधित शासन के निर्देश (अक्टूबर 1978) की अनुक्रिया में, नियंत्रक कम्पनी ने 12,500 तकलों तक आठ मिलों के विस्तार हेतु अगस्त 1979 में सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसमें प्रत्येक के लिए 24·18 करोड़ रुपये (उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल I की चार मिलों के लिये 12·19 करोड़ रुपये सम्मिलित करते हुए) का पूंजी परिव्यय संकल्पित था । प्रोजेक्ट फार्मूलेशन एवं अप्रेजल डिवीजन (पी० एफ० ए० डी०), स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश, जिसके द्वारा परियोजना मुक्त की जानी थी, ने संवीक्षा की (सितम्बर 1980) कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान तकला-क्षमता के विस्तार की आवश्यकता का औचित्य वित्तीय प्रतिफल की दृष्टि से अत्यल्प था । इसी बीच, प्रत्येक का 25,000 तकलों तक, जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य आकार का माना गया, चार मिलों का विस्तार करने के लिए एक नया प्रस्ताव पी० एफ० ए० डी० को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया (सितम्बर 1980) । पी० एफ० ए० डी० ने सितम्बर 1980 की अपनी मूल्यांकन टिप्पणी में, यह सन्देह प्रकट करते हुए कि क्या प्रस्तावों में संकल्पित वित्तीय लाभकारिता वस्तुतः प्राप्त की जा सकेगी, सुझाव दिया कि सर्वोत्तम परिणामों के हित में, सभी मिलों के बजाय, चयनात्मक आधार पर यू० पी० एस० एस० एम० I की केवल बाराबंकी इकाई में ही विस्तार का कार्य आरम्भ किया जाये । पी० एफ० ए० डी० की इस विशिष्ट संवीक्षा के होते हुए भी, शासन ने अक्टूबर 1980 में 34·37 करोड़ रुपये की कुल लागत पर प्रत्येक मिल की 25,000 तकलों की वर्तमान क्षमता में 25,000 तकलों के परिवर्द्धन द्वारा चारों मिलों के विस्तार को अनुमोदित कर दिया तथापि पी० एफ० ए० डी० के सुझाव को स्वीकार न करने के कारण उपलब्ध नहीं थे ।

विस्तार कार्य 1980-81 से 1984-85 की अवधि में 35·15 करोड़ रुपयों की लागत पर दो पर्वों (फेजेज)

में किया गया। मिलों का वाणिज्यिक उत्पादन निम्नांकित तिथियों से प्रारम्भ हुआ :

मिल का नाम	पर्व	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि
रायबरेली	I	15 अप्रैल 1982
	II	25 अप्रैल 1983
बाराबंकी	I	1 दिसम्बर 1982
	II	25 मार्च 1983
मऊनाथ भंजन	I और II	27 मार्च 1984
अकबरपुर	I और II	25 दिसम्बर 1984

वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ किये जाने की प्रायोजित तिथियां परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थीं।

निम्नांकित तालिका चारों मिलों की विस्तारपूर्व (1981-82) की अवधि की तथा विस्तारोत्तर (1982-83 से 1985-86) अवधि हेतु धागे का अथ स्टाक, उत्पादन, बिक्रियां एवं इति स्टाक की स्थिति दर्शाती है :

विवरण	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
	(मूल्य करोड़ रुपयों में तथा मात्रा लाख किलोग्रामों में)				
(1) धागे का अथ स्टाक					
(क) मात्रा	2·90	1·14	3·24	1·60	20·93
(ख) मूल्य	0·05	0·24	0·62	0·40	5·16
(2) उत्पादन					
(क) मात्रा	105·99	157·95	199·42	199·25	259·11
(ख) मूल्य	23·06	32·33	41·59	50·76	59·60
(3) बिक्रियां					
(क) मात्रा	107·75	155·85	201·06	179·92	231·25
(ख) मूल्य	22·98	31·45	41·16	45·11	53·59
(4) इति स्टाक					
(क) मात्रा	1·14	3·24	1·60	20·93	48·79
(ख) मूल्य	0·24	0·62	0·40	5·16	10·51
(5) बिक्रियों से इति					
स्टाक की प्रतिशतता	(1·1)	(2·1)	(0·8)	(11·6)	(21·1)

निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय हैं :

(क) पूर्व वर्षों की तुलना में 31 मार्च 1985 को (5·16 करोड़ रुपये) और 31 मार्च 1986 को (10·51 करोड़ रुपये) इन वर्षों के दौरान अनानुपातिक निम्नतर बिक्रियों के कारण धागे के इति स्टाकों में आकस्मिक एवं अनानुपातिक वृद्धि थी। भारी भण्डारों की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कम्पनी ने परेषिती अभिकर्ताओं, के विक्रय शालाओं के माध्यम से तथा धागा व्यवसायियों को उधार की सुविधायें प्रदान करके धागे की बिक्री प्रारम्भ की (दिसम्बर 1984)। बिक्रियों में कोई भी सुधार न होने से अगस्त 1986 में परेषिती, अभिकर्ताओं के माध्यम से की जाने वाली बिक्रियां बन्द कर दी गई।

(ख) कम्पनी ने वर्ष 1984-85 में 72·87 लाख रुपये एवं 1985-86 में 138·91 लाख रुपये ढुलाई व्यय के रूप में व्यय किया, जो भण्डार में पड़े हुये धागे के मूल्य का 1·66 प्रतिशत प्रतिमास था।

जैसा कि बाद में प्रस्तर 2-क·4 में चर्चित है, स्टाक के भारी संचयन, नियत तथा अनियत व्ययों के उच्च आघात और बिक्रियों की न्यून मात्रा के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों और साथ ही साथ जनता की अभिरुचि में सूती कपड़ों से कृत्रिम रेशों की ओर परिवर्तन तथा अन्य कारणों ने कम्पनी को मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने वाले उपाय ढूंढने हेतु प्रेरित किया। सितम्बर 1985 में नियंत्रक कम्पनी ने 31·87 करोड़ रुपयों (यू0 पी0 एस0 एस0 एम0 I की चार मिलों हेतु 13·71 करोड़ रुपयों

को सम्मिलित करते हुए) की लागत पर वर्तमान मिलों के नवीकरण तथा विविधता प्रदानकरण हेतु शासन को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । शासन ने अप्रैल 1986 में निर्णय दिया कि यू0 पी0 एस0 टी0 सी0 की वर्तमान इकाइयों के तीव्र विस्तार ने पर्याप्त विनियोज्य साधनों की अनुपलब्धता तथा उच्च ऋण सेवा एवं ब्याज देयताओं ने वस्तुतः वित्तीय संकट में डाल दिया है और यह कि आधुनिकीकरण एवं विविधता प्रदानकरण के प्रस्तावों की यह सुनिश्चित करने के लिये आलोचनात्मक दृष्टि से छानबीन की जायेगी कि अतिरिक्त निवेश यू0 पी0 एस0 टी0 सी0 को बढ़ी हुई देयताओं में न डाल दे ।

कम्पनी के नवीकरण एवं विविधता प्रदानकरण का प्रस्ताव चर्चाओं के पश्चात् सितम्बर 1986 में शासन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया एवं वित्त-व्यवस्था की कार्यवाही प्रगति पर थी (फरवरी 1987) ।

2 क.3. उत्पादन सम्पादन

2 क.3.1. **क्षमता उपयोग**—रायबरेली और बाराबंकी (1982-83) और मऊनाथभंजन (1983-84) तथा अकबरपुर (1984-85) स्थित प्रत्येक मिल की 25,000 तकलों की अधिष्ठापित क्षमता पर्वों में 50,000 तकलों तक बढ़ा दी गयी । 31 मार्च 1986 को अन्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि में पुरानी (क) एवं नई (ख) इकाइयों में अधिष्ठापित तकलों की संख्या, उपलब्ध एवं निष्पादित तकला-पालियों तथा क्षमता-उपयोग के मिलवार विवरण और साथ ही साथ प्रबन्धकों द्वारा विश्लेषित क्षमता के कम उपयोग के कारण परिशिष्ट 16 में दिये गये हैं । उनका सार निम्नांकित है :

(क) क्षमता का उपयोग : मिल का नाम	1985-86 तक पांच वर्षों की अवधि में क्षमता-उपयोग की प्रतिशतता की परिधि
(1) बाराबंकी	72·7 से 87·1
(2) मऊनाथ भंजन	67·4 से 90·2
(3) अकबरपुर	36·3 से 80·6
(4) रायबरेली	74·7 से 91·9
(ख) कमी के कारण :	
(i) विद्युत् की कमी	(1·6 से 10 प्रतिशत)
(ii) संयत्र-अनुरक्षण	(1·3 से 5·7 प्रतिशत)
(iii) श्रम-संकट	(0·1 से 17·7 प्रतिशत)
(iv) श्रमिकों की कमी	(0·3 से 40·5 प्रतिशत)
(v) अन्य कारण	(0·1 से 4·2 प्रतिशत)

परिशिष्ट से यह विदित होगा कि :

(1) परियोजना प्रतिवेदन में संकल्पित 93 प्रतिशत क्षमता का उपयोग मिलों द्वारा कभी भी नहीं किया गया ।

(2) 1984-85 में मऊनाथभंजन एवं बाराबंकी मिलों में क्षमता का उपयोग अल्प था, जिसके लिए मुख्यतया विद्युत् कटौती/अभाव के कारण थे, यद्यपि इन सभी मिलों में जनरेटिंग सेटों की पूर्व व्यवस्था थी । अकबरपुर मिल में कम क्षमता उपयोग का कारण श्रमिक संकट था ।

2क.3.2. **उत्पादन-सम्पादन**—कम्पनी की मिलों का एक मात्र उत्पादन विभिन्न प्रकार का सूती धागा है । निम्नांकित तालिका 1985-86 तक पांच वर्षों हेतु मिलवार प्रायोजित एवं वास्तविक उत्पादन तथा उपलब्धि का प्रतिशतता दर्शाती है :

1981-82	अकबरपुर	बाराबंकी	रायबरेली	मऊनाथ भंजन
	(कोष्ठकों में प्रतिशतता के साथ लाख किलोग्रामों में)			
(i) प्रायोजित	39·15	33·81	35·92	35·85
(ii) वास्तविक	21·63	32·45	29·50	22·41
(iii) उपलब्धि की प्रतिशतता	(55·3)	(96·0)	(82·1)	(62·5)
1982-83				
(i) प्रायोजित	39·15	54·81	73·42	35·85
(ii) वास्तविक	27·69	42·77	58·04	29·44
(iii) उपलब्धि की प्रतिशतता	(70·7)	(78·00)	79·1	82·1
1983-84				
(i) प्रायोजित	39·15	75·81	73·42	35·85
(ii) वास्तविक	31·04	62·18	73·25	32·95
(iii) उपलब्धि की प्रतिशतता	(79·3)	(82·0)	(99·8)	(91·9)
1984-85				
(i) प्रायोजित	81·95	75·81	73·42	83·23
(ii) वास्तविक	31·40	57·49	60·96	49·40
(iii) उपलब्धि की प्रतिशतता	(38·3)	(75·8)	(83·0)	(89·4)
1985-86				
(i) प्रायोजित	81·95	75·81	73·42	83·23
(ii) वास्तविक	60·51	64·82	63·86	69·92
(iii) उपलब्धि की प्रतिशतता	(73·8)	(85·5)	(87·0)	(84·0)

उपर्युक्त तालिका से यह द्रष्टव्य है कि (i) किसी भी वर्ष में कोई भी मिल (1981-82 में बाराबंकी एवं 1983-84 में रायबरेली को छोड़कर) प्रायोजना प्रतिवेदन में संकल्पित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकी;

(ii) अकबरपुर इकाई का उत्पादन पूर्व वर्षों की तुलना में वर्ष 1984-85 में न्यूनतम था, जिसके कारण अभिलिखित नहीं थे ;

(iii) अकबरपुर, रायबरेली एवं मऊनाथ भंजन मिलों का उत्पादन 1983-84 के पश्चात् गिर गया ।

2क.3.3. **धागा-प्राप्ति**—1985-86 तक पांच वर्षों की अवधि में मिलवार रुई की खपत, धागा-प्राप्ति एवं छीजनों (दृश्य तथा अदृश्य) के विवरण परिशिष्ट 17 में दिये गये हैं ।

इस संबंध में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं :

(i) एक मिल और दूसरी मिल के मध्य प्राप्त धागे की प्रतिशतता 1983-84 में 82.3 से 1985-86 में 88.0 की सीमा तक थी । यद्यपि कम्पनी ने धागा-प्राप्ति एवं दृश्य छीजन के लिये प्रतिमान निर्धारित नहीं किये थे, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक ने सभी मिलों को यह निर्दिष्ट करते हुए अनुदेश जारी किये (दिसम्बर 1983) कि चूंकि मुख्य कार्यालय पर केन्द्रित रूप से एक ही प्रकार की खरीदी गई रुई समस्त इकाइयों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वितरित की जाती है, अतः धागा-प्राप्ति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए और यह कि 50,000 तकलों के आधार पर धागा-उत्पादन में प्रत्येक एक प्रतिशत की कमी के फलस्वरूप प्रतिमास 1.15 लाख रुपये (लगभग) की हानि होगी । 85.2 प्रतिशत उत्पादन (मिलों द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम उत्पादन का औसत होने से) को उचित रूप से प्राप्य मानक मान लेने पर इन पांच वर्षों में उत्पादन में कमी के कारण हुई हानि 1.92 करोड़ रुपये तक होगी ।

(ii) दक्षिण भारत वस्त्र शोध संघ (साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन) द्वारा निर्धारित 0.5 की अदृश्य छीजन की प्रतिशतता के समक्ष वास्तविक प्रतिशतता अकबरपुर मिल में 1981-82 के दौरान (0.7 प्रतिशत) एवं 1983-84 के दौरान (1.3 प्रतिशत), बाराबंकी मिल में सभी पांच वर्षों में (0.8 से 1.4 प्रतिशत), रायबरेली में 1982-83 में (1 प्रतिशत) एवं 1985-86 में (0.6 प्रतिशत) तथा मऊनाथ भंजन में 1982-83 से 1984-85 के दौरान (1.3 से 1.1 एवं 0.7 प्रतिशत) बढ़ गयी थी । 1985-86 तक पांच वर्षों में प्रतिमानों से अधिक हुई छीजन 6.39 लाख रुपये (लगभग) की थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1986) कि कपास की गुणता प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित थी एवं 1983-84 में कपास की फसल के रेशे के अंश के पूर्णतया परिपक्व न होने के परिणामस्वरूप धागों की प्राप्ति कम हुई ।

2क.4. उत्पादन की लागत/बिक्रियों एवं ब्रेक-इवेन की तुलना में बिक्रियों की लागत

परिशिष्ट 18 की तालिका, जैसा कि लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया, 31 मार्च 1986 तक पांच वर्षों की अवधि में इकाईवार एवं वर्षवार बेचे गये धागों की मात्रा, बेचे गये धागे के उत्पादन की लागत, बिक्रियों का मूल्य एवं बिक्रियों की लागत पर सीमान्त (मार्जिन) प्रकट करती है । कम्पनी अपनी कुल विक्रय-लागत को (वर्ष 1981-82 के दौरान रायबरेली मिल को छोड़कर) आत्मसात करने के योग्य नहीं थी एवं इन पांच वर्षों के दौरान विक्रय-प्राप्ति से विक्रय लागत 0.35 करोड़ रुपये से 3.33 करोड़ रुपये अधिक थी ।

अधोलिखित मिलों के मामलों में कम्पनी अपनी उत्पादन लागत तक को भी आत्मसात करने के योग्य नहीं थी :

वर्ष	उत्पादन की लागत (पैकिंग की लागत को छोड़कर)	विक्रय से प्राप्ति
	(करोड़ रुपयों में)	
	बाराबंकी	
1982-83	8.25	8.13
1983-84	14.21	12.81
1984-85	15.34	14.14
	अकबरपुर	
1983-84	6.65	6.59
1984-85	8.93	7.07
1985-86	12.67	11.63
	मऊनाथ भंजन	
1983-84	7.49	6.84
1984-85	12.08	10.51
1985-86	16.20	15.92
	रायबरेली	
1983-84	15.20	14.92
1984-85	15.38	15.02

कम्पनी ने क्षमता-उपयोग आदि में वृद्धि द्वारा उत्पादन की लागत को कम करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाये ।

निम्न तालिका 1984-85 की अवधि के दौरान (जबकि कम्पनी को अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की

प्रत्याशा थी) प्रायोजित ब्रेक-इवेन बिन्दु एवं उस वर्ष के दौरान अपेक्षित ब्रेक-इवेन विक्रय को दर्शाती है :

		मऊनाथ भंजन		रायबरेली		बाराबंकी		अकबरपुर	
		प्रायोजित	वास्तविक	प्रायोजित	वास्तविक	प्रायोजित	वास्तविक	प्रायोजित	वास्तविक
		(करोड़ रुपयों में)							
		(1 क)	(1 ख)	(2 क)	(2 ख)	(3 क)	(3 ख)	(4 क)	(4 ख)
1.	कुल आय	17.21	12.58	15.74	16.10	15.23	14.62	17.20	7.86
2.	घटायाः अनियत लागत	12.93	11.15	11.80	13.66	13.19	15.24	12.94	7.00
3.	अंशदान	4.28	1.43	3.94	2.44	2.04	(−)0.62	4.26	0.86
4.	घटाया : स्थिर लागत	3.77	4.75	3.47	4.46	1.86	2.41	3.86	3.87
5.	अधिशेष (+)/ कमी (−)	(+) 0.51	(−)3.32	(+)0.47	(−)2.02	(+)0.18	(−)3.03	(+)0.40	(−)3.01
6.	कुल लागत की पूर्ति के लिये अपेक्षित ब्रेक-इवेन विक्रियां	15.16	41.79	13.88	29.43	13.89	×	15.38	35.37
7.	बिक्रियों से अस्थिर व्ययों की प्रतिशतता	(75.1)	(88.6)	(75.00)	(84.08)	—	—	75.3	89.0

लेखा-परीक्षा में निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(क) कुल व्यय को आच्छादित करने के लिये अपेक्षित वास्तविक ब्रेक-इवेन बिक्रियां अकबरपुर और मऊनाथ भंजन में वास्तविक बिक्रियों के तीन गुने से अधिक और रायबरेली मिल में वास्तविक बिक्रियों का लगभग दो गुना आयी ।

(ख) 75.0 से 75.3 की प्रायोजित प्रतिशतता के समक्ष बिक्रियों से अस्थिर व्ययों की प्रतिशतता 84.8 से 89.0 के मध्य थी ।

(ग) बाराबंकी मिल की वास्तविक बिक्रियों (14.62 करोड़ रुपये) में 15.24 करोड़ रुपयों के अस्थिर व्यय भी सम्मिलित नहीं हैं ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1987) कि रुई के गुणत्व और आपूर्ति में घट-बढ़, श्रमिक सम्बन्ध, उत्पाद की मांग और ऐसे ही अन्य कारक प्रक्षेपों (प्रोजेक्शन्स) की तुलना में उत्पादन में गिरावट के लिये उत्तरदायी थे, जिसके फलस्वरूप ब्रेक-इवेन बिन्दु की उपलब्धि नहीं हुयी ।

2क.5. **बिक्री-सम्पादन**

2क.5.1. **मूल्यनिर्धारण नीति—**

नियंत्रक कम्पनी की संयुक्त प्रबन्ध समिति (जे0 एम0 सी0) ने सभी मिलों के धागे की विक्रय दरों को निश्चित करने के लिये एक संयुक्त धागा विक्रय समिति (जे वाई एस सी) का गठन किया (अक्टूबर 1983) । समिति ने सभी बैठकों की अभिलिखित टिप्पणियों और कार्यवृत्तों का रख-रखाव भी निर्धारित किया । संयुक्त प्रबन्ध समिति का यह निर्णय परिषद् द्वारा दिसम्बर 1983 में अनुसमर्थित कर दिया गया । किन्तु कम्पनी ने किसी अभिलिखित टिप्पणी और कार्यवृत्त के बिना समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित केवल काउण्टवार और मिलवार आवधिक मिल-बाहर विक्रय दरों का रख-रखाव किया । इसलिये विक्रय दरों का औचित्य अथवा अन्यथा प्रमाणित नहीं किया जा सका । तथापि प्रबन्धकों ने बताया कि बिक्री दरें स्थानीय दरों और विभिन्न अभिकरणों से टेलीफोन पर विपणन विभाग द्वारा प्राप्त दरों पर आधारित थीं । प्रबन्धकों द्वारा मई 1987 में यह भी बताया गया कि कम्पनी में बिक्रियों का परिमाण इतना भारी था कि संयुक्त धागा विक्रय समिति के विचार-विमर्श को लिपिबद्ध करना कतई सम्भव नहीं था ।

1984-85 और 1985-86 के दौरान हुई 5 बैठकों में निर्णीत धागे की दरों के जांच-परीक्षण (अक्टूबर 1986) में यह देखा गया कि समिति द्वारा नियत 21 प्रकार के धागे की विक्रय दरें कानपुर के स्थानीय साप्ताहिक में छपी बाजार दर की अपेक्षा 1.50 रुपये से 10.50 रुपये प्रति कोन/हैंक नीची थीं । केवल बाराबंकी और अकबरपुर मिलों के अभिलेखों के जांच परीक्षण में, 27 सितम्बर 1985 से 6 जनवरी 1986 के दौरान

*ब्रेक-इवेन बिन्दु नहीं निकाला गया क्योंकि अंशदान नकारात्मक था ।

नीची दरों पर 2·77 लाख किलोग्राम धागे की बिक्री पर 12·90 लाख रुपयों की हानि निकाली गयी । अन्य मिलों के मामले में, उनकी बिक्रियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की हानियां निकालने के लिये अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1987) कि सितम्बर और अक्टूबर 1986 के दौरान कुछ काउण्टों की दरें कानपुर की दरों से उच्चतर थीं । इस सम्बन्ध में यह इंगित किया जा सकता है कि जांच-परीक्षण में ली गयी अवधि सितम्बर 1985 से जनवरी 1986 तक थी, जबकि उत्तर में प्रबन्धकों द्वारा उद्धृत दरें सितम्बर और अक्टूबर 1986 से सम्बन्धित हैं और उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख भी जांच हेतु लेखा-परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये । उल्लिखित मामलों में बाजार दर की अपेक्षा नीची दरें नियत करने के लिये प्रबन्धकों द्वारा कोई वैध औचित्य नहीं दिया गया ।

2 क·5·2· **विक्रय-सम्पादन—**

अधोलिखित तालिका मार्च 1986 तक के 5 वर्षों के दौरान बजटगत बिक्रियां, वास्तविक बिक्रियां एवं बजटगत बिक्रियों से वास्तविक बिक्रियों की प्रतिशतता दर्शाती है :

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			(करोड़ रुपयों में)		
बजटगत बिक्रियां	24·48	30·43	45·37	59·37	62·80
वास्तविक बिक्रियां	22·98	31·46	41·16	45·11	53·59
बजटगत बिक्रियों से वास्तविक बिक्रियों की प्रतिशतता	93·9	103·3	90·7	75·9	85·00

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि वास्तविक बिक्रियां बजटगत बिक्रियों से सदैव कम रहीं (1982-83 को छोड़कर) एवं 1983-84 से 1985-86 के दौरान ये पूर्व वर्षों की तुलना में अत्यधिक घट गयीं, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे ।

2 क·5·3· **परेषण बिक्रियां—**

कम्पनी ने धागों के अम्बार लगे हुये भण्डार की निकासी के लिए परेषण अभिकर्त्ताओं (राज्य के बाहर कार्यरत सभी व्यवसायी परेषण अभिकर्त्ताओं के रूप में बदल दिये गये) के माध्यम से माल के मिल-बाहर मूल्य पर देय 1 प्रतिशत कमीशन पर 21 दिसम्बर 1984 से 'परेषण आधार पर बिक्री' की योजना चालू की ।

परिषद् ने छः मास के उपरान्त कार्य-सम्पादन की समीक्षा की शर्त के साथ जनवरी 1985 में इस निर्णय का समर्थन कर दिया । परिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि इस विषय पर कोई वित्तीय हानि नहीं होगी क्योंकि परेषण अभिकर्त्ताओं को एक प्रतिशत कमीशन स्वीकृत किया गया था, जो उन्हें प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में दिया जा रहा था । तद्नुसार, परेषण अभिकर्त्ताओं के साथ निष्पादित संविदा के उपवाक्य 3 में यह प्रावधान किया गया कि धागे की आपूर्ति, उत्पाद शुल्क तथा समय-समय पर आरोपणीय अन्य करों को छोड़कर, मिल-बाहर मूल्य पर की जायेगी । उपवाक्य 6 में यह भी प्रावधान किया गया कि एक प्रतिशत कमीशन माल के मिल-बाहर मूल्य (शुल्क, कर तथा अन्य व्ययों को छोड़कर) पर देय होगा ।

व्यापार योजना के अन्तर्गत, परिवहन तथा अन्य विक्रय व्यय व्यारियों द्वारा वहन किये जा रहे थे और यद्यपि परेषण योजना में वही शर्तें एवं प्रतिबन्ध समाविष्ट किये गये थे, कम्पनी ने किराये एवं शुल्क (0·38 करोड़ रुपये) एवं विक्रय-व्यय (0·32 करोड़ रुपये) पर 0·70 करोड़ रुपये व्यय किये जिसका, कोई औचित्य नहीं था । इस प्रकार, व्यवसायियों के माध्यम से बिक्री की तुलना में, कम्पनी को इस अवधि में परेषण-अभिकर्त्ताओं के माध्यम से की गई बिक्री पर 0·70 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, यद्यपि योजना चालू करते समय प्रबन्धकों ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया था कि इस मद पर कोई भी वित्तीय हानि नहीं होगी ।

निम्न तालिका 1984-85 एवं 1985-86 की अवधि में परेषण अभिकर्त्ताओं के माध्यम से विक्रय की स्थिति दर्शाती है :

	प्रेषण		विक्रय		इति शेष	
	मात्रा (लाख किग्रा0 में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (लाख किग्रा0 में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	मात्रा (लाख किग्रा0 में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984-85	16·61	4·22	10·26	2·40	6·35	1·62
1985-86	36·84	8·53	36·52	8·77	6·67	1·44

यद्यपि निदेशक मण्डल का अभीष्ट था कि छः मास के बाद अर्थात् जुलाई 1985 में अभिकर्त्ताओं का कार्य सम्पादन की समीक्षा की जाये, किन्तु जुलाई 1986 तक कोई समीक्षा नहीं की गयी, तब अधिकारियों के एक दल द्वारा भण्डार की शीघ्र निकासी के लिये तथा राज्य के बाहर बिक्रियों की प्रमात्रा बढ़ाने के लिए डिपों के माध्यम से बिक्री की संस्तुति की। तद्नुसार निदेशक मण्डल ने अगस्त 1986 से परेषण बिक्री को बन्द कर देने का निर्णय लिया क्योंकि प्रबन्धकों द्वारा 'परेषण आधार पर विक्रय' में बिक्री-कर निर्धारण तथा लेखा प्रक्रियाओं में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया था।

2क.5.4. **प्रेरक अधिलाभ (बोनस) योजना**

राज्य में हथकरघा एवं विद्युत-करघा बुनकरों को सहायता देने के उद्देश्य से कम्पनी की नीति उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ को प्रेरक अधिलाभ के रूप में वरीय (प्रिफरेंशियल) शर्तें देने की रही थी। तद्नुसार क्रय की गई मात्रा पर ध्यान दिये बिना, उन्हें उनके द्वारा दिये मिल-बाहर मूल्य के एक प्रतिशत की पूरी सहायता प्रारम्भ से ही अनुमत थी, जो वरीय पद्धति पर प्राइवेट व्यापारियों को अनुमत प्रेरक अधिलाभ की अपेक्षा ऊंची थी।

बाद में, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के अनुरोध पर, जो अधिलाभ की दर में वृद्धि के लिये बल दे रहे थे, जो राज्य सरकार द्वारा भी समर्थित किया गया था, कम्पनी ने 21 मई 1984 से प्रेरक अधिलाभ को बढ़ाकर (मई 1984) 1.5 प्रतिशत कर दिया (निदेशक मण्डल द्वारा जनवरी 1985 में अनुसमर्थित)। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम पर जून 1985 के अन्त में 85 लाख रुपये के अनिस्तारित भारी देयों को ध्यान में रख कर कम्पनी ने विलम्बित भुगतानों पर 17.5 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोपित करने का निर्णय लिया।

निम्न तालिका 1985-86 तक पांच वर्षों की अवधि में कुल विक्रय में उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम द्वारा बिक्रियों में योगदान की प्रतिशतता दर्शाती है :

	कुल विक्रय	उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम को विक्रय	कुल विक्रय में उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम का योगदान
	(करोड़ रुपयों में)		(प्रतिशत)
1981-82	22.98	2.29	10.0
1982-83	31.46	1.70	5.1
1983-84	41.16	2.39	5.8
1984-85	45.12	4.36	9.7
1985-86	53.58	4.32	8.1

तथापि वृद्धि के पश्चात् उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम की बिक्रियों का शेयर 1981-82 के शेयर की अपेक्षा जब प्रेरक की अपेक्षाकृत नीची प्रमात्रा लागू थी, कम पाया गया।

जहां तक बुनकरों को उच्चतर प्रेरक अधिलाभ के रूप में लाभ देने का सम्बन्ध है, कम्पनी के पास यह सुनिश्चित करने के कोई साधन नहीं थे कि क्या अतिरिक्त लाभ वस्तुतः बुनकरों को ही मिला है जैसा कि प्रस्ताव में संकल्पित था।

यह भी देखा गया कि यद्यपि उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबन्ध में केवल अग्रिम भुगतान के प्रति माल के प्रेषण का प्रावधान था, प्रेषण अग्रिम भुगतान प्राप्त किये बिना ही कर दिये गये। 31 मार्च 1986 को उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के विरुद्ध 1.03 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी। इसके अतिरिक्त जैसा कि निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया था अनुबन्ध में दण्डात्मक उपवाक्य का समावेश न करने के कारण कम्पनी 15 जुलाई 1985 से 31 मार्च 1986 तक की अवधि के 0.10 करोड़ रुपये के ब्याज की वसूली से वंचित रही।

2क.5.5. **धागा उपकर**

टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 की धारा 5 क(1) के अधीन भारत सरकार ने पहली अप्रैल 1975 से प्रभावी यथामूल्य 0.025 प्रतिशत (बिक्री पर आरोपणीय) के धागा उपकर को पहली जून 1977 से बढ़ाकर 0.050 कर दिया। कम्पनी ने पहली अप्रैल 1975 से 30 सितम्बर 1984 की अवधि में 9.26 लाख रुपये के उपकर की वसूली नहीं की एवं भारत सरकार की टेक्सटाइल कमेटी से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया (सितम्बर 1984)। समिति ने छूट की अनुमति नहीं दी और कम्पनी से उपकर का भुगतान करने के लिये कहा (नवम्बर 1984) जिसका अभी भी (मई 1987) भुगतान होना है। व्यवसायियों से उपकर की वसूली न किये जाने की चूक के फलस्वरूप देयता कम्पनी को अपने निजी साधनों से चुकानी होगी। तथापि, कम्पनी ने संयुक्त धागा विक्रय समिति की संस्तुति पर पहली अक्टूबर 1984 से धागा उपकर की वसूली प्रारम्भ कर दी।

2क.5.6. **भुगतान न की गयीं हुण्डियां**

कम्पनी अपने बैंकों से बट्टा काटने के लिए धागा व्यापारियों द्वारा 30 दिनों की अवधि वाली हुण्डियों का आहरण स्वीकार करती है। यदि नियत तिथियों पर व्यापारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर हुण्डियों को नहीं सकारते तो उन्हें बिलम्बित भुगतान के लिए 20 प्रतिशत ब्याज के साथ उगाही हेतु मुख्य कार्यालय को भेज दिया जाता है।

1985-86 की भुगतान न की गयीं हुण्डियों के अभिलेखों के जांच परीक्षण में (इससे पूर्व के वर्षों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये) यह देखा गया कि (अक्टूबर 1986) कि व्यापारियों द्वारा आहृत एवं मिलों द्वारा मुख्यालय को उगाही हेतु प्रेषित 31 मार्च 1986 को 120.44 लाख रुपये मूल्य की भुगतान न की गयी हुण्डियों में से 17 से 322 दिनों तक के विलम्बों हेतु 2.86 लाख रुपयों का ब्याज आरोपित किये बिना ही 1985-86 के दौरान केवल 38.22 लाख रुपये की धनराशि की ही वसूली की

जा सकी । शेष 82·22 लाख रुपयों की बकाया धनराशि तथा विलम्बों हेतु उस पर ब्याज की वसूली की प्रतीक्षा थी (फरवरी 1987) ।

प्रबन्धकों द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 1986) कि कमेटी द्वारा हुण्डियों को सकारने में विलम्ब के कारणों के संदर्भ में ब्याज की वसूली के मामलों की जांच की गयी थी । तथापि यह देखा गया कि जांच के लिये लेखापरीक्षा को प्रस्तुत मामलों में केवल मूलधन की ही वसूली की गई एवं कम्पनी द्वारा किसी भी मामले में उस पर देय ब्याज लगाया ही नहीं गया ।

2 क·6· **आन्तरिक लेखापरीक्षा**

अध्यक्ष के समक्ष आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की कम्पनी की परिपाटी रही थी, जो जुलाई 1980 से, जब कुछ पूर्व के प्रतिवेदनों पर अध्यक्ष ने यह सम्बीक्षा दी कि प्रतिवेदन अनुपयोगी और असंतोषप्रद हैं, बन्द कर दी गयी ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्यों की रूप-रेखा प्रस्तुत करने वाला कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा मैनुअल नहीं था ।

2 क 7· **लागत लेखापरीक्षा**

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 233 ख (2) के अधीन कम्पनी के निदेशक-मण्डल की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है । 1982-83 से 1984-85 की अवधि में कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार की सम्पुष्टि के बिना ही लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की एवं 0·34 लाख रुपये के व्यय पर लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करायी । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि लागत अभिलेखों के अनुरक्षण, उनका विश्लेषण तथा प्रबन्धकों को परिणाम प्रतिवेदित करने हेतु उत्तरदायी लागत परामर्शदाता और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त लागत लेखापरीक्षक एक ही व्यक्ति था ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 233 ख(4) में यह स्पष्ट है कि लागत लेखापरीक्षकों एवं वित्तीय लेखापरीक्षकों के कर्त्तव्य एवं अधिकार समान हैं एवं धारा 233 ख(5) वित्तीय लेखापरीक्षक के समान ही लागत लेखापरीक्षक की अनर्हता हेतु समान मानदण्ड आरोपित करती है । धारा 226 (3) एवं (5) निरूपित करती है कि लेखापरीक्षक को सुनिश्चित रूप से कम्पनी के प्रबन्धकों के अधीन एक कर्मचारी की स्थिति में नहीं होना चाहिए एवं यदि वह, अपनी नियुक्ति के पश्चात् उप धारा 3 में निर्दिष्ट किसी भी अनर्हता के अधीन आता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने अपने कार्यालय को छोड़ दिया है । अत: कम्पनी द्वारा अपने लागत परामर्शदाता की लागत लेखापरीक्षक के रूप में की गई नियुक्ति इन प्रावधानों की अतिक्रमणकारी थी क्योंकि लागत परामर्शदाता की स्थिति कम्पनी के एक कर्मचारी जैसी थी ।

2 क·8· **अन्य रोचक प्रसंग**

2क·8·1· **वृद्धिगत मूल्य का अधिक भुगतान**—मिलों के विस्तार के लिये, कम्पनी ने हाई प्रोडक्शन कार्डों (1·78 लाख रुपये प्रत्येक की दर से 175 कार्ड), ड्राफ्रेमों (प्रत्येक 1·03 लाख रुपये की दर से 64 फ्रेम) और स्पीडफ्रेमों (प्रत्येक 3·74 लाख रुपये की दर से 36 फ्रेम) की आपूर्ति हेतु, कलकत्ता की एक फर्म को चार आदेश दिये (दिसम्बर 1980), आपूर्ति चरणों में की जानी थी । आदेशों के वृद्धि सम्बन्धी उपवाक्य में निम्नांकित तीन विकल्पों में से न्यूनतम मूल्य के भुगतान का प्रावधान था :

(i) 31 मार्च 1982, 31 मार्च 1983 एवं 31 मार्च 1984 तक पूर्ण की गयीं आपूर्तियों के लिये आदेशित मूल्य का क्रमश: 10, 17·5 एवं 22·5 प्रतिशत अधिकतम शर्त के साथ आदेशित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य-वृद्धि ;

(ii) परिदान के समय प्रचलित आपूर्ति-कर्त्ता का मूल्य ;

(iii) उसी अवधि के दौरान नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन और/अथवा उसकी सहायक कम्पनियों के साथ आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा तय किया गया मूल्य ।

उल्लिखित मूल्य-वृद्धि सम्बन्धी उपवाक्य लागू करने के पश्चात् मूल्यों पर 4 प्रतिशत की छूट उपलब्ध की जानी थी ।

अभिलेखों के जांच परीक्षण में यह देखा गया कि कम्पनी ने 4 प्रतिशत की छूट की सुविधा प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्त्ता तथा नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के मध्य तय वृद्धिगत मूल्य का भुगतान कर दिया । इस प्रकार, कम्पनी ने 569·69 लाख रुपये की देय धनराशि के समक्ष 591·67 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान कर दिया जिसके फलस्वरूप 21·98 लाख रुपयों का अधिक भुगतान किया गया ।

2 क·8·2· **रोल बैंक मूल्य योजना में हानि**—भारत सरकार द्वारा पोषित (अप्रैल 1981) रोल बैंक मूल्य योजना के अधीन, राज्य सरकार को जनता धोतियों का उत्पादन करना था, जिसके लिए जनवरी, 1981 के तृतीय तिमाही के दौरान प्रचलित दरों से 10 प्रतिशत कम पर हैण्डलूम और पावरलूम बुनकरों को (उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कार्पोरेशन और यूपिका के माध्यम से) धागों की आपूर्ति की जानी थी । प्रारम्भ में योजना एक मास के लिए कार्यान्वित की गई । अप्रैल 1981 में निदेशक-मण्डल द्वारा योजना का अनुमोदन कर देने के पश्चात् कम्पनी ने 18·81 लाख रुपये मूल्य के धागों की 450 गांठों की आपूर्ति केवल 16·26 लाख रुपये के घटे मूल्य पर की (मई 1981) । इस प्रकार कम्पनी ने 2·55 लाख रुपयों की हानि उठायी, जिसके लिये कम्पनी ने कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानि के लिए राज्य सरकार से उपदान प्रदान करने तथा योजना को बन्द कर देने के लिये निवेदन किया, क्योंकि यह न तो व्यापार के उपयुक्त थी और न ही जनहित में थी । शासन का निर्णय प्रतीक्षित है (मार्च 1987) । तथापि कम्पनी ने योजना को मई 1981 में बन्द कर दिया ।

सरकार को मामला मई 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 1987) ।

2क.9. **समाहार**

(i) कम्पनी स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी के रूप में अगस्त, 1974 में निगमित की गयी एवं इसने प्रत्येक 25,000 तकलों की क्षमता की चार कताई मिलें स्थापित कीं । कम्पनी संचालन के प्रथम वर्ष से ही घाटे पर चल रही थी एवं 31 मार्च, 1986 को संचित हानियां उक्त तिथि को 26.38 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के समक्ष 39.65 करोड़ रुपये थीं । लगातार हानियों के कारण, इसका शुद्ध मूल्य अनिश्चित रहा एवं सम्पूर्ण अवधि से नीचा होकर 1985-86 में ऋण 4.30 करोड़ रुपये हो गया ।

(ii) चारों मिलों के विस्तार के लिये कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर यह संदेह प्रकट करते हुए कि क्या प्रस्तावों में संकल्पित वित्तीय लाभकारिता प्राप्त हो सकेगी, प्रोजेक्ट फार्मूलेशन एण्ड अप्रेजल डिवीजन ने सर्वोत्तम परिणामों के हित में चुनाव के आधार पर केवल एक इकाई में विस्तार का सुझाव दिया । प्रोजेक्ट फार्मूलेशन एण्ड अप्रेजल डिवीजन की विशिष्ट सम्वीक्षा के बावजूद, सरकार ने अक्टूबर, 1980 में चारों मिलों के विस्तार का अनुमोदन कर दिया । कम्पनी ने कुल मिलाकर 35.15 करोड़ रुपये की पूंजी लागत पर 1980-81 से 1984-85 के दौरान चारों मिलों की प्रत्येक की 25,000 तकलों की विद्यमान क्षमता को बढ़ाकर प्रत्येक की क्षमता 50,000 तकला कर दिया ।

(iii) कम्पनी के परिचालन हेतु धन की व्यवस्था मुख्यतया ऋणों से थी । 31 मार्च, 1986 को अनिस्तारित मूलधन और ब्याज क्रमशः 21.15 करोड़ रुपये और 2.83 करोड़ रुपये थे, जिसमें से 4.14 करोड़ रुपये मूलधन और संपूर्ण ब्याज अतिदेय थे ।

(iv) **बिक्रियों में गिरावट के कारण,** 1985-86 की समाप्ति पर धागे का संचित स्टाक 48.79 लाख किलोग्राम था जिसका मूल्य 10.51 करोड़ रुपये था ; कम्पनी को 1984-85 के दौरान 72.87 लाख रुपये और 1985-86 के दौरान 138.91 लाख रुपये ढुलाई लागत खर्च करनी पड़ी ।

(v) चलायी गयीं तकला पालियों के अनुसार क्षमता उपयोग प्रायोजना प्रतिवेदन में संकल्पित 93 प्रतिशत के समक्ष उपलब्ध तकला पालियों का 36.3 प्रतिशत से 91.9 प्रतिशत तक था और 1985-86 तक 5 वर्षों के दौरान प्रायोजित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता 38.3 से 99.8 तक थी ।

(vi) कम्पनी ने धागे की प्राप्ति तथा क्षति (वेस्टेज) के लिये कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किये । 1985-86 तक 5 वर्षों के दौरान धागे के कम उत्पादन के कारण कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानि, कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट, उत्पादन में एक प्रतिशत की गिरावट के फलस्वरूप 1.15 लाख रुपयों प्रति माह की हानि के आधार पर आगणित 1.92 करोड़ रुपयों के क्षेत्र में थी । अदृश्य क्षति के मामले में उपर्युक्त अवधि के दौरान, साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के प्रतिमानों की तुलना में हानि 6.39 लाख रुपये (लगभग) आयी ।

(vii) 1984-85 में कुल लागत को आच्छादित करने के लिये अपेक्षित वास्तविक ब्रेक-इवेन बिक्रियां वास्तविक बिक्रियों का दो से तीन गुना तक आयीं ।

(viii) सितम्बर, 1985 से जनवरी, 1986 (लेखा-परीक्षा में जांच-परीक्षित) के दौरान धागे के विक्रय मूल्य, वैध औचित्य के बिना, बाजार दरों की अपेक्षा नीची दरों पर नियत किये गये थे जिसके फलस्वरूप 12.90 लाख रुपयों की हानि हुई ।

(ix) जहां तक व्यापारियों के माध्यम से बिक्रियों की तुलना का सम्बन्ध है, परेषिती अभिकर्ताओं के माध्यम से बिक्रियां करने में कम्पनी को 1984-85 और 1985-86 के दौरान 0.70 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, यद्यपि यह प्रत्याशा की गयी थी कि परेषिती विक्रय योजना (कन्साइनी सेल्स स्कीम) लागू करने में कम्पनी को अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा ।

(x) कम्पनी की नीति के अनुसार, उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कार्पोरेशन को खरीदी गयी मात्राओं का विचार किये बिना प्रारम्भ से ही एक प्रतिशत प्रेरक बोनस स्वीकृत कर दिया गया, जो बाद में उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कार्पोरेशन के अनुरोध तथा राज्य सरकार के समर्थन पर मई 1984 से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया । प्रेरक बोनस में वृद्धि के बावजूद, वृद्धि के बाद उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कार्पोरेशन का बिक्रियों का शेयर कम था । कम्पनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कोई साधन नहीं थे कि प्रेरक बोनस वास्तविक लाभग्राहियों को ही मिला था ।

(xi) 1975—1984 के दौरान बेचे गये धागे पर व्यापारियों से उपकर (सेस) के संग्रह न करने के कारण, कम्पनी को, जैसा कि टेक्सटाइल कमेटी एक्ट, 1963 द्वारा अपेक्षित है, अपनी स्वयं की निधियों से 9.26 लाख रुपयों के दायित्व का भुगतान करना था ।

(xii) 1985-86 की अवधि में वसूली गयी 38.22 लाख रुपये की हुण्डियों के सम्बन्ध में कम्पनी ने हुण्डियों को सकारने में विलम्ब के लिये 2.86 लाख रुपयों का ब्याज आरोपित नहीं किया ।

(xiii) लागत आंकड़े प्राप्त करने, इनका विश्लेषण करने तथा प्रबन्धकों को परिणाम प्रतिवेदित करने के लिये उत्तरदायी लागत परामर्शदाता की नियुक्ति भी कम्पनी द्वारा कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में की गयी थी जो कम्पनी अधिनियम की धारा 233-ख की अतिक्रमणकारी थी ।

(xiv) मिलों के विस्तार के दौरान कम्पनी ने मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं को आदेश के अनुबन्धित मूल्य से 21.98 लाख रुपयों का अधिक भुगतान किया ।

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड
(उद्योग विभाग)

2ख.1. प्रस्तावना

2ख.1.1. आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, एक प्राइवेट सेक्टर कम्पनी, राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 1976 में अधिगृहीत की गयी और रूपांकन (डिजाइन), संयोजन, निर्माण, वितरण आदि, सभी प्रकार के ट्रैक्टरों एवं आटोमोबाइलों सहित सभी प्रकार की कृषीय मशीनरी का व्यापार करने के मुख्य उद्देश्य से जुलाई, 1976 में राजकीय कम्पनी के रूप में निगमित की गयी। इस समय कम्पनी ने अपने क्रियाकलापों को ट्रैक्टरों एवं यानीय इंजनों के उत्पादन तक ही सीमित कर रखा है।

2ख.1.2. संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबन्ध एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित, जिसकी सहायता के लिये एक महाप्रबन्धक (तकनीकी) और एक वित्तीय परामर्शदाता हैं, 10 निदेशकों से बने एक निदेशक-मण्डल में निहित है।

2ख.1.3. पूंजीगत ढांचा

31 मार्च, 1987 को कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी भी 7.5 करोड़ रुपये थी। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा धारित 1,100 रुपये मूल्य के शेयरों को छोड़कर सम्पूर्ण पूंजी राज्य सरकार द्वारा लगाई गयी।

2ख.1.4. ऋण

प्रदत्त पूंजी के अतिरिक्त, कम्पनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों एवं राज्य सरकार से आवधिक ऋण प्राप्त किये जो प्रारम्भ से 1986-87 तक कुल मिलाकर 13.34 करोड़ रुपये हो गये, जिसमें से मूलधन (4.97 करोड़ रुपये) और उस पर ब्याज (4.54 करोड़ रुपये) के कारण 9.51 करोड़ रुपये अतिदेय थे। कम्पनी ने अभी तक मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज के भुगतान के प्रति किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया है, फलतः 31 मार्च, 1987 को दाण्डिक ब्याज के प्रति 0.71 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता सम्भूत हो गयी है। परिचालन के प्रारम्भ से ही आवर्ती नकद हानियों के कारण, कम्पनी को बैंकों से कैश क्रेडिट तथा अन्य अल्पावधिक ऋणों का सहारा लेना पड़ा जो 31 मार्च, 1986 को कुल मिलाकर 14.85 करोड़ रुपये हो गये।

2ख.1.5. वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1985-86 तक 5 वर्षों की समाप्ति पर कम्पनी की वित्तीय स्थिति और 1985-86 तक 5 वर्षों हेतु कार्यचालन परिणाम परिशिष्ट 19 और 20 में दिये गये हैं। इन वर्षों के कार्यचालन परिणाम संक्षेप में निम्नवत् हैं :

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			(लाख रुपयों में)		
(1) आय	80.97	161.34	410.24	293.01	388.68
(2) व्यय :					
(क) कार्यचालन व्यय	186.43	333.58	571.15	529.10	679.25
(ख) ब्याज	36.15	155.64	178.56	225.03	251.73
(ग) मूल्यह्रास	36.31	83.71	87.78	94.48	94.74
(घ) अन्य	33.41	85.02	5.56	10.21	1.50
(3) हानि	211.33	496.61	432.81	565.81	638.54
(4) संचित हानियां	218.43	715.04	1147.85	1713.66	2352.20

कम्पनी ने वाणिज्यिक उत्पादन (अक्टूबर, 1981) के प्रारम्भ से ही हानियां उठायीं। 1985-86 की समाप्ति पर 23.52 करोड़ रुपयों की संचित हानियां (142.82 लाख रुपयों के इन्वेस्टमेन्ट एलाउन्स रिजर्व हेतु प्रावधान करने के उपरान्त) उस तिथि को प्रदत्त पूंजी (7.50 करोड़ रुपये) के तीन गुने से अधिक थी।

कम्पनी का निवल मूल्य, जो परिचालन के प्रथम वर्ष (1981-82) में 5.42 करोड़ रुपये था, निरन्तर घट रहा था और 1983-84 में नकारात्मक अंक (3.52 करोड़ रुपये) में बदल गया और अन्ततोगत्वा 1985-86 में घट कर (—)15.36 करोड़ रुपये हो गया।

प्रबन्धकों ने निरन्तर हानियों के कारण निम्नांकित बताये :

(i) स्थानगत (लोकेशनल) असुविधा;

(ii) अनुपयोगी प्राविधिक सहयोग अनुबन्ध ;

(iii) भारतीय परिस्थितियों से असम्बद्ध ट्रैक्टर का रूपांकन;

(iv) इण्डिजेनाइजेशन में विलम्ब;

(v) संकटकालीन पुर्जों की असफलता;

(vi) अतिमहत्वाकांक्षी उत्पादन योजना ।

प्रथम दो कारक संचालनों की जीवन-क्षमता को प्रभावित करते हैं और कम्पनी को पहले से ही इन पर सावधानी बरतनी चाहिए थी । प्रबन्धकों की अभ्युक्तियां इस स्वीकृति की ओर ले जाती हैं कि परियोजना प्रारम्भ से ही दुर्विचारित (इल-कन्सीव्ड) थी ।

2ख.2. परियोजना का क्रियान्वयन

प्रतापगढ़ जनपद में स्थापित की जाने वाली एक फैक्टरी में 28 बी0 एच0 पी0 ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1972 में संस्थापकों को एक औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति दी गयी । एक प्राइवेट कम्पनी चालू करने और ट्रैक्टरों का आयात तथा उनकी बिक्री करने के सिवाय प्रतापगढ़ में फैक्टरी की स्थापना के लिये संस्थापकों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । यहां तक कि प्रतापगढ़ में भूमि की अध्याप्ति भी नहीं की गयी । जुलाई, 1977 में अधिग्रहण की तिथि को परिसम्पत्तियों से दायित्वों की 5.70 लाख रुपयों की अधिकता हस्तान्तरित औद्योगिक लाइसेंन्स को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा ग्रहण कर ली गयी ।

इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं था कि क्या अधिग्रहण के समय सरकार ने औद्योगिक लाइसेन्स का उपयोग करने के लिये प्राइवेट संस्थापकों की अनिच्छा के कारणों की छानबीन की थी । परियोजना प्रतिवेदन जो व्यवहार्यता अध्ययन किये बिना और आर्थिक जीव्यता (वाइएबिलिटी) सुनिश्चित किये बिना 1977 में तैयार किया गया था, 13.38 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत हेतु भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1977 में तथा योजना आयोग द्वारा अगस्त 1978 में मुक्त कर दिया गया ।

अपने परियोजना मूल्यांकन में आई0 डी0 बी0 आई0 द्वारा उत्पादन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् 1983-84 तक) 3.75 करोड़ रुपयों की नकद हानियां तथा उसके पश्चात् लाभ संकल्पित किये गये थे (मई 1971) और 5.36 करोड़ रुपयों का आवधिक ऋण स्वीकृत करते समय ऋणदाता संस्थाओं (आई0 डी0 बी0 आई0, आई0 एफ0 सी0 आई0, आई0 सी0 आई0 सी0 आई0, एल0 आई0 सी0 एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों) ने परिचालन के प्रारम्भिक वर्षों की अवधि की समस्त नकद हानियों को ब्याज मुक्त अप्रतिभूत सहायक ऋणों (इन्टरेस्ट फ्री अन्से-क्यांर्ड सबार्डिनेट लोन्स) के रूप में और/अथवा सामान्य शेयर पूंजी (इक्विटी कैपिटल) द्वारा प्रतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व प्राप्त किया था । तथापि, कम्पनी ने 1983-84 तक परिचालन के प्रथम तीन वर्षों की अवधि में 7.72 करोड़ रुपयों की नकद हानियां उठायीं, जो आगे फरवरी 1987 तक बढ़ कर 22.04 करोड़ रुपये हो गयीं । तथापि राज्य सरकार ने फरवरी, 1981 से मार्च 1987 की अवधि में तीन वर्षों के पश्चात् पांच समान किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य ऋण देकर केवल 15.33 करोड़ रुपयों की प्रतिपूर्ति की । किसी भी देय किस्त (मार्च 1987 तक 205.67 लाख रुपये) का अभी तक (मार्च 1987) भुगतान नहीं किया गया ।

नकद हानियों के सम्बन्ध में प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1985) कि परियोजना के वित्तीय परिणाम उत्पादन से सम्बन्धित भौतिक उपलब्धियों के प्रति अत्य-धिक सुग्राही (सेन्सिटिव) थे एवं उत्पादन इन्डिजेनाइजेशन की प्रगति एवं सीमा पर निर्भर था, जिसे अपेक्षित अध: संरचनात्मक (इन्फ्रा-स्ट्रक्चरल) सुविधाओं, कारकों से विहीन पिछड़े क्षेत्र में उपलब्ध करना कठिन था, तथापि आई0 डी0 बी0 आई0 के लिये प्रक्षेपण बनाते समय कम्पनी उनसे पूर्णतया अवगत थी ।

अपने मूल्यांकन में आई0 डी0 बी0 आई0 द्वारा की गयी संस्तुतियों की दृष्टि से 13.38 करोड़ रुपयों की मूल परियोजना लागत मई 1981 में 18.86 करोड़ रुपयों तक पहुंच गयी । योजना आयोग की स्वीकृति पाने में विलम्ब के फलस्वरूप वित्तीय संस्थाओं से मुक्ति (क्लियरेंस) पाने में विलम्ब के कारण लगभग तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् परियोजना 16.86 करोड़ रुपयों की लागत से 1981-82 तक पूर्ण की गयी ।

2ख.3. क्षमता-उपयोग

12000 ट्रैक्टरों एवं 2000 इंजनों की लाइसेंस-युक्त वार्षिक क्षमता के समक्ष, कम्पनी ने अपने परियोजना प्रतिवेदन में 1984-85 तक 18.86 करोड़ रुपयों की पूंजी लागत से 7500 ट्रैक्टरों एवं 2500 इंजनों के पूर्ण किये जाने का संकल्प किया था, जिसके समक्ष कंपनी मार्च 1987 तक 18.37 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी थी । परिशिष्ट 21 की तालिका 1986-87 तक 6 वर्षों हेतु उत्पादित क्षमता, अवमूल्यांकित (डिरेटेड) क्षमता, वास्तविक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रतिशतता दर्शाती है ।

जैसा कि परिशिष्ट में द्रष्टव्य है, 1986-87 तक 6 वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता अव-मूल्यांकित क्षमता के प्रति 8.5 से 75 तक तथा प्रायोजित उत्पादन के प्रति 4.6 से 37.5 तक थी ।

निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आए :

(i) 4500 ट्रैक्टरों की अधिष्ठापित क्षमता निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बिना अवमूल्यांकित करके 1983-84 में 2500 ट्रैक्टर कर दी गई। प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1987) कि इसने नैत्यक (राटीन) योजना-कार्य का भाग होने के कारण मामले को निदेशक-मण्डल को संदर्भित नहीं किया। अवमूल्यांकन के कारण अभिलेखों में नहीं थे एवं परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर अवमूल्यांकन के प्रभाव की छानबीन किसी स्तर पर नहीं की गई।

(ii) यद्यपि परियोजना प्रतिवेदन (सितम्बर 1977) में ब्रेक-इवेन बिन्दु अधिष्ठापित क्षमता (2268 ट्रैक्टरों का उत्पादन) के 37.8 प्रतिशत पर संकल्पित था, कम्पनी ने आई0 डी0 बी0 आई0 द्वारा मूल्यांकित 1980-81 से कार्यचालन परिणामों के प्राक्कलनों की विवरणी में ब्रेक-इवेन बिन्दु 1984-85 तक प्राप्य (4200 ट्रैक्टरों एवं 1400 इंजनों का उत्पादन) प्रायोजित अधिष्ठापित क्षमता का 56 प्रतिशत संकल्पित किया था। ब्रेक-इवेन बिन्दु 1987-88 से प्राप्य 5800 ट्रैक्टरों तथा 4070 इंजनों के उत्पादन का 93 प्रतिशत पुनः पुनरीक्षित कर दिया गया। (फरवरी 1985) जो, जैसा कि पहले बताया गया है, क्षमता के अवमूल्यांकन की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं था। फलतः परियोजना अव्यवहार्य बनी हुई है।

(iii) कम्पनी ने 1983-84 से 1986-87 के दौरान आनुपातिक (रेटेड) क्षमता को बढ़ाये बिना संयंत्र एवं मशीनरी पर 159 लाख रुपये (अनन्तिम) का पूंजीगत व्यय किया।
प्रबन्धकों ने उत्पादन में कमी के लिए निम्नांकित कारणों को उत्तरदायी ठहराया (नवम्बर 1984 एवं फरवरी 1985) :

(क) अवस्थितिगत (लोकेशनल) प्रतिकूलतायें एवं उसके परिणाम;

(ख) ट्रैक्टर उद्योग में उत्पादन की सामान्य प्रवृत्ति की उपेक्षा में अति महत्वाकांक्षी उत्पादन योजना पर आधारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के मूल में निहित अतिशय अयथार्थवत् पूर्वानुमान ;

(ग) भारतीय परिस्थितियों से असम्बद्ध ट्रैक्टर के जटिल अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) एवं रुपांकन का अत्यधिक उच्च स्तर एवं अत्यधिक स्थूल एवं अलाभकर तकनीकी सहयोग प्रबन्ध;

(घ) संयोजक राडों एवं बोल्टों जैसे जटिल पूर्जों की असफलता ; एवं

(ङ) उत्पादन के द्वितीय वर्ष (1982-83) से शत प्रतिशत इन्डिजेनाइजेशन पर आधारित अयथार्थवत् प्रक्षेपण जबकि देश में अन्य इकाइयां 7 से 10 वर्ष की अवधि में 60 से 88 प्रतिशत इण्डिजेनाइजेशन उपलब्ध कर सकीं।

अतः परियोजना अयथार्थवत् प्राक्कलनों से संयुक्त दोषपूर्ण योजना के कारण प्रारम्भ से ही हानि उठाती रही।

2 ख. 4. लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(क) निम्नांकित तालिका 1985-86 तक 5 वर्षों हेतु ट्रैक्टरों एवं इंजनों के उत्पादन एवं बिक्री के सम्बन्ध में कम्पनी के लक्ष्य एवं उत्पादन प्रदर्शित करती है।

वर्ष	लक्ष्य		वास्तविक		उपलब्धिता की प्रतिशतता	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
1981-82						
ट्रैक्टर	—	500	151	150	—	30
इंजन	—	—	—	—	—	—
1982-83						
ट्रैक्टर	2200	2375	381	281	17.3	11.8
इंजन	200	40	1	1	0.5	2.5
1983-84						
ट्रैक्टर	3500	3435	721	701	20.6	20.4
इंजन	1000	985	11	8	1.1	0.8
1984-85						
ट्रैक्टर	3000	2900	450	396	15	13.7
इंजन	1000	950	410	246	41	25.9
1985-86						
ट्रैक्टर	2500	2500	400	351	16	14.1
इंजन	2500	2500	600	616	24	24.6
1986-87						
ट्रैक्टर	990	814	265	375	26.7	46.0
इंजन	1450	1452	736	800	50.7	55.10

कम्पनी द्वारा नियत उत्पादन तथा बिक्री के लक्ष्य बाजार की सम्भावना एवं उपलब्ध संयंत्र क्षमता के किसी विस्तृत अध्ययन से सम्बन्ध रखे बिना तदर्थ आधार पर थे ।

इस संबंध में निम्न तथ्यों का उल्लेख करना उचित होगा :

वास्तविक उत्पादन प्रबन्धकों द्वारा 1981-82 से 1985-86 की अवधि में निर्धारित लक्ष्यों का ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में 15 एवं 20.6 प्रतिशत एवं इंजनों के सम्बन्ध में 0.5 एवं 41 प्रतिशत के मध्य था । 1986-87 की अवधि में उपलब्धि की प्रतिशतता अधिक थी क्योंकि लक्ष्य कम प्रायोजित किये गये थे । ऐसी ही स्थिति बिक्री के सम्बन्ध में थी । बिक्रियां 1985-86 तक प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य का ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में 11.8 एवं 30 प्रतिशत एवं इंजनों के सम्बन्ध में 2.5 एवं 25.9 प्रतिशत के मध्य थीं । उत्पादन के प्रथम वर्ष में प्राप्त ट्रैक्टरों के मामले में 30 प्रतिशत विक्रय लक्ष्य की उच्चतम उपलब्धि पांचवें वर्ष में नीचे गिरकर 14.1 प्रतिशत हो गयी ।

(ख) इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि देश के ट्रैक्टर उद्योग में ए0 टी0 एल0 का शेयर परियोजना प्रतिवेदन में प्रत्याशित 0.7 से 6.7 प्रतिशत के समक्ष, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार, 1985 तक पांच वर्षों के दौरान कुल विक्रय के 0.06 एवं 1.0 प्रतिशत के मध्य था :

वर्ष	मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार देश में प्रायोजित मांग	देश के समस्त निर्माताओं द्वारा ट्रैक्टरों की कुल बिक्री (संख्या)	कम्पनी द्वारा बिक्री		प्रतिशतता	
			प्रत्याशित	वास्तविक	कुल विक्रय से प्रत्याशित विक्रय की	कुल विक्रय से वास्तविक विक्रय की
1981	69000	*83002	500	48	0.07	0.06
1982	76000	66694	2000	248	2.6	0.37
1983	83000	67096	3500	674	4.2	1.00
1984	90000	80063	5000	469	5.5	0.59
1985	1,00,000	78966	6000	308	6.7	0.39

इसी प्रकार निम्नांकित विवरण के अनुसार 1985 तक पांच वर्षों की अवधि में देश में 30 अश्वशक्ति तक की क्षमता के ट्रैक्टरों के कुल उत्पादन में कम्पनी के शेयर की प्रतिशतता 0.22 एवं 3.32 के मध्य थी :

	वर्ष	(क) (26.25 अश्व शक्ति)	(ख) (25 अश्व शक्ति)	(ग) (18 अश्व शक्ति)	(घ) (28 अश्व शक्ति)	कुल उत्पादन	कम्पनी का शेयर (प्रतिशत)
क. आयशर	1981	14532	3613	3271	48	21364	0.22
ख. एच0 एम0 टी0	1982	12056	5024	2556	360	19996	1.80
ग. स्वराज							
घ. ए0 टी0 एल0	1983	12695	4865	953	636	19150	3.32
	1984	12615	4361	2019	540	19535	2.76
	1985	11569	6008	1312	245	19134	1.28

जैसा कि उल्लिखित आंकड़ों से द्रष्टव्य है, उत्पादनों की कुल मांग के प्रति कम्पनी का योगदान अतिशय नगण्य प्रतिशत का था, इस प्रकार कम्पनी के गठन का उद्देश्य ही विफल हो गया ।

2 ख.5. लागत विश्लेषण एवं आर्थिक व्यवहार्यता

कम्पनी द्वारा निकाले गये आंकड़ों के अनुसार ट्रैक्टरों के विक्रय की इकाई लागत अधिष्ठापित क्षमता के अल्प उपयोग, निम्न कार्यकुशलता एवं भारी नियत व्ययों (ओवर-हेड्स) के कारण 1985-86 तक पांच वर्षों की अवधि में 1.23 लाख रुपये एवं 2.26 लाख रुपये के मध्य थी जिसके समक्ष उसको इसे 1981-82 में 0.51 लाख रुपये, अगस्त 1982 से जनवरी 1985 तक 0.55 लाख रुपये एवं फरवरी 1985 से आज तक (अक्तूबर 1986) 0.61 लाख रुपये की प्रचलित बाजार दर पर बेचना पड़ा । लागतों का तोड़ (ब्रेक-अप) परिशिष्ट 22 में विस्तार के साथ दिया गया है ।

जैसा कि परिशिष्ट से द्रष्टव्य है—

अधिकतम उत्पादन का वर्ष 1983-84 था, जबकि शेष वर्षों में उत्पादन एवं विक्रय अत्यधिक कम थे;

*ट्रैक्टर निर्माता संघ द्वारा संकलित मासिक ट्रैक्टर उद्योग उत्पादन एवं विक्रय प्रतिवेदन के अनुसार आंकड़े ।

कच्चे माल एवं प्रत्यक्ष मजदूरी की लागत 1985-86 की अवधि में विक्रय-मूल्य का 99 प्रतिशत थी;

विक्रय-व्ययों में अत्यधिक वृद्धि—1983-84 में 23.89 लाख रुपयों से 1985-86 में 73.40 लाख रुपयों तक हुई, यद्यपि विक्रय में भारी गिरावट आई;

प्रशासनिक नियत व्ययों में भी वृद्धि हुयी—1983-84 में 53 लाख रुपयों से 1985-86 में 72 लाख रुपयों तक;

उत्पादन में भारी गिरावट के कारण 1984-85 एवं 1985-86 में नियत व्ययों में अचानक तथा अनानुपातिक वृद्धि हुई।

1985-86 के लिये ट्रैक्टरों के लिये कम्पनी द्वारा निर्धारित बिक्रियों की मानक इकाई लागत 0.66 लाख रुपये थी जिसके समक्ष बिक्रियों की वास्तविक इकाई लागत 2.26 लाख रुपये थी जो मानक लागत का 3.4 गुना थी।

ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में, 1985-86 के लिए 0.66 लाख रुपये पर बिक्री की मानक लागत निश्चित करने का आधार एवं क्रियाशीलता का स्तर जिसके लिए विविध नियत व्यय तत्व लगाये गये थे, उपलब्ध नहीं थे। इंजनों के सम्बन्ध में इंजन की बिक्रियों की वास्तविक लागत कम्पनी द्वारा युक्तिसंगत रूप से नहीं निकाली गयी जिसके अभाव में तथा विवरणों के अभाव में इंजनों के लिए निश्चित की गयी 0.22 लाख रुपये की मानक लागत का औचित्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह सम्वीक्षा की गयी कि नियत व्ययों का 96.8 प्रतिशत ट्रैक्टरों पर इस सुस्पष्ट प्रक्षेपण के साथ भारित था कि इंजन का उत्पादन लाभकर था; तथापि क्षमता के अवमूल्यांकित कर दिये जाने के सन्दर्भ में इंजनों के लिये भी ब्रेक-इवेन बिन्दु की उपलब्धि व्यवहार्य नहीं थी। उसी आधार पर यह संशयास्पद था कि क्या ट्रैक्टर या इंजन अथवा दोनों का उत्पादन कभी व्यवहार्य होगा।

2 ख. 6. इण्डिजेनाइजेशन कार्यक्रम

परियोजना प्रतिवेदन (सितम्बर 1977) में यू0 के0 की एक फर्म से आयातित, पूर्णतया खोले गये गट्ठों (नाक्ड डाउन पैक्स) से 500 ट्रैक्टरों का संयोजन तीन चरणों में प्रथम वर्ष में 36.3 से 53.00 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 77.1 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 100 प्रतिशत इण्डिजेनाइजेशन की उपलब्धि आयोजित थी। तथापि कम्पनी के प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये (मई 1980) विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन में उत्पादन के द्वितीय वर्ष के बाद अर्थात् 1982-83 के पश्चात् शत प्रतिशत इण्डिजेनाइजेशन संकल्पित था।

निम्नांकित तालिका कम्पनी द्वारा 1981-82 (उत्पादन के प्रथम वर्ष) से 1985-86 तक प्राप्त इण्डिजेनाइजेशन की प्रगति दर्शाती है :

वर्ष	उपभुक्त भण्डारों का मूल्य			कुल उपभुक्त भण्डारों से देशज भण्डारों की प्रतिशतता
	आयातित	देशज (लाख रुपयों में)	योग	
1981-82	127.79	36.95	164.74	22
1982-83	85.83	144.31	230.14	63
1983-84	99.72	266.71	366.45	73
1984-85	77.59	202.38	279.97	72
1985-86	76.84	223.85	300.61	74

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1985) कि इण्डिजेनाइजेशन में विलम्ब अवस्थिति की प्रतिकूलता, ठोस संगठनात्मक आधार एवं प्राविधिक अनुभव-दोनों का अभाव, परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब, कम्पनी की हीन विपणन क्षमता एवं अनुभव के अभाव के फलस्वरूप अनेक घटकों का विलम्बित विकास, जटिल रुपांकन पैरामीटरों से होने वाली दृढ़ सहनशीलता एवं कठोर सामग्री विशिष्टियां और सहयोगियों से रेखांकनों की अनुपलब्धता कारण थीं।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(क) प्रतिरूप (पैटर्न) का विकास एवं सिलेण्डर हेड तथा सिलेण्डर ब्लाक कास्टिंगों का क्रय

ट्रैक्टरों एवं इंजनों के लिये दो महत्वपूर्ण संघटकों (कम्पोनेण्ट्स) सिलेण्डर हेड तथा सिलेण्डर ब्लाक की आपूर्ति के देशज स्रोत को विकसित करने की दृष्टि से, कम्पनी ने, खुली निविदायें आमंत्रित किये बिना अथवा निर्माण की इस दिशा में अन्य ख्यातिलब्ध फर्मों से सम्पर्क किये बिना 26.84 लाख रुपये मूल्य के धन बिक्री कर के प्रत्येक संघटक (कम्पोनेण्ट) के 2500 निक्षेपणों (कास्टिंग) की आपूर्ति के लिये दिसम्बर 1979 में नई दिल्ली की फर्म 'क' को एक आदेश दिया। 25 किलोग्राम के सिलेण्डर हेड कास्टिंग के लिये प्रति इकाई दर निर्माण-बाहर 337.50 रुपये (13.50 रुपये प्रति किग्रा0) एवं प्रत्येक 64 किग्रा0 भार वाले सिलेण्डर ब्लाक कास्टिंग की निर्माण बाहर दर 736 रुपये (11.50 रुपये प्रति किग्रा0) थी। तदन्तर जनवरी 1980 में, प्रति इकाई दरें बढ़कर 490 रुपये प्रति सिलेण्डर हेड (17.50 रुपये प्रति किग्रा0) एवं सिलेण्डर ब्लाक के लिये प्रति इकाई 1054 रुपये (15.50 रुपये प्रति किग्रा0) हो गई। उल्लिखित संघटकों के निर्माण के संस्थापनार्थ प्रतिरूप के रुपांकन (डिजाइन) एवं विकास के प्रति आपूर्तिकर्ताओं को 13 लाख रुपयों के अग्रिम का भुगतान भी किया गया।

प्रत्येक संघटक के लिये प्रतिरूपों (पैटर्न्स) से 20,000 निक्षेपणों (कास्टिंग) का उत्पादन अनुमानित था और उन्हें कम्पनी की सम्पत्ति बनना था परन्तु आपूर्तिकर्ताओं की अभिरक्षा (कस्टडी) में रहना था। तथापि कम्पनी के हित की सुरक्षा के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ कोई भी औपचारिक अनुबन्ध नहीं किया गया। आदेश में सहज

एवं निर्बाध उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए चरण-बद्ध आपूर्ति भी अनुबन्धित नहीं थी । तथापि, प्रतिदर्श प्रक्षेपणों (सैम्पल कास्टिंग) की आपूर्ति 16-18 मासों के अंदर (अर्थात् मई 1980 तक) की जानी थी एवं वाणिज्यिक आपूर्तियां प्रतिदर्शों के अनुमोदन के 5 से 6 सप्ताहों के पश्चात् जुलाई 1980 में प्रारम्भ होनी थीं ।

आपूर्ति के प्रारम्भ होने में 2 वर्षों के विलम्ब के पश्चात्, जुलाई 1985 तक की कुल आपूर्तियां शीर्षों (हेड्स) के सम्बन्ध में 2109 एवं ब्लाकों के सम्बन्ध में 2952 थीं ।

चूंकि प्रथम दो वर्षों के दौरान आपूर्ति अल्प थी तथा अगस्त 1983 तक कम्पनी को मात्र 131 शीर्ष निक्षेपणों (हेड कास्टिंग्स) एवं 131 ढांचा निक्षेपणों (ब्लाक कास्टिंग) की आपूर्ति की गयी थी, अतः कम्पनी ने अगस्त 1983 में अत्यन्त उच्चतर दरों पर 490 रुपये प्रति इकाई देशज अमशीनीकृत निक्षेपण (इन्डाइजेनस अनमशीण्ड कास्टिंग) की औसत लागत के समक्ष 2323 रुपयों की दर पर सिलेण्डर शीर्षों तथा 1054 रुपये प्रति इकाई के समक्ष 5466 रुपये प्रति इकाई की दर पर सिलेण्डर ब्लाक—अमशीनीकृत देशजों (अनमशीण्ड इण्डाइजेनस वन्स) के लिए मशीनीकृत स्थिति के हेडों/ब्लाकों के 1000 सेट आयातित करने का निर्णय लिया । तथापि आयातित इकाइयां जनवरी से मार्च 1985 की अवधि में प्राप्त हुई एवं उनमें 62.45 लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय निहित था ।

(ख) कम्पनी ने मद्रास की एक फर्म को सिलेण्डर ब्लाकों और हेडों प्रत्येक के 2000 निक्षेपणों (मूल्य : 25.66 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिये एक दूसरा आदेश दिया । नवम्बर 1984 से प्रारम्भ होने के लिये अनुबन्धित आपूर्तियों के समक्ष, फर्म ने केवल 8 अदद सिलेण्डर हेड कास्टिंग की नमूनों के रूप में आपूर्ति की (नवम्बर 1986) जो अस्वीकृत कर दिये गये एवं अप्रैल 1987 तक नमूनों के रूप में 21 को सम्मिलित करते हुए 75 अदद सिलेण्डर ब्लाक कास्टिंग की आपूर्ति की जिसके फलस्वरूप इण्डिजेनाइजेशन प्रक्रिया में विलम्ब हुआ । आदेश में दण्डात्मक उपवाक्य के अभाव में कम्पनी आपूर्तिकर्त्ता के प्रति कोई कार्यवाही नहीं कर सकी ।

2ख.7. **मशीन उपयोगिता**

भारी एवं लघु मशीनशालायें बाहरी पार्टियों से प्राप्त ट्रैक्टरों/इंजनों और कार्यों में प्रयुक्त संघटकों (कम्पोनेण्ट्स) एवं अन्य पुर्जों (पार्ट्स) से मशीन तैयार करने का कार्य करती हैं । भारी मशीनशालाओं के सम्बन्ध में अप्रैल 1985 तक एवं लघु मशीनशालाओं के सम्बन्ध में मई 1984 तक मशीन उपयोगिता के आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया । भारी मशीनशाला के सम्बन्ध में औसत मशीन कार्यक्षमता मई 1985 से अगस्त 1986 तक की अवधि में 22.2 एवं 33.3 प्रतिशत के मध्य थी । इसी प्रकार लघु मशीनशाला से सम्बन्धित औसत मशीन कार्य-क्षमता जून 1984 से अगस्त 1986 की अवधि में 22.2 से 40.0 प्रतिशत के मध्य थी ।

अप्रैल 1985 से अगस्त 1986 की अवधि में निम्न मशीन उपयोगिता के कारणभूत घटकों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि निम्न मशीन उपयोगिता निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री-अभाव के कारण थी :

	भारी मशीनशाला		लघु मशीनशाला	
	व्यर्थ चले गये मशीन घंटे (लाखों में)	प्रति-शतता	व्यर्थ चले गये मशीन घंटे (लाखों में)	प्रति-शतता
(क) सामग्री की अनुपलब्धता	0.87	58.0	0.55	57.9
(ख) अनुपस्थिति	0.34	22.7	0.13	13.7
(ग) उपकरणों का अभाव	0.11	7.3	0.07	7.4
(घ) यंत्र-खराबी	0.08	5.3	0.09	9.5
(ङ) अन्य	0.10	6.7	0.11	11.5
योग ..	1.50		0.95	

कम्पनी ने सामग्री की कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया और न ही मशीनरी के निष्क्रिय व्यर्थ जाने वाले घंटों को बचाने के लिये आवश्यक कदम ही उठाये ।

2ख.8. **जनशक्ति**

सितम्बर 1977 के व्यवहार्यता (फीजिबिलिटी, प्रतिवेदन के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन के पांचवें वर्ष अर्थात् 1981-82 में स्टाफ की आवश्यकता 80 प्रतिशत (इष्टतम) क्षमता उपयोग (5000 ट्रैक्टर और 1500 इंजन) पर 1108 थी । तथापि जनशक्ति की आव-श्यकता वाणिज्यिक उत्पादन के पांचवें वर्ष अर्थात् 1985-86 में संकल्पित 80% इष्टतम उत्पादन (6000 ट्रैक्टर एवं 2000 इंजन) हेतु मार्च 1981 में परिषद् द्वारा अनु-मोदित (मई 1981 में आई0 डी0 बी0 आई0 द्वारा मूल्यांकित) समष्टि योजना (कार्पोरेट प्लान) में बढ़ाकर 1260 कर दी गयी ।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित अभ्युक्तियां प्रस्तुत की जाती हैं :

(क) प्रायोजित इष्टतम उत्पादन वर्ष (1985-86 एवं 1986-87) के दौरान 2100 समान इकाइयों हेतु समष्टि योजना में निर्धारित प्रतिमानों की तुलना में 700 एवं 653 समान इकाइयों के वास्तविक उत्पादन के आधार पर अधिक स्टाफ क्रमशः 191 और 262 आया जिसमें निम्नांकित वर्गों के स्टाफ में वेतन एवं भत्तों के लिये 47.97 लाख रुपयों का व्यय निहित था :

	श्रेणी	प्रतिमानों के अनुसार जनशक्ति	1985-86 वास्तविक जनशक्ति	अधिकता	1986-87 वास्तविक जनशक्ति	अधिकता	वेतन एवं भत्तों पर व्यय 1985-86 (लाख रुपयों में)	1986-87
1.	अधिशासी एवं प्रबन्धीय	17	31	14	29	12	5.67	4.86
2.	अधिकारीगण	78	94	16	105	27	2.86	4.83
3.	लिपिक-वर्गीय	92	100	8	131	39	0.56	2.73
4.	प्राविधिक	187	133	—	315	128	—	10.54
5.	श्रमिक	458	563	105	401	—	8.64	—
6.	अकुशल श्रमिक	98	146	48	154	56	3.36	3.92
	योग ..	930	1,067	191	1,135	262	21.09	26.88

(ख) नियमित जनशक्ति के अतिरिक्त, इन वर्षों की अवधि में एप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 के अधीन नियुक्त 194 एवं 206 श्रमिकों के अलावा 1985-86 एवं 1986-87 में (वेतन पर क्रमशः 3.15 लाख रुपये एवं 4.51 लाख रुपये के वार्षिक आपात पर) 60 अनियत (कैजुअल) श्रमिक नियुक्त किये गये थे ।

(ग) एप्रेंटिसशिप अवधि की समाप्ति के बाद भी कम्पनी द्वारा 131 एप्रेंटिस रोक रखे गये थे जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे । वर्तमान नियमित स्टाफ एप्रेंटिसों को रोक रखने का औचित्य सिद्ध करने हेतु उत्पादनों के प्राप्त स्तर की तुलना में उच्चतर दिशा में अत्यधिक था ।

(घ) मार्च 1987 की समाप्ति पर कम्पनी ने 206 एप्रेण्टिसों में से 176 को अप्रैल 1987 तक आत्मसात् कर लिया यद्यपि वर्तमान नियमित जनशक्ति आवश्यकता से बहुत अधिक थी ।

2ख.9. श्रम उत्पादकता तथा कार्यक्षमता

निम्नांकित तालिका जून 1984 से अक्टूबर 1986 तक की अवधि हेतु लघु मशीनशाला एवं मई 1985 से दिसम्बर 1986 की अवधि हेतु भारी मशीनशाला के सम्बन्ध में श्रम दक्षता और श्रम की सम्पूर्ण उत्पादकता के साथ-साथ कुल उपलब्ध, उपयोजित एवं व्यर्थ चली गयी जनशक्ति को संक्षेप में प्रस्तुत करती है (इन अवधियों से पूर्व तथा बाद की सूचना का रखरखाव कम्पनी द्वारा नहीं किया गया ।)

		लघु मशीनशाला 1984-85 (6/84 से 3/85)	1985-86	1986-87 (4/86 से 10/86)	भारी मशीनशाला 1985-86 (5/85 से 3/86)	1986-87 (4/86 से 12/86)
				(लाख घण्टों में)		
1.	कुल उपलब्ध जन घण्टे	1.44	1.90	1.01	1.69	1.53
2.	योजनागत उत्पादन के लिये उपयोजित जन घंटे	0.84	0.89	0.42	0.91	0.61
3.	अयोजनागत उत्पादन के लिये उपयोजित जन घंटे	0.41	0.71	0.41	0.28	0.41
4.	व्यर्थ चले गये जन घंटे	0.19	0.30	0.19	0.49	0.51
5.	उत्पादन के मानक घण्टे	0.34	0.27	0.15	0.28	0.16
					(प्रतिशत)	
6.	*श्रमिक कार्यक्षमता	41	30	35	31	27
7.	**श्रमिक की समग्र उत्पादकता	24	14	14	16	11
8.	निम्न की प्रतिशतता					
	(क) कुल उपलब्ध घण्टों से योजनागत उत्पादन के लिये प्रयुक्त घण्टे	59	47	41	54	40
	(ख) कुल उपलब्ध घण्टों से अयोजनागत उत्पादन में प्रयुक्त घण्टे	28	37	40	17	27
	(ग) कुल उपलब्ध घण्टों से व्यर्थ चले गये घण्टे	13	16	19	29	33

टिप्पणी—*श्रमिक कार्य क्षमता योजनागत उत्पादन हेतु प्रयुक्त जन घण्टों से उत्पादन के मानक घण्टों की प्रतिशतता दर्शाती है ।

**सम्पूर्ण उत्पादकता-कार्यक्षमता कुल उपलब्ध जन घण्टों से उत्पादन के मानक घण्टों की प्रतिशतता दर्शाती है ।

यह जानकारी रुचिकर थी कि—

—समय की प्रगति के साथ श्रमिक उत्पादकता नीचे गिर गयी ।

—1985-86 की अवधि में उपयोजित 54 प्रतिशत के समक्ष 1986-87 की अवधि में योजनागत उत्पादन के लिये उपलब्ध घण्टों का मात्र 40 प्रतिशत ही उपयोग में लाया गया । उपलब्ध घण्टों का शेष 60 प्रतिशत या तो अनुत्पादक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया गया अथवा सहायक श्रमिकों, सामग्री, उपकरणों की अनुपलब्धता तथा यंत्रों की खराबी के कारण नष्ट हो गया ।

2 ख. 10. **भण्डार-सूची नियंत्रण**

निम्नांकित तालिका 1985-86 तक 5 वर्षों की समाप्ति पर कच्चे माल एवं उत्पादन-भण्डार, प्रगतिगत कार्य एवं तैयार माल का मूल्य प्रदर्शित करती है :

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			(लाख रुपयों में)		
(i) कच्चा माल एवं उत्पादन भण्डार	179·79	243·39	277·72	283·11	290·63
(ii) अनुत्पादक भण्डार	25·39	34·07	32·06	31·65	32·05
(iii) प्रगतिगत कार्य	56·72	50·48	49·20	117·42	101·24
(iv) तैयार भण्डार	3·50	62·09	80·92	156·71	160·85
योग	265·40	390·03	439·90	588·89	584·77
(क) सामग्री की खपत एवं उत्पादन भण्डार	164·74	230·14	366·43	279·97	300·69
(ख) मासिक खपत के समतुल्य मूल्य :					
(i) कच्चा माल एवं उत्पादन भण्डार	13·1	12·7	9·1	12·1	11·6
(ii) उत्पादन मूल्य के प्रति प्रगतिगत कार्य	8·8	2·8	1·4	3·9	3·1

इस सम्बन्ध में निम्न तथ्यों का उल्लेख करना समीचीन होगा :

(क) परियोजना रिपोर्ट में संकल्पित दशेज मदों के प्रकरण में 4 मासों एवं आयातित मदों के प्रकरण में 6 मासों के समतुल्य कच्चे माल एवं उत्पादन भण्डारों की प्रायोजित भण्डारण के समक्ष वास्तविक भण्डारण 9·1 से 13·1 मासों तक की श्रेणी में था ।

(ख) प्रगतिगत कार्य के मामले में परियोजना रिपोर्ट में संकल्पित आधे माह के भण्डारण की तुलना में वास्तविक-भण्डारण 1·4 एवं 8·8 माह के उत्पादन के मध्य की श्रेणी में था ।

(ग) कस्टडी स्टोर्स द्वारा मशीन तैयार करने के निमित्त जनवरी 1982 से सितम्बर 1986 की अवधि में मशीनशाला को निर्गत 4070 देशज एवं 75 आयातित सिलेण्डर ब्लाक कास्टिंगों में से मात्र 3543 कास्टिंगों को लेखे में लिया गया था; 6·35 लाख रुपये मूल्य की 602 कास्टिंगों को लेखे में नहीं लिया गया ।

(घ) मशीन तैयार करने के लिये जनवरी 1982 से सितम्बर 1986 की अवधि में मशीनशाला को निर्गत 3562 देशज एवं 75 आयातित सिलेण्डर हेड कास्टिंगों में से मात्र 3110 कास्टिंगों को लेखे में लिया गया; 2·58 लाख रुपये मूल्य की 527 कास्टिंगों को लेखे में नहीं लिया गया ।

2 ख. 11. **अन्य रुचिकर विषय**

2 ख. 11. 1. **योजक (कनेक्टिंग) राडों की दोषपूर्ण आपूर्ति**

कम्पनी ने सीमित निविदाओं एवं बात-चीत के आधार पर 36 रुपये प्रति निर्माण-बाहर की दर से 10,000 योजक राडों की आपूर्ति हेतु रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी लिमिटेड हैदराबाद का राज्य सरकार का एक उपक्रम, को एक आदेश दिया (मार्च 1981)।

आपूर्ति, कम्पनी द्वारा नमूने के अनुमोदन एवं आपूर्ति-कर्त्ता द्वारा 100 प्रतिशत निरीक्षण के बाद जून 1981 से प्रारम्भ की जानी थी। फर्म ने अप्रैल 1982 से अक्टूबर 1985 की अवधि में 100 प्रतिशत निरीक्षण के बिना 15122 अदद की आपूर्ति की, फलस्वरूप दरके हुए (क्रैक) राडों की आपूर्ति हुई, जिन्हें इंजन/ट्रैक्टरों में प्रयोग किया गया।

अक्टूबर 1984 में परिषद् ने उन असफल इंजनों को जिन्हें पहले ही बेच दिया गया था प्रतिस्थापित करने तथा भण्डार के इंजनों के साथ-साथ राड बदलने के लिये व्यापारियों के पास पड़े हुये इंजनों को विघटित (डिस्मैं-टिल) कर देने का निर्णय लिया। तद्नुसार, 21 इंजनों को प्रतिस्थापित एवं 186 इंजनों को विघटित कर दिया गया।

जुलाई 1984 में आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ सम्पन्न बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि फर्म द्वारा आपूर्त योजक राडों का आपूर्तिकर्त्ता की लागत पर लखनऊ में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड में परीक्षण किया जाय। तद्नुसार, स्कूटर्स इण्डिया लिमि-टेड में सितम्बर 1985 तक 7255 अदद की जांच की गयी (4.20 रुपये प्रति की दर से) और हिन्दुस्तान एअरो-नाटिक्स लिमिटेड में 552 अदद की जांच की गयी (61 रुपये प्रति की दर से) जिनमें 662 योजक राडों को अस्वी-कार कर दिया गया। कम्पनी द्वारा स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स में राडों के परी-क्षण पर 0.64 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी, जिसके समक्ष आपूर्तिकर्त्ता केवल 0.08 लाख रुपये (एक रुपया प्रति अदद) वहन करने को सहमत हो गया (सितम्बर 1984)।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1985) कि आपूर्ति-कर्त्ता एक सरकारी कम्पनी है और मामलों को तय करने में कठिनाई नहीं होगी। यह भी कहा गया कि फर्म ने अस्वीकृत राडों को बदलने के लिये सहमति दे दी है और वर्तमान समय में 100 प्रतिशत निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक (नवम्बर 1986) न तो कोई समझौता किया गया है और न ही दोषपूर्ण 662 राडों (कीमत : 0.25 लाख रुपये) को प्रतिस्थापित किया गया है।

2 ख. 11. 2. **सीमा-शुल्क का परिहार्य भुगतान**

कम्पनी विभिन्न विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर तैयार करने के लिए बहुत से ट्रैक्टर संघटक आयात कर रही थी। अतः भारत सरकार की सितम्बर 1979 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत महानिदेशक प्रावि-धिक विकास (डी0 जी0 टी0 डी0) से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कम्पनी सीमाशुल्क से मुक्ति की अधि-कारी थी जिसके अनुसार सामान्य दरों के स्थान पर जो बहुत ऊंची थीं, लागू सीमा शुल्क की दर 25 प्रतिशत धन 5 प्रतिशत यथामूल्य (एडे वैलोरेम) थी। सितम्बर 1979 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत कम्पनी ने 1981-82 में अपेक्षित रियायती शुल्क प्रमाण-पत्रों के लिये आवेदन दिया, किन्तु महानिदेशक प्राविधिक विकास द्वारा सितम्बर 1980 की एक अन्य विज्ञप्ति, जिसमें सीमा शुल्क की दरें ऊंची थीं (40 प्रतिशत धन 5 प्रतिशत यथामूल्य) मुक्ति प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया। कम्पनी ने प्रमाण-पत्रों को सही कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। इसके परिणाम-स्वरूप मई से सितम्बर 1981 की अवधि में आयात किये गये 8 प्रेषित कन्साइनमेंटों (कीमत : 61.57 लाख रुपये) के संबंध में 19.51 लाख रुपये के सीमाशुल्क का परिहार्य भुगतान किया गया जिसमें 4.93 लाख रुपये के सीमाशुल्क का परिहार्य भुगतान सम्मिलित था। यद्यपि अपे-क्षित मुक्ति प्रमाण-पत्र महानिदेशक प्राविधिक विकास से पहले ही प्राप्त हो चुका था। प्रबन्धकों ने परिहार्य भुगतान के लिये समाशोधन अभिकर्त्ता (क्लियरिंग एजेंट) की चूक/असावधानी को उत्तरदायी ठहराया (नवम्बर 1986) और यह कि अधिक सीमा शुल्क की वापसी के लिए दावे सीमा शुल्क प्राधिकारियों तथा अपील न्यायाधिकरण में अनिर्णीत पड़े हैं।

2 ख. 11. 3. **भण्डारागार प्रभारों तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान**

अगस्त 1984 में 112.75 लाख रुपये सी0 आई0 एफ0 मूल्य के लिये प्राप्त आयात लाइसेंस के अन्तर्गत संघ-टकों (कम्पोनेन्ट्स) की आपूर्ति के लिए कम्पनी ने यू0 के0 की एक फर्म के साथ एक अनुबन्ध किया (दिसम्बर 1983) और तद्नुसार कम्पनी ने सितम्बर 1984 में प्रत्येक 700 सिलेन्डर ब्लाक तथा सिलेन्डर हेड के लिए आदेश दिया। फर्म ने दो कन्साइनमेण्टों में संघटकों की आपूर्ति की, जिसमें से एक, जो मार्च 1985 में प्राप्त हुआ था, बम्बई में अवमुक्त किया गया और उसके बाद फैक्टरी को भेज दिया गया। तथापि जून 1985 में बम्बई में प्राप्त दूसरे कन्साइनमेन्ट को एक साल तक बन्धित भण्डारागार में रखा गया और जून 1986 में फैक्टरी को भेजा गया। कम्पनी ने 53 सप्ताहों के लिए 0.35 लाख रुपये के भण्डारागार प्रभारों तथा सीमाशुल्क (9.95 लाख रुपये) के विलम्बित भुगतान पर 0.94 लाख रुपये के ब्याज का भुगतान किया (जून 1986)। प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1987) कि माल को अपेक्षित निधियों के अभाव में बन्धित भण्डारागार में रखा गया था। प्रबंधकों का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 1985 को कम्पनी के पास लगभग 43.6 लाख रुपये अवशेष थे और उस समय तक यू0 के0 की फर्म द्वारा कन्साइनमेन्ट के प्रेषण तथा सीमा शुल्क सहित माल की अवमुक्ति के लिए निधियों की सम्भावित आवश्यकता से कम्पनी अवगत थी। इस प्रकार, निधि उपयोग की अनु-चित योजना के कारण कम्पनी ने 1.29 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

2 ख. 11. 4. **एक ठेकेदार को अनुचित लाभ**

दिसम्बर 1980 में आमंत्रित खुली निविदाओं के आधार पर, कम्पनी ने फरवरी 1981 में इलाहाबाद की एक फर्म को मूल प्रस्ताव 33.62 लाख रुपये (फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले इस्पात की लागत को सम्मिलित करके) के समक्ष 30.37 लाख रुपयों के समझौता मूल्य

(कम्पनी द्वारा आपूर्त इस्पात की लागत : 3.92 लाख रुपये) और इस्पात के निर्माण, झुकाने और स्थापित करने के लिये (श्रम प्रभार : 0.74 लाख रुपये छोड़कर) तेउंगा श्रम आवास कालोनी में 192 श्रमिक आवास के निर्माण करने का कार्य प्रदान किया । इस प्रकार, समझौते के बाद पुनरीक्षित दरों को अन्तिम रूप प्रदान करने के फलस्वरूप 1.41 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

2ख.11.5. अनियमित भुगतान—0.61 लाख रुपये

अक्टूबर 1982 में एक स्टेट गवर्नमेन्ट अण्डरटेकिंग के साथ विभिन्न फैक्टरी भवन निर्माण हेतु कम्पनी द्वारा निष्पादित अनुबन्ध में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमेन्ट तथा इस्पात के सांविधिक मूल्यों तथा चुंगी शुल्क इत्यादि में वृद्धि के कारण सीमेन्ट की 495 रुपये प्रति टन और इस्पात की 3500 रुपये प्रति टन की मूल दर के ऊपर वृद्धि के भुगतान का प्रावधान था बशर्ते कि क्रय कम्पनी के अनुमोदन पर किये गये हों । सीमेण्ट के मामले में सड़क तथा रेल द्वारा परिवहन लागत में कोई अन्तर भी ग्राह्य था, यदि कम्पनी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो । ठेकेदारों को किये गये भुगतानों की जांच से यह प्रकाश में आया कि यद्यपि सीमेन्ट तथा इस्पात के मूल्यों में कोई भी सांविधिक वृद्धि नहीं हुई तथापि मूल दरों और खुले बाजार में ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट तथा इस्पात के भुगतान किये गये मूल्यों में अन्तर को निरूपित करने वाली लागत में 0.61 लाख रुपयों की वृद्धि की अनुमति दी गई (अक्टूबर 1982) । इस प्रकार वृद्धि की अनुमति अनियमित तथा अमान्य थी, क्योंकि मूल दरों में कोई सांविधिक परिवर्तन नहीं हुआ था ।

2ख.11.6. व्यापारिकता (डीलरशिप) अनुबन्ध

अक्टूबर 1981 में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के उपरान्त, कम्पनी ने अपने उत्पादनों को बेचने के लिये समय-समय पर विक्रेताओं की नियुक्ति की । व्यापारिकता अनुबन्धों के उपवाक्य 13(क) की शर्तों में सुपुर्दगी के समय उत्पादन की लागत का पूर्ण भुगतान अनुबन्धित था । कम्पनी के हित की रक्षा करने के दृष्टिकोण से विक्रेताओं को अपनी कुल मासिक निर्धारित खरीद के मूल्य के पचास प्रतिशत के लिए साख-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था ।

चूंकि अनुबन्ध के इन प्रावधानों का 9 विक्रेताओं के सम्बन्ध में पालन नहीं किया गया, अतः उनके विरुद्ध कुल देय 25.55 लाख रुपये हो गये (मार्च 1986) जो कम्पनी द्वारा अभी तक वसूल नहीं किये गये (मार्च 1987) ।

कानपुर के एक विक्रेता के साथ, जिसके विरुद्ध 3.16 लाख रुपयों का बकाया था, किये गये अनुबन्ध की जांच करने पर निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आईं :

(i) फर्म द्वारा व्यापारिकता आवेदन-पत्र 14 दिसम्बर 1981 को प्रस्तुत किया गया जबकि फर्म का भागिताविलेख (पार्टनरशिप डीड) 7 जून 1982 को पंजीकृत हुआ था जिसके फलस्वरूप एक अस्तित्व-हीन फर्म के साथ अनुबन्ध होने के कारण अनुबन्ध अमान्य हो गया ।

(ii) व्यापारिकता आवेदनपत्र पर एक ऐसे व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था, जो भागिता-विलेख के अनुसार एक साझीदार नहीं था ।

(iii) मार्च 1983 की अवधि तक लेखे के पूर्ण निपटान हेतु प्राप्त 1.42 लाख रुपये की एक चेक के अनादृत हो जाने के बावजूद भी कम्पनी ने उधार बिक्रियां जारी रखीं जिसके फलस्वरूप भारी बकाये संचित हो गये ।

(iv) व्यापारी से प्राप्यों को भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु जिला मजिस्ट्रेट कानपुर को दिसम्बर 1985 में जारी किया गया वसूली प्रमाण-पत्र इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि न तो दिये गये पते पर व्यक्ति का पता चल सका और न ही प्रेषिती की कोई जायदाद थी ।

2ख.11.7. समाश्वासन दावे (वारण्टी क्लेम्स)

जिस तिथि को एक नया ट्रैक्टर/इंजन क्रेता को बेचा जाता है उस तिथि से ट्रैक्टर के संबंध में 12 कैलेण्डर महीने अथवा 1000 घंटे तथा इंजन के संबंध में 6 महीने अथवा 16000 घंटे, जो भी पहिले हो, के अन्दर यदि दोषपूर्ण सामग्री और/या शिल्प (वर्कमैनशिप) के कारण कोई क्षति रिपोर्ट की जाती है तो कम्पनी उस क्षति को पूरा करने का समाश्वासन (वारण्टी) देती है । खरीदी गयी मदों के संबंध में दोषपूर्ण सामग्री के समाश्वासन दावे विक्रेता के खाते में डाल दिये जाते हैं और अवशेष कम्पनी के लेखे में । अभिलेखों की जांच करने पर यह पता चला कि 1985-86 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान स्वीकार किये गये समाश्वासन दावे की कुल धनराशि 42.48 लाख रुपये थी (विक्रेता खाते नामे डाले गये : 7.11 लाख रुपये और कम्पनी द्वारा सहन किया गया : 35.37 लाख रुपये) । निम्नांकित सारणी 1985-86 तक तीन वर्षों की अवधि में स्वीकार किये गये, विक्रेता तथा कम्पनी के लेखे में नामे डाले गये समाश्वासन दावे की स्थिति प्रकट करती है :

वर्ष	विक्रय	स्वीकार किये गये दावे	विक्रेता के लेखे के दावे	कम्पनी के लेखे के दावे	बिक्रियों से स्वीकृत दावे की प्रतिशतता	कुल स्वीकृत दावे में कम्पनी के लेखे में दावों का हिस्सा
		(लाख रुपयों में)				(प्रतिशत)
1983-84	387·05	9·94	2·87	7·07	2·6	71·1
1984-85	276·93	17·59	3·98	13·61	6·4	77·4
1985-86	362·03	14·95	0·26	14·69	4·1	98·3
		42·48	7·11	35·37		

1983-84 में 2·6 प्रतिशत के समक्ष 1985-86 में कम्पनी द्वारा स्वीकार किये गये समाश्वासन दावों का मूल्य टर्नओवर का 4·1 प्रतिशत निरूपित करता है और कुल स्वीकार किये गये दावों में कम्पनी के लेखे में दावों का हिस्सा 1983-84 में 71·1 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 98·3 प्रतिशत (38·3 प्रतिशत वृद्धि निरूपित करते हुए) हो गया ।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि अधिकतम उत्पादन/विक्रय के वर्ष अर्थात् 1983-84 में दावों में कम्पनी का हिस्सा मात्र 7·07 लाख रुपये था जबकि यह 1984-85 में बढ़कर 13·61 लाख रुपये तथा 1985-86 में और बढ़कर 14·69 लाख रुपये हो गया जबकि इन वर्षों में उत्पादन/बिक्रियां बहुत ही कम थीं ।

समाश्वासन दावों की सीमा इसके उत्पादनों की घटिया शिल्पकर्म की सूचक थी । कम्पनी ने गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई उपयुक्त प्रतिकारक उपाय नहीं किये जिससे कम्पनी के विरुद्ध समाश्वासन दावों का आपात कम हो ।

2 ख·12· समाहार

(1) कम्पनी को कोई व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किये बिना और/या परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता (वायबिलिटी) का निश्चय किये बिना प्राइवेट सेक्टर से अधिग्रहीत किया गया । अधिग्रहण के समय कम्पनी की की देयतायें इसकी परिसम्पत्तियों से 5·70 लाख रुपये अधिक थीं ।

(2) अधिग्रहण के समय सरकार ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया कि प्राइवेट प्रवर्तक ने प्रतापगढ़ में फैक्टरी स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस का उपयोग करना लाभप्रद क्यों नहीं समझा ।

(3) उत्पादन प्रारम्भ करते समय अनुमानित परियोजना लागत 13·38 करोड़ रुपये से बढ़कर 18·86 करोड़ रुपये हो गई (मई 1981 में) ।

(4) कम्पनी ने वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर 1981 में आरम्भ किया और 1983-84 में परिषद् के अनुमोदन के बिना संस्थापित क्षमता घटा दी गई ।

(5) 1985-86 के अन्त में संचित हानियां कुल मिलाकर 23·92 करोड़ रुपये हो गयीं जो प्रदत्त पूंजी के तीन गुने से अधिक थीं ।

(6) उत्पादन प्रारम्भ होने के समय से ही कम्पनी में कम उत्पादकता तथा ऊंची लागतें निरन्तर बनी रहीं जिसके कारण भारी हानियां हुयीं ।

(7) 1985 तक 5 वर्षों के दौरान देश के सम्पूर्ण उत्पादन/बिक्रियों में कम्पनी का शेयर बहुत ही नगण्य था (0·1 प्रतिशत से 1·0 प्रतिशत) ।

(8) फरवरी 1987 के अन्त तक कम्पनी की नकद हानियां कुल मिलाकर 22·04 करोड़ रुपये थीं जिसके समक्ष राज्य सरकार ने मार्च 1987 तक ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 5·33 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की, यद्यपि सरकार परिचालन के प्रारम्भिक तीन वर्षों में व्यय किये गये 7·72 करोड़ रुपयों का ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी ।

(9) कम्पनी ने ब्रेक-इवेन से संस्थापित क्षमता का 93 प्रतिशत उपयोग निर्धारित किया जो 1982-83 में संस्थापित क्षमताओं को लगभग 55 प्रतिशत घटा देने की दृष्टि से अव्यवहारिक हो गया ।

(10) प्रबन्धकों ने उत्पादन में गिरावट तथा उसके परिणामस्वरूप निरन्तर हानियों के लिये स्थानीय असुविधा, असहयोगी प्रौद्योगिक सहयोग अनुबन्ध, भारतीय परिस्थितियों से असम्बद्ध ट्रैक्टर की डिजाइन, भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य के मूल में ऊंचे अव्यावहारिक अनुमानों, जो ट्रैक्टर उद्योग के वर्धन की सामान्य प्रवृत्ति की अवमानना करके अत्यधिक महत्वाकांक्षी उत्पादन योजना पर आधारित थे, को कारण ठहराया जिससे अन्तिम रूप से यह सिद्ध हो गया कि परियोजना पर प्रारम्भ से ही अनुचित रूप से विचार किया गया था ।

खण्ड २ ग

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

2ग.1. प्रस्तावना

2.ग.1.1. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान की प्रोन्नति के उद्देश्य से 25 मार्च 1975 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था।

2ग.1.2. उद्देश्य

कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

(i) राज्य में अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के कार्य की प्रोन्नति, सहायता, सहयोग, व्यवस्था, वित्तीय पोषण एवं विकास करना।

(ii) किसी प्रतिष्ठान, उपक्रम अथवा उद्यम को, जो कम्पनी के विचार से अनुसूचित जातियों के विकास को सुविधाजनक बनाने अथवा उसकी गति को तीव्र करने के लिए संभावित है, वित्तीय, तकनीकी, प्रबन्धीय, विपणन, विकास अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

(iii) अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों को, जो व्यापार अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहते हैं, उन्हें आसान शर्तों पर किराया क्रय/किस्तों पर प्राप्त करने लिए नकद अथवा वस्तु के रूप में ऋण प्रदान करना, गारन्टी अथवा जमानत लेना अथवा सहायता प्रदान करना।

(iv)आसान शर्तों पर ऋण (ब्याज मुक्त अथवा अन्यथा) देना, आर्थिक सहायता संस्वीकृत करना तथा अन्य ऋणों पर ब्याज की ऊंची दर पूरी करना, इत्यादि।

2ग.1.3. संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबन्ध, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सत्रह पूर्णकालिक निदेशकों सहित (केन्द्रीय सरकार के दो मनोनीत सदस्यों को सम्मिलित करके) निदेशकों की एक परिषद् में निहित है। प्रबंध निदेशक जनवरी 1981 से हरिजन एवं सामाजिक कल्याण विभाग में अपर निदेशक का पदेन प्रभार भी ग्रहण किये हुए थे। कम्पनी के पास 57 जिला कार्यालय थे, जिनके अध्यक्ष सरकार के हरिजन समाज कल्याण विभाग के अपर जिला विकास अधिकारी थे। कम्पनी के पास जनवरी 1985 से कोई अर्हता प्राप्त कम्पनी सचिव नहीं था।

2ग.1.4. कम्पनी द्वारा वर्तमान में हाथ में लिये गये मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत् हैं।

(i) प्रत्यक्ष ऋण भुगतान ब्याज की अन्तरीय दर के अधीन ऋण योजना :

(क) वस्त्र वितरण योजना

(ख) व्यापार एवं टाइपराइटर क्रय योजना।

(ii) स्वतः सेवायोजन योजनायें (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत) :

(क) अनुदानों से सम्बद्ध/असम्बद्ध सीमान्त मुद्रा ऋण (मार्जिन मनी लोन)

(ख) पूरक अनुदान योजना

(ग) शहरी क्षेत्रों में दुकानों का निर्माण

(घ) टंकण एवं आशुलेखन केन्द्रों की स्थापना।

(iii) चर्मकला विकास केन्द्र की स्थापना

(iv) राज्य अनुदान योजनायें।

2ग.1.5. 185.50 लाख की आबादी में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित 40 लाख परिवार (1971 की जनगणना के अनुसार) थे। छठवीं योजना की अवधि में (1980-85), इन परिवारों में से 15 लाख को 3.42 लाख को कम्पनी द्वारा और शेष को अन्य अभिकरणों द्वारा आवृत्त करने का लक्ष्य था। तथापि, इस चरण में आवृत्त सम्मिलित करने हेतु परिवारों का चयन करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये।

निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की पहचान करने के निमित्त राज्य सरकार ने कम्पनी के अधीन 11.15 लाख रुपये (3.15 लाख रुपये नवम्बर 1982 में और 8.00 लाख रुपये नवम्बर 1984 में) की राशि प्रदान किया और 31 मार्च 1985 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण को पूर्ण करने का निदेश दिया (नवम्बर 1984)। तथापि कम्पनी मार्च 1986 के अन्त तक राज्य के नगर क्षेत्रों में 681 कस्बों में से मात्र 586 के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर सकी। सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 28.48 लाख परिवारों तथा नगर क्षेत्रों में 3.30 लाख परिवारों को निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों के रूप में पहचाना गया जिनमें से 28 प्रतिशत परिवारों (8.93 लाख) ने मार्च 1986 तक कम्पनी के कार्यों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त किया था और कुल निधियों का 95 प्रतिशत निरूपित करने वाली 9685.70 लाख रुपयों की धनराशि सीमान्त मुद्रा ऋण एवं विभिन्न अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गई थी।

2 ग. 1. 6. निधियों के स्रोत

(क) पूंजी संरचना

कम्पनी 5 लाख रुपयों की प्राधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत की गयी थी जो समय-समय पर बढ़कर 31 मार्च 1986 को 10 करोड़ रुपये हो गई । 31 मार्च 1986 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 761.44 लाख रुपये थी जो पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त की गयी थी (383.48 लाख रुपये राज्य सरकार की निधियों से और 377.96 लाख रुपये अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों हेतु केन्द्र पोषित सहायता योजनाओं के अधीन केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों में से) ।

(ख) अनुदान

कम्पनी अपने दिन प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने एवं अन्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर रही थी । 1981-82 से 1985-86 वर्षों के दौरान, कम्पनी ने प्रशासनिक व्ययों (116.95 लाख रुपये) एवं अन्य विकास योजनाओं (441.05 लाख रुपये) के प्रति कुल मिलाकर 558.00 लाख रुपयों के अनुदान प्राप्त किये, जब कि 31 मार्च 1986 तक कम्पनी द्वारा किया गया व्यय 730.28 लाख रुपये था । प्राप्त प्रशासनिक अनुदान से अधिक किये गए व्यय को पूंजी (120.07 लाख रुपये) और अन्य अनुदानों (52.21 लाख रुपये) से पूरा किया गया था । राज्य सरकार ने 1985-86 के लिए 56.64 लाख रुपयों के प्रशासनिक अनुदान को विमुक्त करते समय इस बात पर जोर दिया था (सितम्बर 1985) कि यह इससे पूर्व वर्षों में संस्वीकृतियों से अधिक किये गये प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी ।

2ग. 1.7. निधियों का उपयोग

निम्नांकित सारणी 1980-81 से 1984-85 के पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के समापन पर अनुपयोजित अवशेषों एवं निवेशों की स्थिति सूचित करती है :

वर्ष	वर्ष के समापन पर अव्ययित अवशेष: हस्त रोकड़	नियत जमा निधियों में	बचत बैंक खाते में	बैंक के चालू लेखा में	व्यक्तिगत लेजर खाता में	डाकघर बचत खाते में	योग
	(लाख रुपयों में)						
1980-81	0.32	64.90	984.72	0.02	484.91	51.17	1586.04
1981-82	37.44	12.06	834.76	0.02	941.54	81.63	1907.50
1982-83	2.42	—	596.08	3.84	722.87	17.33	1342.54
1983-84	2.55	—	637.62	4.02	745.73	18.24	1408.16
1984-85	4.66	—	579.94	4.02	203.24	2.93	794.79

(क) यह देखा गया कि कम्पनी ने निधियों की आवश्यकता का उपयुक्त निर्धारण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अनुपयोजित निधियों के भारी बकायों को स्थायी जमा-निधियों, व्यक्तिगत लेजर खाता/डाकघर बचत बैंक लेखा आदि में लम्बी अवधि तक पड़े रहने दिया गया ।

(ख) अव्ययित अवशेषों में, व्यक्तिगत लेजर लेखा में जमा के रूप में रखे गये, वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक प्रत्येक वर्ष के समापन पर 203.24 लाख रुपयों से 590.95 लाख रुपयों की सीमा तक अनुपयोजित शेयर पूंजी एवं बचत बैंक लेखा में रखे गये 1984-85 के अन्त में 281.47 लाख रुपये शामिल थे, यद्यपि योजना, अर्थात्, अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को सीमान्त मुद्रा (मार्जिन मनी) जिनके निमित्त भारत सरकार ने उपर्युक्त धनराशि का योगदान किया था, धनराशियों को जमा-निधियों में रखने की अनुमति नहीं दी ।

(ग) इसके अतिरिक्त, 1979-80 से 1983-84 की अवधि में राज्य सरकार से प्राप्त (i) ब्याज अनुदान (ii) दुकानों के निर्माण हेतु अनुदान (iii) टेलीफोन संस्थापनों हेतु अनुदान से समाविष्ट 74.92 लाख रुपये भी विभिन्न जमा निधि लेखे में अनुपयोजित पड़े हुए थे (मार्च 1986) ।

प्रबन्धकों ने उपर्युक्त (i) पर उल्लिखित अनुदान के अनुपयोजन का कारण बैंक ऋण हेतु राज्य सरकार से गारण्टी की अप्राप्ति बताया (फरवरी 1987) । उपर्युक्त (ii) एवं (iii) की मदों के सम्बन्ध में, प्रबन्धकों ने निवेदन किया कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने तक ठेकेदारों को पहले भुगतान किये गये अग्रिमों के लेखाबद्ध न होने के कारण अनुदान उपयोजित प्रदर्शित नहीं किये गये ।

(घ) कम्पनी ने कम्पनी के व्यक्तिगत लेजर लेखे से धनराशियों के आहरण द्वारा नियत जमा-निधियों एवं बैंकों के बचत लेखे में अनुदानों एवं अंश पूंजी के अनुपयोजित अवशेषों को समय-समय पर निवेशित भी किया था, यद्यपि सरकार द्वारा वैयक्तिक खाता लेखों से ऐसे आहरणों का निषेध किया गया था (अप्रैल 1979) । इसके अतिरिक्त, कम्पनी की इकाइयों ने भी 1980-81 से 1984-85 के दौरान अनुदानों के अव्ययित अवशेषों को समय-समय पर डाकघर बचत बैंक खातों में 2.93 लाख रुपयों से 51.17 लाख रुपयों की सीमा तक जमा किया ।

(ङ) राज्य सरकार ने कम्पनी को जुलाई 1983 में वर्ष 1983-84 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के निमित्त स्वयं सेवायोजन योजना के अन्तर्गत वितरण हेतु 7.50 करोड़ रुपयों का अनुदान संस्वीकृत किया । यह संकल्पित किया

गया था कि 2.98 करोड़ रुपये कम्पनी के वैयक्तिक खाता लेखे में जमा की जाने वाली निधियों से और शेष 4.52 करोड़ रुपये 1983-84 के आय-व्ययक (बजट) से कोषागार से जिला अधिकारियों द्वारा आहृत निधियों से पूरा किया जायेगा। किन्तु उपर्युक्त (4.52 करोड़ रुपये) के समक्ष इकाइयों के जिला प्रबन्धकों ने, जो सरकार के जिला अधिकारी भी थे, राजकोष से 5.93 करोड़ रुपये आहृत कर लिया था, फलतः 1.41 करोड़ रुपयों का अधिक आहरण हुआ। फरवरी 1986 में राज्य सरकार के एक निर्देश के अनुसरण में, जुलाई 1986 में राजकोष में 7 इकाइयों के सम्बन्ध में 0.35 करोड़ रुपयों की धनराशि कोषागार में जुलाई 1986 में जमा की गई थी और 1.06 करोड़ रुपये की शेष धनराशि राजकीय में कम्पनी के वैयक्तिक लेखा खाते में वापसी हेतु पड़ी हुयी थी (फरवरी 1987)।

(च) इसी प्रकार, क्रमशः फरवरी 1984 एवं मार्च 1984 में आवंटित 50.27 लाख रुपयों के कृषि उद्यान अनुदान एवं 80.51 लाख रुपयों के कुटीर उद्योग अनुदान के समक्ष कम्पनी ने राजकोष से क्रमशः 51.98 लाख रुपये एवं 83.00 लाख रुपये का आहरण किया, फलतः 4.20 लाख रुपयों का अधिक आहरण हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1987) कि अधिक आहरण शासन के अनुदेशों के स्पष्ट न होने के कारण घटित हुआ। तथापि अधिक आहरण की वापसी प्रतीक्षित थी (फरवरी 1987)।

2ग.1.8. वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

कम्पनी ने केवल 1983-84 तक अपने वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिया था और वर्ष 1984-85 हेतु अनन्तिम लेखे तैयार किये थे (फरवरी 1987)। 1984-85 तक चार वर्षों के अन्त में कम्पनी की वित्तीय स्थिति और 1984-85 तक चार वर्षों हेतु कार्यचालन परिणाम परिशिष्ट 23 एवं 24 में दिये गये हैं।

1984-85 तक 4 वर्षों के कार्यचालन परिणाम संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:

विवरण	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
		(लाख रुपयों में)		अनन्तिम
1. आय	10.87	23.36	36.26	27.89
2. व्यय	5.58	7.33	9.58	13.34
3. अधिशेष	5.29	16.03	26.68	14.55
4. संचित लाभ (+)/ हानि (−)	(−)4.49	(+)11.07	(+)37.75	(+)52.30

कम्पनी का लाभ मुख्यतया सीमान्त मुद्रा ऋणों (मार्जिन मनी लोन्स) पर अर्जित ब्याज से प्राप्त हुआ था, कम्पनी पर ब्याज का कोई भार नहीं रहा।

2ग.2. योजनाओं का कार्यान्वियन

2ग.2.1 ब्याज की अन्तरीय दर योजना (डिफरेंशियल रेट) के अंतर्गत ऋण

कम्पनी ने दो योजनायें अर्थात् वस्त्र वितरण योजना (नवम्बर 1977) और व्यापार और टाइपराइटर क्रय योजना (दिसम्बर 1978) हाथ में ली थीं। इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों हेतु क्रमशः 2000 रुपये और 3000 रुपये वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के उन सदस्यों को, जो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, ऋण वितरित किया जाना था। इन योजनाओं के कार्यान्वियन पर नीचे चर्चा की जाती है:

(क) वस्त्र वितरण योजना

कम्पनी द्वारा एन0 टी0 सी0 मिल्स कानपुर से 1977-78 से 1979-80 की अवधि में 54 लाख रुपये की कीमत के कपड़े का फुटकर व्यापार करने वाले लाभार्थियों को ऋण आधार पर तथा नकद बिक्री के आधार पर वितरण करने के लिए क्रय किये गये। कम्पनी के निर्णय (नवम्बर 1977) के बावजूद भी कानपुर में कोई विक्रय डिपो नहीं खोला गया। तथापि समस्त कपड़े का भंडारण किया गया और उसे केवल लखनऊ स्थित मुख्यालय से ही वितरित किया गया। 1977-78 से 1980-81 की अवधि में भाड़ा तथा चुंगी सहित प्रशासनिक व्ययों के प्रति तीन प्रतिशत जोड़ कर मिल बाहर दर पर ऋण तथा नकद बिक्री के आधार पर 1272 लाभार्थियों को क्रमशः 50.70 लाख रुपये तथा 6.2 लाख रुपये की कीमत का कपड़ा निर्गत किया गया। कम्पनी ने न तो ऋण तथा नगद बिक्री के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये और न ही इसने लाभ की प्राप्ति पर पुनर्निवेशन (फीड बैंक) रिपोर्टें रखी।

(ख) व्यापार तथा टाइपराइटर क्रय योजनायें

निम्नांकित विवरण के अनुसार, वर्ष 1978-79 से 1980-81 की अवधि में व्यापार योजना और टाइपराइटर क्रय योजना के अन्तर्गत क्रमशः 351 तथा 19 लाभार्थियों को 13.01 लाख रुपये तथा 0.75 लाख रुपये वितरित किये गये:

वर्ष	लक्ष्य व्यापार योजना	लक्ष्य टाइप राइटर क्रय योजना	उपलब्धि व्यापार योजना	उपलब्धि टाइप-राइटर क्रय योजना	वितरित ऋण की धनराशि व्यापार योजना	वितरित ऋण की धनराशि टाइपराइटर क्रय योजना
	(लाभभोगियों की संख्या)				(लाख रुपयों में)	
1978-79	200	200	21	शून्य	0.84	शून्य
1979-80	350	350	329	6	12.13	0.23
1980-81	450	450	1	13	0.04	0.52
योग	1000	1000	351	19	13.01	0.75

(ग) निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(i) यह दर्शित करने के लिए अभिलेख में कोई सूचना नहीं थी कि योजनायें समुचित सर्वेक्षण के उपरान्त यह सुनिश्चित करने के लिये ग्रहण की गयी थीं कि ऋणी वस्तुतः उस कार्य/व्यापार में लगे हुये थे जिसके लिये ऋण वितरित किये गये थे ।

(ii) कम्पनी ने लाभभोगियों से वसूलियों (27.22 लाख रुपये) और कम्पनी की अंश पूंजी (41.86 लाख रुपये) में से प्राप्त किये गये बैंक ऋण का, ब्याज (69.08 लाख रुपये) सहित मार्च 1982 तक पूरा पुनर्भुगतान कर दिया । 31 मार्च 1986 को लाभभोगियों से वसूली हेतु 64.46 लाख रुपयों में से मूलधन के प्रति 43.74 लाख रुपये तथा 27.96 लाख रुपयों में से 23.94 लाख रुपयों (आंकड़े अनन्तिम हैं) के ब्याज की वसूली अतिप्राप्य (ओवर ड्यू) थी । यद्यपि उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ ड्यूज) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत 1642 मामलों में से 1462 मामलों में वसूली हेतु कार्यवाही की गई थी, किन्तु 1462 में से 256 मामलों के सम्बन्ध में कोई वसूली नहीं की गई (अक्टूबर 1986) 38 मामलों में 1.52 लाख रुपये के देय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर वसूल न होने योग्य घोषित कर दिये गये (अक्टूबर 1986) कि ऋणी गांव में आवास नहीं कर रहे थे अथवा ऋणी दिये गये पते पर उपलब्ध नहीं थे । अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋण के मामलों को निश्चित करने के लिए सामयिक कार्यवाही करने के लिए कम्पनी ने ऋणियों के लेखे की आवधिक समीक्षा नहीं की ।

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत निम्न उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1987) कि 1980 के पूर्व जिला स्तर पर कम्पनी का कोई कार्यालय नहीं था तथा योजनायें सरकार के जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की गई थीं जो योजनाओं के सर्वेक्षण तथा प्रगति के लिए उत्तरदायी थे ।

2ग.2.2. स्वतः सेवायोजन योजनायें

2ग.2.2. (क) सरकारी अनुदान से रहित सीमान्त मुद्रा ऋण योजना

मार्च 1979 में कम्पनी की अंश पूंजी में पहली बार अंशदान करते समय भारत सरकार ने निर्देश दिया कि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी का उपयोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के उन सदस्यों को जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 3500 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 4300 रुपये से अधिक नहीं थी, 6000 रुपये से अनधिक अनावर्ती व्यय वाली योजनाओं में सीमान्त मुद्रा सहायता प्रदान करने में किया जाना था । अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में पारिवारिक वार्षिक आय 6000 रुपये से अधिक नहीं होनी थी । तथापि कम्पनी ने अनुसूचित जाति के लोगों को सीमान्त मुद्रा सहायता प्रदान करने के लिए प्रदत्त पूंजी के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार नहीं की । इसके विपरीत, कम्पनी ने 6000 रुपये से अधिक और 2.50 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं के लिए बैंक वित्त पर अपेक्षित सीमान्त मुद्रा प्रदान करने के लिए 1979-80 की वार्षिक योजना में पृथक् रक्षित (इअरमार्क्ड) सीमान्त मुद्रा के 18 प्रतिशत का उपयोग करने का निर्णय लिया (अगस्त 1979) । तद्नुसार, कम्पनी ने दिसम्बर 1979 में इन रूपरेखाओं के आधार पर भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (फरवरी 1987) ।

इस योजना के अन्तर्गत, परिवहन व्यापार को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कुटीर, लघु तथा छोटे उद्योग जो अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान में सहायक थे, इसके अन्तर्गत आ गये । सीमान्त मुद्रा ऋण की सीमा या तो बैंक द्वारा मांग की गई मुद्रा अथवा 4 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण का 25 से 33 1/3 थी । सीमान्त मुद्रा ऋण पर कोई अधिकतम सीमा न थी । सीमान्त मुद्रा ऋण लेने वाले के खाते में वित्तीय बैंक को कम्पनी द्वारा मुक्त की जानी थी और उसके उपरान्त बैंकों द्वारा कुल ऋण प्रस्तावित इकाई/व्यापार को चलाने के लिए ऋणियों को मुक्त किया जाना था । ब्याज सहित सीमान्त मुद्रा की कम्पनी के हिस्से की वसूली ब्याज सहित बैंक के हिस्से के ऋण के पुनर्भुगतान के बाद ऋण लेने वाले से की जानी थी । बैंक तथा कम्पनी ब्याज सहित अपने ऋणों की वसूली के लिए अलग-अलग उत्तरदायी थे । योजना मार्च 1979 में प्रारम्भ की गई थी और अनुदान सम्बद्ध सीमान्त मुद्रा ऋण योजना (सब्सिडी लिंक्ड मार्जिन मनी लोन्स स्कीम्स) के प्रारम्भ करने पर अक्टूबर 1980 में समाप्त कर दी गई ।

1979-80 से 1980-81 (सितम्बर 1980 तक) की अवधि के दौरान कम्पनी ने 434 लाभभोगियों को कुल 10.81 लाख रुपये सीमान्त मुद्रा ऋण वितरित किया । जांच परीक्षण में निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(1) कम्पनी ने ऐसे 134 ऋणियों को 7.91 लाख रुपये (कुल सीमान्त मुद्रा वितरणों का 73 प्रतिशत) स्वीकृत तथा वितरित किया जिनके सम्बन्ध में अनावर्ती लागत 6000 रुपये से अधिक थी ।

(2) कम्पनी ने किसी भी मामले में कुल ऋणों (सीमान्त मुद्रा धन बैंक ऋण) के भुगतान के विषय में बैंकों से पुष्टि प्राप्त नहीं की जिसके अभाव में कम्पनी को यह विदित नहीं था कि क्या लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान किया गया इसका हिस्सा वितरित किया गया अथवा नहीं ।

(3) ब्याज सहित सीमान्त मुद्रा ऋण की वसूली इस मात्रा तक क्षीण थी कि 10.81 लाख रुपयों में से मूलधन के प्रति 9.70 लाख रुपयों और 3.52 लाख रुपयों में से 3.34 लाख रुपयों (आंकड़े अनन्तिम) के ब्याज की धनराशि 31 मार्च 1986 को ऋणियों से वसूली हुई अतिप्राय थी ।

यद्यपि 434 मामलों में से 352 मामलों के सम्बन्ध में वसूली अतिदेय थी, तथापि यू0 पी0 पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ ड्यूज) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी (फरवरी 1987) ।

प्रबन्धकों द्वारा यह कहा गया (फरवरी 1987) कि चूंकि कम्पनी के पास बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः वसूली की किस्तें विलम्ब से निर्धारित की गईं । यद्यपि कम्पनी के हिस्से की वसूली बैंक के हिस्से के ऋणों की वसूली हो जाने के उपरान्त आरम्भ होनी थी, तथापि कम्पनी द्वारा बैंक के साथ सम्पर्क नहीं रखा गया । अपने आप को इस बात से सन्तुष्ट करने के लिए कि क्या लाभभोगियों द्वारा ऋणों को वास्तविक रूप

से आर्थिक सुधार के लिए उपयोजित किया गया कम्पनी के पास इसके लिए कोई अनुवर्ती उपाय भी नहीं थे ।

2ग.2.2.(ख) सरकारी अनुदान से सम्बद्ध सीमान्त मुद्रा ऋण

यह योजना, केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत, आर्थिक क्रियाकलाप जैसे दुग्धशाला (डेरी), सूअर पालन, कृषि विकास, बैंक, सहकारी समिति या वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित लघु व्यापार हाथ में लेने के लिये जिन्हें विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास (आई आर डी)/लघु कृषक विकास अभिकरण (एस0 एफ0 डी0 ए0)/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी0 पी0 ए0 पी0) में शामिल किया गया था, का उत्तरदायित्व लेने के लिए 2 अक्टूबर 1980 से प्रारम्भ की गयी ।

भारत सरकार ने लाभभोगियों को सीमान्त मुद्रा ऋणों के रूप में वितरण करने के लिए कम्पनी की अंशपूंजी में 377.96 लाख रुपये का अंशदान दिया ।

वित्तपोषित किये जाने वाले किसी भी क्रिया-कलाप की अनावर्ती लागत 6000 रुपये से अधिक नहीं होनी थी और आवर्ती तथा अनावर्ती लागतें मिलकर 20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी थीं । अनावर्ती लागत की सीमा जून 1982 से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई बशर्ते कुल लागत 20,000 रुपये से अधिक न हो । योजना के अन्तर्गत, कम्पनी ने लक्ष्यीकृत अनुसूचित जाति के परिवारों को कम्पनी की संस्तुति पर बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के प्रति 4 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से सीमान्त मुद्रा का वितरण किया । सीमान्त मुद्रा ऋणों की तीस मासिक किस्तों में वसूली होनी थी । सीमान्त मुद्रा ऋण की सीमा 5000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ ऋण की धनराशि के 16⅔ प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक थी । 6000 रुपये से अधिक के ऋणों के लाभभोगी कम्पनी के माध्यम से सरकारी अनुदान के अधिकारी थे जो ऋण का 25 प्रतिशत या 3000 रुपये, जो भी कम हो, था । 6000 रुपये से कम मूल्य वाले ऋणों के सम्बन्ध में, कम्पनी को 50 प्रतिशत तक अनुदान देना था और कम्पनी द्वारा कोई सीमान्त मुद्रा भुगतान योग्य नहीं थी ।

निम्नांकित सारणी 1980-81 से 1985-86 तक 6 वर्षों की अवधि में कम्पनी द्वारा वितरित सीमान्त मुद्रा तथा अनुदान के सम्बन्ध में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां प्रदर्शित करती हैं :

वर्ष	सीमान्त मुद्रा लक्ष्य	उपलब्धि	ऋण प्रतिशतता	लक्ष्य	सरकारी उपलब्धि	अनुदान प्रतिशतता
	(लाख रुपयों में)				(लाख रुपयों में)	
1980-81	361.00	121.67	33.7	361.00	63.90	17.7
1981-82	383.00	502.94	131.3	349.00	296.82	85.0
1982-83	299.85	28.72	9.6	2699.20	1186.14	43.9
1983-84	299.85	113.32	37.8	2699.20	1522.96	56.4
1984-85	300.00	46.17	15.4	1453.62	1754.00	120.6
1985-86	300.00	190.23	63.4	1500.00	2134.49	142.3
योग	1943.70	1003.05	51.6	9062.02	6958.31	76.7

इस सम्बन्ध में निम्नांकित अभियुक्तियां दी जाती हैं :

(1) सारणी में उल्लिखित सीमान्त मुद्रा कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार थी और कम्पनी को बैंकों द्वारा लाभभोगियों को वास्तविक रूप से वितरित धनराशियों का पता नहीं था ।

(2) 50 प्रतिशत अनुदान के अन्तर्गत उपलब्धियों के अलग आंकड़े कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे ।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुल स्वीकृत ऋण (बैंक-ऋण के हिस्से को सम्मिलित करते हुए) लाभ भोगियों को वितरित किये गये थे, कम्पनी के पास बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की धनराशि का विवरण उपलब्ध नहीं था ।

जांच परीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि लखनऊ इकाई के जिला प्रबन्धक ने क्षेत्र सर्वेक्षण करने के उपरान्त यह रिपोर्ट दी (फरवरी 1984) कि शहरी क्षेत्र के एक बैंक ने 19.35 लाख रुपयों के अपने ऋण के हिस्से का भुगतान 90 प्रतिशत से अधिक लाभभोगियों को नहीं किया तथा 1981-82 के दौरान 8.44 लाख रुपये तथा 4.80 लाख रुपये के कम्पनी के हिस्से का सीमान्त मुद्रा ऋण और अनुदान का भुगतान करके 190 लाभार्थियों के खाते बन्द कर दिये । फरवरी 1984 से अनुसरण करने के बाद भी बैंक ऋण का हिस्सा लाभार्थियों को मुक्त नहीं किया गया (अक्तूबर 1986) । केवल सितम्बर 1984 में बैंकों के साथ एक व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया जिसके अनुसार कम्पनी द्वारा उनके पास उनका हिस्सा जमा कर देने के बाद, बैंकों ने ऋण का अपना हिस्सा मुक्त किया ।

(4) 1980-81 से 1985-86 की अवधि में सीमान्त मुद्रा ऋण का वितरण लक्ष्यों का केवल 51.6 प्रतिशत था जबकि अनुदान का वितरण लक्ष्यों का 76.7 प्रतिशत था यद्यपि कम्पनी के पास इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान दी गयी 203.24 लाख रुपयों से 590.95 लाख रुपयों की निधियां थीं और जिसे व्यक्तिगत लेजर खाते/बचत बैंक खाते में रखी गई थीं (जैसा कि उपर्युक्त प्रस्तर 2ग.1.7 (ख) में उल्लिखित है)। लक्ष्यों में गिरावट के कारण अभिलेख में नहीं थे ।

(5) इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ (अक्टूबर 1986) कि पांच जिला प्रबन्धकों ने 1985-86 की अवधि में, 164 लाभभोगियों के पक्ष में उनसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र/परियोजना रिपोर्ट प्राप्त किये बिना 2.24 लाख रुपये का अनुदान मुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, पांच जिला कार्यालयों में जांच परीक्षित 615 मामलों में अपेक्षित जाति प्रमाणपत्र 54 ऋणियों से नहीं प्राप्त किये गये, 50 मामलों में आय प्रमाणपत्र अभिलेख में नहीं थे, 31 मामलों में परियोजना रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं तथा 152 मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र अभिलेख में नहीं थे।

चूंकि कम्पनी ने ऋणों को स्वीकृत करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं किया, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वह प्रयोजन, जिसके लिए योजना प्रारम्भ की गई थी और उसके अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये थे, सिद्ध हो गया था।

प्रबन्धकों ने केवल यह बताया (फरवरी 1987) कि जिला प्रबन्धकों से रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

(6) बाराबंकी इकाई में 1983-84 के दौरान 40 लाभभोगियों को सीमान्त मुद्रा ऋण स्वीकृत तथा वितरित नहीं किया गया यद्यपि बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत प्रत्येक प्रकरण में 6000 रुपये से अधिक हो गई थी। इन मामलों में 0.33 लाख रुपये के सीमान्त मुद्रा ऋण को अवमुक्त किये बिना केवल 3000 रुपयों (अधिकतम स्वीकार्य) का अनुदान दिया गया। यह सूचना उपलब्ध नहीं थी कि क्या इन मामलों में लाभभोगियों द्वारा निधि के अभाव में इकाइयां स्थापित की जा सकीं।

(7) सितम्बर 1983 में भारत सरकार के एक अधिकारी की शिकायत पर कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गयी जांच से यह प्रकाश में आया कि जिला प्रबन्धक, पिथौरागढ़ ने, जैसा कि योजना में निर्धारित था, जाति प्रमाणपत्रों, आय प्रमाणपत्रों को प्राप्त किए बिना तथा अनुबन्धों को निष्पादित किए बिना खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी मांग की तिथि को ही एक गांव के 14 लाभभोगियों को 0.42 लाख रुपये की धनराशि के उपदान का भुगतान प्राधिकृत कर दिया। सितम्बर 1983 में सरकार को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई (फरवरी 1987)।

(8) देवरिया जिला इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान, आन्तरिक लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट दी (सितम्बर 1985) कि 8 लाभभोगियों के सम्बन्ध में जिनकी व्यक्तिगत परियोजना लागत 12.000 रुपये से अधिक थी, जिला प्रबन्धक ने प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन को प्राप्त किए बिना उपदान का भुगतान प्राधिकृत कर दिया।

(9) निर्धारित पात्रता की शर्तों की अवमानना करते हुए जिला प्रबन्धकों ने देवरिया जिले में 4 लाभार्थियों को आवृत करते हुये 1984-85 के दौरान 0.23 लाख रुपयों और बांदा जिले में 15 लाभार्थियों को आवृत करते हुये 1983-84 और 1984-85 के दौरान 0.79 लाख रुपयों के सीमान्त मुद्रा ऋणों और उपदान का भुगतान उसी परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत कर दिया। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा, इस मामले से, प्रबन्धकों को नवम्बर 1984 तथा सितम्बर 1985 में अवगत कराया गया। प्रबन्धकों ने केवल यह बताया (फरवरी 1987) कि जिलाधीशों से मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(10) गोरखपुर जिला इकाई में ग्रामीण क्षेत्रों के 4 लाभभोगियों को, जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय 3500 रुपये से अधिक थी, 1984-85 के दौरान 0.36 लाख रुपये की धनराशि का सीमान्त मुद्रा ऋण तथा उपदान प्राधिकृत किया गया यद्यपि वे निर्धारित आय सीमा के अनुसार इसके हकदार नहीं थे।

(11) निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु ऋणों के प्रारम्भिक उपयोग का सुनिश्चय लाभभोगियों की सहमति से परिसम्पत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को ऋणों के वितरण द्वारा किया जाना था, किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ऋणों ने लम्बी अवधि के आधार पर निर्धनता रेखा को पार करने और उससे ऊपर रहने में लाभार्थियों की सहायता की है, ऋणों से उत्पादित अधिप्राप्त परिसम्पत्तियों के निरन्तर उपयोग की मानीटरिंग के लिये कोई प्रणाली नहीं थी (मार्च 1986 तक)।

(ग) अनुपूरक उपदान योजना

आई0 आर0 डी0/एस0 एफ0 डी0 ए0/डी0 पी0 ए0 पी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत, लाभभोगी योजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत और 33 1/3 प्रतिशत की सीमा तक उपर्युक्त अभिकरणों से उपदान पाने के अधिकारी थे। कम्पनी ने उपर्युक्त लाभभोगियों को योजना की लागत के 25 प्रतिशत तथा 16 2/3 प्रतिशत की सीमा तक अनुपूरक उपदान का वितरण (डी0 आर0 डी0 ए0 के माध्यम से) जून 1982 से प्रारम्भ किया ताकि सभी स्रोतों से कुल उपदान योजना की लागत का 50 प्रतिशत आ जाये। पूरक उपदान का भुगतान सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया था।

जून 1984 में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार, योजना के अन्तर्गत, आई0 आर0 डी0 लाभभोगियों को भुगतान का प्रबन्ध करने के लिए कम्पनी द्वारा डी0 आर0 डी0 को त्रैमासिक अग्रिम दिये जाने थे। अनुदेशों में यह आदिष्ट था कि डी0 आर0 डी0 ए0 एस0 को दिए गए पूर्व अग्रिमों का समायोजन प्रदर्शित करने वाली भुगतान सूची प्राप्त करने के पहिले अनवर्ती अग्रिमों का भुगतान नहीं किया जाना था। यद्यपि जिला

प्रबन्धकों द्वारा इन डी० आर० डी० ए० एस० को 1984-85 में दिये गये 166.16 लाख रुपये के पूर्व अग्रिमों के सम्बन्ध में भुगतान सूची नहीं प्राप्त हुई थी, तथापि अक्टूबर 1986 के अन्त में 25 डी० आर० डी० ए० एस० को 506.35 लाख रुपयों के अग्रिम दिये गये जिनमें 1985-86 के दौरान 10 डी० आर० डी० ए० एस० को दिये गये 243.88 लाख रुपये सम्मिलित थे ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1987) कि जिला प्रबन्धक सीधे जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन कार्य कर रहे थे अतः वे इस स्थिति में नहीं थे कि जैसे और जब उनकी मांग पर वार्षिक आधार पर अग्रिम अस्वीकार कर दें ।

(घ) शहरी क्षेत्रों में दूकानों का निर्माण

जून 1983 में राज्य सरकार ने, निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को आबंटित किए जाने हेतु जिला इकाइयों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 470 दूकानों का निर्माण करने के लिए कम्पनी के अधीन 47 लाख रुपये दिये । प्रत्येक दूकान की कुल लागत उपदान (5,000 रुपये) और ब्याजमुक्त ऋण (5,000 रुपये) से समाविष्ट 10,000 रुपये पर नियत की गई । वर्ष 1985-86 के दौरान कम्पनी ने 2,000 और दूकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुदान के रूप में 2 करोड़ रुपये और प्राप्त किए । इसमें से, कम्पनी ने, हरिजन एवम् निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड (निगम) के माध्यम से 1985-86 में 1,000 दूकानों के निर्माण करने का लक्ष्य बनाया और तदनुसार निगम के अधीन एक करोड़ रुपये दे दिये । तथापि, मार्च 1986 के अन्त तक निगम द्वारा केवल 359 दूकानें निर्मित की गई ।

उपयोजित अनुदानों, निर्मित दूकानों, निर्माणाधीन दूकानों तथा आबंटित दूकानों की संख्या की स्थिति नीचे दिखाई गई है :

वर्ष	अनुदान की धनराशि			दूकानों की संख्या		
	प्राप्त	उपयोजित	अव्ययित	निर्मित	निर्माणाधीन	आबंटित
		(लाख रुपयों में)				
1983-84	47.00	4.05	42.95	शून्य	शून्य	शून्य
1984-85	शून्य	31.49	11.46	179	190	165
1985-86	200.00	90.00	121.46	180	644	180
	247.00	125.54				

निम्न बिन्दु देखे गये :

(1) जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है, मूल्यों में वृद्धि तथा 31 मार्च 1986 को निर्माणाधीन 644 दूकानों को पूरा करने में व्यय के विचार की दृष्टि से, 2470 दूकानों की निर्माण-लागत लगभग दुगनी होगी । लागत को सीमा के अन्दर रखने के लिए निर्माण क्रियाकलापों पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं था । कम्पनी ने बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए और अनुदान हेतु सरकार के पास पहुंच के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । कम्पनी ने ब्याजमुक्त ऋण/उपदान को नियमित करने के लिए पहिले से ही पूरी की गयीं तथा आबंटित प्रत्येक दूकान की लागत का भी पता नहीं लगाया । कम्पनी ने अभी तक यह विचार नहीं किया कि अतिरिक्त लागत कैसे पूरी की जायेगी ।

(2) दूकानों के निर्माण के लिए 1983-84 से 1985-86 की अवधि में उपयोजित दिखाये गये 125.54 लाख रुपयों में से, 1984-85 तथा 1985-86 में निर्माण अभिकरण (निगम) को अग्रिम के रूप में दिये गए क्रमशः 31.49 लाख रुपये और 90.00 लाख रुपये मार्च 1986 के अन्त में असमायोजित पड़े थे ।

(3) जिला प्रबन्धक वाराणसी द्वारा विकास प्राधिकरण वाराणसी से 3.28 लाख रुपये की कुल लागत (फरवरी 1983 में भुगतान किया गया) पर 19 दूकानों का कब्जा अगस्त 1985 में लिया गया । उपर्युक्त दूकानों में से, जनवरी 1987 के अन्त तक अनुसूचित जाति के परिवारों को 16 दूकानें आबंटित की गई, शेष तीन दूकानें (लागत : 0.60 लाख रुपयें) अभी भी आबंटित की जानी हैं (जनवरी 1987) । 16 आबंटितियों के साथ निष्पादित किराया क्रय विलेख अपूर्ण थे, क्योंकि उनमें न तो जिला प्रबन्धक का हस्ताक्षर था न आबंटित दूकानों का मूल्य था और न ही वसूली हेतु किस्तों की संख्या थी ।

(ङ) टंकण तथा आशुलिपि केन्द्रों की स्थापना

अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षित करने की योजना राज्य सरकार की प्रेरणा से अक्टूबर 1983 में प्रारम्भ की गई । राज्य सरकार ने कम्पनी के अधीन समय-समय पर निधियां

प्रदान की । प्रारम्भ में 1983-84 में 12 विभागीय मुख्यालयों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए और इन्होंने वर्ष 1984-85 से कार्य प्रारम्भ किया । 1985-86 में जिला मुख्यालय में 9 नए केन्द्र खोले गए और इन्होंने 1986-87 से प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया ।

वर्ष में अप्रैल तथा अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले, प्रत्येक छः महीनों की अवधि के प्रशिक्षण के दो सत्र हैं ।

योजना के अन्तर्गत, टंकण प्रशिक्षार्थियों को प्रत्येक को 50 रुपये प्रतिमाह तथा आशुलिपि प्रशिक्षार्थियों को प्रत्येक को 100 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये ।

1983-84 से 1985-86 की अवधि में प्राप्त, उपयोजित अनुदान तथा प्रशिक्षित किए गये युवकों की संख्या के वर्षवार विवरण निम्नवत् थे :

वर्ष	अनुदान की धनराशि		केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए युवकों की संख्या		केन्द्रों की संख्या
	प्राप्त	उपयोजित				
	(लाख रुपयों में)			लक्ष्य	उपलब्धि	
1983-84	6.40	2.31	12	शून्य	शून्य	12
1984-85	4.24	6.55	12	1142	885	12
1985-86	11.53	9.11	21	1152	925	21

योजना के अन्तर्गत 1983-84 से 1985-86 की अवधि में प्रशिक्षित किए गए युवकों की संख्या केवल 1810 थी (2304 युवकों के कुल लक्ष्य का लगभग 78 प्रतिशत) जिनमें से केवल 247 युवकों ने रोजगार प्राप्त किया (जनवरी 1987) ।

फरवरी 1984 में स्थापित वाराणसी स्थित टंकण एवम् आशुलिपि केन्द्र के जांच परीक्षण से यह प्रकट हुआ कि फरवरी 1984 से मार्च 1986 की अवधि के दौरान टंकण के 72 तथा आशुलिपि के 82 लाभभोगियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर, केवल 31 लोगों ने टाइपिंग की तथा 33 लोगों ने आशुलिपि की निर्धारित परीक्षा पास की, शेष 90 लोग (कुल का 58.4 प्रतिशत), जिन्हें 0.42 लाख रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये थे, असफल हो गए । निर्धारित परीक्षा पास किए हुये 64 लोगों में से केवल 13 लोगों को लाभकारी रोजगार मिलने की रिपोर्ट मिली । अतः योजना प्रारम्भ करने का उद्देश्य विस्तृत रूप से सिद्ध नहीं हुआ ।

इकाई के जिला-प्रबन्धक के कथन के अनुसार (जनवरी 1987) इस बृहद् संख्या में असफलताओं का कारण प्रशिक्षण की अपर्याप्त अवधि तथा प्रशिक्षार्थियों के पक्ष में अभिरुचि की कमी थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1987) कि सरकार ने योजना के मूल्यांकन हेतु एक कमेटी गठित की है (फरवरी 1986) और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

2ग.3.3. कानपुर स्थित चर्म कला विकास केन्द्र की स्थापना

निदेशक मंडल ने कानपुर में (क) अनुसूचित जाति के सदस्यों को चर्म उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति करने और (ख) अनुसूचित जाति के ऐसे सदस्यों के जिन्होंने कम्पनी से सहायता प्राप्त की थी, उत्पादनों की बिक्री के लिये प्रबन्ध करने के उद्देश्य से कानपुर में एक चर्म कला विकास केन्द्र खोलने का अनुमोदन दिया । सरकार के किसी अनुमोदन के बिना 'बिना लाभ हानि' (नो प्राफिट नो लास) के आधार पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूंजी से 16 लाख रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गयी । केन्द्र के लिए भवन मई 1984 में 2288 रुपये प्रति माह किराए की दर से किराए पर लिया गया । केन्द्र ने जनवरी 1985 से जूते बनाना प्रारम्भ किया और बिक्रियां फरवरी 1985 से आरम्भ हुई । 0.90 लाख रुपये का प्रारम्भिक व्यय चर्म केन्द्र की ओर से कम्पनी द्वारा पूरा किया गया और वर्ष 1984-85 से नवम्बर 1986 तक केन्द्र को 6 लाख रुपये दिन प्रति दिन कार्यचालन के लिए हस्तांतरित किये गये । 1984-85 और 1985-86 में केन्द्र को क्रमशः 0.69

लाख रुपये तथा 0.70 लाख रुपये (आंकड़े अनन्तिम) की हानि हुई । इसका मुख्य कारण प्रति वर्ष 1.05 लाख रुपये अधिष्ठान व्यय बताया गया (फरवरी 1987) ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1987) कि चूंकि राज्य सरकार ने इस योजना को जो हानि उठा रही थी स्वीकृति नहीं दी थी, अतः केन्द्र को बन्द कर देना कम्पनी के विचाराधीन है (जून 1987) । आगे प्रगति की प्रतीक्षा है ।

2ग.2.4. राज्य उपदान

1985-86 के अन्त तक 4 राज्य उपदान योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त तथा उपयोजित अनुदानों की स्थिति निम्नवत् थी (1983-84 से 1985-86 तक के आंकड़े अनन्तिम हैं) :

क्रम संख्या	योजना का नाम	उद्देश्य तथा अन्य विवरण	अनुदान की अवधि	प्राप्ति धनराशि (लाख रुपयों में)	लाभ भोगियों को भुगतान की गई धनराशि अवधि	भुगतान धनराशि (लाख रुपयों में)	लाभ भोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि विकास उपदान	1000 रुपये की दर से अनुसूचित जाति के लोगों को बैल, कृषि उपस्कर बीज, रसायन, कीटनाशक औषधियां और खाद के क्रय हेतु	पिछला अवशेष 1981-82 से	26.23	1981-82 से 1983-84	45.98	8893
			1983-84 तक	44.66	1985-86	8.61	
			योग	70.89		54.59	
2	व्यावसायिक उपदान	2000 रुपये की दर से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा, इन्जिनियरिंग तथा विधि स्नातक होने जैसे व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु	पिछला अवशेष	4.76	1981-82	3.17	277
			1981-82 से 1983-84	9.00	से 1983-84		
					1985-86	1.06	
			योग ..	13.76		4.23	
3	कुटीर उद्योग उपदान	व्यक्ति विशेष के लिए 3000 रुपये तथा सहकारी समितियों के लिए 10,000 रुपये की दर से अपना स्वयम् का कुटीर उद्योग प्रारम्भ करने के लिए	पिछला अवशेष	47.03	1982-83 से	67.77	7883
			1981-82 से 1983-84	64.04	1983-84		
					1984-85 से 1985-86	29.78	
			योग ..	111.07		97.55	
4	कृषि श्रमिकों के लिए कृषियोग्य भूमि क्रय करने की योजना	एक एकड़ भूमि के लिये 4000 रुपये अनुदान और 5000 रुपये ब्याजमुक्त ऋण की दर से (50 प्रतिशत विशिष्ट केन्द्रीय सहायता से भुगतान किया गया) कृषि श्रमिकों के लिए कृषि भूमि के रूप में नियत दरों पर उपदान तथा ब्याज मुक्त ऋण	1984-85	24.00	1984-85 से 1985-86	14.00	उपलब्ध नहीं

भुगतानों के जांच परीक्षण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए :

(1) कम्पनी को 1984-85 एवं 1985-86 के दौरान कृषि विकास उपदान, व्यावसायिक उपदान तथा कुटीर उद्योग उपदान योजनाओं के प्रति कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई । 31 मार्च 1986 को उसके पास नीचे इंगित सीमा तक अनुपयोजित अवशेष थे ।

	31 मार्च 1986 को अनुपयोजित अवशेष	1984-85 एवं 1985-86 के दौरान वितरित धनराशियां	31 मार्च 1986 को अनुपयोजित अवशेष	उपयोग की प्रतिशतता
		(लाख रुपयों में)		
1. कृषि विकास उपदान योजना	24.91	8.61	16.30	34
2. व्यावसायिक उपदान	10.59	1.06	9.53	10
3. कुटीर उद्योग उपदान	43.30	29.78	13.52	69

1985-86 तक उपर्युक्त विकास योजनाओं के प्रति प्राप्त 39.35 लाख रुपयों की निधियों के अनुपयोग के लिये (क) योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों को सरकार के राजस्व विभाग द्वारा पट्टा आधार पर भूमि का अनाबंटन तथा (ख) स्वतः रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के कारण बेरोजगार व्यावसायिक स्नातकों से अल्प अनुक्रिया (पुअर रेस्पान्स) को कारण बताया गया (फरवरी 1987) ।

(2) कृषि विकास योजना के अन्तर्गत, 1981-82 से 1985-86 के दौरान भुगतान किये गये 54.59 लाख रुपये के समक्ष, जिला प्रबन्धकों द्वारा लाभभोगियों से मात्र 9.17 लाख रुपये के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये, परिणामस्वरूप कम्पनी को यह जानकारी नहीं थी कि क्या भुगतान की गई धनराशियां उसी उद्देश्य के लिये उपयोजित की गयी थीं जिसके लिये वे स्वीकृत की गयी थीं ।

2ग.3. ऋणों की वसूली की असंतोषजनक स्थिति

वर्ष के दौरान वसूलियों की प्रतिशतता वर्ष प्रति वर्ष गिरती जा रही थी, परिणामस्वरूप बकायों का भारी संचयन हो रहा था ।

कम्पनी के पास नियत तिथियों पर वसूलियां करने के लिए उपयुक्त पद्धतियां एवं तंत्र नहीं था (मार्च 1985) । 31 मार्च 1986 को कुल बकाया ऋणों की धनराशि 1051.08 लाख रुपये हो गई (1980-81 तक कम्पनी के मुख्यालयों द्वारा वितरित कुल मिलाकर 10.81 लाख रुपये के ऋणों को सम्मिलित करके), जिसमें से उस तिथि को वसूली के निमित्त 934.92 लाख रुपये अति देय (ओवर ड्यू) हो गये थे । कम्पनी ने अप्राप्य और संदिग्ध मामलों की जानकारी के लिए ऋणियों के लेखे की समीक्षा नहीं की । 1982-83 के लेखे पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह समीक्षा की गई थी कि कम्पनी द्वारा कर्जदारों से अवशेषों के पुष्टीकरण प्राप्त नहीं किये गये ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1987) कि लाभभोगी अधिकांशतः ऋणों की पुष्टि करने के लिए समर्थ नहीं थे और 1985-86 से वसूली सहायकों की नियुक्ति द्वारा वसूली की कार्यवाही में शीघ्रता की जा रही है ।

2ग.4. मूल्यांकन

अक्टूबर 1986 तक कम्पनी द्वारा योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था यद्यपि यह योजना के निष्पादन के साथ-साथ किया जाना था, जैसा कि अक्टूबर 1980 में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था । फलस्वरूप स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजनाओं के कार्यान्वयन के 5 वर्षों के उपरान्त निर्धनता रेखा से ऊपर लाये गये अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या को आंका नहीं जा सका । राज्य सरकार ने मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए प्रत्येक लाभभोगी के संबंध में कार्य की वर्षानुवर्ष प्रगति के लेखे रखने के निमित्त विकास पुस्तिकायें निर्धारित कीं (अक्टूबर 1980) । किन्तु मार्च 1986 तक कुल 8.93 लाख लाभभोगियों के केवल 35 प्रतिशत के संबंध में उनका रख-रखाव किया गया । निर्धनता रेखा से ऊपर लाए गये लाभभोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए अभी तक (जनवरी 1987) इन विकास पुस्तिकाओं की समीक्षा नहीं की गयी ।

कम्पनी का उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान होने के कारण, किसी योजना का परिचालन प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ लाभभोगियों तक उन्हें निर्धनता रेखा को पार करने और ऊपर रहने के लिए पहुंचा है, व्यवस्थित एवं प्रभावी तंत्र विकसित कर लेना चाहिए था । तथापि, कम्पनी ने किसी योजना के कार्यान्वयन के पूर्व अथवा उसके दौरान ऐसे किसी तंत्र को विकसित नहीं किया, जिसके अभाव में, योजनाओं के प्रभाव का यथार्थवत् निर्धारण सम्भव नहीं था । कम्पनी के पास यह सुनिश्चित करने का कोई साधन नहीं था कि लाभभोगियों को उपलब्ध करायी गयी पर-सम्पत्तियां/उपस्कर लम्बी अवधि के आधार पर उनके आर्थिक उत्थान में सहायता करने के लिए उनके पास बनी ही रहीं ।

प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से कम्पनी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विश्लेषण किया, जो निर्धनता रेखा से नीचे थे उनके 28 प्रतिशत ने इसके परिचालनों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी; किन्तु इस वित्तीय सहायता के उपयोग के उद्देश्य पर कम्पनी के पास किसी भी समय पुनर्निवेशन (फीड बैक) सूचना नहीं थी । इसलिए, जब कि एक निश्चित सीमा तक वित्तीय भुगतानों की प्राप्ति हो चुकी थी, प्राप्तकर्ताओं को वास्तविक लाभों की प्राप्ति सिद्ध नहीं की जा सकी ।

कम्पनी के पास अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार से प्राप्त पर्याप्त निधियां थीं, किन्तु उन्हें उनमें अधिकतम सीमा तक लगाने के बजाय, इससे अपर्याप्त लम्बी अवधि तक उन्हें विभिन्न जमानिधियों में पड़े रहने दिया गया, इससे अपर्याप्त दीर्घावधिक नियोजन और निष्पादन का संकेत मिलता है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि जिन उद्देश्यों के लिए कम्पनी का गठन किया गया था उन्हें पूर्णरूपेण प्राप्त किया गया ।

2 ग.5. **वित्तीय प्रबन्ध**

इकाइयों के जिला प्रबन्धकों से यह अपेक्षित था कि वे सीमान्त मुद्रा ऋण तथा उपदान योजनाओं के परिचालन हेतु प्राप्त निधियों को वित्तपोषक बैंकों के बचत लेखे में जमा करें और उनके (बैंकों) द्वारा ऋण की स्वीकृति के उपरान्त उनकी मांग पर बैंकों के पक्ष में चेक आहरण के माध्यम से लाभभोगियों को भुगतान करें । शीघ्र भुगतान करने की दृष्टि से कम्पनी ने राज्य सरकार की प्रेरणा पर प्रक्रिया पुनरीक्षित कर दी जिसमें शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक बैंक में बचत खाता खोलना संकल्पित था । बैंक प्रबन्धकों को उनके द्वारा संस्वीकृत ऋणों के आधार पर अनुमन्य धनराशि से बचत बैंक खाते को डेबिट करने तथा लाभभोगियों के ऋण निक्षेप खाते को क्रेडिट करने के लिए प्राधिकार-पत्र दिये जाने थे । अतः बैंक प्रबन्धकों को व्यक्तिगत मामलों में निधियों की प्रतीक्षा नहीं करनी थी । इस संबंध में निम्नांकित अनियमितताएं देखी गईं:

(1) कानपुर शहर इकाई में जिला प्रबन्धक ने कम्पनी के अनुरोध पर अप्रैल 1986 के दौरान 72 बैंकों में रखे गये बचत बैंक खातों को बन्द कर दिया और पुस्तकों से अवशेषों का समाधान किये बिना कुल 14 लाख रुपयों के बैंक अवशेष एकल (सिंगल) बैंक को स्थानान्तरित कर दिये गये ।

(2) 1981-82 से 1984-85 की अवधि में लाभभोगियों को भुगतान के लिए, 15 जिला प्रबंधकों द्वारा 24.98 लाख रुपयों के चेक ऐसे बैंकों के पक्ष में निर्गत किये गये जिनमें बचत बैंक खाते नहीं खोले गये और परिणामतः इस अवधि में बैंकों द्वारा भुगतान नहीं किये गये । बैंकों द्वारा धनराशि उचन्त (सस्पेन्स) में रखी गई और बिना ब्याज के पूरी धनराशि जिला प्रबन्धकों को 1985-86 के दौरान लौटा दी गई । बैंकों से ब्याज की हानि के दावे करने के लिए कम्पनी द्वारा मामलों की समीक्षा नहीं की गई । चेक निर्गत करने से पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं का अनुपालन न करने के फलस्वरूप ब्याज की हानि हुई (धनराशि अनिर्धारित) ।

(3) जिला कार्यालयों को निधियों का प्रेषण कम्पनी के मुख्यालयों से बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से किया जाता है । यह देखा गया कि जनवरी 1985 से जून 1986 में कम्पनी द्वारा जिला कार्यालयों को निर्गत किये गये 93.86 लाख रुपयों के ड्राफ्ट नीचे दिये गये विवरण के अनुसार विलम्ब से क्रेडिट किये गये :

इकाई का नाम	विलम्ब (दिनों में)	बैंक ड्राफ्टों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
रायबरेली	35 से 42	3	10.92
वाराणसी	16 से 94	6	66.93
गाजीपुर	22	1	0.51
आजमगढ़	17	1	15.50
		11	93.86

यदि संबंधित इकाइयों ने ड्राफ्टों को आदाताओं (पेईज) के बैंक खाते में तुरन्त जमा कर दिया होता तो मुख्यतया विलम्बित संग्रह के कारण होने वाले विलम्ब टाले जा सकते थे । ड्राफ्टों को जमा करने में ऐसे विलम्बों से बचने के लिये कम्पनी द्वारा सभी इकाइयों को उचित अनुदेश अभी तक (जून 1987) निर्गत नहीं किये गये हैं ।

(4) यह देखा गया (जनवरी 1987) कि 171 बैंक लेखे का परिचालन करने वाले चार जिला कार्यालयों के संबंध में बैंक समाधान 1980-81 से एरियर में था ।

प्रबन्धकों द्वारा यह बताया गया (फरवरी 1987) कि जिला कार्यालय में केवल एक लेखा लिपिक होने के कारण नियमित बैंक-समाधान नहीं किया जा सका ।

(5) जिला प्रबन्धकों से प्राधिकार प्राप्त किये बिना दो जिला इकाइयों द्वारा परिचालित बचत बैंक खाते में बैंकों द्वारा 1985-86 में 1.63 लाख रुपये नामे डाले गये । बैंकों ने अभी तक (अक्टूबर 1987) धनराशि की वापसी नहीं की ।

(6) लाभभोगियों को भुगतान के लिए 1980-81 से 1985-86 के दौरान 11 जिला प्रबन्धकों द्वारा बैंकों को 39.02 लाख रुपयों से निहित चेक/प्राधिकार जारी किये गये किन्तु उनको धनराशि वितरित नहीं की गयी जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे ।

2ग.6. **अन्य रुचिकर विषय**

लेखन-सामग्री का क्रय

शासपत्रित लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) की एक फर्म द्वारा लखनऊ इकाई की विशेष लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1985) कि जिला प्रबन्धक ने अक्टूबर 1982 से मार्च 1983 के दौरान एक ऐसी फर्म जिसका अस्तित्व ही नहीं था, 2.85 लाख रुपये के भुगतान पर लेखन-सामग्री की अधिप्राप्ति की । क्रय-प्रक्रिया के अनुसार निविदा आमंत्रण, तुलनात्मक विवरणियां तैयार करना इत्यादि जैसी क्रय औपचारिकतायें भी पूरी नहीं की गयीं । प्रबन्धकों ने कहा (फरवरी 1987) कि जिला प्रबन्धकों पर उनका नियंत्रण नहीं है क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं । यह भी कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट की टिप्पणी,

जिसकी प्रतीक्षा थी, की प्राप्ति के बाद मामला सरकार को प्रतिवेदित किया जायेगा ।

2ग.7. समाहार

(1) राज्य में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान को प्रोन्नत करने के मुख्य उद्देश्य से मार्च 1975 में निगमित कम्पनी ने सम्प्रति सीमान्त मुद्रा और उपदान योजनाओं, टंकण एवं आशुलेखन केन्द्रों की स्थापना, चर्मकला विकास केन्द्र की स्थापना तथा राज्य उपदान योजनाओं को अपने हाथ में लिया । कम्पनी ने केवल 1983-84 तक के अपने लेखे को अंतिम रूप दिया । 1984-85 के संकलित अनन्तिम लेखे से 52.30 लाख रुपयों का संचित लाभ प्रकाश में आया । कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत सीमान्त मुद्रा ऋणों पर अर्जित ब्याज था ।

(2) अपर्याप्त दीर्घकालीन नियोजन के कारण 794.79 लाख रुपयों से 1907.50 लाख रुपयों तक की बड़ी निधियां 1984-85 तक पांच वर्षों में प्रत्येक के अन्त में विभिन्न खातों में निक्षेपों के रूप में अव्ययित पड़ी थीं ।

(3) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के संबंध में यह देखा गया कि व्यापार और टाइपराइटर क्रय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 से 1980-81 की अवधि में 2,000 लाभभोगियों के लक्ष्य के समक्ष 370 लाभभोगियों को प्रत्यक्ष ऋणों का भुगतान किया गया ।

1980-81 से 1985-86 के दौरान सरकारी उपदान से सम्बद्ध सीमान्त मुद्रा योजना के अन्तर्गत सीमान्त मुद्रा ऋण का वितरण लक्ष्यों का केवल 51.6 प्रतिशत था जब कि उपदान का 76.7 प्रतिशत था ।

1985-86 में जिला कार्यालयों द्वारा 779 लाभभोगियों को लागत/उपभोग/आय प्रमाण-पत्रों और परियोजना रिपोर्टों को प्राप्त किये बिना उपदान मुक्त किया गया ।

पूरक अनुदान के भुगतान के लिए अक्टूबर 1986 के अन्त में 25 डी0 आर0 डी0 ए0 एस0 को दिये गये अग्रिमों में 1985-86 के दौरान उन 10 डी0 आर0 डी0 ए0 एस0 को दिये गये 243.88 लाख रुपये सम्मिलित थे जिनसे 1984-85 के दौरान दिये गये 166.16 लाख रुपयों के पूर्व अग्रिमों की भुगतान सूचियां प्राप्त नहीं हुयी थीं ।

कम्पनी के सीमान्त मुद्रा और उपदान के हिस्से के साथ-साथ बैंक के ऋण के हिस्से की अवमुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सितम्बर 1984 तक कम्पनी ने बैंकों के साथ कोई व्यवस्था नहीं की थी । 1981-82 में 190 लाभभोगियों के संबंध में लखनऊ के एक बैंक द्वारा ऋण के अपने हिस्से की भुगतान न की गयी धनराशि 19.35 लाख रुपये थी यद्यपि लाभभोगियों को 13.34 लाख रुपयों के सीमान्त मुद्रा के हिस्से तथा उपदान का भुगतान किया गया था ।

कम्पनी ने 'बिना लाभ हानि' के आधार पर सरकार के अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक रूप से अपनी शेयर पूंजी से चर्म कला विकास केन्द्र की स्थापना की (मई 1984) । निरन्तर हो रही हानियों को दृष्टि में रखते हुए कम्पनी इसे बन्द कर देने पर विचार कर रही है ।

सीमान्त मुद्रा ऋण और विभिन्न उपदानों के प्रति मार्च 1986 तक भुगतान न किये गये 9685.70 लाख रुपयों के समक्ष लाभभोगियों से केवल 1250.03 लाख रुपयों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये (जून 1987 तक) ।

जैसा कि सरकार द्वारा अनुबंधित था, कम्पनी ने योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य हाथ में नहीं लिया । यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं का फल लाभभोगियों तक निर्धनता रेखा पार करने और उसके ऊपर जीवन यापन करने के लिए पहुंचा है, कम्पनी ने कोई प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किया और इसके पास इस प्रयोजन हेतु कोई पुनर्निवेशन सूचना भी नहीं थी । सरकार द्वारा अवमुक्त निधियां अधिकतम सीमा तक उपयोग में नहीं लायी गयीं और उन्हें विभिन्न निक्षेपों में पड़े रहने दिया गया ।

अध्याय 3

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षायें

3. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् (विद्युत् विभाग) परिषद्

3क. वितरण संगठन में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत

3क.1. प्रस्तावना

1000 के वी ए से 5,000 के वी ए की क्षमता वाले ऊर्जा ट्रान्सफार्मर और 25 के वी ए से 1,000 के वी ए की क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर परिषद् के विद्युत् वितरण संगठन द्वारा निर्धारित वोल्टेज पर उपभोक्ताओं को विद्युत् वितरण करने हेतु उपयोग किये जाते हैं। अप्रैल 1959 में परिषद् की स्थापना के समय प्रत्येक विद्युत् वितरण प्रभाग/उपक्रम को क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु एक विभागीय ट्रान्सफार्मर मरम्मत कर्मशाला (डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफार्मर रिपेयर वर्कशाप) प्रदान की गयी। राज्य में विद्युतीकरण की त्वरित प्रगति के फलस्वरूप ट्रान्सफार्मरों की संख्या में अभिवृद्धि और अनुवर्ती वर्षों में पर्याप्त रूप से अनुरक्षण तथा मरम्मत की मांग पूरी करने के लिए ट्रान्सफार्मर मरम्मत कर्मशाला (ट्रान्सफार्मर रिपेयर वर्कशाप) को शक्तिशाली न बनाने के फलस्वरूप 1973-74 के अंत में 25,000 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर मरम्मत हेतु एकत्रित हो गये। अतः मई 1974 में परिषद् द्वारा प्राइवेट पार्टियों द्वारा भी ट्रान्सफार्मर की मरम्मत करवाने का निर्णय लिया गया और तब से क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत का कार्य विभाग तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है।

3क.2. ट्रान्सफार्मरों का कार्य-सम्पादन

3क.2.1. मई 1982 में परिषद ने निर्धारित किया कि ट्रान्सफार्मरों की क्षति स्थापित किये गये ट्रान्सफार्मरों की दो प्रतिशत होनी चाहिए। क्षति की दर 2 प्रतिशत तक कम करने के लिये परिषद् द्वारा निम्नांकित उपाय अनिवार्य समझे गये :

(क) क्षति के कारणों सहित विस्तृत मानीटरिंग;

(ख) प्रत्येक ट्रान्सफार्मर का इतिवृत्त कार्ड रखना;

(ग) 25 के वी ए श्रेणी से अधिक के ट्रान्सफार्मरों के मामले में 11 के वी फलकों पर ड्रापआउट फ्यूज का उपयोग;

(घ) एल0 टी0 टर्मिनल को क्रिम्पिंग टूल्स तथा प्रापर लग्स से जोड़ना;

(ङ) एल0 टी0 टर्मिनल इत्यादि पर दबाव या भार बचाना।

क्षेत्रीय अध्यक्षों द्वारा परिषद् को प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदनों के अनुसार नीचे दिखाये गये आंकड़े निर्दिष्ट करते हैं कि 1985-86 तक गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित ट्रान्सफार्मरों से क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की वास्तविक प्रतिशतता 6.1 से 7.7 थी :

विवरण	1983-84	1984-85	1985-86*
		(संख्या में)	
(1) वर्ष के आरम्भ में स्थापित कुल ट्रान्सफार्मर	126373	130491	109936
(2) वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुए कुल ट्रान्सफार्मर	9682	8001	7478
(3) वर्ष के अंत में स्टाक में पड़े हुए क्षतिग्रस्त कुल ट्रान्सफार्मर			
(क) मरम्मत योग्य	21534	18905	16344
(ख) मरम्मत न होने योग्य	12717	12815	9805
		(प्रतिशत)	
(4) वर्ष के प्रारम्भ में स्थापित ट्रान्सफार्मरों से वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की प्रतिशतता	7.7	6.1	6.8

परिषद द्वारा क्षति की ऊंची प्रतिशतता के विषय में विश्लेषण नहीं किया गया। क्षति की प्रतिशतता को परिषद् द्वारा नियत 2 की सीमा के अन्दर रखने के लिये परिषद् द्वारा सुझाये गये उपायों को कार्यान्वित करने के लिये संगठन की विभिन्न इकाइयों द्वारा की गई कार्यवाही भी उपलब्ध नहीं थी।

*1985-86 के आंकड़ों में 11 में से दो क्षेत्रों, जिनके आंकड़े प्रतीक्षित थे (मार्च 1987), के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

3क.2.2. परिषद् के मई 1983 के आदेशानुसार, यदि किसी क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर की मरम्मत की अनुमानित लागत उसी क्षमता के नये ट्रान्सफार्मर की लागत के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो ऐसे ट्रान्सफार्मर

को मरम्मत योग्य समझना चाहिए अन्यथा मरम्मत के अयोग्य । 1983-84 से 1985-86 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में पड़े हुए क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के क्षमतावार विवरण उपलब्ध नहीं थे । तथापि, निम्नतम क्षमता (25 के वी ए) तथा सम्बन्धित वर्षों में लागू स्टाक निर्गत दरों के 40 प्रतिशत के आधार पर, 1985-86 तक तीन वर्षों के अन्त में स्टाक में पड़े हुए मरम्मत योग्य ट्रान्सफार्मरों की न्यूनतम कीमत क्रमशः 958·17 लाख रुपये, 910·53 लाख रुपये तथा 806·21 लाख रुपये (1985-86 में दो क्षेत्रों को छोड़कर) थी । बोर्ड ने अब तक (दिसम्बर 1986) मरम्मत न होने योग्य ट्रान्सफार्मरों की कीमत सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया है ।

3क·2·3· परिषद् के मुख्यालय में एक मानीटरिंग सेल है जो वितरण तंत्र में प्रयुक्त ट्रान्सफार्मरों को नियंत्रित एवं उनकी मानीटरिंग करता है । क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से अपेक्षित है कि वे स्थापित ट्रान्सफार्मरों की संख्या, स्टाक में पड़े हुए मरम्मत योग्य तथा मरम्मत न होने योग्य ट्रान्सफार्मरों, मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मरों इत्यादि की संख्या के सम्बन्ध में फील्ड इकाइयों से सूचना एकत्रित करके सेल को मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजें । कार्य-क्षेत्र, इकाइयों को भी ऐसे आंकड़े रखना अपेक्षित है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं का उल्लेख करना उचित है :

(i) 9 इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई से नवम्बर 1986) यह पाया गया कि क्षेत्रीय अध्यक्षों द्वारा ट्रान्सफार्मरों के विवरण, जैसे निर्माता का क्रमांक, मेक, क्षमता, स्थापन तिथि, क्षतिग्रस्त होने की तिथि, मरम्मत होने की तिथि आदि को दिखाया गया हो, प्रदर्शित करने वाले किसी रजिस्टर या अभिलेख का रखरखाव किये बिना ही परिषद् को मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजे गये । इन विवरणों के अभाव में फील्ड कार्यालयों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदनों की शुद्धता सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी ।

(ii) 5 इकाइयों के अभिलेखों की जांच के दौरान (सितम्बर से नवम्बर 1986) यह पता लगा कि इकाइयों द्वारा प्रतिवेदित 1983-84 से 1985-86 की अवधि में क्षतिग्रस्त शक्ति तथा वितरण ट्रान्सफार्मरों की संख्या सम्बन्धित इकाइयों के अवर अभियन्ताओं द्वारा रखे गये स्टाक रजिस्टरों के अनुसार उन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की वास्तविक संख्या की तुलना में अत्यधिक कम थी, जैसा कि निम्नांकित सारणी में दिखाया गया है ।

इकाई का नाम	1983-84		1984-85		1985-86	
	स्टाक रजिस्टर के अनुसार	इकाई द्वारा परिषद् को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार	स्टाक रजिस्टर के अनुसार	इकाई द्वारा परिषद् को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार	स्टाक रजिस्टर के अनुसार	इकाई द्वारा परिषद् को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार
	(क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर संख्या में)					
ई0 डी0 डी0 I, गोरखपुर	123	32	80	19	168	20
ई0 डी0 डी0 II, गोरखपुर	29*	शून्य	57*	28	79*	शून्य
गोरखपुर विद्युत् आपूर्ति उपक्रम (जी0 ई0 एस0 यू0)	11	शून्य	5	शून्य	8	4
ई0 डी0 डी0 II, गाजियाबाद	229	158	205	79	199	दिसम्बर 1986 तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई
ई0 डी0 डी0 III, गाजियाबाद	30	16	61	27	37	

कम संख्या में रिपोर्ट किये जाने के कारण अभिलेख में नहीं दिखाये गये थे ।

(iii) सितम्बर से नवम्बर 1986 के दौरान गोरखपुर (ई0 डी0 डी0 II), कानपुर (ई0 डी0 डी0) और गाजियाबाद (ई0 डी0 डी0 III) की 3 इकाइयों में 24 अवर अभियंताओं (62 अवर अभियन्ताओं में से) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जांच के दौरान यह देखा गया कि अप्रैल 1981 से जून 1986 के दौरान 33 ट्रान्सफार्मर (25 के वी ए के 19, 63 के वी ए के 9 और 100 के वी ए के 5) नये/मरम्मत किये हुए ट्रान्सफार्मरों द्वारा प्रतिस्थापित किये गये किन्तु 33 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर (मूल्य : 4·23 लाख रुपये) 12 संबंधित अवर अभियन्ताओं द्वारा स्टाक में नहीं लिये गये । इसके फलस्वरूप स्टाक रजिस्टर में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का लेखा कम हुआ है ।

(iv) कानपुर विद्युत् आपूर्ति उपक्रम (केसा) के अभिलेखों की अक्टूबर 1986 में जांच के दौरान यह पाया गया कि कार्यस्थल से प्राप्त क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों और प्राइवेट पार्टियों अथवा विभागीय

*आंकड़े 25 में से लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किये गये 7 अवर अभियन्ताओं के अभिलेखों पर आधारित हैं ।

मरम्मत कर्मशालाओं से मरम्मत के उपरान्त वापस प्राप्त मरम्मत शुदा ट्रान्सफार्मरों के सम्बन्ध में बिन कार्ड/स्टाक लेखा नहीं रखे गये । इस प्रकार, ऐसे सभी ट्रान्सफार्मर (परिणाम तथा कीमत अनिश्चित) स्टाक के बाहर रहे ।

आपूर्तिकर्ताओं अथवा कार्य-स्थल से प्राप्त कार्य करने की स्थिति वाले ट्रान्सफार्मरों के सम्बन्ध में बिन कार्ड भण्डार अनुभाग में रखे जाते हैं । जांच परीक्षण (अक्टूबर 1986) से यह प्रकाश में आया कि कार्यस्थल से प्राप्त (अक्टूबर 1983 से दिसम्बर 1985) कार्य करने की स्थिति वाले 86 ट्रान्सफार्मरों में से केवल 36 ट्रान्सफार्मरों की प्राप्तियां बिन कार्डों में चढ़ाई गई और शेष 50 ट्रान्सफार्मरों (कीमत : 27.45 लाख रुपये) को स्टाक लेखे से बाहर रखा गया (अक्टूबर 1986) ।

(v) ट्रान्सफार्मरों के इतिवृत्त कार्डों के रख-रखाव न किये जाने के विषय में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.06 में उल्लेख किया गया था । यह देखा गया कि आडिट में जांच परीक्षित 9 इकाइयों में से 8 इकाइयों द्वारा इतिवृत्त कार्ड नहीं रखे गये । इतिवृत्त कार्डों को न रखने के कारण न तो बारम्बार होने वाली क्षतियों के कारणों के विश्लेषण हेतु ट्रान्सफार्मर विशेष में क्षति की बारम्बारता सुनिश्चित की जा सकी और न ही ट्रान्सफार्मरों की आपूर्तिकर्त्ता/मरम्मत करने वाली फर्मों का कार्य सम्पादन सुनिश्चित किया जा सका ।

(vi) केसों में जहां ट्रान्सफार्मरों के इतिवृत्त कार्डों का रख-रखाव किया गया था, कार्डों की जांच से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

(क) 50 के वी ए से 1000 के वी ए की क्षमता वाले 28 ट्रान्सफार्मरों के सम्बन्ध में, जिनकी कीमत 16.42 लाख रुपये थी, इतिवृत्त कार्डों में उनकी प्राप्ति की तिथि (1960-61 से 1985-86) से ऐसा कोई विवरण उपलब्ध न था (अक्टूबर 1986) कि क्या उन्हें स्थापित किया गया था अथवा नहीं या क्या वे अच्छी अथवा क्षतिग्रस्त हालत में पड़े हैं ।

(ख) 32 ट्रान्सफार्मर जिनकी क्षमता 50 के वी ए से 1000 के वी ए थी तथा जिनकी कीमत 18.20 लाख रुपये थी अक्टूबर 1969 से मई 1986 के मध्य विभिन्न तिथियों से अच्छी हालत में पड़े थे किन्तु उन्हें स्थापित करके उपयोग में नहीं लाया गया (अक्टूबर 1986) । उपयोगी ट्रान्सफार्मरों के स्टाक की अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की गई ।

(ग) 5 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य : 3.44 लाख रुपये) सहित 14.39 लाख रुपये मूल्य के 100 के वी ए से 1000 के वी ए की क्षमता वाले 20 ट्रान्सफार्मर, जिनकी मरम्मत गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण निमूल्य की जानी थी, फरवरी 1983 से जनवरी 1986 की अवधि में दो स्थानीय फर्मों को मरम्मत हेतु भेजे गये किन्तु मरम्मत करके फर्मों द्वारा मरम्मत के बाद वापस नहीं भेजे गये । (अक्टूबर 1986) यद्यपि मरम्मत करने वाली फर्मों के साथ किये गये अनुबंधों के अनुसार मरम्मत के लिये स्वीकृत समय मरम्मत हेतु आकलन की स्वीकृति की तिथि से एक माह था । आकलन कब स्वीकृत किये गये तथा चूक करने वाली फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी इनके विषय में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था ।

3क.3. **कर्मशालाओं का कार्य-सम्पादन**

3क.3.1. क्षेत्रीय अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्टों के अनुसार विभाग द्वारा तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा वर्ष 1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मरों की संख्या तथा केवल प्राइवेट पार्टियों द्वारा मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मरों की संख्या इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्स प्रोक्योरमेण्ट सर्किल (ई0 एस0 पी0 सी0) I, लखनऊ सभी क्षेत्रों के लिये मरम्मत सम्बन्धी अनुबंधों का निष्पादक प्राधिकरण के अभिलेखों के अनुसार निम्नांकित सारणी में दी गयी है :

वर्ष	**सम्बन्धित वर्षों में मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मर**	
	क्षेत्रीय अध्यक्षों के अभिलेखों के अनुसार विभाग तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा	**ई0एस0पी0सी0I लखनऊ के अभिलेखों के अनुसार एकमात्र प्राइवेट पार्टियों द्वारा**
1983-84	7937	8872
1984-85	5272	8448
1985-86	6141*	10979

क्षेत्रीय अध्यक्षों द्वारा सभी तीन वर्षों के जो आंकड़े रिपोर्ट किये गये उन्हें ई0 एस0 पी0 सी0 I लखनऊ के आंकड़ों से समाधानित नहीं किया गया, क्योंकि क्षेत्रीय अध्यक्षों द्वारा रिपोर्ट किये गये आंकड़े ई0 एस0 पी0 सी0 I के अभिलेखों में दिखाये गये आंकड़ों से अधिक होने चाहिये थे । इस प्रकार मानीटरिंग हेतु आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

3क.3.2. लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई से नवम्बर 1986) 5 विभागीय मरम्मत कर्मशालाओं (विद्युत परीक्षण प्रखण्ड, गोरखपुर की एक विद्युत ट्रान्सफार्मर मरम्मत कर्मशाला और 4 वितरण ट्रान्सफार्मर मरम्मत कर्मशालायें) की जांच करने पर यह पता चला कि स्थापित क्षमतायें और साथ ही साथ कर्मशालाओं में मरम्मत हेतु वार्षिक लक्ष्य परिषद् द्वारा निर्धारित नहीं किये गये । तथापि 1985-86 तक 5 वर्षों हेतु 5 कर्मशालाओं का भौतिक तथा वित्तीय कार्य-सम्पादन नीचे दिया गया है :

*मेरठ क्षेत्र के फरवरी एवं मार्च 1986 और पर्वतीय क्षेत्र देहरादून के 1985-86 के आंकड़ों को छोड़कर ।

(क) गोरखपुर स्थित पावर ट्रान्सफार्मर वर्कशाप

वर्ष	वर्ष के दौरान मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मर	वर्ष के दौरान व्यय मरम्मत पर	कर्मशाला स्थापना पर	योग	वर्ष के अंत में मरम्मत हेतु प्रतीक्षित क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर
	(संख्या में)	(लाख रुपयों में)			(संख्या)
1981-82	10	0·84	0·87	1·71	17
1982-83	8	1·19	0·97	2·16	28
1983-84	4	1·00	1·13	2·13	34
1984-85	3	1·04	1·24	2·28	33
1985-86	2	0·94	1·55	2·49	38

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय है :

(i) यद्यपि परिषद् द्वारा स्थापित क्षमता और मरम्मत के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये, तथापि प्रखण्ड अधिकारी विद्युत् जांच प्रखण्ड गोरखपुर ने बताया (सितम्बर 1986) कि कर्मशाला को वर्ष में 15 ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत करने हेतु सज्जित किया गया था। इस क्षमता के आधार पर कर्मशाला की वास्तविक क्षमता का उपयोग 1981-82 में 66·7 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 13·3 प्रतिशत रह गया। सितम्बर 1986 में प्रखण्ड अधिकारी ने निम्न क्षमता उपयोग का मुख्य कारण मरम्मत कार्य के लिये परिषद् से निधि का अनावंटन तथा अप्राप्यता बताया गया।

(ii) निम्न क्षमता उपयोग के फलस्वरूप कर्मशाला की प्रतिष्ठान लागत का अवसमावेशन (अण्डर एब-जार्पशन) हुआ। 1985-86 तक 5 वर्षों के दौरान मरम्मत लागत से प्रतिष्ठान लागत की प्रतिशतता ऐसे कार्यों के लिये प्राक्कलन बनाने हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत के समक्ष 82 से 165 रही।

(ख) वितरण ट्रान्सफार्मर कर्मशालायें

निम्नांकित तालिका 31 मार्च 1986 तक 5 वर्षों के दौरान चार कर्मशालाओं का उत्पादन और वितरण तथा ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत पर व्यय सूचित करती है :

कर्मशाला चलाने वाले प्रखण्ड का नाम	वर्ष	वर्ष में मरम्मत किये गये ट्रान्स-फार्मरों की संख्या	वर्ष में किया गया व्यय मरम्मत पर	कर्मशाला प्रतिष्ठान पर	योग
			(लाख रुपयों में)		
ई० डी० डी० I	1981-82	42	1·50	0·80	2·30
गाजियाबाद	1982-83	44	1·80	1·11	2·91
	1983-84	29	0·55	1·45	2·00
	1984-85	11	0·30	1·77	2·07
	1985-86	15	0·33	2·37	2·74
ई० डी० डी० II	1981-82	72	0·60	0·80	1·40
गाजियाबाद	1982-83	111	0·90	1·51	2·41
	1983-84	74	0·60	1·62	2·22
	1984-85	100	0·92	1·85	2·77
	1985-86	120	1·04	2·05	3·09
ई० डी० डी०	1981-82	13	उपलब्ध नहीं	2·45	2·45
लखनऊ	1982-83	16	,,	2·55	2·55
	1983-84	4	,,	2·65	2·65
	1984-85	—	,,	2·83	2·83
	1985-86	1	,,	2·90	2·90
ई० डी० डी० I	1981-82	21	उपलब्ध नहीं	0·99	0·99
गोरखपुर	1982-83	23	,,	1·01	1·01
	1983-84	14	,,	1·03	1·03
	1984-85	5	,,	1·04	1·04
	1985-86	7	,,	1·07	1·07

निम्नांकित सम्मीक्षाएं दी जाती हैं :

(i) ई० डी० डी० II गाजियाबाद कर्मशाला को छोड़कर सभी कर्मशालाओं में ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत सम्बन्धी कार्य सम्पादन की प्रवृत्ति अत्यधिक गिरती गयी ।

(ii) 4 कर्मशालाओं में से किसी में भी परिषद् के नियमों तथा आदेशों के अनुसार रखे जाने हेतु अपेक्षित कर्मशाला उचन्त खाता (वर्कशाप सस्पेन्स एकाउन्ट), आउट टर्न एकाउन्ट तथा जाब कार्ड का रख-रखाव नहीं किया गया । परिणामस्वरूप व्यक्तियों तथा मशीनों के प्रभावी उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं था ।

(iii) कर्मशालाओं के कम उत्पादन के फलस्वरूप प्रतिष्ठान प्रभार मरम्मत लागत से अनानुपातिक (डिसप्रपोरशनेट) हो गये । दो कर्मशालाओं के संबंध में, जिनकी वर्षों के दौरान मरम्मत लागत उपलब्ध थी, 1985-86 तक 5 वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत के समक्ष, मरम्मत की लागत से अधिष्ठान लागत की प्रतिशतता 53 और 718 के मध्य थी ।

3 क.3.3. कर्मशालाओं का वृद्धीकरण

सितम्बर 1981 में, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं को यह निर्देश दिया गया कि वे क्षेत्रों के सभी वितरण प्रखण्डों को मरम्मत की सुविधा प्रदान करने और नये ट्रान्सफार्मरों के क्रय पर किये जाने वाले व्यय को कम करने के दृष्टिकोण से उस समय वर्तमान 6 क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक क्षेत्रीय कर्मशाला तथा दो प्रखण्डीय कर्मशालाओं की स्थापना करें । कुल 16.75 लाख रुपये के पूंजी निवेश से कुल 11400 वितरण ट्रान्सफार्मरों की वार्षिक मरम्मत क्षमता के आधार पर 6 क्षेत्रीय और 12 प्रखण्डीय कर्मशालाओं की स्थापना के फलस्वरूप 138.91 लाख रुपये की बचत संकल्पित थी । तथापि अब तक (दिसम्बर 1986) जैसा कि योजना में संकल्पित था, एक भी कर्मशाला की स्थापना नहीं हो सकी, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे ।

1985-86 तक तीन वर्षों में विभागीय सुविधा के अभाव में प्राइवेट पार्टियों द्वारा मरम्मत कराये गये ट्रान्सफार्मरों की संख्या 28,299 थी । योजना में प्रायोजित बचत के आधार पर, इस प्रकार 275.07 लाख रुपये की बचत छोड़ दी गयी ।

3 क.4. प्राइवेट पार्टियों द्वारा ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत

3 क.4.1. परिषद् की सभी वितरण इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु ई एस पी सी I, लखनऊ द्वारा समय-समय पर दर-संविदायें (रेट कान्ट्रेक्टों), की गयीं । विभिन्न फर्मों के साथ निष्पादित दर-संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार फर्मों से अपेक्षित था कि वे मरम्मत के लिये उनको आवंटित ट्रान्सफार्मरों की संख्या के समक्ष ब्याज प्रतिभूतियों (इन्टरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज), बैंक ड्राफ्ट/गारण्टी के रूप में प्रति ट्रान्सफार्मर उसकी क्षमता के अनुसार विभिन्न दरों पर प्रतिभूति जमा का भुगतान करें । जितने ट्रान्सफार्मरों के लिये प्रतिभूतियां जमा की गयी थीं फर्मों को मरम्मत हेतु उससे अधिक ट्रान्सफार्मर नहीं दिये जाने थे । इन अनुबंधों की समीक्षा से निम्नांकित पहलू सामने आये :

(क) जनवरी 1976 की एक दर-संविदा के समक्ष बुलन्दशहर की एक फर्म ने 10,000 रुपये की प्रतिभूतियां (16 ट्रान्सफार्मरों) की सुरक्षा हेतु 8,000 रुपये सम्मिलित करके जमा कीं, किन्तु फर्म को मार्च से अगस्त की अवधि में मरम्मत हेतु 42 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर सुपुर्द किये गये । फर्म ने दिसम्बर 1977 तक केवल 4 मरम्मतशुदा ट्रान्सफार्मर लौटाये और 38 ट्रान्सफार्मर (कीमत : 1.38 लाख रुपये) नहीं लौटाये (दिसम्बर 1986) । परिषद् ने फर्म की 10000 रुपये की प्रतिभूति जमा धनराशि जब्त कर लिया । फर्म को 16 ट्रान्सफार्मरों, जिनके लिये प्रतिभूति दी गयी थी, से अधिक संख्या में ट्रान्सफार्मर सुपुर्द किये जाने के विषय में परिषद् द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया (दिसम्बर 1986) ।

(ख) क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु दिसम्बर 1974 से अगस्त 1980 की अवधि में तीन फर्मों के साथ निष्पादित चार दर-संविदाओं के समक्ष फर्मों को अक्टूबर 1975 से जून 1982 की अवधि में 1041 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर सुपुर्द किये गये, जिनमें से 678 मरम्मतशुदा ट्रान्सफार्मर उनके द्वारा दिसम्बर 1978 से मई 1982 की अवधि में लौटाये गये । शेष 363 ट्रान्सफार्मर (मूल्य : 15.15 लाख रुपये) फर्मों द्वारा नहीं लौटाये गये (दिसम्बर 1986) जैसा नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है :

फर्म का नाम	दर-संविदा की संख्या और निष्पादन का माह (कोष्ठकों में)	फर्म को सुपुर्द किये गये ट्रान्सफार्मरों की संख्या तथा सुपुर्दगी की तिथि (कोष्ठकों में)	मरम्मत के बाद लौटाये गये ट्रान्सफार्मरों की संख्या तथा लौटाने की अवधि (कोष्ठकों में)	न लौटाये गये ट्रान्सफार्मरों की संख्या	कीमत (लाख रुपयों में)	बैंक गारण्टी की कुल धनराशि तथा वैधता तिथियां (धनराशि लाख रुपयों में)
क	745/74 (दिसम्बर 1974)	217 (अक्टूबर 1975 से अक्टूबर 1976)	199 (दिसम्बर 1978)	18	0.93	0.50 (31 दिसम्बर 1981)
ख	830/78 (अक्टूबर 1978)	492 (अगस्त 1979 से मई 1982)	277 (अगस्त 1979 से मई 1982)	215	8.60	1.32 (5 मार्च 1985 से 2 जनवरी 1986)
	1/20 (अगस्त 1980)	7 (मार्च से जून 1982)	शून्य	7	0.70	0.18 (3 दिसम्बर 1984 से 3 दिसम्बर 1985)
ग	830/78 (अक्टूबर 1978)	325 (मार्च से मई 1979)	202 (मार्च 1980 से नवम्बर 1981)	123	4.92	1.43 (31 दिसम्बर 1981)

निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(i) बैंक गारण्टी के नकदीकरण हेतु समय-समय पर परिषद् के निवेदन पर, बैंकों ने इस आधार पर उनका नकदीकरण करने से इन्कार कर दिया (जुलाई 1983/फरवरी 1982) कि फर्म 'क' के मामले में दावा बैंक गारण्टी की वैधता अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया था, फर्म 'ग' के मामले में परिषद् ने इसके विभिन्न बिलों के भुगतान में देर की, जिसके फलस्वरूप फर्म के सम्मुख वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो गयीं, जबकि फर्म 'ख' के संबंध में यद्यपि बैंक गारण्टी के नकदीकरण के विषय में जून 1980 से अगस्त 1986 की अवधि में निवेदन किया गया था बैंक की ओर से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (दिसम्बर 1986) । परिषद् ने (जनवरी 1985) फर्म 'क' तथा 'ग' द्वारा प्रदान की गई गारण्टी की धनराशियों की वसूली हेतु बैंकों के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर कर दिया (जनवरी 1985), जो न्यायालय में अनिर्णित पड़े हैं (दिसम्बर 1986) ।

(ii) फर्म 'ख' तथा 'ग' के संबंध में परिषद् ने परेषिती (कनसाइनी) इकाइयों को फर्मों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने की राय दी । इस पर, फर्म 'ख' ने 12 ट्रान्सफार्मरों की सुपुर्दगी निवेदित की (सितम्बर 1986) और परिषद् ने फर्म 'ख' के विरुद्ध पहले परामर्शित कार्यवाही रोक दी । 12 ट्रान्सफार्मरों में से 11 ट्रान्सफार्मर परिषद् द्वारा निरीक्षित तथा अनुमोदित कर दिये गये (मार्च 1987) फर्म ने शेष 210 ट्रान्सफार्मर अभी तक (मार्च 1987) वापस नहीं किये । फर्म 'ग' के सम्बन्ध में परेषिती इकाइयों ने सितम्बर 1983 से सितम्बर 1984 में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0 आई0 आर0) दायर कर दी और मामले पुलिस के पास अनिर्णीत पड़े थे (मार्च 1987) ।

न तो 3.43 लाख रुपयों की बैंक गारण्टियों का नकदीकरण किया जा सका और न ही क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की वापसी हेतु कोई कार्यवाही की गई (मार्च 1987) ।

3क.4.2. गारण्टी अवधि के भीतर मरम्मत शुदा ट्रान्सफार्मरों की क्षति

ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मों के साथ समय-समय पर ई0 एस0 पी0 सी0 I, लखनऊ तथा केसा द्वारा निष्पादित दर संविदाओं के अनुसार फर्म/परिषद् द्वारा सम्प्रेक्षण के पूर्व निरीक्षण से मरम्मतशुदा ट्रान्सफार्मरों की प्राप्ति तिथि से एक वर्ष/दो वर्ष की गारण्टी अवधि का प्रावधान था । यदि गारण्टी अवधि में प्रतिस्थापित कुण्डलनों (वाइण्डिंग्स) और/या अकुशल कारीगरी के कारण गारण्टी अवधि में ट्रान्सफार्मरों में कोई दोष उत्पन्न होता है तो मरम्मत करने वाली फर्मे ऐसे ट्रान्सफार्मरों की दो माह की अवधि के अन्दर निर्मूल्य मरम्मत करने के लिए दायी थीं ।

9 इकाइयों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा (मई 1986 से नवम्बर 1986) में जांच परीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दु देखे गये :

(i) केसा में, 400 के वी ए का एक ट्रान्सफार्मर तथा 630 के वी ए के दो ट्रान्सफार्मर जो कानपुर की एक फर्म से सितम्बर 1982 से अक्तूबर 1983 के दौरान मरम्मत के उपरान्त (कुल मरम्मत लागत

0.65 लाख रुपये) प्राप्त हुये थे, फर्म द्वारा मरम्मत-शुदा ट्रान्सफार्मरों की सुपुर्दगी की तिथि से दो वर्ष की गारण्टी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त हो गये । इन तीनों ट्रान्सफार्मरों की केसा द्वारा ट्रान्सफार्मरों की क्षतियों का कारण सुनिश्चित किये बिना पुनः मरम्मत करायी गयी (जून 1985 से फरवरी 1986 के दौरान दो को कानपुर की एक अन्य फर्म द्वारा और एक को उसी फर्म द्वारा) और अक्तूबर 1985 से जून 1986 के दौरान दो फर्मों को कुल मिलाकर 0.97 लाख रुपयों (0.09 लाख रुपयों के अनिस्तारित भुगतानों को असम्मिलित करके) का मरम्मत प्रभारों के रूप में भुगतान किया गया ।

(ii) ई0 डी0 डी0 II और III गाजियाबाद में, मार्च 1982 से जून 1984 के दौरान 3 फर्मों से मरम्मत के उपरान्त प्राप्त विविध क्षमता वाले 8 ट्रान्सफार्मर (कुल मरम्मत लागत: 0.37 लाख रुपये) सुपुर्दगी की तिथि से एक वर्ष की गारण्टी अवधि के अन्दर क्षतिग्रस्त हो गये । निर्मूल्य मरम्मत कराने के लिये ट्रान्सफार्मरों की क्षति का कारण सुनिश्चित किये बिना इन ट्रान्सफार्मरों की बाद में अन्य फार्मों से 0.46 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर (वास्तविक लागत उपलब्ध नहीं थी) मरम्मत करवायी गयी ।

परिषद् द्वारा फर्म पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु, यदि कोई है, मरम्मतशुदा ट्रान्सफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई (मार्च 1987) ।

3क.5. अन्य रोचक प्रसंग

3क.5.1. ट्रान्सफार्मरों के जले हुये रद्दी (स्क्रेप) तांबे के लेग क्वाइलों का निस्तारण

मरम्मत न होने योग्य क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के स्टाक में पड़े हुये अनुपयोगी/अप्रयुक्त (अब्सोलीट)/रद्दी सामग्रियों का निस्तारण, जिनमें जले हुए रद्दी तांबे के लेग क्वाइल भी सम्मिलित हैं, परिषद् द्वारा नीलामों के माध्यम से किया जाता है ।

लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर तथा गाजियाबाद स्थित विद्युत भण्डार प्रखण्डों के अभिलेखों के जांच परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि फरवरी 1982 से जून 1986 की अवधि में समय-समय पर जो जले हुए/रद्दी तांबे के लेग क्वाइल नीलामों में जिन दरों पर बेचे गये वे दरें नीलाम से सम्बन्धित महीनों में प्रचलित तांबे की रद्दी की औसत मासिक दरों की अपेक्षा बहुत नीची थी जिसके कारण उस अवधि में 235.37 टनों की बिक्री में कुल 10.24 लाख रुपये की कम वसूली हुयी ।

3क.5.2. पुराने/प्रयुक्त ट्रान्सफार्मर तेल का कम लेखा करना

सितम्बर 1981 में निर्गत अनुदेशों के अनुसार क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के लिए भेजने के पूर्व नेम प्लेट में उल्लिखित टैंक क्षमता के अनुसार ट्रान्सफार्मर तेल की सम्पूर्ण मात्रा निकाल ली जानी थी और उसको लेखे में ले लेना था । यदि तेल की मात्रा नेम प्लेट में उल्लेख की गई मात्रा से कम पायी जाये तो ऐसी कमियों के लेखाकरण हेतु कार्यवाही की जानी थी ।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु देखे गये:

(क) 9 इकाइयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण में (जुलाई से नवम्बर 1986) यह देखा गया कि 5 इकाइयों के संबंध में प्रत्येक ट्रान्सफार्मर के विषय में उसकी प्रकार (मेक), क्षमता, क्रम संख्या, टैंक क्षमता तथा समय-समय पर निकाले गये और लेखाबद्ध किये गये तेल को प्रदर्शित करने वाले अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया ।

शेष 4 इकाइयों के संबंध में यह देखा गया कि 1862 ट्रान्सफार्मरों से निकाले गये (अप्रैल 1981 से सितम्बर 1986) 5.50 लाख रुपये मूल्य के 110 किलो लीटर तेल का कम लेखा किया गया । जांच पड़ताल के उपरान्त कमियों के स्पष्टीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(ख) केसा में, क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से सम्बन्ध रखने वाले सब-स्टेशन अनुभाग ने क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से तेल निकाला और उसे भण्डार अनुभाग को उसका लेखा करने के लिए दे दिया । यह देखा गया कि 31 मार्च 1984 के पूर्व सब-स्टेशन से प्राप्त निकाले गये तेल के सम्बन्ध में भण्डार अनुभाग द्वारा स्टाक अभिलेख नहीं रखे गये । लेखा परीक्षा में जांच परीक्षण (अक्तूबर 1986) से यह पता चला कि मई 1981 से मार्च 1984 (22.78 किलो लीटर) तथा नवम्बर 1984 से मार्च 1985 (3.56 किलो लीटर) के दौरान सब-स्टेशन अनुभाग द्वारा भण्डार अनुभाग को दिये गये 26.34 किलोलीटर तेल (मूल्य 1.32 लाख रुपये) का भण्डार अनुभाग द्वारा स्टाक में लेखा नहीं किया गया ।

3क.5.3. एक फर्म द्वारा रख लिये गये जले हुए/क्षतिग्रस्त लेग क्वाइल के मूल्य का अपुनरीक्षण

परिषद् द्वारा मेरठ की एक फर्म के साथ मदवार दरों के आधार पर क्षतिग्रस्त शक्तिचालित ट्रान्सफार्मरों को मरम्मत के लिए, 2 वर्ष की अवधि हेतु एक दर-संविदा इस शर्त के साथ निष्पादित की गयी (फरवरी 1980) कि संविदा की अवधि दोनों पक्षों की सहमति से एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती थी । संविदा के प्रावधानों के अनुसार नये एच0 वी0 तथा एल0 वी0 क्वाइल के सिवाय सभी मदों की दरें नियत थीं । संविदा की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने के लिए फर्म की सहमति मांगने पर (मार्च 1982) फर्म ने आई0 ई0 एम0 ए0 परिपत्रों के अनुसार प्रत्येक माह के दौरान प्रचलित मूल्यों के आधार पर ट्रान्सफार्मर तेल के लिये अनियत मूल्य की मांग की (मार्च 1982) । परिषद् के सामग्री प्रबन्ध प्रशाखा (मैटीरियल मैनेजमेन्ट विंग) ने फर्म की मांग पर विचार किया और अपनी जुलाई 1982 की टिप्पणी में परिषद् की केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति को यह संस्तुति दी कि ट्रान्सफार्मर तेल के लिये फर्म को अस्थिर मूल्य की स्वीकृति देना परिषद् के हित में होता जैसा कि उसी प्रकार की संविदा विशिष्टि के समक्ष अन्य फर्मों को स्वीकृति दी गयी थी किन्तु साथ ही साथ फर्म द्वारा रख लिये गये जले हुये/क्षतिग्रस्त लेग क्वाइलों का मूल्य भी, जो फर्म द्वारा परिषद् को देय था, एकोनामिक टाइम्स दिल्ली में प्रकाशित औसत मासिक मूल्य पर आधारित होना चाहिए क्योंकि उसी प्रकार की संविदा विशिष्टि के समक्ष अन्य फर्मों के साथ निष्पादित संविदाओं के मामलों में इस मद का मूल्य भी अस्थिर था ।

कमेटी ने सामग्री प्रबन्ध प्रशाखा (मैटीरिएल मैनेजमेन्ट विंग) की संस्तुतियों पर अपनी जुलाई 1982 में हुयी बैठक

में विचार किया और अनुबन्ध की अवधि को और दो वर्षों तक बढ़ाते समय उन ट्रान्सफार्मरों के संबंध में जो फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में अनुबन्ध में संशोधन निर्गत करने की तिथि के उपरान्त प्राप्त किये जायेंगे, ट्रान्सफार्मर तेल के मूल्य को अस्थिर बनाने का निर्णय लिया । जले हुये/क्षतिग्रस्त लेग क्वाइलों के सम्बन्ध में मूल्य अस्थिरता के प्रश्न पर कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया । तथापि दर अनुबन्ध में संशोधन 27 अगस्त 1982 को निर्गत किया गया और अनुबन्ध की अवधि अन्तिम रूप से उन्ही शर्तों पर जून 1987 तक बढ़ा दी गयी (दिसम्बर 1986) ।

फर्म ने अगस्त 1982 और नवम्बर 1986 के बीच अनुबन्ध की उपर्युक्त बढ़ी हुई अवधि के अनुबन्ध के समक्ष 136 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर प्राप्त किये जिनकी मरम्मत के लिये लेखापरीक्षा में जांच परीक्षित 19 ट्रान्सफार्मरों के संबंध में किये गये भुगतानों से यह पता चला कि परिषद् ने जले हुए/क्षतिग्रस्त लेग क्वाइलों का मूल्य अस्थिर दरों के बजाय स्थिर रखने से 2.42 लाख रुपयों की हानि उठायी ।

3.5.4. क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का कम लेखागत किया जाना

ई0 डी0 डी0 कानपुर के अवर अभियन्ता द्वारा एक अन्य अवर अभियन्ता को अपना कार्यभार सौंपते समय (मार्च/अप्रैल 1986) 15, 25, 63 और 100 के0 वी0 ए0 की क्षमता के 220 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के निर्गमों (स्टाक अभिलेखों के अनुसार) के समक्ष दूसरे अवर अभियन्ता ने अपने स्टाक लेखे में मात्र 179 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को लेखे में दिखाया, इसके फलस्वरूप 41 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों (मूल्यः 3.78 लाख रुपये) का कम लेखा किया गया । परिषद् द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक (दिसम्बर 1986) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई ।

3क. 6. समाहार

(i) 31 मार्च 1986 को, 16344 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर (मूल्यः 8.06 करोड़ रुपये) मरम्मत के लिये प्रतीक्षित थे और 9805 ट्रान्सफार्मर (मूल्यः 1.95 करोड़ रुपये) निस्तारण हेतु प्रतीक्षित थे ।

(ii) केसा में, 50 ट्रान्सफार्मरों (मूल्यः 27.45 लाख रुपये) को लेखे में नहीं लिया गया, कार्य करने की स्थिति वाले 32 ट्रान्सफार्मरों (मूल्यः 18.20 लाख रुपये) को अक्तूबर 1969 से मई 1986 तक स्थापित नहीं किया गया, 20 ट्रान्सफार्मर (मूल्यः 14.30 लाख रुपये) उनकी मरम्मत के लिये सौंपे गये फर्म से वापस प्राप्त नहीं हुए और केसा तथा अन्य 2 प्रखण्डों के मरम्मत कराये गये 11 ट्रान्सफार्मर गारण्टी अवधि में ही असफल हो गये और क्षति के कारण का निश्चय किये बिना 1.52 लाख रुपयों की लागत से उनकी पुनः मरम्मत करायी गयी ।

(iii) पांच कर्मशालाओं में से किसी में भी दर क्षमतायें और लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये और 1985-86 तक पांच वर्षों में इन कर्मशालाओं में स्थापना लागत की मरम्मत लागत से प्रतिशतता परिषद् द्वारा नियत 20 के समक्ष 53 से 718 तक थी । यदि 1985-86 तक तीन वर्षों की अवधि में प्राइवेट पार्टियों से मरम्मत कराये गये 28,299 ट्रान्सफार्मरों की विभागीय मरम्मत की गयी होती तो परिषद् द्वारा 275.07 लाख रुपयों की बचत कर ली गयी होती ।

(iv) एक मरम्मत करने वाली फर्म ने 38 ट्रान्सफार्मर (मूल्य : 1.38 लाख रुपये) 10 वर्ष के बाद भी वापस नहीं किये और तीन अन्य फर्मों ने 1975-1982 की अवधि में मरम्मत के लिये दिये गये 363 ट्रान्सफार्मरों (मूल्यः 15.15 लाख रुपये) को वापस नहीं किया । बाद वाली तीनों फर्मों की बैंक गारण्टियां परिपक्वता अवधि के पूर्व नहीं भुनायी गयीं ।

(v) फरवरी 1982 से जून 1986 की अवधि में की गई 35 नीलामियों में 10.24 लाख रुपयों की कम वसूली हुयी ; नीलामों में स्वीकृत किये गये मूल्य सम्बन्धित महीनों में बाजार में प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा कम थे ।

(vi) जांच परीक्षण के दौरान (क) 136.34 किलो लीटर ट्रान्सफार्मर तेल (मूल्य 6.82 लाख रुपये) और (ख) 41 ट्रान्सफार्मरों (मूल्यः 3.78 लाख रुपये) का कम लेखा किया जाना/लेखा न किया जाना भी देखा गया ।

3ख. सामग्री/नकद का अन्तर्प्रखण्डीय स्थानान्तरण

3ख.1. प्रस्तावना

भण्डार उपस्कर इत्यादि आवश्यकताओं के अनुसार परिषद् के एक प्रखण्ड से दूसरे प्रखण्ड में स्थानान्तरित किये जाते हैं । इन अन्तर्प्रखण्डीय स्थानान्तरणों (आई0 डी0 टी0) के लिये सम्प्रेषक प्रखण्ड को एक 'स्थानान्तरण नामे की सूचना' (एडवाइस आफ ट्रान्सफर डेबिट) भेजनी चाहिए जिसको प्राप्त करने वाले प्रखण्ड द्वारा सामग्री निर्गत करने की तिथि से एक मास के अन्दर स्वीकार किया जाना तथा लेखे में लिया जाना अपेक्षित है ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 6.16 में प्रखण्डों के मध्य स्थानान्तरित भण्डारों, उपस्करों इत्यादि के संबंध में नामे (डेबिट) की स्वीकृति तथा लेखाकरण में विलम्ब का उल्लेख किया गया था । जून 1985 में प्रतिवेदन पर लोक उपक्रम समिति (कमिटी आन पब्लिक अण्डरटेकिंग) द्वारा बहस की गयी थी तथा समिति की संस्तुतियां, यदि कोई थी, प्रतीक्षित हैं । (जुलाई 1987) ।

परिषद् ने अक्तूबर 1985 में मुख्य अभियन्ताओं को अनुदेश जारी किये कि वे परिषद् के वर्ष 1985-86 के लेखे में सारे अनिस्तारित ए0 टी0 डी0 के शोधन हेतु विशेष प्रयास करें । लेखापरीक्षा में समीक्षित (अक्तूबर 1986 से जनवरी 1987) वर्तमान स्थिति की निम्नांकित प्रस्तरों में चर्चा की गई है ।

1985-86 तक पांच वर्षों के अन्त में अनिस्तारित ए0 टी0 डी0 के अस्वीकृत/बिना उत्तर दिये गये नामे शेष (अनरेस्पान्डेड डेबिट बैलेंसेज) निम्नवत् थे :

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपयों में)
1981-82	66.08
1982-83	90.47
1983-84	87.02
1984-85	215.11
1985-86	231.60 (अनन्तिम)

परिषद् के पास इन असमायोजित नामे शेष (डेबिट बैलेन्सेज) के क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं थे ।

3 ख.2. 'समाशोधन लेखे अन्तर्प्रखण्डीय स्थानान्तरणों' की ब्राड शीट

3ख.2.1. अप्रैल 1984 के पूर्व, परिषद् के केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा ए0 टी0 डी0 के समाशोधन हेतु एक ब्राड शीट का रखरखाव किया जाता था । पहली अप्रैल 1984 से लेखाकरण व्यवस्था के पुनर्गठन किये जाने पर, क्षेत्र के भीतर होने वाले लेन-देनों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ब्राड शीटों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा क्षेत्रों के बाहर होने वाले लेन-देनों के लिए ब्राड शीटों का रख-रखाव परिषद् के केन्द्रीय लेखा कार्यालय में किया जाना है ।

परिक्षेत्रों के उप मुख्य लेखाधिकारियों से भी यह अपेक्षित था कि वे अपने परिक्षेत्रों के सम्बन्ध में अप्रैल 1984 के पूर्व की अनिस्तारित मदों को केन्द्रीय लेखा कार्यालय से अधिक से अधिक 30 जून 1984 तक समशोधन देखने के लिए एकत्रित करें ।

3 ख.2.2. 6 परिक्षेत्रीय कार्यालयों (कानपुर में 3 और वाराणसी, बरेली और आगरा में प्रत्येक में एक) के अभिलेखों तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय की ब्राड शीट के जांच परीक्षण (नवम्बर 1986—जनवरी 1987) से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये :

(i) परिषद् के केन्द्रीय लेखा कार्यालय ने फरवरी और जुलाई 1985 के मध्य संबंधित क्षेत्रों की केवल वर्ष 1977-78 से 1983-84 के अन्तर्प्रखण्डीय स्थानान्तरणों (आई0 डी0 टी0) की अनिस्तारित मदों की सूचियां प्रदान कीं . अभी तक (नवम्बर 1986) सम्बन्धित क्षेत्रों की वर्ष 1977-78 के पूर्व की असमायोजित और पड़ी हुई आई0 डी0 टी0 की मदों को तैयार करने तथा आपूर्ति करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(ii) आंकड़ों का वित्तीय लेखे में दर्शित आकड़ों से समाधान करने के लिये केन्द्रीय लेखा कार्यालय में तथा साथ ही साथ परिक्षेत्रीय स्तर पर रखी गई ब्राड शीटों का न तो योग ही निकाला गया है और न ही मासिक अथवा वार्षिक बकाये निकाले गये हैं ।

(iii) बरेली, कानपुर और आगरा परिक्षेत्रों के उप मुख्य लेखाधिकारियों ने केवल अप्रैल 1984 और उसके आगे आई0 डी0 टी0 के सम्बन्ध में ब्राड शीटों का रख रखाव किया है । कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन (केसा) और पनकी थर्मल पावर स्टेशन द्वारा कोई ब्राड शीट नहीं रखी गई और इसलिये सभी अनिस्तारित मदों का मिलान (पेयरिंग) तथा शोधन बिल्कुल ही नहीं किया गया ।

(iv) वाराणसी परिक्षेत्र में, परिक्षेत्र की विभिन्न इकाइयों से आई0 टी0 डी0 के अनिस्तारित मदों की सूचियां प्राप्त करने के बाद ब्राड शीट खोली गई जिनमें केन्द्रीय लेखा कार्यालय से स्थानान्तरित (मार्च 1985) मदों की संख्या से भिन्नता थी । दोनों के मध्य अन्तर का समाधान करने के लिए अभी तक (दिसम्बर 1986) कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(v) निम्नांकित सारणी 22 प्रखण्डों में लेखा-परीक्षित उन मामलों को सूचित करती है जो विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप अप्रैल 1984 में नई ब्राड शीटों के खोले जाने पर सम्बन्धित ब्राड शीटों से छूट गये थे, इसके फलस्वरूप इन मदों का मिलान नहीं हुआ :

	ए0 टी0 डी0 की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	अवधि
परिक्षेत्र के बाहर	40	6.16	नवम्बर 1952 से मार्च 1969
परिक्षेत्र में	857	235.48	अप्रैल 1966 से मार्च 1984

3ख.2.3. कानपुर, वाराणसी, बरेली और आगरा स्थित परिषद् के 22 प्रखण्डों में अनिस्तारित ए0 टी0 डी0 की जांच परीक्षा (नवम्बर 1980 से जनवरी 1987) से निम्नांकित बिन्दु प्रकट हुये :

(i) किसी भी प्रखण्ड ने अपेक्षित विवरणों के साथ परिषद् द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आने वाली तथा बहिर्गामी ए0 टी0 डी0 के रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया, जिससे मदों को सम्बद्ध करना असम्भव हो गया ।

(ii) वितरण खण्ड कानपुर ने परिषद् की 8 इकाइयों को स्टाक सामग्री स्थानान्तरित की और जून 1957 से अप्रैल 1975 के दौरान 4.86 लाख रुपयों की 30 ए0 टी0 डी0 का सृजन किया जिसके लिये समर्थक विवरण उपलब्ध नहीं थे, इसके फलस्वरूप उपर्युक्त ए0 टी0 डी0 का अस्वीकरण हुआ ।

(iii) परिषद् के आदेशानुसार (जुलाई 1972), एक इकाई द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को एक अन्य इकाई द्वारा प्राप्त सामग्रियों के लिये किये गये अग्रिम भुगतानों के लिये ए0 टी0 डी0 प्रत्यर्थी (रेस्पांडिंग) प्रखण्ड द्वारा सामग्रियों की अनापूर्ति/कम/दोषपूर्ण आपूर्तियों के मामलों में भी सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध 'प्रकीर्ण अग्रिम' को नामे डालते हुए स्वीकृत की जानी थी और अनापूर्ति/कम/दोषपूर्ण आपूर्तियों से संबंधित प्रकरण का अनुसरण उस प्रखण्ड द्वारा जहां सामग्री प्राप्त हुयी थी किया जाना चाहिये था । स्टोर्स प्रखण्ड

कानपुर को इस्पात की आपूर्ति हेतु इस्पात आपूर्तिकर्त्ताओं को किये गये अग्रिम भुगतानों के प्रति स्टोर्स प्रखण्ड के विरुद्ध इलेक्ट्रोसिटी स्टील, सेल, लखनऊ द्वारा सृजित 94.56 लाख रुपयों की ए0 टी0 डी0 जुलाई 1980 से मार्च 1981 के दौरान स्टोर्स प्रखण्ड द्वारा सामग्री का अप्राप्ति के बावजूद स्वीकार की गयी थी। अनापूर्तियों हेतु प्रकरण को आपूर्तिकर्ताओं/बीमा कम्पनियों के साथ लेने के बजाय मार्च 1981 से अप्रैल 1982 के दौरान स्टील सेल, लखनऊ के विरुद्ध 94.56 लाख रुपयों की नई ए0 टी0 डी0 सृजित की गयीं और उनका अभी भी समाशोधन किया जाना है।

(iv) 4 प्रखण्डों में, अक्टूबर 1982 से अक्टूबर 1986 की अवधि से सम्बन्धित 51.28 लाख रुपये मूल्य की 70 ए0 टी0 डी0 प्रत्यर्थी प्रखण्डों द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकीं क्योंकि सामग्रियां लेखे में नहीं ली गईं। सामग्री को लेखे में न लिये जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(v) दो प्रखण्डों में 19.96 लाख रुपये मूल्य की 10 ए0 टी0 डी0 प्रत्यर्थी प्रखण्डों द्वारा स्वीकृत नहीं की गईं क्योंकि 16.74 लाख रुपये की सामग्री को लेखे में नहीं लिया गया।

परिषद् द्वारा इनके कारणों की जांच पड़ताल अभी भी (जनवरी 1987) की जानी है।

(vi) मीटरों के संस्थापन के कारण टेस्ट डिवीजन वाराणसी द्वारा 1966-67 से 1985-86 की अवधि में सृजित 5.56 लाख रुपयों की 128 ए0 टी0 डी0 और टेस्ट डिवीजन अलीगढ़ द्वारा 1960-61 से 1969-70 की अवधि में सृजित 1.99 लाख रुपयों की 67 ए0 टी0 डी0 व्यय करने वाले प्रखण्डों द्वारा इसे स्वयं वहन करने की अपेक्षा वाले परिषद् के जनवरी 1973 के आदेशों के उल्लंघन में स्वीकृति हेतु लम्बित थीं। यह बताया गया (दिसम्बर 1986) कि ए0 टी0 डी0 की वापसी का मामला उप मुख्य लेखाधिकारी, वाराणसी को संदर्भित किया जा रहा है और उनके परामर्श की प्राप्ति पर कार्यवाही की जायेगी।

(vii) पनकी थर्मल प्रखण्ड ने फरवरी 1980 में 27.12 लाख रुपयों के नकद के स्थानान्तरण हेतु मार्च 1986 में (सिविल मेण्टीनेंस डिवीजन पनकी में 25 नवम्बर 1986 को प्राप्त) एक ए0 टी0 डी0 निर्गत की। सिविल मेण्टीनेंस प्रखण्ड पनकी की कैश बुक की प्रविष्टियों की लेखा परीक्षा द्वारा जांच करने पर यह देखा गया कि मात्र 4.50 लाख रुपयों की धनराशि ही फरवरी 1980 में प्रखण्ड में प्राप्त दिखायी गयी थी, यह 22.62 लाख रुपये लेखे में कम किये जाने को सूचित करती थी। उपर्युक्त ए0 टी0 डी0 की स्वीकृति रोकड़ के कम लेखा किये जाने की छान-बीन होने तक प्रतीक्षित थी (जनवरी 1987)।

(viii) पनकी थर्मल पावर स्टेशन के प्लान्ट स्टोर्स डिवीजन का अगस्त 1984 में पनकी थर्मल डिवीजन में विलय कर दिया गया परन्तु दोनों प्रखण्डों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध सृजित 152.17 लाख रुपये मूल्य की 24 ए0 टी0 डी0 स्वीकृति के अभाव में अब भी अनिस्तारित पड़ी थीं।

3ख.3. भण्डारों के दुर्विनियोग (मिसएप्रोप्रिएशन) के संदिग्ध प्रकरण

जांच परीक्षण के दौरान भण्डारों के सम्भावित दुर्विनियोग के निम्नांकित प्रकरण देखे गये :

(i) जनवरी 1966 में वितरण प्रखण्ड I, बरेली में जयपुर की एक प्राइवेट फर्म को 27018 टन एम0 एस0 एंगिल (मूल्य : 0.23 लाख रुपये) और फरवरी 1966 में ट्रान्समिशन डिवीजन रुड़की के विरुद्ध एक ए0 टी0 डी0 सृजित की। प्रत्यर्थी प्रखण्ड ने ए0 टी0 डी0 स्वीकार करने से इन्कार कर दिया (फरवरी 1982) क्योंकि उन्हें सामग्री प्राप्त नहीं हुयी थी। 20 वर्षों तक सामग्री का पता नहीं चल सका (दिसम्बर 1986) यह बताया गया (जनवरी 1987) कि प्रकरण का अनुसरण किया जा रहा था और आगे की प्रगति सूचित की जायेगी।

(ii) 1966-67 में अतिरिक्त पुर्जों सहित एक डीजल इंजन (कीमत : 0.44 लाख रुपये) वितरण प्रखण्ड बिजनौर से वितरण प्रखण्ड I, मुरादाबाद को स्थानान्तरित किया गया और 4 मार्च 1967 को एक ए0 टी0 डी0 सृजित की गई। 18 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त, प्रत्यर्थी प्रखण्ड ने सूचित किया (जून 1985) कि प्रखण्ड द्वारा डीजल इंजन प्राप्त नहीं हुआ था।

यह बताया गया (जनवरी 1987) कि प्रकरण की छानबीन की जा रही है।

(iii) उपसाधनों (एक्सेसरीज) सहित 3 एम0 वी0 ए0 का एक ट्रान्सफार्मर वितरण प्रखण्ड I, बरेली द्वारा ट्रांसमिशन प्रखण्ड सीतापुर को अगस्त 1964 में स्थानान्तरित किया गया और सितम्बर 1976 में 0.90 लाख रुपये की एक ए0 टी0 डी0 सृजित की गई। प्रत्यर्थी प्रखण्ड ने सूचित किया (जून 1983) कि ट्रांसफार्मर पहिले ही लौटा दिया गया था। ट्रांसफार्मर का पता ठिकाना विदित नहीं था (दिसम्बर 1986)।

(iv) 1.5 एम0 वी0 ए0 का एक ट्रान्सफार्मर (दोषपूर्ण) ट्रांसमिशन प्रखण्ड I, बरेली द्वारा वितरण प्रखण्ड बरेली को सुपुर्द किया गया (नवम्बर 1978)। 0.50 लाख रुपयों की सृजित की गयी ए0 टी0 डी0 प्रत्यर्थी प्रखण्ड द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी (दिसम्बर 1978) क्योंकि ट्रान्सफार्मर की प्राप्ति को लेखे में नहीं लिया गया था।

(v) जुलाई 1980 से मार्च 1981 की अवधि में, स्टोर्स डिवीजन आगरा ने वितरण प्रखण्डों के मथुरा, आगरा फिरोजाबाद, मैनपुरी और एटा के नियंत्रण के अधीन विभिन्न सब-स्टेशनों के कार्यस्थलों पर 1799 पी0 सी0 सी0 पोल (मूल्य : 5.94 लाख रुपये) पोलों की प्राप्ति स्वीकृति प्राप्त किये बिना सुपुर्द कर दिये। अतः ए0 टी0 डी0 सृजित नहीं

की जा सकीं । अभी तक (जनवरी 1987) प्रकरण की छानबीन नहीं की गयी है ।

(vi) भण्डार प्रखण्ड बरेली ने वितरण प्रखण्ड शाहजहांपुर को 220 पी0 सी0 सी0 पोल (कीमत : 1.01 लाख रुपये) निर्गत किये, अप्रैल 1982 और मई 1982 में एक ए0 टी0 डी0 सृजित की तथापि वितरण प्रखण्ड शाहजहांपुर ने सूचित किया (मार्च 1986) कि केवल 110 पी0 सी0 सी0 पोल ही प्राप्त हुये थे और यह कि उस कर्मचारी द्वारा जिसने सामग्री निर्गत की थी बीजकों में जालसाजी की गयी । भण्डार प्रखण्ड ने एक 80,300 रुपयों की एक नयी ए0 टी0 डी0 निर्गत की (मई 1986) और सम्बन्धित स्टोर कीपर के विरुद्ध 80,300 रुपयों का प्रकीर्ण अग्रिम डाल दिया । उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अब तक (जनवरी 1987) कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(vii) 100 पी0 सी0 सी0 पोलों के स्थानान्तरण हेतु सामग्री प्रखण्ड बरेली द्वारा वितरण प्रखण्ड चंदौसी के विरुद्ध 0.70 लाख रुपयों की एक ए0 टी0 डी0 सृजित की गयी (सितम्बर 1983) । चूंकि प्रत्यर्थी प्रखण्ड ने पोलों की प्राप्ति में विवाद उत्पन्न कर दिया (मई 1980), ए0 टी0 डी0 मार्च 1986 में वापस ले ली गई और 17,600 रुपयों (40 पोल) तथा 35,200 रुपयों (80 पोल) की दो नयी ए0 टी0 डी0 निर्गत कर दी गयीं और शेष 17,600 रुपये जो 40 पोलों की कीमत थे स्टोर कीपर के नाम में प्रकीर्ण अग्रिम के रूप में डाल दिये गये । 17,600 रुपयों की ए0 टी0 डी0 प्रत्यर्थी प्रखण्ड द्वारा इस टिप्पणी के साथ लौटा दी गई (दिसम्बर 1986) कि ये 40 पोल उस प्रखण्ड द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे ।

अभी तक (दिसम्बर 1986) न तो स्टोरकीपर से वसूली ही की गयी है और न ही मामले की छानबीन की गई ।

3 ख.4. राजस्व सम्बन्धी बकायों को लेखे के बाहर रहने की अनुमति दिया जाना

राजस्व बकायों के स्थानान्तरण के कारण 3 प्रखण्डों द्वारा सृजित 16.99 लाख रुपयों की 11 ए0 टी0 डी0 प्रत्यर्थी प्रखण्डों द्वारा स्वीकृति हेतु लम्बित थीं जिसके फलस्वरूप उन्हें न तो लेखे में प्रदर्शित ही किया गया और न ही उपभोक्ताओं से राजस्व बकायों की वसूली की जा सकी ।

प्रत्यर्थी प्रखण्डों द्वारा राजस्व बकायों की वसूली/लेखा-करने हेतु अभी तक (जनवरी 1987) कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है ।

3ख.5. भण्डारों का अधिक मूल्यांकन

विद्युत भण्डार प्रखण्ड बरेली ने विद्युत वितरण प्रखण्ड बरेली को 5.48 लाख रुपये मूल्य की भण्डार सामग्री (0.04 लाख रुपये मूल्य के 0.496 टन एम0 एस0 चैनल 100×50 मिमी0 को सम्मिलित करके) निर्गत की (अप्रैल 1986) और मई 1986 में एक ए0 टी0 डी0 सृजित की । इस सामग्री की प्राप्ति का लेखा करते समय प्रत्यर्थी प्रखण्ड द्वारा यह 41.37 लाख रुपयों पर मूल्यांकित की गयी जिसमें 0.49 टन एम0 एस0 चैनल का 35.93 लाख रुपये मूल्य सम्मिलित था ।

इसके अतिरिक्त, जब निर्माण कार्यों को चैनेल निर्गत किये गये तो उन्हें 496 की संख्या में 0.69 लाख रुपयों पर (140 रुपये प्रति की दर पर) निर्गत किया गया । इस प्रकार प्रत्यर्थी प्रखण्ड द्वारा किया गया मूल्यांकन तथा लेखाकरण दोनों ही गलत थे ।

परिषद् द्वारा स्टाक निर्गम लेखे तथा निर्माण लेखे में परिशोधन हेतु अभी तक (जनवरी 1987) विचार नहीं किया गया है ।

3ख.6. समाहार

इस तथ्य के बावजूद कि अस्वीकृत/अनूत्तरित ए0 टी0 डी0 के फलस्वरूप सामग्रियों और उपस्करों का अन्तिम लेखा नहीं किया जा सकेगा और सामग्रियों के दुर्विनियोग के मामले होने की भी सम्भावना है, परिषद् के प्रखण्डों में अशोधित ए0 टी0 डी0 की बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी । 31 मार्च 1986 को असमायोजित ए0 टी0 डी0 का मूल्य 231.60 करोड़ रुपये था ।

खण्ड 3 ग

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् प्रीस्ट्रेस्ड सीमेण्ट कंक्रीट पोलों का निर्माण एवं क्रय

3ग.1. प्रस्तावना

इस्पात तथा लकड़ी के पोलों की तुलना में रिइन्फोस्र्ड सीमेंट कंक्रीट (आर0 सी0 सी0)/प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट (पी0 सी0 सी0) पोल सस्ते तथा आसानी से उपलब्ध होने के कारण परिषद् ने अक्टूबर 1970 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ट्रान्समिशन एवं वितरण लाइनों पर आर0 सी0 सी0/पी0 सी0 सी0 पोलों को प्रयोग करने का निर्णय लिया । 4 लाख पोलों की प्रत्याशित वार्षिक आवश्यकता के समक्ष, 2 लाख पोलों के बाजार से उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया और शेष लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रुड़की और आगरा में स्थापित की जाने वाली पांच विभागीय पोल निर्माण इकाइयों द्वारा निर्मित किये जाने थे ।

विभागीय निर्माण इकाइयों ने दिसम्बर 1970 में कार्य करना प्रारम्भ किया और 1.75 लाख पोल उत्पादित करने के उपरान्त, जैसा कि परिषद् ने दिसम्बर 1974 में निर्णय लिया था, कुछ ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के निलम्बन की दृष्टि से वे अप्रैल 1975 में बंद कर दी गईं । तथापि, इन इकाइयों में नियुक्त स्टाफ को अन्यत्र स्थानान्तरित तथा उपयोजित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप अप्रैल 1975 से जून 1978 की अवधि हेतु बिना किसी कार्य के 12.75 लाख रुपयों की मजदूरी का भुगतान किया गया ।

चूंकि ग्राम विद्युतीकरण योजनायें 1977 में पुनः चालू कर दी गयीं, विभागीय इकाइयां भी पुनः चालू कर दी गयीं, क्योंकि परिषद् ने अनुभव किया कि पोलों की आवश्यकता बाजार से पूरी तौर पर पूरी नहीं हो पा रही थी । पुनः चालू की गई पांच इकाइयों के अतिरिक्त, जनवरी 1979 में, गोरखपुर में एक और इकाई स्थापित

को गयी । प्रत्येक इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 15000 पोल नियत की गई ।

प्रत्येक इकाई के लिये 10.62 लाख रुपयों के पूंजी परिव्यय से निहित इन पांच इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन परिषद् को प्रस्तुत किया गया (अगस्त 1977) और परिषद् द्वारा परियोजना जून 1978 में अनुमोदित कर दी गई ।

10 वर्षों की निर्माण अवधि को आवृत करने वाले परियोजना प्रतिवेदन के मुख्य लक्षण निम्नवत् थे :

(1) प्रथम वर्ष में प्रत्येक इकाई में 15000 आर० सी० सी० पोलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था ।

(2) दूसरे वर्ष से दसवें वर्ष तक केवल पी० सी० सी० पोलों का निर्माण प्रस्तावित किया गया और प्रत्येक केन्द्र में वही 15000 पोलों की क्षमता कायम रखी गई ।

(3) आर० सी० सी० पोल की औसत लागत 202 रुपये प्रति पोल निकाली गई और पी० सी० सी० पोल की औसत लागत 197 रुपये प्रति पोल निकाली गयी ।

(4) कार्यस्थल पर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के दो माह के अन्दर आर० सी० सी० पोल निर्माण इकाइयां आरम्भ की जायेंगी, जब कि पी० सी० सी० पोलों के निर्माण का कार्य आर० सी० सी० पोलों के निर्माण कार्य के आरम्भ होने के एक वर्ष उपरान्त आरम्भ किया जायेगा क्योंकि उनके लिए विशेष साधन, तरीके, सांचे और संस्तरों (बेड्स) का प्रबंध करना होगा ।

3.ग.2. निर्माण इकाइयों का कार्य-सम्पादन

(क) उत्पादन का प्रारम्भ

परियोजना प्रतिवेदन में अपेक्षित स्टाफ की नियुक्ति के बाद दो माह के अन्दर इकाइयों में उत्पादन संकल्पित था । तथापि, आगरा और गोरखपुर इकाइयों में, यद्यपि नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार, आवश्यक निर्माण कार्य पूरे हो चुके थे और आवश्यक उपस्कर प्रदान कर दिए गए थे, कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के बहुत समय बाद वास्तविक उत्पादन आरम्भ हुआ ।

इकाई का नाम	आरम्भ करने तथा कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का मास	माह जिसमें उत्पादन आरम्भ किया गया	विलम्ब (मासों में)
(1) आगरा	अक्टूबर 1979	मार्च 1981	14
(2) गोरखपुर	जनवरी 1979	जनवरी 1981	21

उत्पादन में विलम्ब के फलस्वरूप बेकार बैठे हुये कर्मचारी वर्ग को 3.12 लाख रुपयों के वेतन तथा भत्ते का परिहार्य भुगतान किया गया । उत्पादन में विलम्ब के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(ख) क्षमता का निर्धारण

यद्यपि परियोजना प्रतिवेदन में प्रत्येक इकाई के लिये 15000 पोलों की वार्षिक संस्थापित क्षमता संकल्पित थी और 15000 पोल उत्पादित करने के लिए अपेक्षित जन और उपस्कर प्रत्येक इकाई में दे दिये गये थे, तथापि 1985-86 तक तीन वर्षों हेतु इन इकाइयों की क्षमताओं की दर फरवरी 1986 में कम कर दी गई जैसा नीचे विवरण दिया गया है :

उत्पादन इकाई का नाम	पी०सी०सी० पोलों की क्षमता संख्या में 1983-84	1984-85	1985-86
1. लखनऊ	8400	8400	16800
2. इलाहाबाद	8400	8400	8400
3. वाराणसी	8400	8400	8400
4. आगरा	शून्य	शून्य	8400
5. रुड़की	शून्य	शून्य	4200
6. गोरखपुर	5000	6500	12000
योग	30,200	31,700	58,200

क्षमताओं को पूर्वगामी प्रभाव से दर कम किए जाने के कारण अभिलेख में नहीं थे ।

(ग) क्षमता उपयोग

निम्नांकित सारणी 1985-86 तक 3 वर्षों हेतु सभी 6 इकाइयों के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन सूचित करती है :

	1983-84	1984-85 (आंकड़े संख्या में)	1985-86
अगस्त 1977 के परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार संस्थापित क्षमता	90,000	90,000	90,000
फरवरी 1986 में निर्धारित संस्थापित क्षमता	30,200*	31,700*	53,200
निर्धारित लक्ष्य	30,200*	35,100	31,800
वास्तविक उत्पादन	8,124	15,873	16,137
फरवरी 1986 में निर्धारित संस्थापित क्षमता से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता	26.90	50.07	27.73
निर्धारित लक्ष्य से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता	26.90	45.22	50.75

*आगरा और रुड़की इकाइयों के सम्बन्ध में संस्थापित क्षमता लक्ष्य सम्मिलित नहीं है ।

वास्तविक उत्पादन कम की गयी क्षमता तथा साथ ही साथ निर्धारित लक्ष्यों से भी बहुत ही कम था। 15000 पोल प्रति इकाई प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के अनुसार वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि में औसत क्षमता उपयोग केवल 14.19 प्रतिशत था।

परिषद् द्वारा उत्पादन में गिरावट के लिए मुख्यतया निम्नांकित कारण बताए गये (जून 1984)— समय से निधियों का उपलब्ध न होना और सीमेण्ट, इस्पात तथा जी0 आई0 तार का समय से उपलब्ध न होना।

निधियां बाध्यता नहीं बन सकती थीं क्योंकि 2.32 लाख पोल (कीमत: 625.24 लाख रुपये), 2.57 लाख पोल (कीमत: 966.83 लाख रुपये) और 1.84 लाख पोल (कीमत: 793.41 लाख रुपये) परिषद् द्वारा क्रमशः 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान प्राइवेट निर्माताओं से क्रय किए गए थे; क्रमशः 21460 टन, 26740 टन और 43240 टन लेवी सीमेण्ट, प्राइवेट पोल निर्माताओं को, सीमेंट की घोषित अनुपलब्धता के बावजूद वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि में आबंटित की गई थी।

(घ) निर्माण इकाइयों की बन्दी

आगरा और रुड़की स्थित पोल निर्माण इकाइयां, जुलाई 1982 से मार्च 1984 की अवधि में बन्द रहीं जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। तथापि, ये दोनों इकाइयां 1984-85 में फिर से आरम्भ की गईं। जुलाई 1982 से मार्च 1984 तक इन इकाइयों के बन्द रहने के कारण इन इकाइयों में परिषद् का 7.08 लाख रुपयों का निवेश व्यर्थ रहा जिसके फलस्वरूप ब्याज (1.28 लाख रुपये), मूल्य ह्रास (1.76 लाख रुपये) और स्थापना प्रभारों (4.20 लाख रुपये) के रूप में नियत प्रभारों (ओवरहेड चार्जेज) की वसूली नहीं हो सकी।

3ग.3. लागत का विश्लेषण

(क) सामग्री उपभोग

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, एक पी0 सी0 सी0 पोल के निर्माण के लिए सीमेन्ट तथा इस्पात की निम्नांकित मात्रायें अपेक्षित थीं:

सीमेन्ट	1.75 बोरी
इस्पात:	
(i) एच0 टी0 तार	12.8 किग्रा0
(ii) जी0 आई0 तार	1.12 किग्रा0

तथापि प्रति पोल निर्गम दर निकालते समय और पी0 सी0 सी0 पोलों को ढालने हेतु अनुबन्ध देते समय, प्रत्येक पोल के निर्माण के लिए अपेक्षित सीमेंट तथा इस्पात की मात्रायें परिषद् द्वारा निम्नवत् नियत की गयी थीं (1979):

सीमेंट	2 बोरी
इस्पात:	
एच0 टी0 तार	14 किग्रा0
जी0 आई0 तार	1.20 किग्रा0

सामग्रियों की आवश्यकताओं को पुनर्निर्धारित करने का आधार उपलब्ध नहीं था। मार्च 1986 को अन्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित कच्चे माल की तुलना में, कच्चे माल के अतिरिक्त उपयोग के कारण अतिरिक्त व्यय 10.56 लाख रुपये तक था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:—

अधिक उपभोग

वर्ष	उत्पादित पोलों की संख्या	0.25 बोरी प्रति पोल की दर से सीमेण्ट		1.2 किग्रा0 प्रति पोल की दर से एच0 टी0 तार		0.08 किग्रा0 प्रति पोल की दर से जी0आई0तार	
		बोरी	मूल्य (रुपये)	किग्रा0	मूल्य (रुपये)	किग्रा0	मूल्य (रुपये)
1981-82	7038	1759.5	52,785	8445.6	57008	560.04	3378
1982-83	3704	926.0	32,410	4444.8	30002	296.32	1778
1983-84	8124	2031.0	81,240	9748.8	65804	649.92	3900
1984-85	15873	3668.25	178,571	19047.6	128517	1269.84	7619
1985-86	16137	4034.25	201,712	19364.4	198872	1290.96	12006
		योग ..	5,46,718		4,80,203		28,681

(ख) उत्पादन की लागत

परिषद् ने किसी भी वर्ष में उत्पादन की लागत नहीं निकाली। तथापि, प्रखण्डों को निर्गत करने के उद्देश्य से पोल की मानक लागत परिषद् द्वारा 1983-84 के लिए 310 रुपये, 1984-85 के लिए 320 रुपये और 1985-86 के लिए 396 रुपये नियत की गयी जो विभिन्न

तत्वों पर आधारित थी ।

निम्नांकित सारणी लेखापरीक्षा (जून 1986) में निकाली गयी प्रति पोल लागत (उत्पाद शुल्क को असम्मिलित करके निर्माण-बाहर) सूचित करती है जो 1984-85 में 375.09 रुपये प्रति पोल से 1985-86 में 477.35 रुपये प्रति पोल की श्रेणी में निर्गम दर निकालने के लिये जुलाई 1979 में परिषद् द्वारा निर्धारित सामग्री के मानक उपभोग पर आधारित है ।

लागत का विवरण	मानक उपभोग के अनुसार प्रति पोल लागत		
	1983-84	1984-85 रुपयों में	1985-86
सीमेन्ट 2 बोरी	80.00	90.00	100.00
एच0 टी0 तार 14 किग्रा0	94.50	94.50	143.78
जी0 आई0 तार 1.20 किग्रा0	5.40	5.40	8.37
अनुबंधों के अनुसार बालू गिट्टी और श्रम	79.00	79.00	85.98
ग्रीज तथा तेल	3.13	3.13	5.40
एंकर ग्रिप बैरेल एक अदद	1.85	2.20	2.20
एंकर विजेज	0.55	0.55	0.55
बिजली और पानी	1.00	1.00	1.00
प्रकीर्ण व्यय	4.00	4.00	4.00
स्थिर व्यय	143.77	91.60	121.34
	413.20	371.38	472.62
जोड़िये : एक प्रतिशत टूट-फूट	4.13	3.71	1.73
उत्पादन की कुल वास्तविक लागत	417.33	375.09	474.35
मानक लागत	310.00	320.00	393.00

1984-85 में, प्रति पोल स्थिर व्यय (91.60 रुपये) 1983.84 (143.77 रुपये) की तुलना में बहुत ही कम था क्योंकि 1983-84 की तुलना में 1984-85 में उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत की बृद्धि हुई और 1985-86 में प्रति पोल स्थिर व्यय में वृद्धि 1984-85 की तुलना में वेतन तथा भत्ते में महत्वपूर्ण बृद्धि के कारण थी ।

प्रति पोल उत्पादन की वास्तविक लागत न निकालने तथा मानक लागत की तुलना में वास्तविक लागत में भिन्नता का विश्लेषण न करने के कारण अभिलेख में नहीं थे ।

लेखापरीक्षा में किए गए विश्लेषण के अनुसार पोल की उच्चतर लागत कम उत्पादकता की दृष्टि से स्थिर व्ययों का कम विलयन (एबेजार्पशन) के कारण थी । चूंकि निर्माण कार्य वास्तविक लागत से प्रभारित नहीं किए गए अत: निर्माण कार्यों का 1985-86 तक तीन वर्षों की अवधि में 30.98 लाख रुपयों तक अवमूल्यांकन हुआ ।

(ग) क्रय किए गए पोलों के समक्ष पोलों का विभागीय उत्पादन

1983-84 से 1985-86 की अवधि में पोलों के क्रय पर परिषद् द्वारा भुगतान किया गया मूल्य क्रमश: 417.33 रुपये, 375.09 रुपये और 477.35 रुपये की पोलों के विभागीय उत्पादन की लागत के समक्ष क्रमश: 245 रुपये, 315 रुपये से 342 रुपये तक और 392 रुपये थे । 1985-86 तक तीन वर्षों की अवधि में 40134 पोलों के विभागीय उत्पादन में, इस प्रकार, परिषद् को 37.31 लाख रुपये अधिक लागत लगानी पड़ी ।

3.ग.4. आवश्यकता, उत्पादन/क्रय, उपभोग और अंतिम स्टाक का निर्धारण

(क) पोलों की वार्षिक आवश्यकता वित्तीय आबंटन तथा गत वर्ष के अन्त में स्टाक में पड़े हुए अवशेष पोलों को दृष्टि में रखते हुए उस वर्ष में निष्पादित किए जाने वाले कार्य के भौतिक लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

1981-82 से 1985-86 की अवधि में पोल आवश्यकताओं/उत्पादन, गिरावट, क्रय और उपभोग की वर्षवार स्थिति निम्नवत् थी :

वर्ष	निर्धारित आवश्यकता	प्रारम्भिक स्टाक	उत्पादन	क्रय	योग	उपयोग	अन्तिम स्टाक
			(संख्या में)				
1981-82	3,00,000	2,943	7,038	1,51,000	1,60,981	1,06,017	54,964
1982-83	1,60,000	54,964	3,704	1,52,000	2,10,668	1,40,180	70,488
1983-84	1,60,000	70,488	8,124	2,32,000	3,10,612	1,94,552	1,16,060
1984-85	2,50,000	1,16,060	15,873	2,57,000	3,88,933	2,28,640	1,60,293
1985-86	2,32,254	1,60,293	16,137	1,84,000	3,60,430	2,16,001	1,44,429

निम्नांकित सम्वीक्षायें की जाती हैं :

(i) 1981-82 से 1985-86 की अवधि में, विभागीय इकाइयों में पोलों का उत्पादन पोल निर्माता इकाइयों की स्थापना के समय संकल्पित 50 प्रतिशत के समक्ष निर्धारित आवश्यकता का 2.35 से 6.95 प्रतिशत और कुल उपभोग का 2.64 से 7.47 प्रतिशत रहा ।

(ii) परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष में धारित पोलों की कुल संख्या उस वर्ष हेतु (1981-82 में छोड़कर) निर्धारित आवश्यकता से बहुत अधिक थी जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष के अन्त में पोलों का वृहद् स्टाक एकत्रित हो गया । 1985-86 तक पांच वर्षों के अन्त में, परिषद द्वारा धारित स्टाक संबंधित वर्षों के 6 से 8.4 महीनों के उपभोग के मध्य था ।

(iii) पोल निर्माण इकाइयों की स्थापना हो जाने के उपरान्त, परिषद् द्वारा अधिकतम उत्पादन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए थे और विभागीय निर्माण के ऊपर वास्तविक आवश्यकताओं की सीमा तक ही स्थानीय क्रय का आश्रय लेना चाहिए था ।

(ख) पोलों हेतु मांग-पत्र उपयोग करने वाली इकाइयों से प्राप्त होते हैं और परिषद् द्वारा केन्द्रीय रूप से संकलित किये जाते हैं जिसके आधार पर प्रत्येक निर्माण इकाई हेतु उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और वास्तविक उत्पादन के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर परिषद् उपयोग करने वाली इकाइयों को पोलों का आवंटन करती है ।

निम्नांकित सारणी 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक के अन्त में इकाइयों द्वारा निर्मित पोलों, परिषद् की प्रयोक्ता इकाइयों द्वारा उठाये गये/परिवहन किये गये और न उठाये गये पोलों के अवशेष की स्थिति प्रदर्शित करती है :

वर्ष	आदि शेष	इकाइयों द्वारा निर्मित	प्रयोक्ता इकाइयों द्वारा उठाये गये	अन्त शेष
		(आंकड़े संख्या में)		
1981-82	2943	7038	2323	7658
1982-83	7658	3704	3856	7506
1983-84	7506	8124	1104	14526
1984-85	14526	15873	20104	10295
1985-86	1,0295	16137	10575	15857

उपभोक्ता प्रखण्डों ने उपर्युक्त अवधि में कुल उत्पादन का केवल 75 प्रतिशत ही उठाया और शेष 25 प्रतिशत को इस तथ्य के बावजूद उत्पादन केन्द्रों में पड़े रहने दिया गया कि पोलों का निर्माण कार्य उपभोक्ता प्रखण्डों द्वारा दिये गये मांगपत्रों पर आधारित था ।

(ग) **पोलों की स्टाक धारिता**

प्रत्येक वर्ष के अन्त में परिषद् के प्रखण्डों के विभिन्न प्रखण्डीय भण्डारों में आर० सी० सी० पी० सी० सी० पोलों (गाजियाबाद को छोड़कर जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये थे) की निम्नांकित मात्रायें पड़ी हुई थीं :

वर्ष	मात्रा आर० सी० सी०	(संख्या) पी० सी० सी०	योग
1981-82	1,314	30,710	32,024
1982-83	758	32,830	33,597
1983-84	796	53,706	54,504
1984-85	766	58,501	59,267
1985-86	758	77,068	77,826

उपर्युक्त मात्राओं में उपर्युक्त प्रस्तर 3 ग.4(ख) में उल्लिखित परिषद् की पोल निर्माण इकाइयों में पड़े हुए पी० सी० सी० पोलों का स्टाक सम्मिलित नहीं था ।

लेखापरीक्षा में 10 वितरण प्रखण्डों, 3 विद्युत आपूर्ति उपक्रमों और 3 नलकूप विद्युतिकरण प्रखण्डों के जांच परीक्षण से यह पता चला कि 1981-82 से 1985-86 वर्षों में पी० सी० सी० पोलों के निम्नांकित अवशेष स्टाक में पड़े हुए थे :

निम्नांकित के पास पड़ी हुयी मात्रायें

वर्ष	वितरण खण्ड	विद्युत् आपूर्ति उपक्रम	नलकूप विद्युतिकरण प्रखण्ड	योग
1981-82	18,616	5	—	18,621
1982-83	17,197	146	—	17,343
1983-84	21,665	32	1956	23,653
1984-85	21,218	193	2641	24,052
1985-86	21,185	378	542	22,105

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नांकित बिन्दु देखे गये :

(i) वितरण प्रखण्डों, उपक्रमों और नलकूप प्रखण्डों में स्टाक में पड़े हुए पोलों की जानकारी नहीं की गई और पोलों की भावी आवश्यकताओं के लिए क्रय को अन्तिम रूप देते समय उन्हें लेखे में नहीं लिया गया ।

(ii) भण्डार संगठन, 10 वितरण प्रखण्डों, 3 नलकूप विद्युतिकरण प्रखण्डों, 3 विद्युत् आपूर्ति उपक्रमों और परिषद् की पोल निर्माण इकाइयों के मामले में 1983-84, 1984-85 और 1985-86 की समाप्ति पर स्टाक में पी0 सी0 सी0 पोलों के कुल अवशेष की संख्यायें क्रमशः 92,683, 93,614 और 1,15,788 थीं जो एक वर्ष की आवश्यकता का क्रमशः 57.93, 37.45 और 49.85 प्रतिशत का निरूपण करती हैं । यदि परिषद् के विभिन्न प्रखण्डीय भण्डारों में पड़े हुए पोलों के स्टाक पर भी विचार किया जाय तो स्टाक तब भी अधिक होगा ।

(iii) परिषद् ने स्टाक की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमायें निर्धारित नहीं की हैं ।

(iv) 758 आर0 सी0 सी0 पोल (मूल्य : 2.44 लाख रुपये) पिछले पांच वर्षों से स्टाक में अनुपयोजित पड़े थे और उनका उपयोग करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है (जून 1986) ।

3ग.5. पोल आपूर्तिकर्ताओं को लेवी सीमेण्ट का आबंटन

सरकार द्वारा 1982-83 में सीमेण्ट की दोहरी मूल्य नीति आरम्भ करने के बाद 1982-83 से 1985-86 वर्षों के दौरान पोलों के आपूर्तिकर्ताओं को परिषद् द्वारा लेवी सीमेण्ट की निम्नांकित मात्रायें आबंटित की गयीं :

वर्ष	आबंटित मात्रा (टनों में)
1982-83	16,630
1983-84	21,460
1984-85	26,740
1985-86	43,240

सीमेण्ट के आगे के आवंटन को नियमित करने हेतु परिषद् ने कभी कभी प्रत्येक आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये पोलों की संख्या से आपूर्तिकर्ता को आबंटित सीमेण्ट को सम्बद्ध नहीं किया ।

लेखापरीक्षा में (जून 1986) जांच परीक्षण से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये :

(i) निम्नांकित पोल आपूर्तिकर्ताओं को लेवी सीमेण्ट का प्राधिकार दिया गया था किन्तु दिसम्बर 1984 से मार्च 1986 की अवधि में उनके द्वारा पोल की कोई आपूर्ति नहीं की गई ।

आपूर्ति-कर्ता का नाम	मात्रा (टनों में)	निर्गत किये जाने की अवधि	निर्मित किये जाने वाले पोलों की संख्या
क	250	दिसम्बर 1984 से दिसम्बर 1985	2500
ख	550	अप्रैल 1985 से जनवरी 1986	5500
ग	400	अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1985	4000

(ii) लखनऊ की एक फर्म को 450 टन सीमेन्ट आबंटित की गई जो 4500 पोलों के निर्माण के लिए पर्याप्त थी जबकि फर्म ने 8000 पोलों हेतु आदेश के समक्ष मार्च 1987 तक केवल 2110 पोलों की आपूर्ति की ।

यह बताया गया (जून 1986) कि जिन अनुबंधों के समक्ष प्राधिकृत की गई थी वे अब भी निष्पादन के अधीन थे और यह कि आपूर्तियां पूरी हो जाने पर समाधान किया जायेगा । तथापि, यह समाधान अभी भी प्रतीक्षित था (जून 1987) ।

3.ग.6. जनशक्ति का विश्लेषण

परियोजना प्रतिवेदन और परिषद् द्वारा दी गई स्वीकृति (जून 1978) के अनुसार एक पोल निर्माण इकाई में एक सहायक अभियन्ता, 4 अवर अभियन्ता, दो मिक्सर पम्प और विबरेटर आपरेटर, 5 सहायक तथा टिप्पणी लेखक और प्रालेखक (नोटर एण्ड ड्राफ्टर) प्रत्येक एक-एक, आर0 जी0 सी0, दफेदार, चपरासी, धावक (रनर), बिजली मिस्त्री और चौकीदार नियुक्त किये जाने थे और तदनुसार इकाइयों में आदमी लगाये गये ।

तथापि, यह देखा गया कि इकाइयों द्वारा 1981-82 से पोलों की ढलाई का कार्य प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया, यद्यपि परियोजना प्रतिवेदन में विभागीय कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जाना संकल्पित था जिससे बेकार बैठे हुए कर्मचारियों को कार्य में लगाया जा सके । 1983-84 से 1985-86 की अवधि में (1983-84 में आगरा और रुड़की प्रक्षेत्रों को छोड़कर) बेकार बैठे हुए स्टाफ के वेतन और भत्ते के प्रति 2.98 लाख रुपयों का निष्फल व्यय किया गया ।

3.ग.7. उत्पादन इकाइयों के कार्यकरण की प्रभावकारिता

जैसा कि उपर्युक्त विभिन्न प्रस्तरों में विवेचन किया गया है—

(i) परिषद ने 1977 में सभी पांच उत्पादन इकाइयों को कुल अनुमानित आवश्यकता के 50 प्रतिशत की सीमा तक स्थानीय क्रयों को अनुपरित करने के मुख्य प्रयोजन से फिर से चालू किया । बिना किसी कारण का उल्लेख किये हुए 90,000 पोलों की संस्थापित क्षमता को दर कम करके 58,200 कर दी गयी । यद्यपि सभी इकाइयों को पूरी तरह से आदमी और उपस्कर प्रदान कर दिये गये थे, तथापि पोलों की ढलाई श्रम ठेकेदारों से

कराई गयी और परिषद् का कर्मचारी वर्ग बेकार बैठा रहा ।

(ii) 1983-84 से 1985-86 के दौरान वास्तविक उत्पादन कम की गई क्षमता तथा संबंधित वर्षों हेतु नियत लक्ष्यों से भी बहुत कम था । केन्द्रों में कुल उत्पादन पुनः चालू करने के समय संकल्पित 50 प्रतिशत के समक्ष इन वर्षों के दौरान कुल उपभोग का स्वल्प 2·6 से 7·5 प्रतिशत और निर्धारित आवश्यकता का 2·4 से 7·0 प्रतिशत था । केन्द्रों में उत्पादित किये गये में से भी, 31 मार्च 1986 को उपभोगकर्ता प्रखण्डों द्वारा 25 प्रतिशत नहीं उठाये गये । यद्यपि बनाया गया उत्पादन कार्यक्रम उनकी मांगों पर आधारित था ।

यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि लेखा-परीक्षा में जांच-परीक्षित विभिन्न भण्डारों पर, 31 मार्च 1986 को 99,931 पोल अप्रयुक्त पड़े हुए थे ।

(iii) उत्पादन में गिरावट के लिए परिषद् ने निधियों का अभाव तथा सीमेन्ट की अनुपलब्धता को उत्तरदायी ठहराया । तथापि, ऐसी कोई कमियां नहीं थीं, क्योंकि 6·73 लाख पोलों के स्थानीय क्रय के लिए 23·25 लाख रुपये व्यय किये गये थे और इन 3 वर्षों के दौरान आपूर्तियों के समक्ष प्राइवेट पोल निर्माताओं को 91,440 टन लेवी सीमेन्ट आवंटित की गई थी ।

(iv) कम उत्पादकता के कारण केन्द्रों में उत्पादन की लागत बाजार दर से बहुत उच्चतर थी और इन तीन वर्षों में केन्द्रों में 40,134 पोलों के उत्पादन में परिषद् को 37·31 लाख रुपयों की और लागत लगानी पड़ी ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, 11·61 लाख रुपये प्रति वर्ष आवर्ती राजस्व व्यय करने वाले उत्पादन केन्द्रों को जारी रखना न्यायसंगत नहीं था ।

3ग·8· अन्य रोचक विषय

(i) किफायती डिजाइन न अपनाने के कारण परिहार्य व्यय

विभिन्न राज्य विद्युत् परिषदों द्वारा प्रयुक्त पोलों की लम्बाई में मितव्ययिता (एकोनामी) तथा एकरूपता लाने की दृष्टि से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर0 ई0 सी0) ने भारतीय सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (सी0 आर0 आई0 आई0) के परामर्श से 8 मीटर पी0 सी0 पोल की एक मानक डिजाइन विकसित की और परिषद् से इसे अपनाने के लिए निवेदन किया (मई 1980) । आर0 ई0 सी0 के अनुमान के अनुसार आर0 ई0 सी0 द्वारा सुझाये गये मानक पी0 सी0 सी0 पोल की लागत, इस्पात और प्रवलित सीमेन्ट कांक्रीट मिश्रित तथा सुधार की गयी डिजाइन के कारण परिषद्, द्वारा प्रयुक्त 8·5 मीटर वाले पोल की तुलना में लगभग 50 रुपये सस्ती थी ।

यद्यपि मध्य प्रदेश और बिहार राज्य विद्युत् परिषदों ने आर0 ई0 सी0 डिजाइन को अपना लिया था किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया (जून 1986) और अपनी स्वयम् की डिजाइन के 8·5 मीटर के पोलों का निर्माण तथा प्रयोग जारी रखा । आर0 ई0 सी0 डिजाइन अंगीकृत न करने के कारण परिषद् ने अप्रैल 1981 से मार्च 1986 के दौरान विभाग द्वारा निर्मित 50,876 पोलों और क्रय किये गये 9·76 लाख पोलों पर क्रमशः 25·44 लाख रुपयों और 488 लाख रुपयों की बचत खो दी ।

(ii) आर0 सी0 सी0 पोलों की कमी का कम लेखा किया जाना

(क) भण्डार केन्द्र सुल्तानपुर द्वारा सितम्बर 1980 में सुल्तानपुर वितरण प्रखण्ड के एक अवर अभियन्ता को 170 आर0 सी0 सी0 पोल निर्गत किये । 133 पोलों का मूल्य (48450 रुपये) सुल्तानपुर प्रखण्ड द्वारा अस्वीकृत रहा (जून 1986) क्योंकि उस प्रखण्ड द्वारा भण्डार केन्द्र से पोलों की ढुलाई नहीं की गयी ।

(ख) भण्डार केन्द्र फर्रुखाबाद और भण्डार प्रखण्ड गोरखपुर ने दिसम्बर 1980 और अप्रैल 1982 में किये गये स्टाक मिलान (स्टाक टेकिंग) में सहायक भण्डारक और भण्डारक को 204 और 206 आर0 सी0 सी0 पोलों की कमियों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और पोलों की कीमत 69,320 रुपये और 79,080 रुपये क्रमशः उनके विरुद्ध 'प्राप्य लेखे' (एकाउण्ट्स रिसीवेबुल) के अन्तर्गत डाल दी गयी । भण्डारक दिसम्बर 1988 में सेवामुक्त होने वाला है किन्तु अभी तक (जून 1986) वसूली नहीं की गई है ।

(iii) 24750 पोलों की आपूर्ति हेतु अप्रैल 1979 के एक आदेश के समक्ष, मथुरा की एक फर्म ने मार्च 1984 तक 19000 पोलों की आपूर्ति की जिनमें से 724 पोल टूटे/क्षतिग्रस्त पाए गए । फर्म 3·19 लाख रुपये भुगतान करने के लिए दायी थी किन्तु फर्म के विरुद्ध केवल 0·46 लाख रुपये 'प्राप्य लेखे' (एकाउण्ट्स रिसीवेबुल) में डाल दिये गये जो अभी तक वसूल नहीं हुए हैं (जून 1986) । अवशेष धनराशि (2·73 लाख रुपये) की वसूली अथवा अन्यथा की स्थिति अभिलिखित नहीं थी ।

(iv) अनुबंध का अविखण्डन (नान-रेसाइण्डिंग)

विद्युत् पोल निर्माण प्रखण्ड द्वारा 1982-83 में गोरखपुर पोल निर्माण इकाई के लिए बस्ती की एक फर्म के साथ 3962 पी0 सी0 सी0 पोलों की ढलाई तथा अन्तरण (शिफ्टिंग) हेतु एक अनुबन्ध निष्पादित किया गया । ठेकेदार ने 8·5 मीटर लम्बाई वाले 3962 पी0 सी0 सी0 पोलों को बिना ढाले छोड़ दिया और फिर से निविदा आमंत्रित करने के बाद पिछला अनुबन्ध विखण्डित किये बिना एक ठेकेदार के पक्ष में एक दूसरे अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया गया (जुलाई 1984) जिसके फलस्वरूप 0·64 लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय हुआ । चककर्ता ठेकेदार 42,500 रुपयों की अप्राकृत (लिक्वीडेटेड) हानियों की वसूली हेतु परिषद् ने कोई कार्यवाही नहीं की (जून 1986) ।

(v) छूट की हानि

नवम्बर 1979 में परिषद द्वारा कलकत्ता की एक फर्म को 8·5 मीटर लम्बे पी0 सी0 सी0 पोलों की आपूर्ति हेतु एक आदेश दिया गया । प्रति पोल निर्माण-पर्व मूल्य 245 रुपये थी जो मूल्य वृद्धि के कारण जुलाई 1982 में बढ़ाकर 275 रुपये कर दिया गया । क्रय आदेश के अनुसार, यदि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिल के प्रस्तुतीकरण से एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कर दिया गया, तो एक प्रतिशत छूट ग्राह्य थी ।

दिसम्बर 1982 से अक्टूबर 1984 की अवधि में फर्म ने 12924 पोलों की आपूर्ति की और फर्म के 19 बिलों के समक्ष विद्युत् भण्डार प्रखण्ड कानपुर में कुल मिलाकर 36·88 लाख रुपयों के भुगतान, छूट (0·37 लाख रुपये) का लाभ प्राप्त किये बिना ही मुक्त कर दिये क्योंकि बिलों का भुगतान उनके प्रस्तुतीकरण के माह के अन्दर इस तथ्य के बावजूद नहीं किया गया कि प्रखण्ड के पास उस अवधि में जब आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत किये गये, पर्याप्त नगद तथा बैंक अवशेष था ।

(vi) **आर0 सी0 सी0 पोलों की क्षतिग्रस्तता**

1979-80 के दौरान परिषद् की नैनी इकाई द्वारा निर्मित और विद्युत् वितरण प्रखण्ड इलाहाबाद को आपूर्ति किये गये 547 आर0 सी0 सी0 पोलों में से 273 पोल (कीमत : 0·76 लाख रुपये) ढुलाई/आरोपण के समय पोलों को अपेक्षाकृत कम शक्ति होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये तथापि परिषद् के पोल निर्माण प्रखण्ड ने यह बताया (अप्रैल 1980) कि पोल अनुपयुक्त ढंग से चढ़ाने-उतारने और ढुलाई के कारण टूट गये थे । हानि के कारणों की छान-बीन करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये (जून 1986) ।

(vii) **अधिशेष (सरप्लस) उपकरण तथा संयंत्र**

आर0 सी0 सी0 पोलों का उत्पादन बन्द कर देने के कारण (1981-82), 18·78 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के 570 उपकरण और संयंत्र अधिशेष हो गये और निम्नांकित विवरणों के अनुसार अनुपयोजित/अनिस्तारित पड़े हुये हैं (जून 1986) :

उपकरणों और संयंत्रों के विवरण	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में)
आर0 सी0 सी0 ढांचे (जोड़े में) (एण्ड प्लेट तथा जे हुक को सम्मिलित करके)	411	16·44
मिश्रक (मिक्सर) मशीनें (संख्या में)	5	0·90
स्ट्रेप ट्रान्सफार्मर सहित विब-रेटर (संख्या में)	25	0·88
चैन पुली ब्लाक (संख्या में)	28	0·28
विभिन्न आकारों के एम0 एस0 पाइप सपोर्ट (संख्या में)	98	0·10
एअर पम्प	2	0·15
डाइनेमो मोटर	1	0·03
योग ..	570	18·78

इन उपकरणों और संयंत्रों के उपयोग/निस्तारण के लिए परिषद् द्वारा अब तक (जून 1986) कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

3ग·9· **समाहार**

(1) आर0 ई0 योजनाओं के स्थगन की दृष्टि से 1970 में स्थापित किये गये पांच विभागीय उत्पादन केन्द्र 1975 में बन्द कर दिये गये । इन इकाइयों के कर्मचारी वर्ग को बनाये रखा गया जिसके फलस्वरूप 12·75 लाख रुपयों का बिना काम के मजदूरों के रूप में भुगतान किया गया ।

(2) आर0 ई0 कार्यों के फिर से प्रारम्भ किये जाने पर 1977 में पुनः चालू की गयीं इन इकाइयों की क्षमतायें 1985-86 में बिना कोई कारण दिये ही 90,000 पोलों से घटाकर 58,200 पोल कर दी गई । संबंधित वर्षों में इन केन्द्रों का वास्तविक उत्पादन घटाई गई क्षमताओं और नियत लक्ष्यों से भी काफी कम था । इतने कम उत्पादन का भी 25 प्रतिशत प्रयोक्ता प्रखण्डों द्वारा न उठाया जाकर केन्द्रों पर छोड़ दिया गया यद्यपि उत्पादन का कार्यक्रम उनके मांग-पत्रों पर आधारित था ।

(3) परिषद् ने कम उत्पादन के लिए निधियों की कमी और सीमेन्ट की अनुपलब्धता को उत्तरदायी ठहराया, जो गलत था क्योंकि परिषद् ने 1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान पोलों के स्थानीय क्रय पर 24 करोड़ रुपये व्यय किये और आपूर्तियों हेतु आदेश के समक्ष प्राइवेट पोल निर्माताओं को 6·73 लाख टन सीमेन्ट आबंटित की थी ।

(4) कम उत्पादकता और परिणामस्वरूप स्थिर व्ययों के अवविलयन (अण्डर एबेजार्पशन) के कारण, केन्द्रों में उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक थी और 1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान उत्पादन पर स्थानीय बाजार दरों से तुलना करने पर, परिषद् द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय 37·3 लाख रुपये था ।

(5) इकाइयों को पुनः चालू करते समय संकल्पित 50 प्रतिशत के समक्ष, केन्द्रों में उत्पादन अनुमानित आवश्यकताओं/वास्तविक उपभोग का स्वल्प 3 से 7 प्रतिशत हुआ (शेष आवश्यकता बाजार से क्रय करके पूरी की गई) । यद्यपि इकाइयों को पूर्ण रूप से कर्मचारी वर्ग तथा उपस्कर प्रदान किये गये थे तथापि ढुलाई का काम अपने श्रमिकों को बेकार रखकर श्रम ठेकेदारों से कराया जा रहा था ।

इन परिस्थितियों में, उत्पादन केन्द्रों को जारी रखना पुनः विचारणीय विषय प्रतीत होता है ।

अध्याय 4

कम्पनियों और सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रोचक विषय

खण्ड-क

4.क. सरकारी कम्पनियां

4क.1. उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4क.1.1. दोहरा भुगतान

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 25.87 लाख रुपयों के नकद भुगतान (जनवरी 1981) पर कम्पनी के पक्ष में जनवरी 1981 में 1350 टन यूरिया के लिए एक मुक्ति आदेश (रिलीज आर्डर) निर्गत किया गया। उपर्युक्त मुक्ति आदेश से आवृत्त 801.465 टन यूरिया का बिल एफ0 सी0 आई0 द्वारा परिचालनगत साख-पत्र योजना के अन्तर्गत भुगतान योग्य अन्य बिलों के साथ सम्मिलित कर लिया गया और बैंक द्वारा उसका भुगतान कर दिया गया (फरवरी और मार्च 1981)। इस प्रकार 15.71 लाख रुपयों का दो बार भुगतान किया गया। नकद क्रय प्रणाली के अन्तर्गत और एल0 सी0 योजना के अन्तर्गत मुक्त की गई यूरिया जिला विक्रय अधिकारी द्वारा उठायी गयी तथा दैनिक सुपुर्दगी प्राप्तियों (डेली डिलेवरी रिसीट्स) में प्रत्येक प्रणाली के अन्तर्गत मुक्त की गयी मात्राओं को अलग-अलग अंकित किये बिना उनका लेखा किया गया। कम्पनी द्वारा भुगतान की गई धनराशियों तथा प्राप्त की गई मात्राओं का समाधान कम्पनी द्वारा कहीं जाकर अप्रैल 1984 में किया गया जब दोहरा भुगतान पकड़ा गया। दोहरे भुगतान के पकड़े जाने पर, प्रबन्धकों ने बैंकरों को साख-पत्र में यह शर्त सम्मिलित करते हुये अनुदेश निर्गत कर दिये कि भुगतान केवल तभी मुक्त किया जाना था जब आपूर्तिकर्ता सहायक जिला बिक्री अधिकारी की मुहर के अन्तर्गत पावती के साथ अपने बिलों को प्रस्तुत करें।

प्रबन्धकों ने एफ0 सी0 आई0 से 15.71 लाख रुपयों की वापसी की मांग की (अप्रैल/मई 1984) जो अभी भी प्राप्त होनी है (मार्च 1987)। अप्रैल 1981 से अप्रैल 1987 तक 18 प्रतिशत की दर (कैश क्रेडिट रेट) से ब्याज की धनराशि 17.20 लाख रुपये हुई।

मामला प्रबन्धकों को अगस्त 1986 में और सरकार को नवम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4क.1.2. चेकों का कपटपूर्ण नकदीकरण

गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए अनुदेशों से अन्तर्विष्ट नियमावली (मैनुअल) के अनुसार, क्रय केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा, बैंक से प्राप्त पिछले दिन की बैंक भुगतान विवरणी की एक प्रति के साथ दैनिक क्रय तथा भुगतान की एक विवरणी जिला विक्रय अधिकारियों/क्षेत्रीय प्रबन्धकों (डी0 एस0 ओ0/आर0 एम0) को प्रस्तुत की जानी थी। इन विवरणियों की प्राप्ति हो जाने पर, डी0 एस0 ओ0/आर0 एम0 कार्यालय के खजांची से यह अपेक्षित था कि वह क्रय और भुगतान के परिलेख का बैंक की विवरणियों से समाधान करे और डी0 एस0 ओ0 को सारे अभिलेखों की जांच करनी थी, इसकी शुद्धता सुनिश्चित करनी थी और अगले माह की सातवीं तिथि तक क्षेत्रीय प्रबन्धक को इस संबंध में वस्तुतः एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना था।

कम्पनी के अभिलेखों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा (जुलाई 1985) में यह देखा गया कि केन्द्र प्रभारी खुर्जा (अलीगढ़) ने बैंक विवरणियों सहित दैनिक परिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिसके फलस्वरूप डी0 एस0 ओ0 द्वारा निर्धारित जांच और प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति नहीं की जा सकी। केन्द्र प्रभारी से दैनिक परिलेख का अप्राप्ति को ध्यान में रखने के लिये जिला विक्रय अधिकारी अलीगढ़ के पक्ष में असफलता के कारण, केन्द्र प्रभारी द्वारा 80,353.75 रुपये के चेक 13 जून 1984 को कपटपूर्ण ढंग से भुना लिये गये। केन्द्र को यह पता लगा कि क्रय मूल्य के भुगतान के समक्ष किसानों को निर्गत किये गये कुल 8402.15 रुपयों के 17 चेक पहली मई से 9 जून 1984 के दौरान 88,756.15 रुपयों हेतु भुना लिये गये जिसके फलस्वरूप 80,353.75 रुपयों का कपटपूर्ण भुगतान हुआ। कम्पनी द्वारा जांच किये जाने पर, बैंक ने बताया (जुलाई 1984) कि भुगतान की गई चेकों में कोई रद्दो-बदल अथवा परिवर्धन विद्यमान नहीं था और उनका भुगतान स्पष्ट अभिप्राय के अनुसार किया गया था।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1986) कि केन्द्र प्रभारी 17 अक्टूबर 1986 को नौकरी से निकाल दिया गया है और बैंक के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर कर दिया गया है (नवम्बर 1985)।

मामले को प्रबन्धकों को जनवरी 1985 में और सरकार को दिसम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4क.2. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

प्रीमियम की हानि

निदेशक मण्डल के मई 1982 के निर्णय के अनुसार, निगम ने दिल्ली की एक पार्टी को गजरौला (मुरादाबाद) में औद्योगिक क्षेत्र में 59.75 एकड़ भूमि (55 एकड़ जुलाई 1982 में और 4.75 एकड़ मई 1983 में) विभिन्न निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु आबंटित किया। निदेशक-मण्डल ने जनवरी 1984 में 8.20 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम की दर से 19.91 लाख रुपये इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि भूमि हेतु क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेशन) तथा रखरखाव लागत में वृद्धि के प्रति उत्तरदायित्व को आवृत्त करने हेतु पट्टा विलेख में उपवाक्य (क्लाजेज) सम्मिलित किये जायें। पट्टेधारी ने अक्टूबर 1982 में भूमि पर कब्जा प्राप्त कर

लिया तथापि पट्टेधारी ने दावे के पूर्ण निस्तारण में 19.91 लाख रुपयों की अनुबंधित धनराशि के समक्ष प्रीमियम के रूप में 9.06 लाख रुपयों का भुगतान किया और अप्रैल 1984 में एक पट्टा विलेख उसमें यह उल्लेख करते हुये निष्पादित किया गया कि 3.71 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम की दर तथा प्रीमियम की कुल धनराशि (9.06 लाख रुपये) का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। पट्टा विलेख में भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तथा रखरखाव लागत में वृद्धि के प्रतिदायित्व आवृत्त करने हेतु कोई उपवाक्य नहीं था।

निगम ने फरवरी 1985 में पट्टाधारी को सूचित किया कि भूमि के लिए देय प्रीमियम 9.06 लाख रुपये के बजाय 19.91 लाख रुपये था और जुलाई 1982 में भूमि आबंटित किये जाने की तिथि से 14 प्रतिशत ब्याज सहित 15.47 लाख रुपयों (बकाया प्रीमियम 10.85 लाख रुपये और भूमि के लिये भुगतान की गयी वृद्धिगत क्षति-पूर्ति के रूप में 4.62 लाख रुपये) की धनराशि की मांग की भुगतान करने में चूक हुई तो निगम का यह इरादा था कि बकाये भू-राजस्व के रूप में धनराशि की वसूली के लिए और पट्टे को समाप्त करने के लिये कार्य-वाही की जायेगी।

अक्टूबर 1985 में पट्टेधारी ने दीवानी न्यायालय मुरादाबाद से एक अंतरिम ब्यादेश (इंजंक्शन) प्राप्त किया जिसने निगम को राजस्व अधिकारियों को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने तथा पट्टा विलेख को निरस्त करने से रोक दिया। निगम ने पट्टेधारियों से न्यायालय से मामला वापस लिये जाने के लिए समझौता किया और दिसम्बर 1985 में भूमि की लागत के अवशेष के रूप में तीन किस्तों में 14 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित 6.37 लाख रुपयों की धनराशि प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पट्टा विलेख में उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित करने में विफलता के फलस्वरूप निगम को 9.10 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धकों को मामला नवम्बर 1986 में और सरकार को अप्रैल 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4क.3. उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड

गेहूं का दुर्विनियोग

1984-85 रबी मौसम के लिए सरकार की गेहूं अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत, कम्पनी को कृषकों से सीधे गेहूं अधिप्राप्ति तथा उसे भारतीय खाद्य निगम (एफ0 सी0 आई0) को उनके गोदामों में परिदत्त करने का कार्य सौंपा गया। गेहूं की अधिप्राप्ति और भारतीय खाद्य निगम को उसके परिदान हेतु प्रक्रिया में प्रावधान है कि परिवहन ठेकेदार केन्द्र प्रभारी से ट्रक डेलीवरी स्लिप (टी0 डी0 एस0) की तीन प्रतियां प्राप्त करेगा जिनमें से एक प्रति गेहूं सुपुर्द करते समय एफ0 सी0 आई0 गोदाम को दी जायेगी और दो प्रतियों पर पावती प्राप्त की जायेगी। ठेकेदार पावती दर्शायी गई टी0 डी0 एस0 की एक प्रति केन्द्र प्रभारी को एफ0 सी0 आई0 को गेहूं सुपुर्द किये जाने के लिए लौटायेगा और दूसरी प्रति चढ़ाई-उतराई और परिवहन के अपने दावों के साथ प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 1986) यह देखा गया कि परिवहन ठेकेदार ने अधिप्राप्ति केन्द्रों से मई से जुलाई 1984 के दौरान 6.10 लाख रुपये मूल्य का 3451.72 कुन्तल गेहूं उठाया किन्तु उसे एफ0 सी0 आई0 गोदाम को प्रदान नहीं किया। उसने उठायी गयी मात्राओं और एफ0 सी0 आई0 को उसका परिदान न करने के सत्यापन से बचने के लिये चढ़ाई-उतराई तथा परिवहन के दावे प्रस्तुत नहीं किये। केन्द्र प्रभारी जो एक सामयिक (सीजनल) कर्मचारी था, ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उठाया गया गेहूं अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार एफ0 सी0 आई0 को परिदानित कर दिया गया था केन्द्र को एफ0 सी0 आई0 की पावती से युक्त टी0 डी0 एस0 की परिवहन ठेकेदार द्वारा वापसी का ध्यान नहीं रखा।

प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई 1986) कि केन्द्र प्रभारी की सेवायें सामयिक थीं और पुलिस द्वारा छानबीन प्रगति में थी।

यह मामला प्रबन्धकों को सितम्बर 1986 में और सरकार को दिसम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4क.4. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड निम्न विद्युत् तत्व (लो पावर फैक्टर) के कारण अधिभार का भुगतान

कम्पनी द्वारा अपनी अलौह (नान्फेरस) रोलिंग मिलों को 1250 के0 वी0 ए0 विद्युत् की आपूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के साथ फरवरी 1983 में निष्पादित अनुबन्ध में 85 प्रतिशत पर विद्युत् तत्व को बनाये रखने का प्रावधान था जिसकी विफलता पर सम्बद्ध दर अनुसूची में निर्दिष्ट दर से उस समय तक अधिभार देय था, जब तक उपयुक्त कपासिटरों के संस्थापन द्वारा विद्युत् तत्व का अपेक्षित स्तर तक सुधार हो जाये।

कम्पनी के अभिलेखों के जांच परीक्षण के दौरान अप्रैल 1986 में यह देखा गया कि कम्पनी अपेक्षित विद्युत् कारक को फरवरी 1983 में चालू किये जाने से लेकर जुलाई 1985 तक बनाये रखने में विफल रही, जिसके फलस्वरूप 5.96 लाख रुपयों के अधिभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबन्धकों ने बताया (मई 1986) कि कैपासिटर वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण 1.71 लाख रुपयों की लागत पर जुलाई 1985 में स्थापित किये गये। प्रबन्धकों का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कम्पनी के पास नकद की सुविधाजनक स्थिति थी।

प्रबन्धकों को मामला जुलाई 1986 में तथा सरकार को नवम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4क.5. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड बेकार पड़ी हुई पैकिंग मशीन

कम्पनी के निदेशक (तकनीकी) ने पैकिंग क्षमता का संयंत्र की पिसाई क्षमता के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिये अतिरिक्त पैकरों के संस्थापन की संस्तुति की। तदनुसार, कम्पनी ने क्रय प्रस्ताव को क्रय समिति के माध्यम से प्रेषित न करके, शुल्क तथा कर को छोड़कर 7.99 लाख रुपयों हेतु कल पुर्जों सहित एक रोटरी पैकिंग मशीन (सीमेण्ट को बोरियों में भरने के लिये) की आपूर्ति

हेतु नवम्बर 1982 में बम्बई की एक फर्म को आदेश भेजा। जैसा कि आदेश में अनुबंधित था, फर्म को आदेश के साथ नवम्बर 1982 में 20 प्रतिशत अग्रिम भुगतान (1.60 लाख रुपये) दिया गया। आदेश की शर्तों को स्वीकार करते हुए फर्म ने दिसम्बर 1982 में आदेश की स्वीकृति की तिथि से 4 से 6 माह के अन्दर मशीन को परिदानित करने की सहमति दी।

अक्टूबर 1983 में, क्रय समिति ने संवीक्षा की कि आदेशित पैकिंग मशीन की तत्काल आवश्यकता नहीं थी और तदनुसार फर्म से अक्टूबर 1983 में मार्च 1984 तक परिदान को स्थगित करने हेतु निवेदन किया गया। इसी बीच, फर्म ने 30 सितम्बर 1983 को पैकिंग मशीन और उसके कल पुर्जों को भेज दिया था, जो कम्पनी को रेल पथिका (साइडिंग) पर 20 अक्टूबर 1983 को प्राप्त हुये। फर्म ने मशीन को दूसरे क्रेताओं को अपवर्तित करने से इस तर्क पर इन्कार कर दिया (अक्टूबर 1983) कि इस माडल की मशीन का निर्माण बन्द कर दिया गया है, क्योंकि दिसम्बर 1983 से विपणन करने हेतु एक नया माडेल निर्मित किया जा रहा था। अतः पैकिंग मशीन और उसके पुर्जों का परिदान लेना पड़ा और 7.44 लाख रुपयों का शेष भुगतान (1.05 लाख रुपयों के भाड़ा शुल्क तथा करों को सम्मिलित करते हुए) अवमुक्त करना पड़ा (दिसम्बर 1983)। इन मशीनों को स्थापित नहीं किया गया और वे बेकार पड़ी थीं (मार्च 1987) जिससे क्रय समिति की सम्वीक्षायें पुष्ट होती हैं। मशीन के निष्क्रिय पड़े रहने के कारण 9.04 लाख रुपयों की निधि अवरुद्ध हो गयी।

प्रबन्धकों ने यह बताया (अप्रैल 1987) कि 1987-88 के दौरान मशीन चालू किये जाने की आशा है।

सरकार को मामला दिसम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 1987)।

4क.6. उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड निष्फल व्यय

हरिजनों की समस्याओं पर एक फीचर फिल्म निर्माण करने के लिये राज्य सरकार ने कम्पनी को 8 लाख रुपयों की स्वीकृति (मार्च 1981) इस शर्त के साथ दी कि धनराशि का उपयोग जुलाई 1982 तक हो जाना चाहिए जिसे न करने पर उस पर देय ब्याज सहित पूर्ण धनराशि सरकार के व्यक्तिगत लेजर खाते में (पी० एल० ए०) जमा की जानी थी। तथापि, यह देखा गया (अक्टूबर 1986) कि कम्पनी फिल्म की पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये फिल्म कथा-लेखक के साथ केवल अगस्त 1983 में अनुबन्ध कर सकी और सितम्बर 1986 तक निर्माण पर 1.91 लाख रुपये व्यय किये। फिल्म के निर्माण में असामान्य विलम्ब होने के कारण, सरकार ने कम्पनी से निर्माण बन्द करने के लिये तथा ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि की वापसी के लिये कहा (अक्टूबर 1986)। कम्पनी ने फिल्म का निर्माण बन्द कर दिया (अक्टूबर 1986) जिसके फलस्वरूप इस पर किया गया 1.91 लाख रुपयों का व्यय (10.17 लाख रुपयों के अग्रिम भुगतान सहित) निष्फल हो गया।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1986) कि 0.15 लाख रुपयों की धनराशि निवेदन पर सम्बन्धित पार्टियों द्वारा कम्पनी को वापस कर दी जायेगी।

प्रबन्धकों को मामला जनवरी 1987 में और सरकार को मार्च 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4क.7. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड भविष्य निधि अंशदानों के विलम्बित प्रेषण हेतु अर्थदण्ड

अप्रैल 1974 से कम्पनी पर लागू अंशदायी भविष्य निधि योजना में जिस मास में वेतन तथा मजदूरी से कटौतियां की जाती हैं, उस मास की समाप्ति से 15 दिनों के उपरान्त भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य देयों के अन्तरण में चूक होने पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाने हेतु प्रावधान है।

सहायक कम्पनियों से अंशदानों की अप्राप्ति के कारण, 1974-75 से 1983-84 के दौरान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन के सी० पी० एफ० ट्रस्ट को भविष्य निधि अंशदानों के भुगतान में चूकें हुईं, जिसके फलस्वरूप विलम्बित प्रेषण हेतु ट्रस्ट को अर्थदण्ड के रूप में 1.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

प्रबन्धकों को मामला जून 1986 में और सरकार को अप्रैल 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4क.8. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड अत्यधिक सुखावन (ड्रायज) की वसूली न करना

निगम की बुढवल (बाराबंकी) इकाई द्वारा लखनऊ के एक परिवहन ठेकेदार को 1985-86 के पेराई मौसम के लिये गन्ना संग्रह के 8 केन्द्रों से फैक्टरी के फाटक तक गन्ना परिवहन के लिये नवम्बर 1985 में एक ठेका दिया गया। अनुबंध के उपवाक्य 9 में प्रावधान था कि केन्द्रों पर क्रय किये गये गन्ने के ऊपर, यदि तर्कसंगत पाया गया तो, अधिकतम कमियां 0.5 प्रतिशत तक अनुमत की जायेंगी। यदि यह उपर्युक्त सीमा से अधिक हो गई तो उपर्युक्त सीमा से ऊपर गन्ने की लागत परिवहन ठेकेदार से वसूली योग्य थी।

इकाई के अभिलेखों के जांच परीक्षण (जुलाई 1980) में यह देखा गया कि सभी केन्द्रों पर सुखावन (ड्राएज) 0.63 और 2.36 प्रतिशत के मध्य थी। इसके फलस्वरूप अधिकतम अनुज्ञेय सीमा के ऊपर 0.44 लाख रुपये मूल्य के 1962.72 कुन्तल गन्ने की कमी हुई जो इकाई द्वारा वसूल नहीं की गयी।

इकाई द्वारा यह कहा गया (जुलाई 1986) कि मामला विचाराधीन था और वसूली की प्रमात्रा मुख्यालय से परामर्श से निर्णीत की जायेगी।

प्रबन्धकों को मामला सितम्बर 1986 में और सरकार को फरवरी 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

खण्ड ख

4ख. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

4ख.1. विकास छूट

नवम्बर 1982 से प्रारम्भ की गयी भारी विद्युत उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में लागू दर अनुसूची में आपूर्ति आरम्भ करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये

किसी नई औद्योगिक इकाई को मांग और ऊर्जा प्रभारों से सम्बन्धित बिल की धनराशि पर 10 प्रतिशत की विकास छूट का प्रावधान था । यह छूट उन वर्तमान औद्योगिक इकाइयों को भी स्वीकार्य है जिन्होंने आपूर्ति आरम्भ होने की तिथि से पहली नवम्बर 1982 को तीन वर्ष पूरे नहीं किये हैं ।

विद्युत् वितरण खण्ड हरदोई के अभिलेखों के जांच परीक्षण में दिसम्बर 1985 में यह देखा गया कि राज्य सरकार की संडीला (हरदोई) स्थित कपड़े की मिल को, जिसके पास मई 1977 से 1700 के0 डब्लू0 का अनुबंधित भार (कन्ट्रैक्टेड लोड) था, अपनी वर्तमान मिल के विस्तार हेतु मई 1982 में 1700 के0 डब्लू0 का अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया । प्रखण्ड ने विस्तार को एक नई औद्योगिक इकाई के रूप में लिया और दर अनुसूची के प्रावधानों के उल्लंघन में 21 मई 1982 से 20 मई 1985 के दौरान 12·59 लाख रुपयों की विकास छूट अनुमत की ।

प्रखण्ड अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1985) कि 10 प्रतिशत की विकास छूट अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अक्टूबर 1983 के आदेशानुसार अनुमत की गयी थी । तथापि, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) ने इसी प्रकार के एक मामले में मई 1985 में स्पष्ट किया था कि वर्तमान इकाई के विस्तार पर विकास छूट स्वीकार्य नहीं थी ।

परिषद् को मामला सितम्बर 1986 में और सरकार को दिसम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4 ख·2· विलम्बित भुगतान अधिभार का अनारोपण

बड़े तथा भारी विद्युत् उपभोक्ताओं को लागू प्रशुल्क सूची (टैरिफ) के अनुसार, यदि मासिक बिल का भुगतान उसमें निर्दिष्ट नियत तिथि तक नहीं किया जाता तो उपभोक्ता बिल की धनराशि पर प्रतिदिन विलम्ब के लिये सात पैसे प्रति सौ रुपये या उसके हिस्से के लिये अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिये दायी है ।

सितम्बर 1985 से जुलाई 1986 की अवधि में 8 वितरण प्रखण्डों के अभिलेखों की जांच करने पर, यह देखा गया कि 53·47 लाख रुपयों का अतिरिक्त प्रभार आरोपित नहीं किया गया । लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, निर्धारण किये गये, जिनमें से, निम्नांकित विवरण के अनुसार, केवल 0·69 लाख रुपयों की वसूली (मार्च 1986 तक) की गयी :

इकाई का नाम	लेखापरीक्षा का मास	निहित अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	संस्थापन की प्रकृति	निर्धारित की गयी धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
					(लाख रुपयों में)	
1· विद्युत् वितरण प्रखण्ड, उरई	सितम्बर 1985	जनवरी 1984 से अक्टूबर 1985	3	पम्प नहर	2·70	शून्य
2· विद्युत् वितरण प्रखंड I, गाजीपुर	जनवरी 1986	जनवरी 1985 से जनवरी 1986	4	कोल्ड स्टोरेज एवं पम्प नहर	6·44	0·51
3· विद्युत् वितरण प्रखण्ड, हमीरपुर	मार्च 1986	जनवरी 1984 से दिसम्बर 1985	6	विश्वबैंक नलकूप	0·70	शून्य
4· विद्युत् वितरण प्रखण्ड, इटावा	सितम्बर 1985	अक्टूबर 1984 से जुलाई 1985	5	कोल्ड स्टोरेज	0·36	0·18
5· विद्युत् वितरण प्रखंड II रायबरेली	जुलाई 1986	मई 1984 से जून 1986	1	पम्प नहर	34·63	उपलब्ध नहीं
6· विद्युत् निर्माण प्रखण्ड, डाक पत्थर	अप्रैल 1986	अगस्त 1984 से फरवरी 1985	1	बड़े एवं भारी विद्युत् उपभोक्ता	1·28	उपलब्ध नहीं
7· लखनऊ विद्युत् आपूर्ति उपक्रम	नवम्बर 1986	नवम्बर 1985	12	कोल्ड स्टोरेज एवं अन्य	2·40	उपलब्ध नहीं
8· विद्युत् प्रजनन प्रखण्ड, पिपरी	मार्च 1986	अगस्त 1985 से फरवरी 1986	1	—	4·96	उपलब्ध नहीं
				योग	53·47	0·69

सरकार को मामला दिसम्बर 1986 से मार्च 1987 के दौरान तथा परिषद् को दिसम्बर 1985 से दिसम्बर 1986 के दौरान प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4 ख.3. शण्ट कैपासिटरों के असंस्थापन हेतु अधिभार का अनारोपण

जुलाई 1984 में निर्गत किये गये परिषद् के आदेशानुसार प्राइवेट नलकूप (पी0 टी0 डब्लू0), छोटे और मध्यम विद्युत् (एस0 एम0 पी0) तथा राज्य नलकूप/पम्प नहर (एस0 टी0 डब्लू0/पी0 सी0) के उन उपभोक्ताओं से, जिनके पास 5 बी0 एच0 पी0 से अधिक भार था, अपेक्षित था कि वे अन्ततम दिसम्बर 1984 तक (25 बी0एच0पी0 से अधिक भार) तथा जून 1985 तक (5 बी0एच0पी0 से अधिक भार) उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग्स) के शण्ट कैपासिटर स्थापित कर लें, जिसके न करने पर उसके बाद प्रत्येक मास ऊर्जा प्रभारों की धनराशि का 5 प्रतिशत अधिभार आरोपित किया जायेगा । पी0 टी0 डब्ल्यू0 उपभोक्ताओं के मामले में फरवरी 1986 से आदेश वापस ले लिये गये । नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 13 विद्युत् वितरण प्रखण्डों (ई0 डी0 डी0) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपभोक्ताओं द्वारा शण्ट कैपासिटर संस्थापित नहीं किये गये, तो भी अधिभार का निर्धारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 32.09 लाख रुपये धनराशि के अधिभार का निर्धारण नहीं किया गया :

क्रम सं0	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा सम्पन्न करने का माह	अधिभार की अवधि	उपभोक्ता की श्रेणी	अधिभार की धनराशि
					(लाख रुपयों में)
1.	ई0 डी0 डी0 I, गाजीपुर	जनवरी 1986	जुलाई 1985 से मार्च 1987	पी0 टी0 डब्लू/ एस0 टी0 डब्लू	3.35
2.	ई0 डी0 डी0, आगरा	जून 1986	जनवरी 1985 से जून 1986	एस0 टी0 डब्लू/ पी0 टी0 डब्लू	5.20
3.	ई0 डी0 डी0, हापुड़	अप्रैल 1986	जुलाई 1985 से मार्च 1986	एस0 टी0 डब्लू	0.76
4.	ई0 डी0 डी0 I, आजमगढ़	जनवरी 1986	जुलाई 1985 से मार्च 1987	एस0 टी0 डब्लू/ पी0 टी0 डब्लू	5.81
5.	ई0 डी0 डी0, रुड़की	फरवरी 1986	जनवरी से दिसम्बर 1985	एस0 टी0 डब्लू/ पी0 टी0 डब्लू	5.55
6.	ई0 डी0 डी0, हल्द्वानी	जनवरी 1985	जुलाई 1985 से जनवरी 1986	पी0 टी0 डब्लू/ एस0 एम0 सी0	2.36
7.	ई0 डी0 डी0 I, बस्ती	जनवरी 1986	जुलाई से दिसम्बर 1985	एस0 टी0 डब्लू/ पी0 टी0 डब्लू	2.26
8.	ई0 डी0 डी0 III, नोयडा, गाजियाबाद	जनवरी 1986	मार्च से दिसम्बर 1985	एस0 टी0 डब्लू/ पी0 टी0 डब्लू/ एस0 एम0 सी0	0.36
9.	ई0 डी0 डी0, गोंडा	फरवरी 1986	जनवरी 1985 से जनवरी 1986	एस0 एम0 सी0	0.50
10.	ई0 डी0 डी0, बाराबंकी	दिसम्बर 1985	जुलाई से नवम्बर 1985	पी0 टी0 डब्लू/ एस0 टी0 डब्लू/ एस0 एम0 सी0	2.10
11.	ई0 डी0 डी0 II, वाराणसी	जनवरी 1986	जुलाई से दिसम्बर 1985	एस0 टी0 डब्लू/ पी0 टी0 डब्लू/ एस0 एम0 सी0	1.53
12.	ई0 डी0 डी0, बलिया	फरवरी 1986	जुलाई से दिसम्बर 1985	एस0 टी0 डब्लू0	1.30
13.	ई0 डी0 डी0 II, मेरठ	फरवरी 1986	दिसम्बर 1984 से जनवरी 1986	एस0 टी0 डब्लू	1.01
				योग ..	32.09

प्रखण्ड अधिकारी (सिवाय ई0 डी0 डी0 आगरा) ने बताया (जून 1987) कि शण्ट कैपासिटरों के असंस्थापन हेतु अधिभार निर्धारण करने की कार्यवाही एस0 टी0 डब्ल्यू0 उपभोक्ताओं के मामले में सिंचाई विभाग से तथा अन्य मामलों में उप प्रखण्ड अधिकारियों से सूचना प्राप्त होने पर की जायेगी ।

परिषद् को मामला दिसम्बर 1985 से सितम्बर 1986 की अवधि में तथा सरकार को जनवरी 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4ख.4. जनता योजना में अवनिर्धारण

पहली नवम्बर 1982 से प्रभावी जनता सर्विस कनेक्शन स्कीम के उपभोक्ताओं को लागू दर अनुसूची (आई0 एम0 बी0-9) में एक प्रकाश बिन्दु (लाइट प्वाइण्ट) हेतु 7.50 रुपये प्रति मास और दो/तीन प्रकाश बिन्दु हेतु 10 रुपये प्रति मास के प्रभार की दर हेतु प्रावधान है । विद्युत् वितरण प्रखण्ड-I, मुरादाबाद तथा विद्युत् वितरण प्रखण्ड, रामपुर के अभिलेखों के जांच परीक्षण के दौरान यह देखा गया (अगस्त और दिसम्बर 1985) कि जनता सर्विस कनेक्शन स्कीम के अधीन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में दर अनुसूची में दी गयी प्रभार की दर के 50 प्रतिशत पर बिल बनाये गये जिसके फलस्वरूप निम्न विवरण के अनुसार 1.88 लाख रुपयों का अवनिर्धारण हुआ ।

	उपभोक्ताओं की संख्या	माह	दर (रुपये)	धनराशि (लाख रुपयों में)
(i) ई0 डी0 डी0 I, मुरादाबाद				
एकल बिन्दु (सिंगल प्वाइंट)	117	33	3.75	0.14
दो या तीन बिन्दु	896	33	5.00	1.48
(ii) ई0 डी0 डी0, रामपुर				
एकल बिन्दु	39	32	3.75	0.05
दो या तीन बिन्दु	135	32	5.00	0.21
				1.88

परिषद् को मामला दिसम्बर 1985 में तथा सरकार को नवम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4ख.5. अतिरिक्त भार का अवनिर्धारण

परिषद् के अक्टूबर 1976 के आदेशों में प्रावधान है कि यदि कोई उपभोक्ता उसको स्वीकृत भार से अधिक क्षमताओं की मोटरें या अन्य उपकरण संस्थापित किये हुए पाया जाये तो आपूर्ति विच्छेदित कर दी जाती थी और परिषद् द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार निर्धारण किया जाना था ।

पहली फरवरी 1979 को गोरखपुर विद्युत् आपूर्ति उपक्रम के उप प्रखण्ड अधिकारी iv ने, गोरखपुर के एक उपभोक्ता के, जिसे 112 के0 डब्लू0 (150 बी0 एच0 पी0) का अनुबंधित भार प्राप्त था, विद्युत् संस्थापन की जांच करते समय पाया कि उपभोक्ता कुल 138.75 के0 डब्लू0 (186 बी0 एच0 पी0) के भार का उपयोग कर रहा था । तथापि, 36 बी0 एच0 पी0 का अधिक भार अवलोकन करने के बाद, अतिरिक्त भार के लिए बिल नहीं बनाया गया; जिसके फलस्वरूप फरवरी 1979 से जून 1987 की अवधि हेतु 0.91 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई । विद्युत् शुल्क का बिल न बनाने के कारण मार्च 1979 से जून 1987 तक 17 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज की धनराशि 0.49 लाख रुपये आयी ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1986) में इसके इंगित किये जाने पर, प्रखण्ड अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1986) कि मामले की एक अन्य प्रखण्ड द्वारा (जिसने मूल अनुबन्ध किया था) जांच-पड़ताल की जा रही है और उस प्रखण्ड से पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

परिषद् को मामला दिसम्बर 1986 में तथा सरकार को मार्च 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4ख.6. मध्यम विद्युत् उपभोक्ताओं के बिल न बनना

कम्प्यूटर द्वारा संगणित (कम्प्यूटेड) सूचना के प्रभावी उपयोग के लिये परिषद् के अप्रैल 1979 और नवम्बर 1982 के आदेशों में संकल्पित था कि प्रखंड अधिकारियों से यह अपेक्षित था कि वे कम्प्यूटर जनित प्रतिवेदनों/सारांशों की जांच करें और बिलों को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को भेजने के पूर्व शुद्ध करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें । बिलों को तैयार न करने के कारणों, जैसा कि इन प्रतिवेदनों में इंगित किये गये थे, की जांच भी बिल न बनाने के कारण को दूर करने की दृष्टि से अपेक्षित थी तथा अगले बिल बनाने के चक्र में अपेक्षित आंकड़े प्रदान करना अपेक्षित था ।

विद्युत् वितरण प्रखण्ड-I, बस्ती के अभिलेखों के जांच परीक्षण में यह देखा गया (अक्टूबर 1986) कि

निर्धारित अनुदेशों का परिपालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप दो मध्यम विद्युत् उपभोक्ताओं के मार्च 1986 से अगस्त 1986 तक के बिल नहीं बन पाये । परिणाम-स्वरूप कुल मिलाकर 1.13 लाख रुपयों (0.76 लाख रुपयों के बकायों को सम्मिलित करके) के बिल नहीं बनाये गये और वसूली नहीं की गयी ।

प्रखण्ड अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1986) कि कम्प्यूटर को प्रस्तुत किये गये आंकड़े खो गये थे और यह कि कम्प्यूटर को तद्नुसार परामर्श दिया जायेगा ।

परिषद् को मामला जनवरी 1987 में तथा सरकार को फरवरी 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4ख.7. परिदान लेने में विलम्ब के कारण दावों की अस्वीकृति

अगस्त 1982 के आपूर्ति आदेश के समक्ष फर्म 'क' ने 'ख' थर्मल पावर स्टेशन ,ओबरा के अधिशासी अभियन्ता सेण्ट्रल स्टोर्स डिवीजन II को बियरिंग की तीन पेटियां सम्प्रेषित कीं (जून 1983) । परिदान लेते समय परेषिती (कन्साइनी) द्वारा यह देखा गया कि दो पैकिंग पेटियां क्षतिग्रस्त हालत में थीं और इसलिये 3 अक्टूबर 1983 को खुला परिदान लिया गया । खुले परिदान के प्रतिवेदन के अनुसार यह पाया गया कि दो पेटियों में 1.19 लाख रुपये मूल्य की बियरिंग कम थीं । बीमा कम्पनी तथा रेलवे में अक्टूबर 1983 में दायर किये गये दावे अप्रैल 1985 में बीमा कम्पनी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिये गये कि पैकिंग सामग्री मजबूत नहीं थी और रेलवे द्वारा भी अप्रैल 1985 में इस आधार पर अस्वीकार कर दिये गये कि 16 सितम्बर 1983 को कन्सा-इनमेंण्ट के उतारने के 7 दिनों के अन्दर परिदान नहीं लिया गया था । आपूर्तिकर्ता ने उत्तरदायित्व वहन करने से इन्कार कर दिया क्योंकि पैकिंग आपूर्ति आदेश में पैकिंग सामग्री के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं रखी गई थी ।

उत्तर में प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1985) कि परिदान तुरन्त लेने हेतु निधियों की कमी थी । तथापि, अधिशासी अभियन्ता का मत इस कारण से तर्कसंगत नहीं था कि यद्यपि कन्साइनमेंण्ट 16 सितम्बर 1983 को उतारा गया था और परिदान 16 दिनों के बाद 3 अक्टूबर 1983 को लिया गया था । सामग्री महंगी होने और चोरी की अधिक संभावनाओं के कारण, प्रखण्ड को माल का परिदान निधियों की उपलब्धता की प्रतीक्षा किये बिना क्षतिपूरक (इन्डेम्निटी) बाण्ड निष्पा-दित करके 7 दिनों के अन्दर ले लिया जाना चाहिये था ।

परिषद को मामला मार्च 1986 में और सरकार को दिसम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4ख.8. विलम्ब शुल्क (डेमरेज)/घाट शुल्क (वारफेज)

4ख.8.1. पनकी थर्मल पावर स्टेशन कानपुर ने सितम्बर 1984 से जून 1985 की अवधि में प्राप्त सूचना के समक्ष दिसम्बर 1984 से जुलाई 1985 के दौरान जाली इस्पात के गोलों (बाल्स) वाली चार रेलवे रसीदों को छुड़ाया जिनमें 2 से 8 महीने का विलम्ब निहित था और इसके फलस्वरूप 1.27 लाख रुपयों के घाट शुल्क प्रभारों का परिहार्य भुगतान (मार्च 1985 से अगस्त 1985) हुआ, यद्यपि सम्बन्धित प्रखण्ड के पास प्रलेखों को छुड़ाने के लिए पर्याप्त निधियां थीं ।

परिषद् को मामला फरवरी 1986 और सरकार को जनवरी 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4ख.8.2. 17.61 लाख रुपयों (करों को छोड़कर) हेतु एक 20 एम0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति हेतु जुलाई 1984 में नई दिल्ली की 'ख' फर्म द्वारा दिये गये आदेश की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मई 1985 तक परिदान पूरा करने और सम्प्रेषण प्रलेखों के प्रस्तुत करने पर 100 प्रतिशत भुगतान करने हेतु प्रावधान था ।

रेल द्वारा ट्रान्सफार्मर के प्रेषण के सम्बन्ध में आपूर्ति-कर्त्ता से अप्रैल 1985 में सूचना की प्राप्ति पर, अधिशासी अभियन्ता, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन डिवीजन, मिर्जापुर ने मुख्य अभियन्ता (ट्रान्समिशन), लखनऊ से प्रलेखों को छुड़ाने हेतु 20.90 लाख रुपयों की निधियां मुक्त करने तथा मई 1985 में मिर्जापुर पथिका पर प्राप्त सामग्री का परिदान लेने के लिये तार द्वारा कहा (मई 1985) मुख्य अभियन्ता (ट्रान्समिशन) ने प्रखण्ड से आई0 डी0 बी0 आई0 बिल्स रिडिस्काउण्टिंग स्कीम के अन्तर्गत भुगतान मुक्त करने के लिये लखनऊ स्थित वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी को विधिवत् सत्यापित प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिये कहा (अगस्त 1985) । प्रखण्ड द्वारा सत्या-पित बिल सितम्बर 1985 में प्रस्तुत किये गये और रेलवे को विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क के रूप में 0.78 लाख रुपयों का भुगतान करने के बाद अक्टूबर 1985 में ट्रान्स-फार्मर का परिदान लिया गया ।

सामयिक कार्यवाही न करने के फलस्वरूप परिदान लेने में लगभग 5 मास का विलम्ब हुआ, जिसके फल-स्वरूप 0.78 लाख रुपयों के विलम्ब शुल्क/घाट शुल्क का परिहार्य भुगतान करना पड़ा ।

परिषद् को मामला मई 1986 में तथा सरकार को जनवरी 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

4ख.9. राजस्व का कम निर्धारण

विद्युत् वितरण प्रखण्ड बांदा के जांच परीक्षण (जन-वरी 1986) में यह देखा गया कि एक भारी विद्युत् उप-भोक्ता के सम्बन्ध में के0 डब्लू0 एच0 मीटर रीडिंग का गुणक कारक (मल्टीप्लाइंग फैक्टर) 1 1/2 था, किन्तु जनवरी से नवम्बर 1985 की अवधि हेतु उपभोक्ता के बिल गुणक कारक को एक ही लेकर बनाये गये जिसके फलस्वरूप 0.93 लाख रुपयों के राजस्व का अवप्रभार हुआ । तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये जाने पर प्रखण्ड ने बिल बनाया (मार्च 1987); वसूली की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) । त्रुटिपूर्ण गुणक कारक अपनाये जाने का उत्तर-दायित्व प्रखण्ड द्वारा निर्धारित नहीं किया गया ।

परिषद् को मामला जून 1986 में और सरकार को 2 दिसम्बर 1986 को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4ख.10. राजस्व की वसूली न होना

विद्युत् वितरण प्रखण्ड, गाजीपुर के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया (फरवरी 1986) कि अपने कर्मचारियों का उनके निवास पर आपूर्त की गयी ऊर्जा के सम्बन्ध में 1966 में प्रखण्ड के प्रारम्भ होने से लेकर अक्टूबर 1982 तक 0.98 लाख रुपयों हेतु निर्गत किये गये बिलों के भुगतान की वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, परिषद् के कर्मचारियों द्वारा नवम्बर 1982 से दिसम्बर 1985 की अवधि में उपयुक्त ऊर्जा हेतु (प्रखण्ड द्वारा धनराशि नहीं निकाली गयी) बिल प्रस्तुत नहीं किये गये।

प्रखण्ड अधिकारी ने बताया (फरवरी 1986) कि वसूली के लिये कदम उठाये जायेंगे। तथापि वसूलियां करने हेतु अब तक (मार्च 1987) कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

परिषद् को मामला अप्रैल 1986 में और सरकार को दिसम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

4ख.11. भण्डारों का लेखा न करना

विद्युत् भण्डार प्रखण्ड, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच परीक्षा में फरवरी 1986 में यह देखा गया कि भंडार केन्द्र के स्टोरकीपर ने भण्डार प्रखण्ड, कानपुर द्वारा फरवरी/मार्च 1982 में स्थानान्तरित किये गये 1056 आर0 एस0 गाटरों (ज्वाइस्ट) के समक्ष केवल 971 आर0 एस0 गाटरों का ही लेखा किया (मार्च 1982 में 836 और मई 1982 में 135) जिसके फलस्वरूप 0.77 लाख रुपये मूल्य के 85 आर0 एस0 गाटरों को लेखे में कम लिया गया।

सितम्बर 1986 में इसके इंगित किये जाने पर प्रखण्ड ने बताया कि प्रभार भौतिक सत्यापन के आधार पर लिया गया था क्योंकि स्टोरकीपर उपलब्ध नहीं था और इसलिए कमी की गणना नहीं की जा सकी। प्रखण्ड द्वारा अप्रैल 1987 में आगे यह भी कहा गया कि स्टोरकीपर से 200 रुपये प्रति माह की दर से वसूली प्रारम्भ कर दी गई है। इस दर से वसूली पूरी करने में 32 वर्ष से भी अधिक लगेंगे और पदधारी पहले से ही 50 वर्ष से अधिक उम्र का हो चुका है।

परिषद् को मामला जून 1986 में और सरकार को दिसम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।

खण्ड ग

4ग. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम झांसी क्षेत्र

4ग.1. प्राइवेट बस-मालिकों को अधिक भुगतान

बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राइवेट बसों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णय के अनुसार आमंत्रित निविदाओं और दिसम्बर 1983 में उपमहाप्रबन्धक (केन्द्रीय परिक्षेत्र) लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने के आधार पर वर्ष 1983-84 और 1984-85 हेतु इकाई ने 85 प्राइवेट बसें लगाई। बस मालिकों के साथ निष्पादित अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार, 300 किमी0 तक की दूरी के लिए 2 रुपये प्रति किमी0 की दर से तथा 301 से 360 किमी0 की दूरी के लिए 1.95 रुपये प्रति किमी0 की दर से किराया प्रभार का भुगतान इस शर्त के साथ किया जाना था कि प्रति किमी0 आय देय किराया प्रभारों की दर से किसी भी दशा में कम नहीं होनी चाहिए। प्रति किमी0 आय के किराया प्रभारों से कम होने की स्थिति में, किराया प्रभारों का भुगतान वस्तुतः चले हुये 20 पैसे प्रति किलोमीटर की प्रति किलोमीटर आय से कटौती करने के बाद किया जाना था।

जुलाई और अगस्त 1984 के दौरान प्राइवेट बस मालिकों को निगम के झांसी सम्भाग द्वारा विमुक्त किये गये भुगतानों की जांच परीक्षा (फरवरी 1985) में, यह देखा गया कि 30 बिलों के सम्बन्ध में, जिनमें एक व्यक्तिगत बस की प्रति किलोमीटर आय, देय किराया प्रभारों से कम थी, 20 पैसे प्रति किमी0 की कटौती नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 0.46 लाख रुपयों का अधिक भुगतान हुआ।

सम्भागीय लेखा अधिकारी, झांसी सम्भाग ने बताया (फरवरी 1985) कि मामला स्पष्टीकरण हेतु मुख्यालय को सन्दर्भित कर दिया गया है जिसकी प्रतीक्षा थी (जुलाई 1987)।

प्रबन्धकों को मामला जुलाई 1985 और सरकार को जनवरी 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 1987)।

4ग.2. अतिरिक्त व्यय

प्रत्येक 200 टनों की 2 अल्मोनियम शीटों की आपूर्ति हेतु दो क्रय आदेश रेनूकूट (मिर्जापुर) की फर्म 'ज' और नई दिल्ली की फर्म 'ख' को दिये गये। आपूर्तियां रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर को की जानी थीं। शीटों की आपूर्ति, क्रेता के निर्देशानुसार या तो खुली या लकड़ी के सन्दूक में पैक की गयी हालत में या जूट के कपड़े में सड़क परिवहन द्वारा की जानी थी। लकड़ी के सन्दूक की पैकिंग तथा जूट के कपड़े की पैकिंग के लिये प्रभार क्रमशः 500 रुपये तथा 150 रुपये प्रति टन अतिरिक्त थे।

चूंकि निगम द्वारा पैकिंग की रीति के सम्बन्ध में विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किये गये थे, अतः फर्म 'ज' ने पूरी सामग्री की आपूर्ति लकड़ी की पैकिंग में की जबकि फर्म 'ख' द्वारा आपूर्तियां जूट के कपड़े की पैकिंग में की गयीं ।

उप महाप्रबन्धक, रोडवेज सेण्ट्रल वर्कशाप द्वारा यह सूचित किया गया (जनवरी 1987) कि सामग्री अब जूट के कपड़े की पैकिंग में प्राप्त हो रही है । सामग्री की जूट की पैकिंग में आपूर्ति करने हेतु अनुदेश निर्गत करने में निगम के पक्ष में विफलता के कारण फर्म 'ज' ने लकड़ी की पैकिंग में आपूर्तियां कीं जिसके फलस्वरूप 0.81 लाख रुपयों का परिहार्य भुगतान हुआ ।

प्रबन्धकों/सरकार को मामला मार्च 1987 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है (जुलाई 1987) ।

ए. जे. राजेन्द्रन

ए0 जे0 राजेन्द्रन,
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), II
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
दिनांक 29 JUL 1988

प्रतिहस्ताक्षरित

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ।

नई दिल्ली
दिनांक : 2 AUG 1988

परिशिष्ट

परिशिष्ट---1

उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपयों से अधिक निवेशित किये हैं किन्तु जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं।

(प्रस्तावना के पैराग्राफ 3 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	1985 तक कुल निवेश (लाख रुपयों में)
1.	उपार चेम लिमिटेड	26.85
2.	जैवन्ती साल्वेण्ट्स एण्ड केमिकल्स लिमिडेड	10.95
3.	त्रिवेणी मेटल ट्यूब्स लिमिटेड	30.87
4.	सल्फर (इण्डिया) लिमिटेड	13.84
5.	यू0 पी0 टि्वगा फाइबर्स ग्लास लिमिटेड	157.02
6.	डेकी इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	10.33
7.	फ्लोमोर पालिस्टर्स लिमिटेड	15.34
8.	आर्क सीमेण्ट लिमिटेड	14.00
9.	मयूर सिन्टेक्स लिमिटेड	20.00
10.	श्री भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड	14.00
11.	यू0 पी0 स्ट्रा एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	11.61
12.	इण्डो गल्फ फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	510.26
13.	संजय पेपर एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	12.00
14.	सर्वोदय पेपर मिल्स लिमिटेड	15.48
15.	बेल्वल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	15.00
16.	प्रीमियर फोटो सरकिट इलेक्ट्रानिक्स टेक्नालाजीज लिमिटेड	12.00
17.	त्रिवेणी शीट ग्लास वर्क्स लिमिटेड	17.00
18.	वाम आर्गैनिक केमिकल्स लिमिटेड	19.25
19.	इण्डिया पालीफाइबर्स लिमिटेड	803.28
20.	थर्मो कम्पाउण्ड्स (इण्डिया) लिमिटेड	10.56
21.	यू0 पी0 काम केबिल्स लिमिटेड	159.88
22.	रोड मास्टर स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड	20.58
23.	अपकैप इण्डिया लिमिटेड	15.65
24.	नेशनल लैम्प इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	20.89
25.	हारिग क्रैंक शाफ्ट लिमिटेड	13.36
26.	नेशनल स्विच गियर्स लिमिटेड	12.25
27.	पिकडान हैवी इक्विपमेन्ट लिमिटेड	15.02
28.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड	32.40
29.	अपट्रान आनन्द लिमिटेड	12.66
30.	अपट्रान इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज लिमिटेड	26.00

परिशिष्ट--

अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋणों, सरकार द्वारा दी गयी गारन्टी की धनराशियों तथा उनके समक्ष बकाया धनराशियों,

(प्रस्तर 1.2.2 में

[कालम 6 (क) को छोड़कर

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	1985-86 की समाप्ति पर प्रदत्त पूंजी			
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग
1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
1	इंडियन टर्पेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18.73	..	3.29	22.02
2	उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	271.75	..	..	271.75
3	उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डैवलपमैन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	2092.29	..	..	2092.29
4	मोहम्मदाबाद प्यूपुल्स टैनरी लिमिटेड ..	उद्योग	3.06	..	2.55	5.61
5	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ..	उद्योग	212.52	5.00	..	217.52
6	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रोइण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	401.00	333.00	..	734.00
7	उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	8093.07	..	..	8093.07
8	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड ..	चीनी उद्योग	6731.84	..	..	6731.84
9	बुन्देलखन्ड विकास निगम लिमिटेड ..	क्षेत्र विकास	113.30	..	..	113.30
10	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	110.80	..	..	110.80
11	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड ..	पर्वतीय विकास	370.00	..	..	370.00
12	किच्छा शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	32.59	..	671.18	703.77
13	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड ..	उद्योग	5549.75	..	..	5549.75
14	उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	0.10	0.10
15	उत्तर प्रदेश सिमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	5249.00	..	..	5249.00
16	उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एपलायन्सेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	3.20	3.20
17	उत्तर प्रदेश प्रेसट्रेस्ड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	2.89	2.89
18	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड ..	सार्वजनिक निर्माण	150.00	..	..	150.00
19	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	749.99	..	0.01	750.00
20	उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	943.49	..	..	943.49

2

सभी सरकारी कम्पनियों के कार्यचालन परिणामों के विवरणों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

सन्दर्भित पृष्ठ 2)

आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

1985-86 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋण	दी गई गारन्टी की धनराशि	1985-86 की समाप्ति पर गारन्टी को अनिस्तारित धनराशि	1985-86 की समाप्ति पर देय अनिस्तारित गारन्टी कमीशन	उस वर्ष के अन्त में जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया स्थिति			
				वर्ष जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) हानि (-)	प्रदत्त पूंजी से अधिक हानि यदि हो
4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
110.25	..	..	..	1985-86	22.02	..	..
806.40	..	..	..	1983-84	191.75	(+)0.06	..
918.21	128.50	128.50	..	1984-85	1942.29	(+)0.10	..
..	..	..	..	1976-77	5.61	(-)4.26	..
67.37	..	..	..	1983-84	182.52	(-)18.97	..
1250.00	200.00	200.00	..	1980-81	723.83	(-)744.77	2094
3964.92	2829.00	2152.00	..	1985-86	8093.07	(-)2900.92	..
7951.84	..	..	..	1984-85	6731.84	(-)10093.47	3361.63
19.61	..	..	..	1977-78	85.80	(-)25.08	..
0.95	..	..	..	1979-80	95.80	(-)24.12	..
236.14	..	..	..	1983-84	246.00	(+)15.42	..
687.75	..	..	..	1984-85	703.77	(-)1522.84	819.07
11,666.71	990.00	..	..	1985-86	5549.75	(+)1.28	..
0.33	..	..	..	लेखे को अन्तिम रुप नहीं दिया गया			
7,077.81	..	..	..	1985-86	5249.00	(-)3997.29	..
1.37	..	..	..	1974-75	0.92	(-)0.81	..
3.31	..	..	..	1976-77	2.17	(-)2.13	..
..	25.00	..	..	1981-82	150.00	(-)122.67	..
1295.73	1531.00	1347.00	..	1985-86	750.00	(-)2352.00	(-)1602.00
563.81	..	..	..	1978-79	353.49	(+)14.85	..

परिशिष्ट—

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	1985-86 की समाप्ति पर प्रदत्त पूंजी			
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग
1	2(क)	2 (ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
21	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	57.94	..	47.48	105.42
22	उत्तर प्रदेश रूफिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	6 69	6.69
23	टेलेट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	95.00	..	0.65	95.65
24	ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	..	..	63.24	63.24
25	कृष्ण फास्टनर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	5.33	5.33
26	नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	..	..	0.07	0.07
27	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	246.60	..	..	246.60
28	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	400.36	10.00	..	410.36
29	फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	1.63	1.63
30	बुन्देलखंड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	2.40	2.40
31	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	2178.91	..	..	2178.91
32	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	1743.35	..	..	1743.35
33	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	329.63	..	..	329.63
34	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं01) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	2638.00	2638.00
35	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 2) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल कारर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	1987.86	1987.86
36	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेंशियल कमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य तथा रसद	50.00	..	..	50.00
37	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	44.00	6.00	..	50.00

2 (क्रमशः)

1985–86 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋण	दी गयी गारन्टी की धनराशि	1985–86 की समाप्ति पर गारन्टी की अनिस्तारित धनराशि	1985–86 की समाप्ति पर देय अनिस्तारित गारन्टी कमीशन	उस वर्ष के अन्त में जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया स्थिति: वर्ष जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) हानि (−)	प्रदत्त पूंजी से अधिक हानि यदि हो
4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
..	..	..	..	1982–83	82.62	(−)..	..
4.23	..	..	..	लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।			
52.73	5.71	5.71	..	1985–86	95.71	(+)2.13	..
65.13	..	..	..	1982–83	8.09	(−)31.51	23.42
..	..	..	..	1974–75	4.02	(−)0.37	..
1.07	..	..	..	1981–82	0.07	..	..
68.64	..	..	..	1985–86	246.60	(−)214.71	..
253.50	..	..	..	1982–83	207.50	(−)12.43	..
4.00	..	..	..	1975–76	1.49	(+)1.74	..
0.10	..	..	..	1979–80	2.40	(−)0.54	..
531.50	410.00	..	..	1983–84	1262.91	(−)58.86	..
202.10	..	..	..	1984–85	1449.20	..	..
60.33	..	..	..	1977–78	80.87	(+)1.45	..
2644.35	2750.50	2397.96	..	1985–86	2638.00	(−)3964.90	1326.90
1429.00	1950.00	1864.74	..	1985–86	1987.86	(−)1144.58	..
50.00	..	..	..	1980–81	50.00	..	..
..	..	..	..	1985–86	50.00	(−)13.46	..

परिशिष्ट—

क्रम–संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	1985–86 की समाप्ति पर प्रदत्त पूंजी			
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग
	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
38	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	202.00	202.00
39	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुपालन	80.05	..	..	80.05
40	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन व समाज कल्याण	383.47	377.96	..	761.43
41	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	..	..	539.97	539.9
42	चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	..	..	390.00	390.00
43	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	..	..	268.00	268.00
44	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	100.00	..	..	100.00
45	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	19.00	..	26.00	45.00
46	कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	22.00	..	28.00	50.00
47	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	45.00	..	..	45.00
48	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	12.75	..	11.52	24.27
49	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	10.00	..	9.14	19.14
50	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	12.75	..	4.51	17.26
51	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	10.00	..	3.54	13.54
52	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	606.66	..	0.22	606.88
53	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैंण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	10.00	..	16.00	26.00

2 (क्रमशः)

1985–86 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋण	दी गई गारन्टी की धनराशि	1985–86 की समाप्ति पर गारन्टी की अनिस्तारित धनराशि	1985–86 की समाप्ति पर देय अनिस्तारित गारन्टी कमीशन	उस वर्ष के अन्त में जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया स्थिति			
				वर्ष जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) हानि (–)	प्रदत्त पूंजी से अधिक हानि यदि हो
4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
217.97	..	..	..	1984–85	202.22	(–) 432.81	..
20.00	57.00	57.00	..	1979–80	65.05	(–) 51.05	..
..	..	..	..	1982–83	761.43	(+) 110.07	
5,145.90	..	..	..	1984–85	539.97	(–) 2,458.67	1,918.70
..	..	..	..	1984–85	390.00	(–) 122.60	..
154.80	..	..	..	1984–85	395.71	(–) 397.58	1.87
..	..	..	..	1982–83	100.00	(+) 0.32	..
16.30	..	..	..	1980–81	20.00	(–) 0.81	..
..	..	..	..	1980–81	25.00	(–) 1.96	..
25.00	..	..	..	1979–80	5.00	(+) 1.96	..
231.14	250.00	250.00	..	1985–86	24.60	(–) 7.71	..
294.15	320.00	294.15	..	1984–85	18.65	(–) 13.99	..
..	298.00	130.70	..	1985–86	17.29	(+) 1.81	..
89.34	250.00	..	..	1980–81	14.66	(+) 1.82	..
214.06	83.50	44.02	..	1984–85	587.49	(–) 252.20	..
..	..	..	..	1979–80	16.00	(+) 2.72	..

परिशिष्ट–

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	1985-86 की समाप्ति पर प्रदत्त पूंजी			
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग
1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
54	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	106.68	106.68
55	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	70.00	..	..	70.00
56	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	60.00	..	..	60.00
57	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	100.00	..	..	100.00
58	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	93.56	..	32.47	126.03
59	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	312.00	..	..	312.00
60	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	70.00	..	..	70.00
61	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	100.00	..	..	100.00
62	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन (पाटरीज) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	58.00	58.00
63	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	390.00	100.00	..	490.00
64	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (गोरखपुर और बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	3.00	3.00
65	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	291.56	291.56
66	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	15.00	..	..	15.00
67	उत्तर प्रदेश ऐक्सकाट (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	5.06	5.06
68	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम इंटेंसिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	2.00	2.00
69	उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	125.00	..	..	125.00
70	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	80.00	..	..	80.00
71	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूज मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	225.76	..	5.00	230.76
72	यू0पी0ए0 आई0 लिमिटेड	उद्योग	15.00	..	2.01	17.01
73	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	22.00	22.00
74	अपट्रान सम्पैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	2.55	2.55

2 (क्रमशः)

1985-86 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋण	दी गई गारन्टी की धनराशि	1985-86 की समाप्ति पर गारन्टी की अनिस्तारित धनराशि	1985-86 की समाप्ति पर देय अनिस्तारित गारन्टी कमीशन	उस वर्ष के अन्त में जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया स्थिति			
				वर्ष जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) हानि (−)	प्रदत्त पूंजी से अधिक हानि यदि हो
4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
283.83	..	..	..	1984-85	96.88	(−) 329.72	255.00
42.77	..	..	..	1980-81	50.00	(−) 0.64	..
24.98	..	..	..	1981-82	60.00	(+) 0.27	..
5.17	..	..	..	1983-84	100.00	(−) 43.97	..
52.14	20.00	..	..	1979-80	80.53	(−) 38.82	..
336.54	..	..	..	1980-81	200.00	(+) 1.54	..
14.49	..	..	..	1983-84	70.00	(−) 13.63	..
5.00	..	..	..	1982-83	100.00	(+) 12.08	..
40.00	..	..	..	1979-80	23.26	(−) 9.17	..
741.17	996.11	..	..	1983-84	490.00	(−) 64.76	..
73.50	..	..	..	1979-80	3.00	(+) 8.55	..
..	..	..	..	1985-86	291.56	(−) 199.40	..
140.62	..	..	..	1985-86	15.00	(+) 116.87	..
5.05	..	..	..	1975-76	4.85	(−) 2.80	..
257.28	..	..	..	1978-79	2.00	(−) 3.35	..
5.00	2.00	2.00	..	1978-79	100.00	(−) 26.88	..
..	..	..	..	1983-84	60.00	(−) 6.53	..
74.00	82.16	82.16	..	1979-80	5.00	(−) 53.89	48.89
..	..	..	..	1979-80	17.01	(−) 1.01	..
21.87	..	..	..	1985	22.00	(−) 5.83	..
..	..	..	..	1979-80	2 55	(+) 3.37	..

परिशिष्ट–

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	1985–86 की समाप्ति पर प्रदत्त पूंजी			
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग
1	2(क)	2(ख)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)
75	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	35.20	35.20
76	अपट्रान कैपासिटर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	151.34	151.34
77	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्र विकास	25.00	..	..	25.00
78	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	130.00	..	..	130.00
79	अपट्रान कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	5.30	5.30
80	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	497.36	497.36
81	अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	253.76	253.76
82	अपट्रान इंडिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	590.00	590.00
83	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	100.00	..	..	100.00
84	अपट्रान कम्यूनिकेशन्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स, लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	54.65	54.65
85	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	विद्युत्	100.00	..	..	100.00
86	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	55.00	..	..	55.00
87	अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग		..	110.00	110.00
88	उत्तर प्रदेश अल्पर्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड	विद्युत	20.00	..	..	20.00
89	उत्तर प्रदेश हिल इलेट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	0.001	0.001
90	विन्ध्याचल ऐब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	..	..	लेखे ड्यू नहीं	..

2 (समाप्त)

1685–86 की समाप्ति पर अनिस्तारित ऋण	दी गई गारन्टी की धनराशि	1985–86 की समाप्ति पर गारन्टी की अनिस्तारित धनराशि	1985–86 की समाप्ति पर देय अनिस्तारित गारन्टी कमीशन	उस वर्ष के अन्त में जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया स्थिति			
				वर्ष जिसके लेखे को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में प्रदत पूंजी	संचित लाभ(+) हानि(–)	प्रदत्त पूंजी से अधिक हानि यदि हो
4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
43.75	..	..	..	1984–85	35.20	(+)1.94	..
310.50	9.49	..	..	1984–85	149.34	(+)2.09	..
5.00	..	..	..	1982–83	20.00	'(+)1.21	
..	..	..	..	1982–83	130.00	(–)7.14	..
..	..	..	..	लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया			
997.84	..	..	..	1984–85	490.00	निर्माणाधीन	
411.90	..	..	..	1984–85	157.00	(+)42.22	..
83.30	..	..	..	1984–85	183.00	(+)229.18	..
96.27	..	..	..	1984–85	100.00	(–)6.13	..
12.20	..	..	..	1984–85	54.65	(+)25.65	
25,395.00	..	..	..	1983–84	100.00	निर्माणाधीन	..
..	..	..	..	1985–86	55.00	(–)4.76	..
..	..	..	..	लेखे ड्यू नहीं			
..	..	..	..	लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया			
..	..	..	..	1985–86	0 001	निर्माणाधीन	

परिशिष्ट–

सभी सरकारी कम्पनियों के उस अन्ततम वर्ष हेतु जिसके लेखे की

(अध्याय 1 के प्रस्तर 1.2.3 में

(कालम संख्या 5 से 19 तक के

क्रम–संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निगमन की तिथि	लेखे का वर्ष
1	2(क)	2(ख)	3	4
1	इंडियन टर्पेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड ..	उद्योग	22 फरवरी, 1924	1985–86
2	उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड ..	उद्योग	13 जून, 1958	1983–84
3	उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च, 1961	1984–85
4	मोहाम्मदाबाद प्यूपुल्स टैनर लिमिटेड	उद्योग	21 दिम्सबर, 1964	1976–77
5	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ..	उद्योग	20 जनवरी, 1966	1983–84
6	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड ..	उद्योग	29 मार्च, 1967	1980–81
7	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड ..	उद्योग	2 दिसम्बर, 1969	1985–86
8	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड ..	चीनी उद्योग	26 मार्च, 1971	1984–85
9	बुन्देलखन्ड विकास निगम लिमिटेड ..	क्षेत्र विकास	30 मार्च, 1971	1977–78
10	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकाश निगम लिमिटेड ..	क्षेत्र विकास	30 मार्च, 1971	1979–80
11	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड ..	पर्वतीय विकास	30 मार्च, 1971	1983–84
12	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	17 फरवरी, 1972	1984–85
13	प्रादेशीय इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।	उद्योग	29 मार्च, 1972	1985–86
14	उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।	उद्योग	28 जून, 1972	प्रारम्भ से
15	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ..	उद्योग	29 मार्च, 1972	1885–86
16	उत्तर प्रदश प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लायंसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।	उद्योग	28 जून, 1972	1974–75
17	उत्तर प्रदेश प्रेस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	30 सितम्बर, 1972	1976–77
18	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड ..	सार्वजनिक निर्माण	18 अक्तुबर, 1972	1981–82
19	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड ..	उद्योग	28 दिसम्बर, 1972	1985–86
20	उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड ..	उद्योग	9 जनवरी, 1973	1978–79
21	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ..	पंचायतीराज	24 अप्रैल, 1973	1982–83
22	उत्तर प्रदेश रुफिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।	उद्योग	24 नवम्बर, 1973	प्रारम्भसे
23	टेलेंट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।	पर्वतीय विकास	24 नवम्बर, 1973	1985–86
24	ट्रान्सकेबुल्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)।	पर्वतीय विकास	29 नवम्बर, 1973	1982–83

3

अन्तिम रूप दे दिया गया था संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

सन्दर्भित)

आंकड़े लाख रुपयों में)

निवेशित	पूंजी			लाभ (+) हानि (–)	लाभ–हानि खाता की प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज
प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	दीर्घावधिक ऋण	योग			
5	6	7	8	9	10	11
22.02	168.55	110.25	300.82	(+)45.84	1.38	1.38
191.75	109.24	450.53	751.52	(+)4.62	78.53	78.53
1942.29	187.02	110.00	2239.31	(+)37.19	30.17	11.54
5.61	..	..	5.61	(–)0.01	..	..
182.52	..	50.01	232.53	(–)20.46	3.73	3.69
723.83	11.38	5.50	740.71	(–)96.89	102.03	66.32
8093.07	364.68	3727.40	12185.15	(–)603.67	512.15	380.21
6731.84	111.19	3365.22	10208.25	(–)2233.16	1503.52	789.33
85.80	0.67	..	86.47	(–)10.25	0.12	..
95.80	2.21	..	98.01	(–)0.93	..	..
246.00	21.77	207.67	475.44	(+)1.96	8.66	8.59
703.77	101.63	584.19	1389.59	(–)91.13	119.90	119.79
5549.75	126.59	11522.41	17198.75	(+)39.04	702.85	702.85
ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया						
5249.00	..	5554.02	10803.02	(–)557.39	867.56	841.98
0.92	0.23	4.35	5.50	(–)0.81	0.28	0.28
2.17	..	9.07	11.24	(–)2.13	4.17	2.44
150.00	788.61	..	938.61	(+)362.79	1.59	..
750.00	142.82	1295.73	2188.55	(–)637.17	251.73	211.76
353.49	15.15	342.98	711.62	(+)32.94	14.39	14.35
82.62	8.46	10.60	101.68	(+)4.12	0.84	0.84
ही लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया						
95.71	21.50	31.67	148.88	(+)47.30	4.66	0.45
8.09	1.61	..	9.70	(–)10.85	7.31	..

परिशिष्ट—

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम 2(क)	2(ख)	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल (कालम 9 + 11)	प्रयुक्त ग्रास ब्लाक	मूल्य ह्रास
1	2(क)	2(ख)	12	13	14
1	इंडियन टर्पेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	..	(+) 47.22	195.68	117.82
2	उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	..	(+) 83.15	72.34	21.38
3	उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड		(+) 48.74	..	..
4	मोहम्मदाबाद प्यूपुल्स टैनर लिमिटेड	..	(−) 0.01	..	..
5	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	..	(−) 16.77	30.34	14.61
6	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	..	(−) 30.57	234.58	135.23
7	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	..	(−) 223.46	6003.11	3441.74
8	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	..	(−) 1443.83	3403.11	1653.48
9	बुन्देलखन्ड विकास निगम लिमिटेड	..	(−) 10.25	35.65	11.93
10	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	..	(−) 0.93	22.47	8.54
11	कुमायूं मन्डल विकास निगम लिमिटेड	..	(+) 10.55	99.04	39.56
12	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(+) 28.66	859.84	510.21
13	प्रादेशीय इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।		(+) 741.89	..	..
14	उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(+) 284.59	12161.59	3605.61
15	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	..			
16	उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लीयांसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(−) 0.53	4.70	0.91
17	उत्तर प्रदेश प्रेस्ट्रेस्ड प्रोडक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(+) 0.31	10.52	0.01
18	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	..	(+) 362.79	2237.59	1024.08
19	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	..	(−) 425.41	1231.50	408.54
20	उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड				
21	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		(+) 47.29	105.67	11.72
22	उत्तर प्रदेश रूफिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(+) 4.96	..	..
23	टेलेट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मन्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(+) 47.75	33.28	13.05
24	ट्रान्सकेबल्स लिमिटेड (कुमायूं मन्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(−) 10.85	28.02	9.48

3 (क्रमशः)

पूंजी				प्रयुक्त पूंजी पर कुल प्रतिफल	कुल लाभ की प्रतिशतता	
निबल स्थिर परि-संपत्तियां	वर्तमान परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान दायित्व प्रावधान	योग	(कालम 9+10)	निवेशित पूंजी पर	प्रयुक्त पूंजी पर
15	16	17	18	19	20	21
77.86	520.60	299.24	(+)299.22	(+)47.22	15.7	15.8
50.96	1639.85	726.24	(+)964.57	(+)83.15	11.1	8.6
..	..	..	(+)2737.	67.36	2.18	2.46
..	1.49	0.14	(+)1.25	(−)0.01	..	..
15.74	450.69	277.25	(+)189.18	(−)16.73	..	..
99.35	1771.82	782.54	(+)1088.63	(+)5.14	..	0.5
2561.37	4676.56	1970.38	(+)526.55	(−)91.52	..	..
1749.63	6011.87	4759.20	(+)3002.30	(−)729.64	..	..
23.72	47.33	8.31	(+)62.47	(−)10.13	..	..
13.93	34.76	3.36	(+)45.33	(−)0.93	..	..
59.48	491.90	163.37	(+)388.01	(+)10.62	2.2	2.7
349.63	324.47	607.50	(+)66.60	(+)100.77	2.1	151.3
..	..	..	(+)15844.27	(+)741.79	4.3	4.7
8555.98	4553.85	5942.28	(+)7617.55	(+)310.17	2.6	4.1
3.79	1.65	0.81	(+)4.63	(−)0.53	..	..
10.51	1.00	0.98	(+)10.53	(+)2.04	2.7	19.3
1213.51	3539.22	3711.66	1041.07	(+)364.38	38.7	35.0
822.96	1047.06	642.29	(+)1227.73	(−)385.44	..	..
93.95	1193.89	604.11	(+)683.73	(+)47.33	6.7	6.9
..	..	..	(+)102.45	(+)4.96	4.9	4.6
20.23	320.23	157.49	(+)182.97	(+)51.96	32.1	28.4
18.54	55.37	13.75	(+)60.16	(−)3.54	..	..

परिशिष्ट—

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निगमन की तिथि	लेखे का वर्ष
1	2(क)	2(ख)	3	4
25	कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	14 दिसम्बर, 1973	1974–75
26	नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय-विकास	29 जनवरी, 1974	1981–82
27	उत्तर प्रदेश स्टेट लदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1985–86
28	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी, 1974	1982–83
29	फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	16 फरवरी, 1974	1975–76
30	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	2 मार्च 1974	1979–80
31	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	23 मार्च, 1974	1983–84
32	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30 मार्च, 1974	1984–85
33	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	5 अगस्त, 1974	1977–78
34	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड (नं० 1) (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	20 अगस्त, 1974	1985–86
35	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० II) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	20 अगस्त, 1974	1985–86
36	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड ऐण्ड एसेंशियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	खाद्य एवं रसद	22 अक्तूबर, 1974	1980–81
37	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	7 दिसम्बर, 1974	1985–86
38	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	10 जनवरी, 1975	1984–85
39	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुपालन	5 मार्च, 1975	1979–80
40	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस ऐण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25 मार्च, 1975	1982–83
41	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	18 अप्रैल, 1975	1984–85
42	चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	18 अप्रैल, 1975	1984–85
43	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन, लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	चीनी उद्योग	18 अप्रैल, 1975	1984–85
44	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	1 मई, 1975	1982–83
45	गढ़वाल अनुसूचित जन जाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	30 जून, 1975	1980–81

3 (क्रमशः)

निवेशित पूंजी				लाभ–(+) हानि(–)	लाभ हानि खाता को प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज
प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	दीर्घावधिक ऋण	योग			
5	6	7	8	9	10	11
4.02	..	0.88	4.90	(–) 0.37	0.02	0.02
0.07	..	..	0.07	निर्माणाधीन		
246.60	15.03	68.64	330.27	(–) 37.22	9.17	1.11
207.50	..	158.00	365.50	(–) 4.06	5.82	5.82
1.49	0.20	6.46	8.15	(–) 1.74	0.23	0.23
2.40	..	..	2.40	(–) 0.05	..	..
1262.91	19.19	421.38	1703.48	(–) 57.41	0.19	..
1449.20	116.98	269.15	1835.33	(+) 62.36	0.59	0.59
80.87	1.45	..	82.32	(+) 0.31	0.18	..
2638.00	890.18	2644.35	6172.53	(–) 873.88	504.08	388.34
1987.86	348.61	1429.40	3765.47	(–) 279.79	127.75	116.55
50.00	26.82	15.00	91.82	(+) 38.75	3.29	3.29
50.00	..	..	50.00	(–) 2.47	0.03	..
202.22	..	124.92	327.14	(–) 95.82	23.53	14.97
65.05	0.14	10.00	75.19	(–) 6.14	1.95	1.25
761.43	21.65	..	783.08	(+) 16.03	..	..
539.97	233.29	1213.05	1986.31	(–) 406.34	252.40	248.76
390.00	174.46	30.00	596.46	(–) 22.44	18.04	0.20
395.71	108.58	159.06	663.35	(–) 11.81	52.04	31.11
100.00	13.85	..	113.85	(–) 159.05	17.18	..
20.00	..	..	20.00	(–) 0.42	..	..

परिशिष्ट–

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल (कालम 9–11)	प्रयुक्त ग्राम ब्लाक	मूल्य ह्रास
1	2 (क)	2 (ख)	12	13	14
25	कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 0.35	2702	0.01
26	नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		..	..	..
27	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लि0		(–) 36.11	233.57	47.21
28	उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड		(+) 1.76	7.90	2.03
29	फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 1.51	10.31	1.30
30	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 0.05	1.62	0.03
31	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमट कारपोरेशन लिमिटेड		(–) 57.41	177.21	63.40
32	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड		(+) 62.95	19.91	8.54
33	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड		(+) 0.31	36.79	9.41
34	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड (नं० I) (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 485.54	5304.56	2895.96
35	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० II) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 163.24	1751.95	698.83
36	उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एसेंशियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी।		(+) 42.04	8.75	3.84
37	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड		(–) 2.47	2.93	2.36
38	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 80.85	53.31	39.95
39	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड		(–) 4.89	36.32	12.78
40	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड		(+) 16.03	..	..
41	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 161.99	1237.17	820.89
42	चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(–) 22.24	846.34	533.53
43	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(+) 19.30	640.76	456.26
44	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड		(+) 159.05	683.72	274.24
45	गढ़वाल अनुसूचित जन जाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड सरकारी कम्पनी		(–) 0.42	0.59	0.25

3 (क्रमश:)

जो				प्रयुक्त पूंजी पर	कुल लाभ की प्रतिशतता	
नित्रल स्थित परि-सम्पत्तियां	वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान दायित्व प्रावधान	योग	(कालम 9–10)	कुल प्रतिफल निवेशित पूंजी पर	प्रयुक्त पूंजी पर
15	16	17	18	19	20	21
2.01	2.75	0.22	(*+)4.54	(–)0.35	..	..
..	..	..	..	..	..	..
186.36	367.47	74.59	(+)479.24	(–)28.05	..	..
5.87	334.52	106.10	(+)234.29	1.76	0.5	0.8
9.01	0.14	1.43	(+)7.72	(–)1.51	..	..
1.59	0.16	0.21	(+)1.54	(–)0.05	..	..
113.81	668.97	151.42	(+)631.36	(–)57.22	..	..
11.37	1230.10	206.60	(+)1034.87	(+)62.95	3.4	6.1
28.38	82.36	28.47	(+)82.27	(+)0.49	0.4	0.6
2408.60	2209.52	1456.69	(+)3161.43	(–)369.80	..	..
1053.12	750.92	207.53	(+)1596.51	(–)152.04	..	..
4.91	121.36	32.67	98.60	(+)42.04	45.8	44'9
0.57	39.38	3.69	(+)36.26	(–) 2.44	..	..
13.36	65.83	165.45	(–)86.26	(–)72.29	..	..
23.54	47.66	38.43	(+)32.77	(–)4.19	..	..
..	..	..	(+)736.72	(+)16.03	2.1	2.2
416.28	267.27	1054.03	(–)370.48	(+)153.94	..	..
312.81	288.88	144.01	(+)457.68	(+)4.40	..	..
184.50	166.36	174.73	(+)176.13	(+)40.23	0.3	22.8
309.48	3908.23	3920.56	(+)297.15	(+)176.23	139.7	59.3
0.34	32.91	14.07	(+)19.18	(–)0.42	..	..

परिशिष्ट—

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निर्गमन की तिथि	लेखे का वर्ष
1	2(क)	2(ख)	3	4
46	कुमांयूं अनुसूचित जन जाति विकास निगम लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	पर्वतीय विकास	30 जून, 1975	1980–81
47	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	2 अगस्त, 1975	1979–80
48	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त, 1975	1985–86
49	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त, 1975	1984–85
50	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त, 1975	1985–86
51	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीच एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त, 1975	1980–81
52	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	10 सितम्बर, 1975	1984–85
53	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	5 दिसम्बर, 1975	1979–80
54	उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	14 जनवरी, 1976	1984–85
55	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 जनवरी, 1976	1980–81
56	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च, 1976	1981–82
57	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च, 1976	1983–84
58	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च, 1976	1979–80
59	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31 मार्च, 1976	1980–81
60	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1983–84
61	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च, 1976	1982–83
62	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (पाटरीज) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	27 अप्रैल, 1976	1979–80
63	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	26 मई, 1976	1983–84
64	उत्तर प्रदेश हैन्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (गोरखपुर और बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	26 मई, 1976	1979–80
65	भदोही ऊलन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	14 जून 1976	1985–86
66	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25 जून 1976	1985–86

3 (क्रमशः)

निवेशित पूंजी				लाभ–(–) हानि (–)	लाभ हानि खाता को प्रभारित कुल ब्याज ब्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज
प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	दीर्घावधिक ऋण	योग			
5	6	7	8	9	10	11
25.00	1.96	..	26.96	(+)0.42	..	..
5.00	1.96	25.00	31.96	(+)0.29	..	..
24.69	19.36	281.70	325.75	(+)9.09	32.29	32.29
18.65	7.46	..	26.11	(+)1.59	35.59	..
17.29	2.49	..	19.78	(+)0.26	19.51	..
14.66	1.82	185.07	201.55	(+)0.60	16.31	16.31
587.49	..	130.45	717.94	(—)1,17.35	15.73	15.73
16.00	2.74	..	18.74	(+)1.22	..	..
96.88	36.63	184.91	318.42	(–)102.92	36.99	36.89
50.00	4.26	..	54.26	(–)0.29	..	..
60.00	0.27	..	60.27	(–)0.84	3.93	..
100.00	..	..	100.00	(–)17.61	1.74	..
80.53	2.01	5.25	87.59	(–)11.30	0.49	0.49
200.00	3.13	150.00	355.13	(–)22.31	0.10	..
70.00	4.18	..	74.18	(–)7.13	3.04	..
100.00	13.45	..	113.45	(+)3.14	..	..
23.26	..	..	23.26	(–)2.35	0.38	..
490.00	4.32	957.61	1451.93	(–)59.45	99.12	..
3.00	14.53	91.50	109.03	(+)2.94	6.34	6.34
291.56	22.46	..	314.02	(–)26.55	5.15	..
15.00	141.59	140.62	297.21	(+)81.25	..	..

परिशिष्ठ–

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल (कालम 9–11)	प्रयुक्त ग्राम ब्लाक	मूल्य ह्रास
1	2 (क)	2 (ख)	12	13	14
46	कुमांयूं अनुसूचित जन जाति विकास निगम लिमिटेड (कुमांयूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)		(+) 0.42	2.33	0.04
47	तराई अनुसूचित जन जाति विकास निगम लिमिटेड		(+) 0.29	0.33	0.47
48	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड-तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड		(+) 31.38	6.03	2.90
49	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	(+) 1.59	3.14	0.48
50	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	(+) 0.26	1.72	0.64
51	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	(+) 16.91	7.24	2.29
52	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	(−) 101.62	531.64	168.93
53	उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(+) 1.22	4.82	0.69
54	उत्तर प्रदेश टायर्स एन्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(−) 66.03	236.28	77.20
55	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(−) 0.29	7.96	4.18
56	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(−) [illegible].84	31.78	5.70
57	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(−) 17.61	46.58	17.48
58	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(−) 10.81	54.67	9.01
59	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	(−) 22.31	105.90	42.62
60	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(−) 7.13	39.97	14.69
61	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(+) 3.14	15.96	0.76
62	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (पाटरीज) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(−) 2.35	2.74	1.02
63	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	(−) 59.45	1106.01	148.19
64	उत्तर प्रदेश हैन्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (गोरखपुर और बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(+) 9.28	9.79	1.48
65	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(−) 26.55	173.30	86.96
66	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	(+) 81.25	194.84	95.92

3 (क्रमशः)

पूंजी				प्रयुक्त पूंजी पर	कुल लाभ की प्रतिशतता	
निवल स्थित परिसंपत्तियां	वर्तमान परिसंपत्तियाँ और ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान दायित्व प्रावधान	योग	(कालम 9–10)	कुल प्रतिफल निवेशित पूंजी पर	प्रयुक्त पूंजी पर
15	16	17	18	19	20	21
0.29	36.16	9.66	(+)26.79	(+)0.42	1.6	1.6
0.86	57.73	26.63	(+)31.96	(+)0.29	0.9	0.9
13.13	353.24	38.78	327.59	(+)41.38	17.5	12.6
2.66	350.63	12.22	(+)341.07	(+)37.18	6.1	10.9
1.08	168.85	12.57	(+)157.36	(+)19.77	1.3	12.6
4.95	205.93	9.39	(+)201.49	(+)16.91	8.4	8.4
362.71	128.00	145.90	(+)344.81	(−)101.6	..	..
4.13	102.12	87.75	18.50	(+)1.22	6.5	6.5
159.08	55.81	130.70	(+)84.19	(+)65.93	..	..
3.78	80.42	35.52	(+)48.68	(−)0.29	..	..
26.08	115.59	47.43	(+)94.24	(+)3.09	..	3.3
29.10	105.07	84.53	49.64	(−)15.87	..	..
45.66	12.12	13.40	(+)44.38	(−)10.81	..	..
63.28	345.99	62.06	(+)347.21	(−)22.21	..	..
25.28	97.33	49.84	(+)72.77	(−)4.09	..	..
15.20	110.37	12.21	(+)113.36	(+)3.14	2.8	2.8
1.72	11.97	5.65	(+)8.04	(−)1.97	..	..
957.82	1041.97	1294.40	(+)705.39	(+)39.67	2.7	5.6
8.31	151.87	49.43	(+)110.75	(+)9.28	8.5	8.4
86.34	141.95	66.85	(+)161.44	(−)21.40	..	..
98.92	4218.93	4020.64	(+)297.21	(+)81.25	27.3	27.3

परिशिष्ट–

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निगमन की तिथि	लेखे का वर्ष
1	2(क)	2(ख)	3	4
67	उत्तर प्रदेश ऐक्सकाट (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	28 जून, 1972	1975–76
68	उत्तर प्रदेश हैन्डलूम इंटेंसिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	13 सितम्बर 1976	1978–79
69	उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 जनवरी, 1976	1978–79
70	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15 मार्च, 1977	1983–84
71	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	6 अप्रैल, 1977	1979–80
72	यू0 पी0 ए0 आई0 लिमिटेड	उद्योग	28 अप्रैल, 1977	1979–80
73	अपट्रान पावर ट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	30 अप्रैल, 1977	1985–86
74	अपट्रान सम्पैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	23 मई, 1977	1979–80
75	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	5 मार्च 1978	1984–85
76	अपट्रान कैपासिटर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	13 मार्च, 1978	1984–85
77	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च, 1977	1982–83
78	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च, 1978	1982–83
79	अपट्रान काम्पोनेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	31 मार्च, 1979	प्रारम्भ से ही
80	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	23 अप्रैल, 1979	1984–85
81	अपट्रान डिजिटल सिस्टम्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	18 मई, 1979	1984–85
82	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	18 अक्टूबर, 1979	1984–85
83	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	27 अक्टूबर, 1979	1984–85
84	अपट्रान कम्यूनिकेशन्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	15 नवम्बर, 1979	1984–85
85	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	विद्युत्	25 अगस्त, 1980	1983–84
86	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	19 नवम्बर, 1984	1985–86

3 (क्रमशः)

निवेशित पूंजी				लाभ (+) हानि (−)	लाभ-हानि खाता का प्रभारित कुल व्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर व्याज
प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	दीर्घावधिक ऋण	योग			
5	6	7	8	9	10	11
4.85	..	10.41	15.26	(−)1.55	1.14	1.14
2.00	..	190.66	192.66	(−)0.23	9.22	9.20
100.00	4.86	..	104.86	(−)4.15	..	..
60.00	..	..	60.00	(−)10.76	..	..
5.00	1.26	57.19	63.45	(−)30.37	5.16	2.22
17.01	..	..	17.01	(−)0.14	..	..
22.00	8.72	21.87	52.59	(−)38.97	27.36	1.23
2.55	..	..	2.55	(−)0.78	0.42	..
35.20	..	..	35.20	(−)2.09	0.82	..
149.34	17.49	39.75	206.58	(+)1.64	56.84	56.84
20.00	1.80	..	21.80	(+)0.62	..	..
130.00	1.24	..	131.24	(−)3.90	..	..
लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया						
490.00	..	766.44	1256.44 निर्माणाधीन			
157.00	47.46	23.84	228.30	(+)1.15	85.87	5.74
183.00	233.15	40.40	456.55	(+)182.68	110.05	110.05
100.00	146.17	55.74	301.91	(+)2.37	6.11	6.11
54.65	32.67	2.64	89.96	(+)21.70	9.43	..
100.00	..	61.95	161.95	निर्माणाधीन		
55.00	..	..	55.00	(−) 4.05	..	..

परिशिष्ट-

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल (कालम 9--11)	प्रयुक्त ग्राम ब्लाक	प्रयुक्त मूल्य ह्रास
1	2 (क)	2 (ख)	12	13	14
67	उत्तर प्रदेश ऐक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(-)0.41	13.09	0.02
68	उत्तर प्रदेश हैन्डलूम इंटेंसिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(+)8.97	652.76	385.75
69	उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(-)4.15	23.64	9.66
70	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	(-)10.76	10.58	5.77
71	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	(-)28.15	55.66	16.87
72	यू० पी० ए० आई० लिमिटेड	उद्योग	(-)0.14	0.51	0.20
73	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(-)37.74	80.21	30.48
74	अपट्रान सम्पैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(-)0.78	0.79	0.16
75	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(-)2.09	58.41	5.28
76	अपट्रान कैपासिटर्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(+)58.48	308.16	62.27
77	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	(+)0.62	4.30	1.66
78	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	(-)3.90	13.38	6.34
79	अपट्रान काम्पोनेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग			
80	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग			
81	अपट्रान डिजिटल्स सिस्टम्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(+)6.89	147.86	65.30
82	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(+)292.73	269.01	71.98
83	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	(+)8.48	1454.34	29.13
84	अपट्रान कम्यूनिकेशन एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	(+)21.70	47.71	11.85
85	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	विद्युत			
86	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	(-)4.05	2.51	0.36

3 (क्रमशः)

पूंजी				प्रयुक्त पूंजी पर	कुल लाभ की प्रतिशतता	
चल स्थित परि-संपत्तियां	वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण तथा अग्रिम	वर्तमान दायित्व प्रावधान	योग	(कालम 9–10)	कुल प्रतिफल निवेशित पूंजी पर	प्रयुक्त पूंजी पर
15	16	17	18	19	20	21
13.07	0.91	1.59	(+)12.39	(−)0.41	..	..
267.01	145.02	222.77	(+)189.26	(+)8.99	4.7	4.8
13.98	93.84	5.04	(+)102.78	(−)4.15	..	..
4.81	221.22	172.64	(+)53.39	(−)10.76	..	..
38.79	82.56	33.44	(+)87.91	(−)25.21	..	..
0.31	15.26	0.86	(+)14.71	(−)0.14	..	..
49.73	245.54	63'23	(+)232.04	(−)11.61	..	..
0.63	1.90	0.67	(+)1.86	(−)0.36	..	..
53.13	12.13	15.34	(+)49.92	(−)1.27	..	..
245.89	364.13	69.75	(+)540.27	(+)58.48	28.3	10.8
2.64	21.91	3.87	20.68	(+)0.62	2.80	3.01
7.04	114.81	14.90	(+)106.95	(−)3.90	..	..
82.56	739.27	260.92	(+)560.91	(+)87.02	3.0	15.5
197.03	2455.10	897.96	(+)1754.17	(+)292.73	64.1	16.7
124.21	198.58	62.88	(+)260.91	(+)8.48	2.8	3.3
35.86	170.75	77.57	(+)129.04	(+)31.13	24.1	24.1
2.15	48.49	0.70	(+)49.94	(−)4.05	..	..

परिशिष्ट--

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग	निगमन की तिथि	लेखे का वर्ष
1	2(क)	2(ख)	3	4
87	अपट्रान कलरपिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	8 नवम्बर, 1985	1985–86
88	उत्तर प्रदेश अल्पर्थक एवं लघु जल विद्युत् निगम लिमिटेड	विद्युत्	15 अप्रैल, 1985	लेखे को अन्ति
89	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	26 जून, 1985	1985–86
90	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	उद्योग	5 दिसम्बर, 1985	लेखे ड्यू नहीं

नोट—क्रमांक 3, 13 21 और 40 की कम्पनियों के मामले में प्रयुक्त पूंजी (1) प्रदत्त पूंजी, (2) बाण्डों और डिबेंचरों, योग के मध्यमान की द्योतक है ।

(समाप्त)

...वित	पूंजी				लाभ (+) हानि (-)	लाभ-हानि खाता का प्रभारित कुल व्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर व्याज
...त पूंजी	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	दीर्घावधिक ऋण		योग			
5	6	7		8	9	10	11
...वे ड्यू नहीं है ।							
...न नहीं दिया गया							
0.001	..	..		0.001	निर्माणाधीन		

...3) आरक्षित निधियों, (4) पुनर्वित्तपोषण सहित ऋणों और (5) जमा निधियों प्रयुक्त मध्यमान पूंजी अर्थात् आदि और अन्त शेषों के कुल

परिशिष्ट–4

उन कम्पनियों की सूची जिन्होंने 1985–86 के दौरान लाभ अर्जित किया

[प्रस्तर 1.2.4.1 (क) में सन्दर्भित, पृष्ठ 4]

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+) हानि (–)		प्रदत्त पूंजी से [illegible] की प्रतिशतता	
		1984–85	1985–86	1984–85	1985–86	1984–85	1985–[illegible]
				(लाख रुपयों में)			
1	इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	22.02	22.02	(+)79.00	(+)45.84	359.1	208.[illegible]
2	प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश	4989.75	5549.75	(+)28.35	(+)39.04	0.57	0.[illegible]
3	टेलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	48.15	95.65	(–)1.57	(+)47.30	..	49.[illegible]
4	यू०पी० (रुहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	24.61	24.69	(+)9.78	(+)9.09	39.74	36.[illegible]
5	यू०पी० (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	17.28	17.28	(+)0.12	(+)0.26	0.69	1.[illegible]
6	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	15.00	15.00	(+)29.03	(+)81.25	193.53	541.65
					225.85		

परिशिष्ट–5

उन कम्पनियों की सूची जिन्होंने 1985–86 के दौरान हानि उठायी

[प्रस्तर 1. 2. 4. 1 (ख) में सन्दर्भित, पृष्ठ 4]

क्रम-संख्या	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी 1984–85	प्रदत्त पूंजी 1985–86	लाभ (+) हानि (–) 1984–85	लाभ (+) हानि (–) 1985–86
		(लाख रुपयों में)			
1	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	7,378.07	8,093.07	(–) 1022.08	(–) 603.67
2	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5,249.00	5,249.00	(–) 2001.60	(–) 557.39
3	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	750.00	750.00	(–) 555.60	(–) 637.17
4	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	205.60	246.60	(–) 47.09	(–) 37.22
5	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड	2638.00	2,638.00	(–) 1123.72	(–) 873.88
6	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 II) लिमिटेड	1,387.86	1,987.86	(–) 448.54	(–) 279.79
7	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	50.00	50.00	(–) 3.17	(–) 2.47
8	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड	291.56	291.56	(–) 31.35	(–) 26.55
9	उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	25.00	55.00	(–) 0.07	(–) 4.05
	योग ..				3022.19

परिशिष्ट–6

उस अन्ततम वर्ष हेतु जिसके वार्षिक लेखे तैयार कर लिये गये हैं, सांविधिक निगमों के संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 1–3–4 में सन्दर्भित पृष्ठ 7)

(कालम 6 से 12 तक के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

क्रम संख्या	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष	लेखे का वर्ष	कुल निवेशित पूजी	लाभ(+) हानि(–)	लाभ-हानि खाता को कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल (7+9)	प्रयुक्त पूंजी	प्रयुक्त पूंजी पर कुल प्रतिफल (7+9)	निवेशित पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	प्रयुक्त पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	विद्युत्	1959	1985–86	491075 (क)	(–)13091	30199	30199	17108	232208	17108	3.5	7.4
2	उत्तरप्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1954	1985–86	29252	(+)139.51	1838.75	1838.75	1978.26	26143(ग)	1978.26	6.8	7.6
3	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	1958	1985–86	2481	(+)271.28	90.75	90.75	362.03	2452	362.03	14.6	14.8
4	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1972	1984–85	13985	(–)2239	1395	1395	(–)844.00 (ख)	4756	(–)844.00	..	..

टिप्पणी : क––निवेशित पूंजी दीर्घावधिक ऋणों और अप्रतिबन्ध आरक्षणों को जोड़कर प्रदत्त पूंजी की द्योतक हैं।

ख––प्रयुक्त पूंजी कार्यचालन पूंजी को जोड़कर निवल स्थिर परिसम्पत्तियों की द्योतक है।

ग––यह (i) प्रदत्त पूंजी (ii) बाण्डों तथा डिबेंचरों, (iii) आरक्षणों, (iv) पुनर्वित्त पोषण तथा जमा निधियों सहित ऋणों के आदि और अन्त अवशेषों के योग के मध्यमान की द्योतक हैं।

परिशिष्ट–7

1985–86 तक 3 वर्षों के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की वित्तीय स्थिति

(प्रस्तर 1.4.2 में सन्दर्भित, पृष्ठ 8)

विवरण	1983–84	1984–85 (अनन्तिम)	1985–86
	(करोड़ रुपयों में)		
क––देयतायें––			
1––दीर्घावधिक ऋण––			
(क) सरकार से	2,808.56	3,265.83	3,698.38
(ख) अन्य स्रोतों से	710.91	795.13	869.21
2––अर्थानुदान (सबवेंशन) तथा अनुदान (ग्रांट्स)––			
(क) सरकार से	18.78	22.22	30.54
(ख) अन्य से	2.02	2.13	2.34
3––सरकार से अव्याहरण/अर्थोपाय अग्रिम	..	..	..
4––आरक्षण तथा अधिशेष	252.72	281.83	310.28
5––वर्तमान देयतायें तथा प्रावधान	1,400.63	1,758.72	2,120.24
योग–क ..	5,193.62	6,125.86	7,030.99

विवरण	1983–84	1984–85 (अनन्तिम)	1985–86
	(करोड़ रुपयों में)		
ख––परिसम्पत्तियाँ			
1––सकल स्थिर परिसम्पत्तियाँ	2,234.17	2,390.43	2,604.59
(क) घटाइए मूल्य ह्रास	449.95	516.31	587.31
(ख) निवल स्थिर परिसम्पत्तियाँ	1,784.22	1,874.12	2,017.28
2––पूंजीगत प्रगतिगत–कार्य	1,164.10	1,427.51	1,675.89
3––निवेशों सहित वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	1,524.59	2,054.59	2,425.04
4––बट्टे खाते में न डाला गया विविध व्यय	18.57	25.50	37.73
5––संचित हानियाँ	702.14	744.14	875.05
योग–ख	5,193.62	6,125.86	7,030.99
ग––प्रयुक्त पूंजी	1,908.18	2,169.99	2,322.08
घ––निवेशित पूंजी	3,792.99	4,367.14	4,910.75

टिप्पणियाँ––1––प्रयुक्त पूंजी कार्यचालन पूंजी को जोड़कर निवल स्थिर परिसम्पत्तियों का निरूपण करती है।

2––निवेशित पूंजी अप्रतिबंधित आरक्षणों को जोड़कर दीर्घावधिक ऋणों को निरूपित करती है।

परिशिष्ट-8

1985-86 तक तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का भौतिक कार्यसम्पादन

(प्रस्तर 1.4.2 में सन्दर्भित, पृष्ठ 8)

विवरण	1983-84	1984-85	1985-86
	(एम0 डब्लू0 में)		(अनन्तिम)
1--संस्थापित क्षमता--			
(1) थर्मल	2,591.50	2,698.50	2,908.50
(2) हाइडिल	1,332.35	1,422.35	1,422.35
योग--1	3,923.85	4,120.85	4,330.85
2--सामान्य अधिकतम माँग ..	3,294.00	3,526.00	3,329.00
	(एम0 के0 डब्लू0 एच0)		
3--प्रजनित विद्युत--			
(1) थर्मल	7,663.132	6,744.873	7,629.000
(2) हाइडिल	4,020.125	4,541.002	4,584.000
योग--3	11,683.257	11,285.875	12,213.000

	1883-84	1984-85	1985-86
	(एम0 के0 डब्लू0 एच0 में)		(अनन्तिम)
4--घटाइए अतिरिक्त (आक्जिलरी) उपभोग	1,014.930	910.462	1,044.000
5--निवल प्रजनित विद्युत	10,668.327	10,375.413	11,169.000
6--क्रय की गयी विद्युत	2,571.405	3,718.600	3,781.000
7--बिक्री के लिये उपलब्ध कुल विद्युत	13,239.732	14,094.013	14,950.000
8--बेची गयी विद्युत	10,828.285	11,159.000	13,887.000
9--पारेषण तथा वितरण हानियाँ	2,411.447	2,935.013	3,063.000
		(के0 डब्लू0 एच0)	
10--संस्थापित क्षमता का प्रति के0 डब्लू0 प्रजनित इकाइयों की संख्या	2,977	2,738	2,820
11--भार कारक (प्रतिशत)	39.1	36.1	33.5
12--संस्थापित क्षमता से प्रजनन की प्रतिशतता	33.8	31.3	32.2
13--पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशतता	18.2	20.8	20.5
14--विद्युतित ग्राम/कस्बे (संख्या)	58,029	63,075	67,561
15--ऊर्जीकृत पम्प सेट/कूप (संख्या)	4,61,134	4,84,509	5,12,413
16--सब-स्टेशन (132 के0 बी0 तथा ऊपर)	161	167	176

विवरण	1983–84	1984–85	1985–86
		(किलोमीटर)	
17—पारेषण/वितरण लाइनें			
(i) उच्च/मध्यम वोल्टेज		उपलब्ध नहीं	
(ii) निम्न वोल्टेज		उपलब्ध नहीं	
18—सम्बद्ध भार (एम0 डब्लू0)	6,251,439	6711.075	6977.338
19—उपभोक्ताओं की संख्या (लाखों में)	24.40	25.77	27.38
20—वर्ष के अन्त में कर्मचारियों की संख्या	1,12,912	1,10,939	1,13,000
		(एम० के० डब्लू० एच०)	
21—उपभोक्ताओं की श्रेणियों के अनुसार ऊर्जा की बिक्री के ब्यौरे—			
(क) कृषि	3,505.798	3,611.000	3,723.000
(ख) उद्योग	4,051.980	4,167.000	4,475.000
(ग) वाणिज्यिक	611.067	613.000	672.000
(घ) घरेलू	1,316.538	1,582.000	1,848.000
(ङ) अन्य	1,342.902	1,186.000	1,169.000
योग—21	10,828.285	11,159,000	11,887.000
		(पैसे)	
22—(क) प्रति के0 डब्लू0 एच0 राजस्व (उपदान को छोड़कर)	51.58	55.01	55.58
(ख) प्रति के0 डब्लू0 एच0 व्यय	51.82	55.16	57.09
(ग) प्रति के0 डब्लू0 एच0 लाभ (+)/हानि (–)	(–)0.24	(–)0.15	(–)2.31

परिशिष्ट–9

1984–85 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति

(प्रस्तर 1.5.2 में सन्दर्भित, पृष्ठ 9)

	1982–83	1983–84 (करोड़ रुपयों में)	1984–85
क––देयतायें			
1––पूंजी	65.25	71.28	83.17
2––आरक्षित धनराशि तथा अधिशेष	90.41	99.80	108.86
3––ऋण	39.29	45.87	59.65
4––व्यापारिक देय तथा अन्य वर्तमान देयतायें	101.58	94.89	93.86
योग–क	296.53	311.84	345.54
ख––परिसम्पत्तियां––			
1––ग्रास ब्लाक	139.64	147.97	168.66
2––घटाइये:–मूल्य –ह्रास	89.02	98.22	107.07
3––निवल स्थिर परिसम्पत्तियां	50.62	49.73	61.59
4––पूंजीगत प्रगतिगत–कार्य	1.15	27.21	25.82
5––निवेश	0.92	0.92	0.80
6––वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	94.96	59.08	51.02
7––संचित हानियां	59.86	76.66	99.24
योग–ख	296.53	311.84	345.54
ग––निवेशित पूंजी*	96.44	114.02	139.85
घ––प्रयुक्त पूंजी**	67.19	51.39	47.56

*निवेशित पूंजी दीर्घावधिक ऋणों और अप्रतिबन्ध आरक्षित निधियों को जोड़कर प्रदत्त पूंजी की द्योतक है।

*प्रयुक्त पूंजी कार्यचालन पूंजी को जोड़कर निवल स्थिर परिसम्पत्तियों की द्योतक है।

परिशिष्ट—10

1985–86 तक 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का भौतिक कार्य संपादन

(प्रस्तर 1, 5, 2 में सन्दर्भित, पृष्ठ 9)

		1983–84	1984–85	1985–86
1—धारित वाहनों की औसत संख्या	..	5892	6040	6167
2—सड़क पर चल रहे वाहनों* की औसत संख्या	..	5214	4362	4681
3—उपयोग की प्रतिशतता	..	72	72	72
4—आवृत्त किलोमीटर (लाखों में)				
सकल	..	4135	4359	4521
क्रियाशील	..	4049	4277	4435
निष्क्रिय	..	86	82	86
5—सकल किलोमीटर से निष्क्रिय किलोमीटर की प्रतिशतता	..	2.1	1.9	1.9
6—प्रति बस प्रति दिन आवृत्त औसत किलोमीटर	..	217	204	213
7—प्रति किलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	..	317	330	361
8—प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	..	337	367	385
9—प्रति किलोमीटर लाभ (+) हानि (–) (पैसे)	..	(–) 20	(–) 37	(–) 24
10—कुल मार्ग किलोमीटर (लाखों में)	..	2,68,914	2,69,626	2,63,158
11—परिचालन डिपो की संख्या	..	93	93	90
12—प्रति लाख कि0 मी0 ब्रेक-डाउन की औसत संख्या	..	10.4	7.10	7.30
13—प्रति लाख किमी0 दुर्घटनाओं की औसत संख्या	..	0.15	0.15	0.16
14—अनुसूचित कि0 मी0 यात्री (लाखों में)			उपलब्ध नहीं	
15—परिचालित कि0 मी0 यात्री (लाखों में)	..	4049	4277	4435
16—अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	..	70	66	73

*वाहनों में बसें टैक्सियां और ट्रकें शामिल हैं।

परिशिष्ट—11

1985–86 तक 3 वर्षों की समाप्ति पर मोटे शीर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वित्तीय स्थिति का संक्षेप
(प्रस्तर 1.6.2 में संदर्भित; पृष्ठ 9)

	1983–84	1984–85	1985–86
		(करोड़ रुपयों में)	
क—देयतायें—			
(1) प्रदत्त पूंजी	10.00	10.00	10.00
(2) आरक्षित निधियां तथा अधिशेष	7.52	8.30	9.39
(3) ऋण—			
(i) बान्ड तथा डिबेंचर	56.37	72.05	87.95
(ii) अन्य (क)	111.97	140.00	185.24
(iii) अन्य देयतायें	9.43	13.83	7.82
योग-क ..	195.29	244.18	300.40
ख—परिसम्पत्तियां—			
(1) रोकड़ तथा बैंक बैलेन्स	10.25	15.89	9.24
(2) निवेश	0.33	0.33	0.35
(3) ऋण तथा अग्रिम	174.82	216.70	277.42
(4) निवल स्थिर परिसम्पत्तियां	0.64	0.67	1.07
(5) लाभांश कमी	0.11	0.08	..
(6) अन्य परिसम्पत्तियां	9.14	10.51	12.32
योग-ख	195.29	244.18	300.40
ग—प्रयुक्त पूंजी*	168.63	208.10	261.43
घ—निवेशित पूंजी**	185.86	230.35	292.52

(क) इसमें शेयर पूंजी के बदले में ऋण सम्मिलित हैं । 1983–84 में 14.00 करोड़ रुपये, 1984–85 में 22.00 करोड़ रुपये और 1985–86 में 34.00 करोड़ रुपये ।

*प्रयुक्त पूंजी प्रदत्त पूंजी बान्डों तथा डिबेंचरों, आरक्षित निधियों ऋणों (पुनर्वित्तपोषण सहित) और जमा निधियों के आदि और अन्त शेषों के कुल योग के मध्यमान की द्योतक है ।

**निवेशित पूंजी वर्ष की समाप्ति पर दीर्घावधिक ऋणों तथा अप्रतिबन्ध आरक्षित निधियों को जोड़कर प्रदत्त पूंजी की द्योतक है ।

परिशिष्ट-12

1985-86 तक 3 वर्षों हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का भौतिक कार्य-सम्पादन

(प्रस्तर 1.6.2 में सन्दर्भित; पृष्ठ 9)

क्रम-संख्या	1983-84		1984-85		1985-86		प्रारम्भ से संचित	
	संख्या	धनराशि (करोड़ रुपयों में)	संख्या	धनराशि (करोड़ रुपयों में)	संख्या	धनराशि (करोड़ रुपयों में)	संख्या	धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(1) वर्ष के प्रारम्भ में अनिस्तारित आवेदन-पत्र	401	17.75	469	26.13	533	42.54		..
(2) प्राप्त हुए आवेदन-पत्र	6058	107.67	5025	173.27	4082	275.33	46480	1142.05
(3) योग	6459	125.42	5494	199.30	4615	317.87	46480	1142.05
(4) स्वीकृत किए गये आवेदन-पत्र	5013	64.35	3897	94.81	2776	156.22	33465	638.45
(5) निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन-पत्र	977	26.72	1064	55.07	1237	92.80	12413	390.24
(6) वर्ष की समाप्ति पर अनिस्तारित रहे आवेदन-पत्र	469	26.13	533	42.54	602	60.69	..	..
(7) वितरित ऋण	3996	45.90	3095	54.28	2458	78.03	22454	344.99
(8) वर्ष की समाप्ति पर अनिस्तारित धनराशि		174.82		216.70		277.42	..	..
(9) वर्ष की समाप्ति पर वसूली हेतु अतिप्राप्य धनराशि								
(क) मूलधन		16.35		22.07		26.48		
(ख) ब्याज		17.18		24.66		30.60		
योग--9		33.53		46.73		57.08		
(10) कुल अप्राप्त ऋण से चूक की प्रतिशतता		27.30		30.80		30.94		

परिशिष्ट-13

1985-86 तक 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के भौतिक कार्य-सम्पादन के आंकड़े

(प्रस्तर 1.7 में सन्दर्भित ; पृष्ठ 10)

क्रम-संख्या	विवरण	1983-84	1984-85	1985-86
1	आवृत्त स्टेशनों की संख्या	144	144	144
2	वर्ष की समाप्ति पर सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टनों में)			
	(क) स्वामित्व वाली	9.16	9.16	9.16
	(ख) किराये वाली	3.10	3.47	3.37
	योग ..	12.26	12.63	12.53
3	उपयोजित औसत क्षमता (लाख टनों में)	12.22	11.62	12.60
			(प्रतिशत)	
4	उपयोग की प्रतिशतता	94.5	92.7	99.5
			(रुपये)	
5	(क) प्रति टन औसत राजस्व	45.47	57.68	64.67
	(ख) प्रति टन औसत व्यय	43.05	46.76	43.14
	(ग) प्रति टन औसत निवल आय	2.42	10.92	21.53

परिशिष्ट—14

1985–86 तक पांच वर्षों के अन्त में उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0–1) लिमिटेड की वित्तीय स्थिति का संक्षेप प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2क.1.6 में सन्दर्भित ; पृष्ठ 12)

	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86
			(करोड़ रुपयों में)		
क––देयतायें					
(1) प्रदत्त पूंजी (शेयर पूंजी के विरुद्ध अग्रिम सहित)	17.78	22.53	24.23	26.38	26.38
(2) आरक्षित निधियां तथा अधिशेष :					
(i) पूंजी आरक्षण	0.30	0.30	0.37	0.39	0.41
(ii) निवेश भत्ता आरक्षण	1.97	3.68	4.96	6.77	6.83
(iii) अतिरिक्त मूल्य ह्रास आरक्षण	0.03	0.49	1.00	1.73	1.73
(3) ऋण––					
(1) वित्तीय संस्थानों से	6.61	14.05	21.75	23.56	23.98
(2) नियंत्रक कम्पनी से (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड)	0.50	..	..	1.00	5.29
(3) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड, कानपुर	..	0.30	..	..	..
(4) बैंकों से (कैश क्रेडिट)	2.18	2.65	1.21	4.04	5.75
(4) वर्तमान देयतायें–– (प्रावधानों सहित)	3.00	4.91	5.56	18.05	15.56
योग––क	32.38	48.91	59.07	81.92	85.93
ख––परिसम्पत्तियां––					
(1) ग्रास ब्लाक	19.21	31.27	40.00	52.49	53.05
घटाइए : मूल्य ह्रास	9.82	12.17	17.39	23.58	28.96
निवल स्थिर परिसम्पत्तियां	9.39	19.09	22.61	28.92	24.09
(2) पूंजीगत प्रगतिगत कार्य	10.15	9.16	10.26	0.24	0.10
(3) वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम :					
(i) भण्डार-सूचियां	5.91	6.32	6.48	15.69	18.01
(ii) विविध देनदार	1.06	2.26	1.39	4.59	2.84
(iii) रोकड़ तथा बैंक बैलेन्स	0.11	2.71	0.36	0.60	0.34
(iv) ऋण तथा अग्रिम :					
(क) कर्मचारियों को ऋण	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
(ख) अन्य को ऋण	0.53	0.56	0.85	0.99	0.90
(4) संचित हानि	5.22	8.80	17.11	30.88	39.65
योग––ख	32.38	48.91	59.07	81.92	85.93
(ग) प्रयुक्त पूंजी	14.22	26.38	26.73	33.51	31.61
(घ) निवल मूल्य	14.86	18.20	13.45	4.39	(–)4.30

परिशिष्ट—15

31 मार्च, 1986 तक 5 वर्षों हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड के कार्यचालन परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी ।

(प्रस्तर 2 क 1.6, में संदर्भित, पृष्ठ 12)

	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86
			(लाख रुपयों में)		
क—व्यय :—					
सामग्री का उपभोग	1858.97	2473.34	3296.35	4296.99	4634.77
कार्मिक व्यय	322.55	478.73	677.62	804.47	1037.72
प्रशासकीय व्यय तथा अन्य व्यय	45.07	59.65	73.26	83.06	87.30
विक्रय व्यय	21.50	30.47	42.14	671.17	104.27
ब्याज	94.85	123.03	230.10	380.77	504.08
मूल्यह्रास	116.68	235.06	522.56	645.35	538.98
प्रावधान तथा बट्टे खाते डालना	0.16	0.12	0.08	2.08	0.26
योग—क	2459.78	3400.40	4842.13	6279.89	6907.38
ख—आय—					
बिक्रियां	2318.39	3184.48	4157.73	4573.50	5431.49
जोड़िये अन्त स्टाक	66.37	114.60	116.17	618.29	1147.08
योग	2384.76	3299.08	4273.90	5191.79	6578.57
घटाइये आदि स्टाक	79.25	66.37	114.60	116.17	618.29
उत्पादन का मूल्य	2305.51	3232.71	4159.30	5075.62	5960.28
अन्य आय	9.94	18.89	42.48	65.86	88.35
योग—ख	2315.45	3251.60	4201.78	5141.48	6048.63
ग—कार्यचालन हानि	144.33	148.80	640.35	1138.41	858.75
घ—मूल्यह्रास तथा निवेश भत्ता आरक्षण	14.27	216.52	179.54	253.55	5.50
ङ—पहले की अवधि का समायोजन	(−)0.37	(−)1.14	(+)11.05	(−)11.79	(+)13.74
च—अन्य ..	(−)0.31	(−)6.31	(−)0.28	(−)2.90	(−)1.38
छ—निवल हानि ..	157.92	357.87	830.66	1377.27	876.61

परिशिष्ट—16

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० I) लिमिटेड में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान पुरानी (क) तथा नयी (ख) इकाइयों में संस्थापित तकुओं, उपलब्ध तथा कार्य की गयीं तकुआ पारियों की संख्या तथा क्षमता उपयोग के मिलवार विवरण प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2 क.3.1 में संदर्भित; पृष्ठ 15)

विवरण	1981–82		1982–83		1983–84		1984–85		1985–86	
बाराबंकी मिल:	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
संस्थापित तकुए (लाखों में)	0.25	..	0.25	0.12	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
उपलब्ध तकुआ पारियां (लाखों में)	268.61	..	268.61	42.29	269.36	249.94	267.10	267.19	268.61	268.69
कार्य की गयीं तकुआ पारियां (लाखों में)	224.82	..	233.97	34.12	255.92	203.48	204.82	194.39	226.15	212.77
तकुआ उपयोग (प्रतिशतता)	83.7	..	87.1	80.69	83.9	81.4	76.7	72.7	84.2	79.2
मऊनाथ भंजन मिल:										
संस्थापित तकुए (लाखों में)	0.25	..	0.25	..	0.25	..	0.25	0.25	0.25	0.25
उपलब्ध तकुआ पारियां (लाखों में)	269.45	..	268.69	..	269.45	..	267.19	242.21	268.69	267.32
कार्य की गयीं तकुआ पारियां (लाखों में)	181.51	..	220.41	..	225.57	..	210.29	170.35	238.82	241.21
तकुआ उपयोग (प्रतिशतता)	67.4	..	82.0	..	83.7	..	78.7	70.3	88.9	90.2
अकबरपुर मिल—										
संस्थापित तकुए (लाखों में)	0.25	..	0.25	..	0.25	..	0.25	0.23	0.25	0.25
उपलब्ध तकुआ पारियां (लाखों में)	268.07	..	267.32	..	268.07	..	265.82	78.43	267.32	265.58
कार्य की गयीं तकुआ पारियां (लाखों में)	173.54	..	210.72	..	216.02	..	171.61	28.44	212.36	306.46
तकुआ उपयोग (प्रतिशतता)	64.7	..	78.8	..	80.6	..	64.6	36.3	79.4	77.7
रायबरेली मिल:										
संस्थापित तकुए (लाखों में)	0.25	..	0.25	0.12	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
उपलब्ध तकुआ पारियां (लाखों में)	268.61	..	268.61	129.87	269.48	263.87	266.35	266.43	268.63	268.69
कार्य की गयीं तकुआ पारियां (लाखों में)	200.56	..	240.99	119.37	237.99	233.10	230.30	235.89	223.10	228.58
तकुआ उपयोग (प्रतिशतता)	74.7	..	89.7	91.9	88.3	88.3	86.5	88.5	83.1	85.1
(ख) क्षमता उपयोग में कमी के कारण (प्रतिशतता)—										
बाराबंकी—										
1—अनुरक्षण	4.27	..	4.82	4.00	5.46	4.88	5.70	5.09	5.10	4.71
2—श्रमिक उपद्रव	..	..	0.80	..	0.90	0.85	3.38	3.89	5.04	6.99
3—कार्यकर्ताओं की कमी	0.29	..	1.33	3.62	0.86	0.36	3.16	4.75	1.35	3.52
4—अन्य कारण (काउन्ट्स में परिवर्तन, मरम्मत अतिरिक्त पुर्जे इत्यादि)	1.76	..	0.90	4.21	3.24	2.59	3.91	3.95	0.78	0.47
5—बिजली की कटौती/विफलता	9.98	..	5.05	7.48	5.67	9.91	7.17	9.56	3.54	5.12
योग ..	16.30	..	12.90	19.31	16.13	18.59	23.32	27.25	15.81	20.81

परिशिष्ट–16–समाप्त

ववरण—	1981–82		1982–83		1983–84		1984–85		1985–86	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
मऊनाथभंजन—										
1—अनुरक्षण	5.72	..	5.55	..	3.73	..	5.30	5.37	5.03	4.83
2—श्रमिक उपद्रव	17.36	..	0.10	..	9.04	..	0.02	..	..	..
3—कार्यकर्त्ताओं की कमी	3.63	..	6.48	..	1.66	..	5.09	12.11	2.26	1.86
4—अन्य कारण (काउन्ट्स में परिवर्तन, मरम्मत, अतिरिक्त पुर्जे इत्यादि)	0.29	..	0.63	..	0.08	..	2.42	3.46	0.49	0.61
5—बिजली की कटौती/विफलता	5.64	..	5.21	..	1.77	..	8.47	8.73	3.34	2.47
योग ..	32.64	..	17.97	..	16.28	..	21.30	29.67	11.12	9.77
अकबरपुर—										
1—अनुरक्षण	4.41	..	4.71	..	3.27	..	3.69	1.30	4.16	2.74
2—श्रमिक उपद्रव	17.77	..	9.75	..	12.42	..	13.39	16.09	0.74	0.81
3—कार्यकर्त्ताओं की कमी	3.54	..	3.47	..	1.87	..	14.01	40.53	10.32	15.40
4—अन्य कारण (काउन्ट्स में परिवर्तन, मरम्मत, अतिरिक्त पुर्जे इत्यादि)	0.42	..	0.49	..	0.22	..	1.23	0.29	2.07	0.64
5—बिजली की कटौती	9.12	..	2.76	..	1.64	..	3.12	5.53	3.27	2.67
योग ..	35.26	..	21.18	..	19.42	..	35.44	63.74	20.56	22.26
रायबरेली—										
1—अनुरक्षण	2.99	..	3.77	3.24	5.59	5.5	5.28	5.21	5.02	4.16
2—श्रमिक उपद्रव	14.20	..	..	0.01	0.94	1.04	0.88	0.78	7.02	7.82
3—कार्यकर्त्ताओं की कमी	1.96	..	1.82	1.12	2.82	2.73	1.69	1.76	1.53	0.64
4—अन्य कारण (काउन्ट्स में परिवर्तन, मरम्मत, अतिरिक्त पुर्जे इत्यादि)	0.33	..	0.15	0.50	0.40	0.39	2.91	0.90	0.15	0.12
5—बिजली की कटौती/विफलता	5.85	..	4.54	3.21	1.94	1.92	2.77	2.81	3.22	2.19
योग ..	25.33	..	10.28	8.08	11.69	11.66	13.53	11.46	16.94	14.93

परिशिष्ट–17

1985–86 तक 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० I) में रुई की खपत, धागे की प्राप्ति तथा बरबादी की मिलवार स्थिति

(प्रस्तर 2 क.3.3 में सन्दर्भित, पृष्ठ 16)

	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86
	(कोष्ठकों में प्रतिशतता के अतिरिक्त आँकड़े लाख किलोग्रामों में)				
अकबरपुर					
(1) निवल उपभुक्त रुई	25.65	32.64	37.72	36.79	68.78
(2) प्राप्त धागे	21.63	37.69	31.04	31.40	60.51
(3) बरबादी––					
(क) दृश्य	3.84	4.80	6.18	5.39	8.10
(ख) अदृश्य	0.18	0.15	0.50	..	0.17
(4) निवल उपभुक्त रुई से प्रतिशतता––					
(क) प्राप्त धागे	(84.3)	(84.8)	(82.3)	(85.4)	(88.0)
(ख) दृश्य बरबादी	(15.0)	(14.7)	(16.4)	(14.6)	(11.7)
(ग) अदृश्य बरबादी	(0.7)	(0.5)	(1.3)	..	..
बाराबंकी					
(1) निवल उपभुक्त रुई	37.96	50.49	75.32	67.82	74.54
(2) प्राप्त धागे	32.45	42.77	62.18	57.49	64.62
(3) बरबादी––					
(क) दृश्य	5.22	7.03	12.38	9.75	9.68
(ख) अदृश्य	0.29	0.69	0.76	0.58	0.04
(4) निवल उपभुक्त रुई से प्रतिशतता––					
(क) प्राप्त धागे	(85.5)	(84.7)	(82.6)	(84.7)	(87.0)
(ख) दृश्य बरबादी	(13.7)	(13.9)	(16.4)	(14.4)	(12.9)
(ग) अदृश्य बरबादी	(0.8)	(1.4)	(1.0)	(0.9)	(0.1)
रायबरेली					
(1) निवल उपभुक्त रुई	34.14	68.43	87.27	72.22	73.76
(2) प्राप्त धागे	29.50	58.04	73.25	60.96	63.86
(3) बरबादी––					
(क) दृश्य	4.64	9.69	13.72	10.88	9.43
(ख) अदृश्य	..	0.70	0.30	0.38	0.47
(4) निवल उपभुक्त रुई से प्रतिशतता––					
(क) प्राप्त धागे	(86.4)	(84.8)	(83.9)	(84.4)	(86.6)
(ख) दृश्य बरबादी	(13.6)	(14.2)	(15.2)	(15.1)	(12.8)
(ग) अदृश्य बरबादी	..	(1.0)	(0.4)	(0.5)	(0.6)
मऊनाथ भंजन					
(1) निवल उपभुक्त रुई	26.49	34.67	39.70	58.27	79.95
(2) प्राप्त धागे	22.41	29.44	32.95	49.80	69.82
(3) बरबादी––					
(क) दृश्य	4.00	4.82	6.33	9.45	10.03
(ख) अदृश्य	0.08	0.45	0.42	0.43	..
(4) निवल उपभुक्त रुई से प्रतिशतता––					
(क) प्राप्त धागे	(84.6)	(84.8)	(83.0)	(84.8)	(87.5)
(ख) दृश्य बरबादी	(15.1)	(13.9)	(15.9)	(14.5)	(12.5)
(ग) अदृश्य बरबादी	(0.3)	(1.3)	(1.1)	(0.7)	..

परिशिष्ट-18

31 मार्च, 1986 को अन्त होने वाले 5 वर्षों हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० 1) लिमिटेड में बेचे गये धागे, बेचे गये धागे के उत्पादन की लागत, बिक्रियों की प्राप्ति और बिक्रियों की लागत पर सीमान्त के ब्यौरे दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2 क. 4 में सन्दर्भित, पृष्ठ 16)

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
बाराबंकी					
(1) बेचे गये धागे लाख किलोग्रामों में	32.84	41.42	63.39	56.95	53.66
			(करोड़ रुपयों में)		
(2) उत्पादन लागत	6.75	8.25	14.21	15.34	12.26
(3) बिक्रियों की लागत	7.30	8.97	15.84	17.19	14.34
(4) बिक्रियों से प्राप्ति	6.96	8.13	12.81	14.14	12.62
(5) बिक्रियों की लागत पर सीमान्त	(-)0.34	(-)0.84	(-)3.03	(-)3.05	(-)1.72
अकबरपुर					
(1) बेचे गये धागे लाख किलोग्रामों में	22.17	27.23	31.39	29.09	51.60
			(करोड़ रुपयों में)		
(2) उत्पादन लागत	4.91	5.55	6.65	8.93	12.67
(3) बिक्रियों की लागत	5.27	5.98	7.12	9.89	14.63
(4) बिक्रियों से प्राप्ति	4.77	5.60	6.59	7.07	11.63
(5) बिक्रियों की लागत पर सीमान्त	(-)0.50	(-)0.38	(-)0.53	(-)2.82	(-)3.00
मऊनाथ भंजन					
(1) बेचे गये धागे लाख किलोग्रामों में	22.83	29.13	33.19	42.36	68.75
			(करोड़ रुपयों में)		
(2) उत्पादन लागत	5.06	5.85	7.49	12.08	16.20
(3) बिक्रियों की लागत	5.51	6.38	8.14	13.61	18.35
(4) बिक्रियों से प्राप्ति	4.79	5.91	6.84	10.51	15.92
(5) बिक्रियों की लागत पर सीमान्त	(-)0.72	(-)0.47	(-)1.30	(-)3.10	(-)2.43
रायबरेली					
(1) बेचे गये धागे लाख किलोग्रामों में	29.91	58.08	73.09	57.87	57.24
			(करोड़ रुपयों में)		
(2) उत्पादन लागत	5.98	10.99	15.20	15.38	12.77
(3) बिक्रियों की लागत	6.46	11.84	16.74	17.07	14.63
(4) बिक्रियों से प्राप्ति	6.47	11.81	14.92	15.02	13.43
(5) बिक्रियों की लागत पर सीमान्त	(+)0.01	(-)0.03	(-)1.82	(-)2.06	(-)1.20

परिशिष्ट-19

1985-86 तक 5 वर्षों हेतु आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में वित्तीय स्थिति दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2 ख. 1.5 में संदर्भित, पृष्ठ 22)

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
			(लाख रुपयों में)		
क--देयतायें--					
(1) प्रदत्त पूंजी (शेयर पूंजी के समक्ष अग्रिम सहित)	831.51	750.00	750.00	750.00	750.00
(2) आरक्षण और अधिशेष	40.53	126.55	132.85	144.30	142.82
(3) ऋण--					
(i) आवधिक ऋण	752.00	989.50	1158.50	1316.00	1295.73
(ii) कैश क्रेडिट तथा अन्य ऋण	38.19	372.06	764.43	1072.45	1485.15
(4) व्यापारिक देय तथा अन्य वर्तमान देयतायें	136.69	203.90	271.58	541.28	642.28
(5) ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	2.21	3.58	4.83	18.56	25.18
योग-क ..	1801.13	2445.59	3082.19	3842.59	4341.17
ख--परिसम्पत्तियां--					
(1) ग्रास ब्लाक	600.16	1109.80	1151.74	1219.94	1231.50
घटाइये मूल्य ह्रास	48.11	131.83	219.32	313.80	408.54
(2) नेट ब्लाक	552.05	977.97	932.42	906.14	822.96
पूंजीगत प्रगतिगत-कार्य	109.67	6.06	12.89	20.63	42.29
(3) निवेश	..	0.04	0.04	0.04	0.04
(4) वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	809.68	647.56	902.45	1108.99	1047.06
(5) विविध व्यय	111.30	98.92	86.54	93.13	76.48
(6) संचित हानियाँ	218.43	715.04	1147.85	1713.66	2352.34
योग-ख..	1801.13	2445.59	3082.19	3842.59	4341.17
ग--प्रयुक्त पूंजी	1225.04	1421.63	1563.29	1473.85	1227.73
घ--निवल मूल्य	542.31	62.59	(-)351.54	(-)912.49	-1536.00

टिप्पणियाँ--(1) प्रयुक्त पूंजी कार्यचालन पूंजी को जोड़कर निवल स्थिर परिसम्पत्तियो (पूंजीगत प्रगतिगत-कार्य को छोड़कर) की द्योतक है।

(2) निवल मूल्य आरक्षित निधियों को जोड़कर और अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदत्त पूंजी का द्योतक है।

परिशिष्ट—20

1985–86 तक 5 वर्षों हेतु आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में कार्यचालन परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2 ख 1.5 में सन्दर्भित ; पृष्ठ 22)

	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86
			(लाख रुपयों में)		
क—आय	80.97	161.34	410.24	293.01	388.68
ख—व्यय					
कच्चे माल का उपभोग	114.69	175.79	355.06	213.62	306.74
वेतन तथा मजदूरी	35.14	117.41	101.49	184.78	207.07
मूल्य ह्रास	36.31	83.71	87.78	94.48	94.74
ब्याज	36.15	155.64	178.56	225.03	251.73
अन्य	36.60	40.38	114.60	130.70	165.44
योग ..	258.89	572.93	837.49	848.61	1025.72
ग—हानियाँ	177.92	411.59	427.25	555.60	637.04

परिशिष्ट—21

1985–86 तक 5 वर्षों हेतु आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में क्षमता उपयोग दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2 ख. 3 में संदर्भित ; पृष्ठ 23)

	1981–82		1982–83		1983–84		1984–85		1985–86		1986–87	
	ट्रैक्टर	इंजन	ट्रैक्टर	इंजन	ट्रैक्टर	इंजन	ट्रैक्टर	इंजन	ट्रैक्टर	इंजन	ट्रैक्टर	इंजन
					(संख्या)							
1—प्रजनित क्षमता :												
(क) प्रायोजित क्षमता	..	..	5750	575	7000	2000	7500	2500	7500	2500	7500	2500
(ख) संस्थापित क्षमता (1983–84 में दर कम की गयी)	300	.	4500	..	2500	1000	2500	1000	2500	1000	2500	1000
(ग) (क) से (ख) की प्रतिशतता	.	.	78	..	36	50	33	40	33	40	33	40
2—उत्पादन :												
(क) प्रायोजित	500	..	2000	200	3500	1000	5000	1500	6000	2000	6000	2000
(ख) वास्तविक	151	..	381	..	721	11	450	410	400	600	275	750
3—वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता :												
(क) दर कम की गयी क्षमता	50	..	8.5	..	28.8	1.1	18	41	16	60	11	75
(ख) प्रायोजित उत्पादन	30.2	..	19.0	..	20.6	1.1	9	27.3	6.6	30	4.6	37.5

परिशिष्ट–22

आंटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड–ट्रैक्टरों के संम्बन्ध में बिक्रियों की लागतों के ब्यौरे (ब्रेक–अप) दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2 ख.5 में सन्दर्भित; पृष्ठ 25)

	1981–82	विक्रय मूल्य से प्रतिशतता	1982–83	विक्रय मूल्य से प्रतिशतता	1983–84	विक्रय मूल्य से प्रतिशतता	1984–85	विक्रय मूल्य से प्रतिशतता	1985–86	विक्रय मूल्य से प्रतिशतता
	(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)	
माल की लागत (आयातित सी0के0डी0)	0.72	140	0.60	110	0.51	93	0.47	85	0.51	84
प्रत्यक्ष मजदूरी	0.03	5.4	0.02	4	0.03	6	0.07	13	0.09	15
योग		145		114		99		98		99
ब्याज और मूल्यह्रास सहित अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्माण तथा प्रशासकीय स्थिर व्यय (ओवरहेड्स)	1.07	211	1.04	189	0.66	120	1.17	213	1.48	243
उत्पादन की लागत	1.82	356	1.66	303	1.20	219	1.71	311	2.08	342
विक्रय स्थिर व्यय	0.01	2	0.01	2	0.03	5	0.10	18	0.18	30
विक्रय लागत	1.83	358	1.67	305	1.23	224	1.81	329	2.26	372
उत्पादन (संख्या में)	151		381		721		450		400	
बिक्री (संख्या में)	150		281		701		396		351	
प्रति इकाई विक्रय मूल्य	0.51		0.55		0.55		0.55		0.61	

परिशिष्ट–23

1984–85 तक 4 वर्षों के अन्त में उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति

(प्रस्तर 2 ग. 1. 8 में सन्दर्भित; पृष्ठ 35)

	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
	(लाख रुपयों में)			(अनन्तिम)
देयतायें—				
(क) शेयर पूंजी हेतु अग्रिम सहित प्रदत्त पूंजी	679.47	761.43	761.44	761.44
(ख) आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	10.56	21.64	53.56	69.67
(ग) ऋण : बैंकों से आवधिक ऋण	0.34	..	..	..
(घ) व्यापारिक देय तथा अन्य वर्तमान देयतायें	2045.86	1473.34	1815.56	1679.86
योग ..	2736.23	2256.41	2630.56	2510.97
परिसम्पत्तियाँ—				
(क) ग्रास ब्लाक	18.45	20.38	27.10	30.44
(ख) घटाइए मूल्यह्रास	3.67	4.72	7.12	9.42
(ग) निवल स्थिर परिसम्पत्तियाँ	14.78	15.66	19.98	21.02
(घ) वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	2715.36	2239.70	2609.60	2489.05
(ङ) विविध व्यय	1.13	1.05	0.98	0.90
(च) संचित हानि	4.96	..	..	..
योग ..	2736.23	2256.41	2630.56	2510.97
प्रयुक्त पूंजी	590.64	736.72	799.03	823.05
निवल मूल्य	683.95	782.02	814.02	830.21

टिप्पणियाँ:—(1) प्रयुक्त पूंजी प्रदत्त पूंजी, आरक्षणों तथा अधिशेष, ऋण तथा जमा निधियों के आदि तथा अन्त शेषों के योग के मध्यमान की द्योतक है।

(2) निवल मूल्य आरक्षणों तथा अधिशेष को जोड़कर तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदत्त पूंजी का निरूपण करता है।

परिशिष्ट–24

उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संम्बन्ध में 1985–86 तक चार वर्षों हेतु कार्यचालन परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी

(प्रस्तर 2 ग. 1. 8 में सन्दर्भित ; पृष्ठ 35)

विवरण	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
		(लाख रुपयों में)		
1—आय				
(क) लाभार्थियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	10.86	22.86	35.58	27.5[illegible]
(ख) सरकारी देयताओं के रूप में बैलेन्स शीट को अन्तरित (ट्रांस–फर्ड) नियतकालिक तथा बचत बैंक जमा निधियों पर ब्याज	24.19	36.50	42.93	21.45
(ग) अन्य आय	0.01	0.50	0.68	0.34
योग ..	10.87	23.36	36.26	27.89
2—व्यय				
(क) वेतन, मजदूरी तथा अन्य प्रशासकीय व्यय (मुख्यालय)—	10.43	14.25	15.68	19.23
घटाइए प्रशासकीय अनुदानों को अन्तरित	6.89	8.55	7.87	9.84
(ख) ब्याज	0.10	..	..	..
(ग) मूल्य ह्रास	1.69	1.63	2.49	2.68
(घ) पहले की अवधि के समायोजन	0.25	..	(–)0.72	1.27
योग ..	5.58	7.33	9.58	13.34
3—अधिशेष (+)	(+)5.29	(+)16.03	(+)26.68	(+)14.55

पी0 एस0 यू0 पी0—41 महालेखाकार—10–3–'88—1750 (हिन्दी ।

शुद्धि-पत्र

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1985-86 (वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

क्रम-संख्या	पृष्ठ	अनुच्छेद	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	1	अनुच्छेद 1.2.1	5	निगमित	निगमित
2	5	उप-अनुच्छेद 2 तदैव, द्वितीय उप-अनुच्छेद	1	स काय नहा कर रहा था क्या कि विताय लख पर काइ था आंतरिक लेखा परीक्षाप, तिवदन उपलब्ध नहा कराया गया।	से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि वित्तीय लेखे पर कोई भी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	4	1.2.4.1	प्रथम	16 कम्पनियों	16 कम्पनियों (एक कम्पनी उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड निर्माणाधीन-को सम्मिलित करते हुए)
4	5	1.2.6(च)	2	लाख रुपय का हानि प्रदर्शित करत हुए। उत्तर प्रदेश स्टट एग्रा इंडस्ट्रियल कापोरेशन लिमिटेड।	लाख रुपये की हानि प्रदर्शित करते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।
5	6	(2)	1	1629.20	629.20
6	7	1.4.1 तृतीय उप-अनुच्छेद	2	भुगतान	भुगतान
7	8	1.4.4(4)	2	भगतान	भुगतान
8	8	1.4.4(4)	6	मल्यह्रास का मल्य, पूर्ण	मूल्य ह्रास का मूल्य पूर्ण
9	8	1.4.4(4)	7	परिशब्द	परिषद
10	9	1.6.1.	2	का प्रदतपूजा 10 करोड़ रुपय	को प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपये
11	10	1.6.4.	2	20801	20861
12	10	तालिका	11(क)	6.2	6.9
13	11	2क1.1.	18	(यू0पी0एस0एस0एम0आई)	(यू0पी0एस0एस0एम0 I)
14	11	2क1.2	1	सूती कताई, करो	सूत कताईकारों
15	11	तदैव	2	तम्ब निर्माताओं, सत	तम्बू निर्माताओं, सूती
16	11	तदैव	4	धनकी	धुनकी
17	11	2क1.5 द्वितीय उप-अनुच्छेद	1	मलधन	मूलधन
18	11	तदैव	3	जब्त छट	जब्त छूट
19	15	2क3.1	(क)(4)	रायबरेला	रायबरेली
20	15	तदैव (2)	2	मिला	मिलों

क्रम संख्या	पृष्ठ	अनुच्छेद	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
21	17	तालिका	क्रम सं0 7	(84.08)	(84.8)
22	18	2.क.5.3. तृतीय उप-अनुच्छेद	2	व्यारियों	व्यापारियों
23	21	2क.9(2)	8	अक्टूावर	अक्टूबर
24	22	2क.1.4.	10	सम्भत	सम्भूत
25	25	2क 4(क) चतुर्थ उप-अनुच्छेद	2	निर्धरित	निर्धारित
26	29	2क.10(क)	1	दशेज	देशज
27	35	तदैव	2	लाभाथयों	लाभार्थियों
28	35	2ग.2.1(क)	10	प्रशासनक व्ययों	प्रशासनिक व्ययों
29	35	तदैव	12	लाभाथया	लाभार्थियों
30	36	(ग) (2)	7	रपये	रुपये
31	38	(8)	4	12.000	12,000
32	38	(ग) द्वितीय उप-अनुच्छेद	7	अनुवर्ता	अनुवर्ती
33	42	तालिका	शीर्षक	दारान वितरित	दौरान वितरित
34	43	2ग.5(3)	3	जन	जून
35	44	2ग.7(3), चतुर्थ उप-अनुच्छेद	1	अनुदान	उपदान
36	45	3	शीर्षक	उत्तर प्रदेश राज्य विदत (विदत विभाग) परिषद	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (विद्युत विभाग)
37	46	तालिका शीर्षक	अन्तिम कालम	ईकाइ द्वा	इकाई द्वारा
38	47	(ग)	5	निमूल्यका जाना थी, फरवरा	निर्मूल्य की जानी थी (फरवरी)
39	47	(ग)		दा स्थानीय फमा	दो स्थानीय फर्मों
40	54	3ख.3(1)	3	(मूल्य 0.23 लाख रुपये	(मूल्य-0.23 लाख रुपये) भेजी
41	58	3ग.4 तालिका	शीर्षक	वर्ग	वर्ष
42	61	3ग.8.(4)	11	अपाकत	अपाकृत
43	62	(7) तालिका		एण्ड	इण्ड
44	63	4क.1.2.	10	डा0एस0आ0	डी0एस0ओ0
45	64	4क.4	शीर्षक	कापारेशन	कारपोरेशन

क्रम संख्या	पृष्ठ	अनुच्छेद	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
46	65	4क. 5 तृतीय उपअनुच्छेद	16	मक्त	मुक्त
47	65	तदैव	18	पष्ट	पुष्ट
48	65	तदैव चतुर्थ अनुच्छेद	2	चाल	चालू
49	65	4क. 6	3	स्वीकति	स्वीकृति
50	65	,,	5	पर्ण	पूर्ण
51	65	,,	8	पाण्डलिपि	पाण्डुलिपि
52	65	,,	10	अन्बन्ध	अनुबन्ध
53	65	,,	11	1.01	1.91
54	65	,,	14	सम्पर्ण	सम्पूर्ण
55	65	,,	17	1.01	1.91
56	65	4क. 6	18	10.17	0.17
57	65	,,	18	भगतान	भुगतान
58	65	4क. 8 प्रथम उप-अनुच्छेद	1	बढवल	बुढवल
59	65	,,	5	अन्बन्ध	अनुबन्ध
60	65	,,	7	अनमत	अनुमत
61	65	,,	8 और 9	उपर्युक्त	उपर्युक्त
62	65	,,	10	वसली	वसूली
63	65	4क. 8 द्वितीय उप-अनुच्छेद	2	केन्दोपर सखावन (डार्एज)	केन्द्रों पर सुखावन (ड्रायज)
64	65	,,	3	0.36	2.36
65	65	,,	4	अनज्ञेय	अनुज्ञेय
66	65	,,	5	1962.70 कन्तल	1962.72 कुन्तल
67	65	,,	6	वसल	वसूल
68	65	तृतीय उप-अनुच्छेद	2	वसली की प्रमात्रा मुख्यालय	वसूली की प्रमात्रा मुख्यालय
69	65	4ख. 1	शीर्षक	विकास छट	विकास छूट
70	65	4ख. 1	1	वभन उपभोक्ताओं के वम्बन्ध में लाभ दर अनसच। में आपत्ति	विद्युत उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में लागू दर अनुसूची में आपूर्ति

क्रम संख्या	पृष्ठ	अनुच्छेद	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
71	69	4ख. 8	अन्तिम पंक्ति	प्रताक्षा ह (जलाइ 1987)	प्रतीक्षा है (जुलाई 1987)।
72	69	4ख. 8. 2	2	हत	हेतु
73	70	4ग. 1	2	सवाओं का उपयाग	सेवाओं का उपयोग
74	,,	,,	4	नावदाओं आर दिसम्बर 1983 में	निविदाओं और दिसम्बर 1983 में
75	,,	,,	5	कन्द्राय	केन्द्रीय
76	,,	,,	5	अन्तम	अन्तिम
77	,,	6	7	मालका क	मालिकों के
78	,,	6	7	निष्पाद्रत अनुबन्धों की शता	निष्पादित अनुबन्धों की शर्तों
79	,,	6	9	का दूरा	की दूरी
80	,,	6	14	ह्रान की स्थित्रि मा कराया	हानि की स्थिति में किराया
81	77	कालम 6 (घ)	क्र0सं0 6	2094	20.94
82	77	कालम 6 (ग (	क्र0सं0 20	(–) 14.85	(+)14.85
83	78	कालम 3(ग)	क्र0सं0 22	669	6.69
84	79	कालम 3 (घ)	शीर्षक	समान्ति	समाप्ति
85	80	कालम 3 (घ)	क्र0सं0 41	539.9	539.97
86	81	कालम 6 (ग)	क्र0सं0 49	(–)7. 1	(+)7.71
87	83	कालम 6 (घ)	क्र0सं0 54	255.00	232.84
88	83	कालम 6 (ख)	क्र0सं0 74	255	2.55
89	85	कालम 2 (क)	क्र0सं0 89	0001	0.001
90	86	कालम 2 (क)	क्र0सं0 4	ब्यूपुलस डनर लिमिटेड	ब्यूपुलस टेनरी लिमिटेड
91	86	कालम 2 (क)	क्र0सं0 7	स्टट	स्टेट
92	86	,,	क्र0सं0 10	पूवाचल विकास	पूर्वांचल विकास
93	86	तदैव	क्र0सं0 18	विष्र	ब्रिज
94	86	तदैव	क्र0सं0 23	टलेंट्रानिक्स	टलिट्रानिक्स
95	88	तदैव	क्र0सं0 3	उत्तर प्रदेश इडस्ट्रियल	उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल
96	88	तदैव	क्र0सं0 4	टेनर	टेनरी
79	89	कालम 18	क्र0सं0 3	(+)2737.	(+) 2737.77

क्रम संख्या	पृष्ठ	अनुच्छेद	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
98	89	कालम 15	शीर्षक	निनल	निवल
99	89	कालम 18	क्र0सं0 7	(+) 526.55	(+) 5267.55
100	89	कालम 18	क्र0सं0 3	2737..	2737.00
101	90	कालम 2 (क)	क्र0सं0 41	लिमिड	लिमिटेड
102	91	कालम 7	क्र0सं0 35	1429.40	1429.00
103	86, 92, 96 और 100	कालम 2 (ख)	शीर्षक	विभाग 2 (ख)	
104	92	कालम 13	क्र0सं0 44	683.72	583.72
105	92	कालम 13	क्र0सं0 25	2702	2.02
106	92	तदैव	क्र0सं0 28	उत्तर प्रदेश बासवेयर	उत्तर प्रदेश स्टेट बासवेयर
107	92	कालम 12	क्र0सं0 36	(+) 42.04	(–) 42.04
108	97, 98, 101	कालम 19	तदैव	प्रयुक्त पूंजी पर (कालम 9–10)	प्रयुक्त पूंजी पर कुल प्रतिफल (कालम 9+10)
109	93	कालम 20	तदैव	कुल प्रतिफल निवेशित पूंजी पर	निवेशित पूंजी पर
110	93	कालम 18	क्र0सं0 36	98.60	93.60
111	93	कालम 19	क्र0सं0 41	(+) 153.94	(–) 153.94
112	93	तदैव	क्र0सं0 42	(+) 4.40	(–) 4.40
113	95	कालम 8	क्र0सं0 58	87.59	87.79
114	95	तदैव	क्र0सं0 59	355.13	353.13
115	96	कालम 13	क्र0सं0 47	0.33	1.33
116	96	कालम 13	क्र0सं0 46	2.33	0.33
117	96	कालम 13	क्र0सं0 48	6.03	16.03
118	97	कालम 19	क्र0सं0 52	(–) 101.6	(–) 101.62
119	97	कालम 21	क्र0सं0 53	6.5	6.6
120	100	कालम 13	क्र0सं0 83	1454.34	154.34
121	102	कालम 4	क्र0सं0 87	1985–86	—
122	104	अन्तिम कालम	क्र0सं0 5	1.59	1.50
123	106	परिशिष्ट 6	शीर्षक	प्रस्तर 1–3–4	प्रस्तर 1.3.4

क्रम संख्या	पृष्ठ	अनुच्छेद	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
124	106	कालम 12	शीर्षक	(7+9)	(7+8)
125	106	कालम 11	क्र0सं0 4	1756	4756
126	116	(क) व्यय विक्रय व्यय	1984-85	671.17	67.17
127	117	परिशिष्ट 16	शीर्षक	शित	प्रदर्शित
128	118	परिशिष्ट 16	शीर्षक	ववरण	विवरण
129	119	कालम 1983-84	क्र0स0 4(ख)	(15.2)	(15.7)
130	119	मऊनाथ भंजन (2) प्राप्त धागे	रायबरेली 1984-85	49.80	49.40
131	119	कालम 1985-86	क्र0सं0 2 मऊनाथ भंजन	69.82	69.92
132	121	कालम 1984-85	क्र0सं0 (5)	90.13	93.13

पी0एस0यू0पी0 — ए0पी0 3 महालेखाकार- 25-8-88(1340)—1988-1750 (हि0)।